# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 ] पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 47वां दिवस [ संख्या 19



शुक्रवार, ।

दिनांक 5 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

तहसीलों में मोबाइल मजिस्ट्रेट व मोबाइल पुलिस की नियुक्ति

313. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिये हर तहसील में मोबाइल मजिस्ट्रेट व मोबाइल पुलिस की नियुक्ति करने का सरकार इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल): ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

314. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना नगर में कब चालू की गई थी ?

(2) क्या इस योजना को संचालित करने में भारत सरकार का कोई योगदान है ? यदि हां, तो किस प्रकार और कितना कितना ?

(3) दुग्ध वितरण योजना द्वारा जयपुर में कितना दुग्ध, घी, बटर, पनीर, क्रीम, मिल्करोज आदि प्रतिदिन वितरित किया जाता है ?

(4) योजना में राज्य सरकार वार्षिक कितना व्यय करती है और मुनाफा कितना होता है ?

(5) योजना में कुल कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी काम करते हैं इनके वेतन भत्तों आदि में योजना को वार्षिक कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

(श्री केदारनाथ)

(6) क्या विगत पांच वर्षों में योजना में कर्मचारियों की कोई कटौती की गई थी ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी हटाये गये ? जिनसे कितनी धनराशि की बचत हुई ?

(7) क्या रिट्रेंच किये गये कर्मचारियों के बाद नई भर्ती की गई? यदि हां, तो उससे योजना पर वेतन आदि का कितना भार बढ़ा ?

**पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :** (1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना, जयपुर नगर में दिनांक 6 फरवरी, 1965 को प्रारम्भ की गई।

(2) इस योजना को संचालित करने में भारत सरकार का योगदान यह रहा है कि केन्द्रीय सरकार से इस योजना को कुल लागत का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप म, तथा 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 40 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत न्युजीलैण्ड सरकार ने 9.50 लाख रुपये का फारिन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) दिया था जिससे कि इस योजना के लिए बाहरी उपकरण खरीदे जा सकें।

(3) आजकल दुग्ध वितरण योजना द्वारा तिदिन अनुमानतः 16000 लिटर दूध, 200 किलो घी, 20 किलो मक्खन, 50 किलो पनीर, 5 किलो क्रीम तथा 400 लिटर मिल्करोज वितरण हेतु तैयार किया जाता है।

(4) योजना पर राज्य सरकार अनुमानतः अब 50 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय करती है जिसका अधिकांश भाग उपरोक्त दुग्ध पदार्थों की बिक्री के बाद वापस सरकारी कोष में जमा हो जाता है। अभी योजना में मुनाफा नहीं हो रहा है।

(5) योजना में कुल 6 अधिकारी व 314 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके वेतन व भत्ते आदि पर वार्षिक व्यय अनुमानतः 5.50 लाख रुपया होता है।

(6) विगत पांच वर्षों में दो बार कर्मचारियों की कटौती की गई। प्रथम 1969-70 में सभी वर्गों में कुल 50 कर्मचारियों के पद समाप्त किये गये जिसके फलस्वरूप अनुमानतः 56,000 रुपये की बचत हुई। वर्ष 1970-71 में 24 कर्मचारियों की कटौती की गई जिससे अनुमानतः 36 हजार रुपये की बचत हुई।

(7) रिट्रेन्चमेंट के बाद नई भर्ती नहीं की गई किन्तु श्रम न्यायालय के निर्णयानुसार पांच कर्मचारियों को पुनः सेवा में नियोजित किया गया जिनका व्यय भार प्रति माह रु० 2,000 होता है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई:** इस योजना में पिछले साल कितना घाटा हुआ ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इस योजना में अनुमानतः 6.50 लाख का घाटा होने की सम्भावना है।

**श्री केदारनाथ :** इस घाटे की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी क्या रिपोर्ट है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** जांच रिपोर्ट का पता नहीं है।

# Page No 3



**श्री श्रीराम गोटेवाला** : घाटा प्रति वर्ष हो रहा था ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इस योजना में भैंस का दूध काम में लिया जाय तो घाटे की पूर्ति होगी—क्या ऐसा रिपोर्ट में था ?

**श्री परसराम मदेरणा** : 1968 तक गो संवर्द्धन कौन्सिल की बराबर मांग रहने से केवल गाय का दूध संग्रह किया जाता था, भैंस का नहीं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : भैंस का दूध सम्मिलित करने के बाद घाटे में कितनी कमी हुई ?

**श्री परसराम मदेरणा** : भैंस का दूध वितरित करने के बाद 1970-71 में 11 लाख 33 हजार 346 रुपयों का घाटा हुआ। इस साल घाटा 6.50 लाख हुआ।

**श्री केदारनाथ** : इसकी जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई है, तो आप बनाओ जो प्रपोज करे कि इस तरह से इस घाट को खत्म किया जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** : 11 लाख का घाटा हुआ, 6.50 लाख का घाटा हुआ वह इसलिए कि जो दूध वितरित होना था वह न होकर तेरह हजार लिटर रहा। राजस्थान में और कहीं नहीं है दूध योजना। अब राजस्थान में मालपुरा में चिलिंग प्लान्ट बनाने की योजना बनाई है, जिससे छः लाख लिटर प्रति दिन प्राप्त होगा। ट्रान्सपोर्टेशन में कमी की गई है, दूध संग्रह की व्यवस्था ठीक की गई है और क्वालिटी इम्प्रूव की गई है। इनकी वजह से होने वाली बचत से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1972-73 में जो यह 6.50 लाख घाटा वह नहीं होगा।

**श्री केदारनाथ** : इसके लिए कोई एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या यह सही है कि इसका प्लान्ट इतना बड़ा भारी है कि उसको देखते हुए जो दूध बनाया जाता है वह बहुत कम है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह प्लान्ट 20 हजार लिटर का है। पहले दूध कम उपलब्ध हो रहा था। अब आशा की जाती है, अगले वर्ष पूरी कैपेसिटी में दूध आ जायगा, तो प्लान्ट कैपेसिटी के अनुसार दूध हो जायगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : क्या यह सही है कि प्लान्ट खराब होता जा रहा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मुझे ऐसी सूचना नहीं है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराये।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं जानकारी करा लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्री भरतलाल !

# Page No 4



**केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर**

315. **श्री भरतलाल** (बामनवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक का संचालक मण्डल नियमानुसार गठित है या नहीं ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उपरोक्त बैंक के संचालक मण्डल में कितने संचालक कार्यशील हैं और उनमें कितने डिफाल्टर हैं ? यदि डिफाल्टर हैं, तो उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सच है कि जिस संचालक की समिति पर अवधिपार ऋण बकाया है वह सहकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत आयोग्य होता है तथा संचालक नहीं रह सकता ? यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाई माधोपुर के इस प्रकार के संचालकों के खिलाफ विभाग द्वारा क्यों नहीं कार्यवाही की गई तथा किस नियम के तहत वे अब भी कार्य कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में विभाग कोई कार्यवाही करने का इरादा रखता है ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग की लापरवाही से बैंक काय ठप्प हो गया है तथा सहकारी आन्दोलन पर इसका जिले में गलत असर पड़ा है ?

**राज्य मंत्री, सहकारिता** ( श्री जुझार सिंह) : (1) सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, के संचालक मंडल का नियमानुसार चुनाव कराए जाकर गठन हुआ है । अतः विभाग द्वारा कार्यवाही को जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(2) उक्त बैंक के संचालक मंडल में निम्न 7 संचालक कार्यशील हैं—

1. श्री गंगासहाय त्रिवेदी ।
2. श्री राधेश्याम अग्रवाल ।
3. श्री कुंवरपाल ।
4. श्री रामकिशोर ।
5. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ।
6. अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ।
7. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर ।

उपरोक्त संचालकों में से सर्व श्री गंगासहाय त्रिवेदी, रामकिशोर शर्मा एवं भरतलाल राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 (4) के तहत डिफाल्टर घोषित कर दिए गये थे किन्तु सर्व श्री गंगासहाय त्रिवेदी एवं रामाकिशोर शर्मा द्वारा निगरानी पेश की गई और उनके विरुद्ध की गई घोषणा की जाने की कार्यवाही को नियमानुसार की गई नहीं ठहराया गया ।

(3) जी हां । किस संचालक की समिति पर अवधिपार ऋण बकाया है वह सहकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत सीज होजाता है । यदि उसमें विवाद हो जाता है तो उसपर निर्णय लिया जाता है । केन्द्रीय सहकारी बैंक के इस प्रकार के संचालकों के खिलाफ

(श्री जुझारसिंह)

विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है उनका कार्य करते रहना नियमानुसार नहीं है।

(4) जी नहीं यह सत्य नहीं है कि विभाग की लापरवाही से बैंक कार्य ठप्प हो गया है तथा सहकारी आन्दोलन पर इसका जिले में गलत असर पड़ा है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : किसके खिलाफ कब से क्या कार्यवाही की जा रही है?

**श्री जुझारसिंह** : जिन व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : कब से।

**श्री भरतलाल** : धारा 34 के तहत किसी कोपरेटिव बैंक के सदस्य की सोसायटी डिफाल्टर हो जाती है तो वह स्वतः उस पद से हट गया मान लिया जाता है। यह बताने की कृपा करें कि यह जो तीन सोसायटी डिफाल्टर हैं, इनके खिलाफ यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई? ये कब से डिफाल्टर हैं।

**श्री जुझारसिंह** : जैसा निवेदन किया, तीन व्यक्तियों की सोसायटी डिफाल्टिंग सोसायटी थी, उसकी वजह अलग कर दिया गया था। उनके नाम बताएं।

**श्री भरतलाल** : अलग कहां किया गया। यही तो पूछ रहा हूं। आपने अलग क्यों नहीं किया? जो सोसायटी डिफाल्टर है, काफी अर्से से डिफाल्टर है, तो आपने अलग क्यों नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, यह मामला पेचीदा है, यह बात में विशेष रूप से अर्ज करूंगा, जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के दिनों में राज्य सरकार ने स्टे दे दिया। इस बैंक के चुनाव नहीं होने दिये जा रहे। इसमें यह घपला है और राज्य सरकार प्रोटेक्शन दे रही है और काफी मनमाने तरीके से काम कर रही है। यह सोसायटी काफी अर्से से डिफाल्टर है। आज तक उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है और सरकार बराबर उनको प्रोटेक्ट करती जा रही है? क्या मन्शा है सरकार की?

**श्री जुझारसिंह** : उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उसका मतलब यह है कि उनको हटाया जाएगा।

**श्री भरतलाल** : कार्यवाही कब की जा रही है? अब तक उनको क्यों नहीं हटाया? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, सवाई माधोपुर में ही नहीं सारे राजस्थान में है। इस विभाग में धांधली चल रही है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : सोसाइटी डिफाल्टर होते ही उनको हटाया जाता है, उनको कोई राईट नहीं अपने पद पर रहने का। ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है। उसके बावजूद भी विभाग उसको प्रोटेक्ट करे, यह कानून की अवहेलना है।

**श्री जुझारसिंह** : इस प्रश्न पर काफी कान्ट्रोवर्सी है पर्सन किसको माना जाए।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है।

**श्री जुझारसिंह** : अभी तक निर्णय यही लिया गया है कि सोसाइटी को पर्सन माना जाता है, किसी प्रोसिजरल गल्ती के कारण एग्रवायरी ऑफीसर चला गया है। वास्तव में गल्ती हुई है, उनको वहां से हटाया जायगा।

**श्री भरतलाल** : मंत्री महोदय साफ बतायें कब तक हटाया जाएगा ?

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चुनाव अभी तक नहीं हुए, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि चुनाव हो चुके हैं ! कौन सही है ? कम से कम प्रश्न की जानकारी सही मिलनी चाहिए।

**श्री जुझारसिंह** : चुनाव नियमानुसार हुए हैं।

**श्री भरतलाल** : कब हुए ?

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : कब हुए ?

**श्री जुझारसिंह** : इनका चुनाव एक साथ नहीं होता है। अभी जो मौजूदा सदस्य हैं किसी का 1968 में, किसी का 1969 में, किसी का 1970 में हुआ है। दो साल के बाद उनको हटाया जाता है। जिन व्यक्तियों का प्रश्न इससे संबंधित है, उनका चुनाव 3-4-70 को हुआ था और क्योंकि ये डिफाल्टिंग सोसाइटी को रिप्रेजन्ट करते थे इसलिए इनका चुनाव अवैध माना गया और इनको हटाया गया जिसके अगेन्स्ट ये अपील में गए और वहां पर थोड़ी प्रोसीजर में कमी होने के कारण इनको रीइन्स्टेट कर दिया गया और आदेश दिया गया कि इस पर उचित कार्यवाही की जाए, वह विभाग की तरफ से नहीं की गई, उसके कारण अभी तक चलता रहा। अब कार्यवाही की जाएगी और उनको हटाया जाएगा।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है जब चुनाव हो रहे थे, सरकार ने स्टे क्यों दिया किस वजह से और वापस चुनाव हुए या नहीं ?

**श्री जुझारसिंह** : अब बोर्ड के द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं और 6 के बजाय..

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : स्टे देने का कारण क्या था ?

**श्री जुझारसिंह** : इसमें कुछ गल्ती हुई है, जिसको ठीक किया जा रहा है।

**श्री भरतलाल** : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि उनको हटाया जाएगा, यह बहुत बड़ा घपला है...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : एक्शन लेना चाहिए था।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय कह चुके हैं।

**प्रश्न सं० 316**

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

**मकराना नगरपालिका क्षेत्र की सीमा**

317. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) मकराना म्यूनिसिपल बोर्ड की सीमा बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र कब से राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

Page No 7



(श्रीमती गौरी पूनिया).

(2) मकराना की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार म्युनिसिपल क्षेत्र की सीमा बढ़ाना उचित नहीं समझती है ? अगर हां, तो कब तक सीमा बढ़ा दी जाएगी और नहीं तो क्यों ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) राज्य सरकार के पास सीमा बढ़ाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(2) सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा ।

**श्रीमती गौरी पूनिया** : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि नगरपालिका, मकराना ने 5 साल पहले प्रस्ताव भेजे थे लेकिन वह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से दबा लिया गया । आप नगरपालिका का रेकॉर्ड मंगाकर देखें, उन्होंने जिलाधीश को भेजा है और राज्य सरकार को भी भेजा है । इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल तक इस प्रस्ताव को कहां दबा रखा ?

**श्री परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ जैसी सूचना मुझे दी गई है लेकिन नगरपालिका से जो सूचना मिली है सन् 1967 में उन्होंने एक प्रस्ताव एस० डी० ओ० के मारफत जिलाधीश को भेजा था उसमें और सूचना चाही गई और उसी साल 1967 में सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव जिलाधीश, नागौर को भेजा गया और नागौर जिलाधीश ने अक्टूबर, 1967 में जानकारी चाही थी जो नवम्बर में भेज दी गई । उसके बाद जिलाधीश स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की हुई प्रतीत होती है । नगरपालिका ने स्मरणपत्र भी दिया । अब राज्य सरकार के सामने सवाल आया है । मैंने जिलाधीश को लिखा है कि अब तक की कार्यवाही से अवगत करायें और प्रस्ताव नियमानुसार है तो अपना जबाब भेजें ।

**श्रीमती गौरी पूनिया** : जिलाधीश ने इतने सालों तक अपने पास कागज रखा तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं उनका एक्सप्लेनेशन काल करूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनलाल छंगाणी ।

**संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान ।**

318. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा राज्य की विभिन्न संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो गत 5 वर्ष में कितनी संस्थाओं को कितनी कितनी राशि का कौन, कौन से वर्ष में अनुदान दिया गया ?

(2) क्या ऐसी भी संस्थायें हैं जिनको अकादमी द्वारा गत 5 वर्ष में अनुदान दिया गया है जबकि उनके हिसाब का ऑडिट नहीं हुआ था ? यदि हां, तो कृपया ऐसी संस्थाओं के नाम बताने का कष्ट करें ।

(3) अनुदान प्राप्त संस्थाओं में किस संस्था का किस किस वर्ष तक का हिसाब का ऑडिट हुआ ?

**राज्य मंत्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह):** (1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को नियमानुसार अनुदान देने का प्रावधान है। गत 5 वर्षों में अकादमी द्वारा संस्थाओं को जो अनुदान दिया गया उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रस्तुत सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

(3) अनुदान प्राप्त संस्थाओं का ऑडिट अकादमी की ओर से नहीं होता है। सभी संस्थाओं का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा व शिक्षा विभाग द्वारा ऑडिट होता है। कुछ बड़ी संस्थाओं का कभी कभी महालेखाकार, जयपुर की ओर से भी ऑडिट होता है। अकादमी के पास केवल दी गई अनुदान राशि के ऑडिट स्टेटमेंट ही प्राप्त होते हैं।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** मान्यता देने का क्राईटेरिया क्या है?

**श्री जुझारसिंह:** जो परफार्मेन्स और एक्टिविटीज हैं उनको देखते ए दी जाती है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** कई ऐसी संस्थायें हैं जिनमें मान्यता का न तो आधार है, मशरूम की तरह आ जाती है और उनको अपने हिसाब से मान्यता दी जाती है। इनमें ज्यादा संस्थाओं के अकाउन्ट्स ऑडिट नहीं हुए हैं। मैं मुख्य प्रश्न पूछूंगा कि संगीत नाटक अकादमी के अकाउन्ट्स ऑडिट हुए हैं या नहीं?

**श्री जुझारसिंह :** मेरे पास अभी सूचना नहीं है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई नियम या आधार राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं? क्या राज्य सरकार मान्यता देती है या संस्था ही मान्यता देती है या संस्था राज्य सरकार की अनुमति से मान्यता देती है?

**श्री जुझारसिंह :** इसमें कुछ अनियमिततायें अनुदान देने में अवश्यक हुई हैं, उसकी जानकारी की जायगी

(श्री रघुनाथ विश्नोई व श्री निरंजन-नाथ आचार्य साथ साथ बोलने लगे)।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :** अनुदान के संबंध में आपने सरसरी बात कही कि अनियमिततायें हुई हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कैसी कैसी अनियमिततायें हुई ताकि सदन को ज्ञान हो सके कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सके।

**श्री जुझारसिंह:** इसमें अनियमिततायें हुई हैं। ऑडिट न होने पर भी अनुदान दिया गया है। इसी तरह की और भी अनियमिततायें हैं। इनको बहुत बड़ा अनुदान नहीं दिया गया है कहीं सदन को शंका हो कि वहुत बडी धनराशि दी गई है। 1966-67 में 31,506.50 करीब 12 संस्थाओं को मिलता था, 1967-68 में 15 संस्थाओं को 29,144) उसके बाद में अनुदान की राशि घटती जा रही है, 1968-69 में 3,000), 1969-70 में 9,500)। अभी 1970-71 में 23,750)।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** एक रुपये की कटौती कब तक आ जाएगी?

**श्री जुझारसिंह :** अब बढेगी । इनको कायदे से यूटीलाइज करने की कोशिश की जाएगी । इनमें अनियमिततायें हैं उनकी जांच करके सुधार करने की कोशिश की जाएगी ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जब तक अकाउन्टस् ऑडिटड़ न हो तब तक....

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** जो अनुदान दिया गया है न तो कोई उसका क्राईटेरिया है, सिर्फ मंत्रियों के जो चाटूकार लोग हैं उनको अनुदान दिया जाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि अनियमिततायें कहां-कहां हुई, कैसे हुई, कब हुई, उसकी विस्तार पूर्वक ब्योरेवार रिपोट सदन के सामने मंत्रीजी पेश करेंगे ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** क्या ग्रांट इन-एड के नियम हैं कि आडिटेड़ अकाउन्टस पेश होने पर ही दूसरी बात ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, वरना नियमानुसार नहीं । यह नियम है ?

**श्री जुझारसिंह :** पिछले दो साल से सबके अकाउंट्स आडिट कराकर ही दिया जाता है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** पहले साल जो ग्रांट दिया है उसके अकाउन्ट्स ऑडिट होने के बाद ही दूसरा ग्रांट दिया जाता है । उसके बगैर नहीं दिया जा सकता है ।

**श्री जुझारसिंह :** मैंने स्वीकार कर लिया है कि अनियमततायें हुई हैं....

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** क्या संगीत के प्रयोजन के लिए यह अनुदान पर्याप्त है ? इससे कुछ भी नहीं होता है । अनुदान सिर्फ उनको राजी करने के लिए दिया जाता है ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल जयपुर) : जयपुर स्थित रविन्द्र रंगमंच संगीत नाटक अकादमी के लिये है ।

**श्री जुझारसिंह :** इसका जबाब दिया जा चुका है ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** संगीत नाटक अकादमी का कार्यालय उदयपुर में है और वे रहते हैं जयपुर में । जयपुर में ही क्यों नहीं स्थानान्तर कर दिया जाता है ?

**श्री जुझारसिंह :** इस पर विचार कर लिया जावेगा ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** ललित अकादमी के अध्यक्ष का कार्यालय अलग से है जब कि रंगमंच का कार्यालय भी अलग है । यह क्यों ?

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** सदन में कहेंगे जब ब्योरेवार उत्तर देंगे....

**श्री लक्ष्मणसिंह :** जहां तक मान्यता का प्रश्न है मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि सिद्धान्तों के अनुसार मान्यता दें । जहां लाखों रुपयों का अपव्यय हो, आपाधापी हो । सब संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट सदन के अन्दर तक न रखें यह अन्धेर की पराकाष्टा है । मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिये और मुझे आशंका है कि लाखों रुपये की आपाधापी इसके अन्दर निहित है। रंगरेलियां मनायें, मौज मनायें और सैर भी होती है । यह सीरियस प्रश्न है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आपको अपने युग की याद आ रही होगी ?

# Page No 10



**श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या सरकार इस विषय में जांच करवा कर निष्पक्षतापूर्वक कोई व्यवस्था करेगी ?

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : माननीय सदस्य के सुझाव से मैं सहमत हूं। अकादमी के इन मामलों में मैं पैठ करूंगा कि किस प्रकार से, किस क्राईटेरिया से ग्रान्ट-इन-एड दी गयी है । ऑडिट न होने पर भी क्या अनुदान दिया गया है ? यह मैं मानता हूं कि अपूर्ण है और इस पर जांच करके इस नाटक अकादमी को सही रूप से बनाया जा सके बनाया जायगा ।

**एक माननीय सदस्य** : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे.........

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या 319**

**श्री ललितसिंह** : (अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये) ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**ग्राम पंचायत सुराचन्द में पोस्ट ऑफिस की स्थापना**

320. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सुराचन्द के केन्द्र सुराचन्द में अभी तक पोस्ट ऑफिस की स्थापना नहीं की गई है? जब कि सरकार की नीति हर पंचायत केन्द्र पर पोस्ट ऑफिस खुलवाने की है ।

(2) अब उक्त स्थान पर पोस्ट ऑफिस कब तक खुलवा दिया जावेगा ?

(3) सांचोर पंचायत समिति में कितने पंचायत केन्द्रों पर अब तक पोस्ट ऑफिस नहीं खोले गये हैं ? केन्द्रों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । अब इन स्थानों पर कब तक पोस्ट ऑफिस खुलवा दिये जावेंगे ?

**राज्य मंत्री** (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) जी नहीं ।

(2) डाकतार महापाल द्वारा इस सम्बन्ध में अधीक्षक, पोस्टल विभाग, जोधपुर से प्रस्ताव मांगे गये हैं । प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् यदि वे औचित्यपूर्ण होंगे तो डाक विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(3) तहसील सांचोर में निम्निलिखित पंचायत केन्द्रों पर अभी तक कोई डाक घर नहीं खोला गया है ।

| | |
|---|---|
| 1. सेमरियाली | 2 भीमगुड़ा |
| 3. सुराचन्द | 4 सीगन |
| 5. निम्बन | 6. रानोद |
| 7. सुलावा | 8. विरोल |

डाक घर खोलने का कार्य केन्द्र सरकार के अधीन है और वे विभागीय नियमानुसार डाकघर खोलते हैं ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि पंचायत समिति के सब जगह हैडक्वार्टर्स पर पोस्ट ऑफिस की स्थापना की जाय ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : राज्य सरकार की घोषित नीति नहीं है। प्रस्ताव

**(श्रीमती कमला बेनीवाल)**

आता है तो पोस्ट ऑफिस खुलवाने की चेष्टा करते हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह बड़ा गांव है, अब तक यहां डाक घर नहीं खोला गया तो आपने मूव किया है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : राज्य सरकार की ओर से लिखा गया है और महापाल ने उस पर जांच करवाई है। जांच की रिपोर्ट आते ही शीघ्र ही खोलने की व्यवस्था की जावेगी।

**श्री मीठालाल** : 3 तारीख का प्रश्न था। यह कह कर टाल दिया गया कि सरकार से सम्बन्धित नहीं है फिर किस प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : आयन्दा नहीं दिया जावेगा। नेक्स्ट।

**भरतपुर जिले में अकाल**

321. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में इस वर्ष रबी की फसल में अरहर, सरसों और चना को चेपा एवं शीत लहर से भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**अकाल सहायता मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : भरतपुर जिले में इस वर्ष रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, राई व सौंप में चेपा व शीत लहर से कुछ नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है एवं जिले से प्राथमिक प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

**श्री नत्थासिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी अकाल राहत का जिक्र किया है और अब तक डेढ महीने होने पर भी कलेक्टर साहब या मिनिस्टर साहब ने नुकसान की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगा ली ? मैं बताना चाहता हूं कि इस समय भरतपुर में सरसों 100 प्रतिशत नष्ट हो गया, चने की फसल भी बिलकुल नष्ट हो गई, अरहर की फसल खड़े खड़े सूख गई, बाकी गेहूं और जौ की फसल 30 या 40 प्रतिशत हुई है। भरतपुर जिले में जो पैदावार होती है वह माननीय सदस्यों से छुपी हुई नहीं है। जब पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ जाता है······

**श्री अध्यक्ष** : सवाल पूछें, माननीय सदस्य।

**श्री नत्थासिंह** : लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक भरतपुर जिले के लिये अकाल क्यों नहीं घोषित किया गया और राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई।

**श्री अध्यक्ष** : भाषण न दीजिये, कृपा करके सवाल पूछिये।

**श्री नत्थासिंह** : दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक कलेक्टर की रिपोर्ट उस क्षेत्र के बारे में क्यों नहीं आई है और क्यों नहीं उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ?

Page No 12



**श्री परसराम मदेरणा** : जब काफी फसल को नुकसान होता है तो जिलाधीश को असेसमेन्ट करके प्राथमिक रिपोर्ट जल्द भेज देनी चाहिये । जिलाधीश ने 18 अप्रेल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक पत्र भेजा और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कामां और नदबई में 56 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है और राजाखेड़ा में कोई नुकसान नहीं हुआ है । रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो जिलाधीश ने पत्र भेजा है उसमें लगान के अन्दर रेमिशन का प्रस्ताव भेजा है । रेमिशन की कार्यवाही रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट करता है । अकाल सहायता विभाग को जब इसकी सूचना मिली तो रेवेन्यु डिपाटमेन्ट से बातचीत करके कलेक्टर से तीन दिन पहले टेलीफोन से सम्पर्क किया गया और उनको हिदायत की गई कि सस्पेन्शन और रेमिशन की बात तो अलग है, लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट हमारे पास भेजनी चाहिये थी । उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन में वे अकाल सहायता विभाग को रिपोर्ट भेज देंगे । तो अब कलेक्टर की रिपोर्ट आने का ही इन्तजार है ।

**श्री नत्थीसिंह** : कलेक्टर ने इतनी देर लगाई है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

**श्रीमती उषा प्रकाश** : कलेक्टर का प्रतिवेदन न आने पर क्या राज्य सरकार लगान की वसूली, जो कि शुरू हो गई है और जिससे जनता को परेशानी हो रही है, रोकने की कार्यवाही करेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में एस०डी०ओ० बयाना का पत्र आया था कि बयाना में गेहूं, जौ, मटर और चने की फसल, जो 80 प्रतिशत इलाके में बोई जाती है, उसमें कोई खराबा नहीं हुआ है। 20 प्रतिशत इलाके में जो सरसों की फसल थी, उसमें नुकसान हुआ है । लेकिन जब तक राज्य सरकार के पास प्रथम प्रतिवेदन नहीं आ जाता है और जो आज या कल में प्राप्त हो जायेगा, तो उसके आधार पर यदि 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो नोटीफिकेशन और दूसरी फार्मेल्टीज तो होती रहेंगी, लेकिन जिलाधीश को एकदम आदेश दिया जायेगा कि किसी प्रकार की वसूली की कार्यवाही न करें ।

**श्री नत्थीसिंह** : बयाना सब-डिविजन के एस०डी०ओ० ने रिपोर्ट भेजी है वह बिलकुल निराधार है, गलत है । सूचना बिलकुल गलत है । नुकसान बहुत हुआ है जबकि इस रिपोर्ट में केवल 20 प्रतिशत बताया है ।

**श्री परसराम मदेरणा** : आपने राजपालजी की बात कही । उन्होंने तो जनरल बात कही थी । अब डिटेल्ड रिपोर्ट तो एस० डी० ओ० और कलेक्टर ही भेजते हैं । उन्होंने ग्रामवार और जिलेवार सारे नुकसान की बारीक से बारीक रिपोर्ट भेजी है और उसी के आधार पर स्केअरसिटी डिक्लेअर करते है । जनरली आप कह देते हैं कि इतना नुकसान हुआ । उस पर से सही स्थिति सामने नहीं आ पाती ।

**निर्धारित टैक्स की वसूली में विलम्ब**

**322. श्री निरंजननाथ आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स नन्द वनस्पति, इन्दौर के कमीशन एजेन्ट ने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

भरतपुर और अजमेर में करीब 90 लाख रुपये का नन्द वनस्पति का माल बेचा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त माल की बिक्री पर भरतपुर एवं अजमेर के सी० टी० ओ० एस० ने 9 लाख रुपये का टैक्स निर्धारित किया ?

(3) क्या उक्त टैक्स को वसूली कर ली गई है ? यदि नहीं, तो इस वसूली में विलम्ब होने का क्या कारण हैं और वसूली की कार्यवाही होते कितना समय अब तक हो गया है ?

(4) क्या यह सही है कि वसूली में विलम्ब उक्त कम्पनी के नाजायज प्रभाव के कारण हो रहा है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का कौन जिम्मेदार है ? एवं कब तक उक्त टैक्स की वसूली हो जाने की आशा है ?

**वित्त मन्त्री** (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी नहीं । मैसर्स नन्द वनस्पति, इन्दौर के कमीशन एजेन्ट ने अजमेर में राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से और भरतपुर म बाबूलाल रामलाल के नाम से क्रमश: रुपया 15,48,889) 20 और रुपया 56,25,867) 54 कुल रुपया 71,74,756) 74 का माल बेचा ।

(2) जी नहीं । वाणिज्यिक कर अधिकारी भरतपुर ने रुपया 562586) 75 का और वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर ने रुपया 1,54,889) 70 का कर निर्धारित किया ।

(3) जी नहीं । वाणिज्यिक कर अधिकारी, भरतपुर और अजमेर ने उपरोक्त राशि का कर निर्धारण क्रमश: तारीख 9-11-71 और 31-12-71 को किया और उसके तुरन्त बाद वसूली की कार्यवाही चालू की गई । वसूली की कार्यवाही शुरू करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ । नन्द वनस्पति के एजेन्टों की भरतपुर और अजमेर में कोई चल या अचल सम्पत्ति न होने के कारण वसूली में देरी हो रही है ।

(4) जी नहीं । सम्बन्धित पार्टी की कोई भी चल या अचल सम्पत्ति राजस्थान भर में न होना ही विलम्ब का कारण है । फिर भी वसूली की कार्यवाही नन्द वनस्पति, इन्दौर जहां इस व्यवसायी का मुख्यालय है, से करने हेतु जिलाधीश, इन्दौर को लिखा गया है । चूंकि वसूली जिलाधीश, इन्दौर कर रहे हैं इसलिए वसूली कब तक हो जायेगी इसका निश्चित अनुमान करना कठिन है लेकिन वसूली जल्दी कराने के प्रयत्न बराबर किये जा रहे हैं ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह कौन उद्योगपति इन व्यापारियों के पीछे है, जिसके लिये वसूली की कार्यवाही इन्दौर म करनी पड़ रही है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : नन्द वनस्पति ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : कौन-कौन पार्टनर या डाइरेक्टर हैं इसके ?

**श्री चन्दनमल वैद** : हमारे पास जो दो फर्मों के नाम हैं—राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी और बाबूलाल रामलाल उनके

**(श्री चन्दनमल वैद)**

अनुसार कह सकते हैं कि रामलाल नामक व्यक्ति ही मालिक है ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : आपने बताया लगभग 7 लाख रुपया बकाया है।

**श्री चन्दनमल वैद** : मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि जो टैक्स निर्धारित किया गया है उसके अलावा भी कुछ जुर्माना और कुछ ब्याज मिलाकर 9 लाख नहीं करीब साढ़े दस लाख तक यह रकम जाती है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : चलो कुछ न कुछ लाभ ही हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि वसूली के कब से प्रयत्न हो रहे हैं और क्या कोई सशक्त व्यक्ति इस प्रकार की कोशिश भी कर रहा है कि वसूली न होने पावे।

**श्री चन्दनमल वैद** : कमिश्नर टैक्सेशन के यहां प्रार्थना-पत्र दिया था वह रद्द कर दिय गया है। डिप्टी कमिश्नर अपील के यहां भी बात की थी पर वसूली रोकने का आदेश नहीं दिया है। जहां तक राजस्थान का सवाल है वसूली रोकने के सम्बन्ध म प्रार्थना-पत्र पर गौर नहीं किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती मदनकौर

## राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

323. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई ?

(2) विभागीय जांच में औसतन कितना समय लगा और जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) कितने अधिकारियों को कितने कितने समय के लिये निलम्बित किया गया ?

(4) कितने निलम्बित अधिकारियों को बहाल किया गया ?

**उप-मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बैनिवाल)** : (1) गत पाँच वर्षों में 253 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) विभागीय जांच में औसतन 2 वर्ष 6 माह का समय लगा । जांच के परिणामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) कुल 112 अधिकारियों को निलम्बित किया गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) 62 निलम्बित अधिकारियों को बहाल किया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्रीमती मदनकौर** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में जो सूची दी गई है उसमें विभागीय जांच में लगभग दो से चार वर्ष का समय लगा है जो बहुत अधिक है।

(**श्रीमती मदनकौर**)

इससे साबित है कि विभागीय प्रक्रिया बहुत दूषित है और गलत है और समय लगाने वाली है। मैं सुझाव दूंगी कि इसमें सुधार किया जावे और समय कम से कम लगे इसकी व्यवस्था की जावे।

साथ ही 112 को निलम्बित किया गया और उनमें से केवल पांच के खिलाफ दोषी होने की कार्यवाही की गई। तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जाय कि जितनों को निलम्बित किया जाता है अधिकांश को ठोस आधार पर नहीं किया जाता ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : प्रक्रिया में जांच के सिलसिले में पहले चार्ज-शीट दी जाती है फिर डिटेल में विवरण तैयार किया जाता है। फिर जवाब आता है। जांच होती है। जांच के दौरान गवाहियां वगैरह ली जाती हैं जिससे समय लगता ही है। और जांच के दौरान अगर सीरियस एलीगेशन नहीं पाये जाते तो गम्भीर सजा नहीं मिलती। अब समय कम लगे इस बारे में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर जांच करवाकर तुरन्त अमल किया जावेगा।

**श्रीमती मदनकौर** : इसमें कितना समय लगना चाहिये ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसका प्रोसीजर और समय सभी तै किया हुआ है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : निश्चित अवधि कितनी लगनी चाहिये।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : सबकी अवधि नियत है पर फिर भी कई ऐसे आकस्मिक अवसर आ जाते हैं कि मामला लम्बा पड़ जाता है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : क्या सरकार निश्चित समय तै करने का विचार रखती है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जो भी सम्भव हो सकेगा सरकार करने की सोचेगी, पर फिर भी इसमें कई मुद्दे सम्मिलित हैं, कानूनी मुद्दे भी आ जाते हैं ऐसी स्थिति में निश्चित अवधि तै करना मुश्किल और अव्यवहारिक लगता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रोसीजर के कारण देर होती है या डिलेइंग टैकटिक्स के कारण देर लगती है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : प्रोसीजर के कारण अगर देर लगती है तो उस पर तो राज्य सरकार कुछ विचार कर सकती है और रास्ता निकाल सकती है पर कानूनी तौर पर जो अधिकार मिले हुए हैं उसकी आड़ में अगर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाता है तो उसको कम करने में राज्य सरकार भी असमर्थ है। न्यायपालिका के आदेश हमें भी मानने पड़ते हैं।

**श्री महारावल लक्ष्मणसिंह** : कानूनी कारणों से देर होने के अलावा क्या रेड टेपिज्म और लाहलाली के कारण यह देरी नहीं लगती ? पहले जो अधिकारी थे उनके समय में इतना अधिक समय शायद ही लगता था। उनका एक कनवेन्शन था। तो ऐसा एक कन्वेन्शन परम्परा होनी चाहिये। आखिर विभागीय जांच का लाभ प्रशासनिक ढंग से मिलना चाहिये और सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सजग भी

**(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)**

रहना चाहिये । विभागीय अधिकारियों अथवा विभाग के द्वारा देरी न होने पावे इसकी पूरी देखभाल होनी चाहिये । अधिकांश मामलों में क्या आप यह उचित नहीं समझते कि विभागीय जांच का निर्णय 6 महीने के भीतर भीतर आ जाय । और अगर एक्स्ट्रा आर्डिनरी कोई मामला है तो थोड़ा अधिक समय भी लिया जा सकता है । पर कनवेन्शन कायम किया जाना चाहिये जिससे कि यह लालफीताशाही और लाहतलाली कुछ न कुछ तो कम हो और इससे होने वाली देरी तो न हो ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** मैंने निवेदन किया कि इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए इस सम्बन्ध में जितना सम्भव होगा सरकार बराबर करने का प्रयत्न करेगी ।

**तहसील जायल और नागौर के गांवों की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं**

324 **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला नागौर की तहसील जायल में जायल, खाटू बड़ी व डेह में तथा तहसील नागौर में मूंडवा व कुचेरा की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में सार्वजनिक पीने के पानी की टूंटियां लगा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन ग्रामों के ऐसे कौन कौन से मोहल्ले किस किस जाति के इस सुविधा से अभी तक वंचित है एवं यहां कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ?

**जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) :** (1) मूंडवा, कुचेरा, जायल एवं डेह में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सार्वजनिक टूंटियां लगी हुई हैं । खाटू बड़ी को क्षेत्रीय योजना पूर्ण होने पर सार्वजनिक टूंटियां लगाई जा सकेंगी। निम्न लिखित मोहल्लों में अभी तक सार्वजनिक टूंटियां लगी हुई नहीं हैं । इनमें इसी वर्ष यह कार्य पूरा कर दिया जावेगा ।

कुचेरा हरिजन बस्ती । जायल हरिजन बस्ती ।

डेह हरिजन बस्ती । मूंडवा हरिजन बस्ती एवं रायकों का बास ।

**श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** जायल के अलावा जो दूसरे इलाके हैं उसके लिये क्या....

**श्री चन्दनमल वैद :** मने कहा जो भी हरिजनों के मोहल्ले होंगे उसमें इसी साल में टूंटियां लगा दी जायेंगी ।

**श्री रामसिंह कुड़ी :** जहां मेघवाल जाति के वहां..

**श्री चन्दनमल वैद :** मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट कर चुका हूं जहां भी हजरिन और आदिवासियों की बस्तियां हैं और जहां जल प्रदाय योजना चल रही है उन हरिजनों और आदिवासियों के मोहल्लों में अनिवार्य रूप से लगादी जायगी, लगा दी जायेगी ।

**श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा हमारे फलोदी तहसील में जल प्रदाय योजना है और....

# Page No 17



श्री चम्पालाल बंब : मैं समझता हूं फलोदी कोई अलग नहीं है। मैं राजस्थान के लिये कह रहा हूं और फलोदी भी राजस्थान में शामिल हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

**पुलिस सब इन्सपेक्टर की सीनियोरिटी लिस्ट**

325. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पुलिस इन्सपेक्टर की सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुलिस विभाग की अन्य ब्रान्चेज जैसे सी० आई० डी०, एन्टी-करप्शन, वायरलेस आदि शाखाओं में पुलिस सब-इन्सपेक्टर की सीनियोरिटी लिस्ट अलग अलग है या एक साथ ही है ? यदि अलग है, तो उनकी भी सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स को प्रमोशन देने में मौजूदा समय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा यह कब से लागू की गई है ?

(4) मेरिट कम सीनियोरिटी व सीनियोरिटी कम मेरिट पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स के प्रमोशन के लिये किस हद तक सहायक या अवरुद्ध होती है।

(5) पुलिस विभाग की एक शाखा से दूसरी शाखा में तबादले सम्बन्धी क्या नीति अपनाई जाती है ?

**राज्य गृह मंत्री** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पुलिस विभाग में केवल वायरलेस एवं आर० ए० सी० के सब इन्सपेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट अलग है जिसकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा 9-4-63 से राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1963 लागू किये गये थे जो 1966 में संशोधित हुये। पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर्स का प्रमोशन वर्तमान में इन्हीं रूल्स के तहत किया जाता है। सब इन्सपेक्टर्स के पद पर पदोन्नति हेतु गठित बोर्ड द्वारा लिखित व जबानी परीक्षा ली जाती है। तत्पश्चात् पास हुए उम्मीदवारों को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में 3 माह के लिये प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। बाद-प्रशिक्षण फिर बोर्ड द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है। इस तरह परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की एक एप्रूव्ड (अनुमोदित) लिस्ट बनाई जाती है और ज्यों ज्यों जगह होती है इस लिस्ट में से सीनियोरिटी के आधार पर पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति का यह तरीका सीनियोरिटी कम मेरिट कहलाता है।

(4) पदोन्नति का दूसरा तरीका स्पेशल सिलेक्शन है जिसमें विशेष

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कार्य कुशलता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और जिसका प्रावधान राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1966 में रखा है। स्पेशल सिलेक्शन का तरीका विशेष तौर से कार्यकुशल उम्मीदवारों की पदोन्नति कराने में सहायक होता है और सीनियोरिटी कम मेरिट का तरीका वरिष्ठ एवं कार्यकुशल उम्मीदवारों को पदोन्नत कराने में सहायक होता है।

(5) एक शाखा से दूसरी शाखा में तबादले का प्रावधान नियम 4 (1) राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1966 में रखा है। राज्य सरकार प्रत्येक केस की मेरिट को ध्यान में रखते हुए ऐसे तबादलों की अनुमति प्रदान करती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं क्या आर्मड पुलिस इन्सपेक्टर्स की लिस्ट अलग होती है उसे भी आप सदन की मेज पर रखने का आश्वासन दे सकेंगी।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : एप्रूव्ड लिस्ट कौनसे साल की चाहिये उसके हिसाब से पेश हो सकती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जो सूची दी है उसी को एप्रूव्ड लिस्ट भी मानी जाय।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : माननीय सदस्य समय समय पर जब चयन होता है उस समय अलग अलग एप्रूव्ड लिस्ट बनती है। आपको कौनसे ईयर की चाहिये। आप बता दें उसी साल की लिस्ट सदन की मेज पर रखी जा सकती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जो सूची दी है वह पूरी है क्या ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जी हां, मेरी जानकारी में पूरी है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इस सूची में आर्मड पुलिस के इन्सपेक्टर्स कितने हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इस सूची में आर्मड पुलिस के इन्सपेक्टर्स कितने हैं।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : दोनों को एक साथ लिखा हुआ है इसलिये आपकी समझ में नहीं आयेगा।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह इस सूची में नहीं है—आमर्ड पुलिस इन्सपेक्टर्स का।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसमें पहली लिस्ट है उसी में आर्मड पुलिस इन्सपेक्टर्स का भी है। दोनों की सम्मिलित सूची है। दोनों एक रूप से ही चलती हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मेरी जानकारी है आर्मड पुलिस इन्सपेक्टर्स की लिस्ट अलग होती है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जी नहीं एक ही होती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : तो फिर इसमें बहुतों के नाम नहीं हैं।

# Page No 19



**श्रीमती कमला बेनीवाल :** किसका नहीं है, खास तौर से बतायें।

**एक माननीय सदस्य :** किसका नाम नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल :** उसमें नहीं मिल रहा है इसीलिये तो पूछ रहा हूं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** किसका नहीं मिला, नाम तो बतायें।

**श्री गिरधारीलाल :** मेरा निवेदन है, कुछ केसेज आर्म्ड पुलिस के सिविल पुलिस में ट्रान्सफर हुये हैं वह किस योग्यता के आधार पर हुये हैं।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** यह प्रश्न अलग से है लेकिन मैं आपको इसका उत्तर दे सकती हूं कब और किन किन कारणों से ट्रान्सफर हुये हैं।

**श्री गिरधारीलाल :** किस किस योग्यता के आधार पर हुये हैं।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** केवल योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं।

**श्री गिरधारीलाल :** ट्रान्सफर करने की फिर प्रक्रिया क्या है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** राज्य सरकार के पास ट्रान्सफर के प्रस्ताद आते हैं तो राज्य सरकार मेरिट पर डिसाइड करके फैसला करती है।

**श्री गिरधारीलाल :** इसकी कोई निश्चित प्रकिया नहीं है। जिसकी पदोन्नति करना चाहे, कर सकते हैं।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** पदोन्नति का सवाल नहीं है, ट्रान्सफर का सवाल है। पदोन्नति के नियम रूल्स के मुताबिक बने हुये हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** कोई निश्चित प्रक्रिया तो होगी।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** इस तरह के ट्रान्सफर बहुत रेयर केसेज में होते हैं। आम तौर से ट्रान्सफर नहीं किये जाते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा :** अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा.....

**प्रश्न संख्या 326**

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा :** अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष :** काफी टाइम लग गया है, इस प्रश्न में।

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा.....

**श्री अध्यक्ष :** नो। श्री राजेन्द्रसिंह।

**राज्य में शीत लहर से क्षति**

327. **श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य मे शीत लहर से 1972 में किस किस जिले में कास्त को कितनी कितनी क्षति पहुंची है ?

(2) सरकार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में राहत के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 328

श्री यशवन्तसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

**भू-जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण**

329. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त के किन किन जिलों में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में अभी तक भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है ?

(3) क्या राज्य सरकार सन् 1972-73 में बाड़मेर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेगी ?

भू-जल मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान प्रान्त में विभिन्न जिलों में कुछ चयन की गई पंचायत समितियों का कृषि पुनर्वित्त निगम के लिये सर्वेक्षण किया गया है जिसकी सूची संलग्न की जाती है ।

(2) जी नहीं । बाड़मेर जिले में सीवाना पंचायत समिति का विस्तृत सर्वेक्षण इस वर्ष किया गया है ।

(3) जी हां । सन् 1972-73 में बाड़मेर जिले के शेष भाग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा किया जायेगा । विस्तृत सर्वेक्षण के लिये क्षेत्रों का चयन प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अध्ययन के बाद ही किया जा सकेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, मुझे प्राप्त नहीं हुई है और दूसरा यह है कि.......

श्री चन्दनमल बैद : अगर आपको सूची नहीं मिली है तो मैं आपको दे दूंगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरा यह है कि यह बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला इन दोनों जिलों को भूतल जल की प्राप्ति की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये पिछड़े हुये जिले हैं । इन जिलों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं होने से कोई भी कार्यक्रम ढंग से बन नहीं पाता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विस्तृत सर्वेक्षण का काम कब तक राज्य सरकार करवा देगी । यह मैं चाहता हूं इस साल करवा दें ।

श्री चन्दनमल बैद : डिटेल्ड सर्वे तो म समझता हूं सारे जिलों का एक साथ होना मुश्किल है लेकिन सिवाना तहसील का इस साल करवा दिया जायगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिवाना को इस साल ले लें । और फिर उसके बाद.........

**श्री चन्दनमल बैद** : इस साल सिवाना को लेंगे और अगली साल और लेंगे ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : और दूसरी जगह का सर्वेक्षण कब तक करवा देंगे ?

**श्री चन्दनमल बैद** : जब तक सारा सर्वेक्षण नहीं हो जाय तब तक चलता रहेगा ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : आप सारे जिलों का सर्वेक्षण करें तो भी हो सकता है । जालौर जिले का सर्वेक्षण हो चुका है, जोधपुर जिले का सर्वेक्षण हो चुका है इस जिले में क्या कठिनाई है जो नहीं हो सकता है ।

**श्री चन्दनमल बैद** : सर्वेक्षण का प्रोग्राम बनाया जाता है । सारे राजस्थान का सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं है । एक जिले का करा देते हैं तो दूसरे जिले का लेते हैं । इसके लिये कमेटी बनी हुई हैं। इस साल सिवाना का करवा देंगे ।

**श्रीमती मदन कौर** : क्या राज्य सरकार की नीति नहीं है जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की ज्यादा समस्या है उसका सर्वेक्षण पहले कराया जाय ।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह पीने के पानी का सर्वेक्षण नहीं है । यह कृषि के पानी के लिये पता लगाने का प्रश्न है। कृषि के कार्य के लिये सर्वेक्षण किया जाता है ।

**श्रीमती मदन कौर** : पीने के पानी की समस्या अलग तो नहीं है । स्रोत तो वही होते हैं ।

**श्री चन्दनमल बैद** : पीने के पानी और कृषि के पानी की मात्रा अलग अलग होती है। पीने के लिये पानी कम चाहिये और कृषि के लिए पानी ज्यादा चाहिये । इसलिये यह सर्वेक्षण.........

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

### राजा, महाराजा व नवाबों की कृषिभूमि

330. **श्री अजीतसिंह (टोंक)**: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के भूतपूर्व राजा, महाराजा व नवाबों के पास कितनी कितनी कृषि भूमि कहां कहां पर है ?

(2) राजा-महाराजाओं में राज्य सरकार के किस किस विभाग की कितनी कितनी बकाया है ?

(3) इन राजा-महाराजाओं के पास किस किस प्रकार के कितने कितने हथियार हैं ?

(4) 1 अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक किस किस राजा ने कितनी कितनी कृषि भूमि किस किस के नाम पर हस्तान्तरित की है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1971 में राजा-महाराजाओं की सीलिंग सीमा से ऊपर कृषि भूमि को राज्य सरकार में लिये जाने हेतु जिला अधिकारियों को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इन आदेशों का कहां तक पालन हुआ है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल (गृह, राज्य मन्त्री)** : माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न काफी

**(श्रीमती कमला बेनीवाल)**

विस्तृत है और इसकी जानकारी अभी पूरी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बताने की कृपा करें जो प्रश्न स्थगित किये जाते हैं उनका उत्तर कब दे दिया जायगा । 4-5 दिन में, 15 दिन में या एक सप्ताह में ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जब भी उत्तर आ जायगा तब दे दिया जायगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है । स्थगित किया जाता है तो फिर प्रश्न को छापा जाता है। प्रश्न छपने के बाद यह टालमटोल की स्थिति है प्रश्न महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को और राज्य सरकार की करोड़ों की सम्पत्ति के प्रश्न को इस प्रकार टाला जा रहा है । आप महरबानी करके इसका उत्तर तुरन्त दिलवाने की व्यवस्था करें ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जिस दिन इसकी बहस होगी उस दिन दे दिया जायगा । माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य की जितनी व्यग्रता है इस प्रश्न के लिये उससे ज्यादा व्यग्रता हम भी रखते हैं । हम टालने की कोशिश नहीं करते हैं । जितना विस्तृत विवरण इस प्रश्न में मांगा गया है उतना यदि आप स्वयं भी देखें तो महसूस करेंगे कि टालने का प्रयास नहीं किया गया है ।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न इस सदन के अन्दर आज पांचवीं दफा आया है। हर सदन में एक बार तो यह प्रश्न आता ही रहता है ऐसी स्थिति में जो जानकारी अब बारबार सरकार के द्वारा ली जाती है वही जानकारी अब दोहराने में क्या आपत्ति है या फिर चर्चा हो जाये अच्छी तरह से इस पर ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट

**प्रश्न संख्या 331**

**श्रीमती निर्मला शक्तावत ।**

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह

**दूधवाखारा, तहसील चूरू को जलप्रदाय योजना**

332. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- क्या दूधवा खारा, तहसील चूरू को जल उपलब्ध कराने की कोई योजना है? यदि हां, तो उस योजना का कार्य कब प्रारम्भ कर वहां जल उपलब्ध करा दिया जावेगा? योजना की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

**जनस्वास्थ्य मंत्री**, (श्री चन्दनमल वैद) : योजना बनाये जाने के लिए सर्वे कार्य हाथ में लिया जा चुका है। सर्वे कार्य पूर्ण किये जाने के बाद योजना बनाई जावेगी, योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

**श्री मोहरसिंह** : यह योजना कब तक बन जायेगी ?

**श्री चन्दनमल बैद** : जल्दी ही बन जायेगी। कुछ टाईम तो लगेगा ही।

**श्री मोहरसिंह** : कितना टाईम लगेगा ? जल्दी का कोई समय भी तो हो ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पानी के सोर्स का पता लगाया जायेगा, कितना पानी है और उसके साथ ही साथ किन किन गांवों को पानी दिया जा सकेगा इसका सर्वे कराने में टाईम तो लगेगा।

**श्री मोहरसिंह** : अध्यक्ष महोदय, 8 साल पहले भी यही जवाब दिया गया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वे में भी कितने वर्ष हो जायेंगे ?

**श्री चन्दनमल बैद** : इसी वर्ष में सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मीठालाल।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति, लालसोट**

333. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के लालसोट कस्बा स्थित विघासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति लालसोट तथा किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति, लालसोट का रोकड़ बाकी अलग अलग क्या है ?

(2) उक्त रोकड़ बाकी अलग अलग समितियों की कब से बाकी है ?

(3) उक्त रोकड़ बाकी आज तक किसी सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा हुई तथा अब कब तक उक्त राशि सहकारी कोष में जमा हो जावेगी ?

**राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह)** : (1) लालसोट कस्बा स्थित विघासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० में रोकड़ बाकी 18,620.86 तथा लालसोट किसान सेवा सहकारी समिति लि० में रोकड़ बाकी 40.12 न० पै० हैं।

(2) उक्त रोकड़ बाकी लालसोट विघासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० में दिनांक 7-1-72 से तथा लालसोट किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति में 1-4-72 से है।

(3) सहकारी समितियों के रोकड़ बाकी की राशि सरकारी खजाने में जमा होने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों में मैं समझता हूं कि ऐसे नियम हैं कि 50 रुपये से ज्यादा रोकड़ बाकी सोसाइटियां अपने पास नहीं रख सकती हैं जबकि लालसोट की विघासनी सहकारी समिति में 18,620.86 हैं। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि 1 जनवरी, 72 को दोनों सोसायटीज की रोकड़ बाकी की स्थिति क्या थी ?

दूसरे पंचायत समिति लालसोट ने क्या इन सोसायटीज की लेनदारी के बारे में संबंधित अधिकारी से या सरकार से लिखापढ़ी की है ? यदि की है, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

**श्री जुझारसिंह** : 1-9-71 को 12099.54 पैसे इस विघासनी में रोकड़ बाकी थी जिसको जमा नहीं करवाया था

(श्री जुझारसिंह)

और यह धीरे धीरे 4 महीने में यह रकम बढ़ती रही और 7-1-71 तक इसके पास 18,620.86 पैसे रोकड़ होने चाहिए थे और रोकड़ में जमा भी था लेकिन रुपया मौजूद नहीं था। शायद उसमें गबन हो गया था या मिस-यूटीलाईजेशन कर लिया था तो यह इसकी परिस्थिति है, इसकी जांच होकर इस पर कार्यवाही हो रही है।

**श्री मीठालाल** : पंचायत समिति ने लिखा उसका क्या हुआ ?

**श्री जुझारसिंह** : यहां मेरे पास जवाब नहीं है।

**श्री मीठा लाल** : अध्यक्ष महोदय, 18 हजार रुपया रोकड़ बाकी निकल रहा है जब कि सोसाइटी के पास एक रुपया भी नहीं है। कागजों में निकल रहा है तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? जब कि 20-20 हजार रोकड़ बाकी निकल रही है उनको पोस्ट ऑफिस में जमा कराना चाहिए था, इस रुपये का गबन हो चुका है, तो इन सोसायटीज के खिलाफ आप तत्काल क्या कार्यवाही कर रहे हैं दोनों सोसाइटीज के बारे में ?

**श्री जुझारसिंह** : सेक्शन 64 के तहत कार्यवाही हो रही है। इनकी कुड़की भी हुई है और इसका चालान भी हो गया।

**श्री मीठालाल** : नाम क्या क्या हैं इन व्यक्तियों के जिनके पास पैसा है ?

**श्री जुझारसिंह** : ये मेरे पास उपलब्ध अभी नहीं हैं।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जो सुझाव दिया है सरकार को इस संबंध में मन्त्री महोदय क्या जांच नहीं करायेंगे ? इतना गम्भीर गबन है।

**श्री जुझारसिंह** : जांच हो चुकी है और एक्शन भी हो चुका है।

**श्री मीठालाल** : किस किस के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री जुझारसिंह** : प्रभुलाल मौर्य जो संबंधित थे उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

**श्री मीठालाल** : कब तक हो जायेगी ?

**श्री जुझारसिंह** : हो गई है कार्यवाही।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रीराम गोटेवाला।

**जयपुर नगर में पुरुषार्थियों के लिए बस्तियों का निर्माण**

334. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल, जयपुर): क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1952 के पश्चात् जयपुर नगर में पुरुषार्थियों के लिये कौन-कौनसी बस्तियों का निर्माण किया गया ?

(2) प्रत्येक बस्ती में कितने पुरुषार्थियों को बसाने की योजना थी व कितनों को बसाया गया ?

(3) राज्य सरकार द्वारा किन-किन पुरुषार्थी बस्तियों में पट्टे दिये जा चुके हैं व कितने पट्टे देने शेष हैं ? कृपया बस्ती के नाम सहित संख्या बताने का कष्ट करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(4) शेष पुरुषार्थी बस्तियों में 20 वर्ष तक पट्टे न दिये जाने का क्या कारण है व इसके लिये कौन दोषी है ?

(5) राज्य सरकार किस तिथि तक उक्त अवशेष पुरुषार्थी बस्तियों में पट्टे देने का विचार रखती है ?

**मंत्री, नगर आयोजन** (श्री ओंकारलाल): (1) सन् 1952 के पश्चात् पुरुषार्थियों को बसाने के लिये जयपुर में सरकार द्वारा निम्नलिखित दो बस्तियां बसायी गई :—

1. गुरुनानकपुरा 400 क्वार्टर्स्

2. राजापार्क कालोनी 542 क्वार्टर्स्

(2) गुरुनानकपुरा में 400 क्वार्टरों की योजना थी। सभी क्वार्टर्स् तैयार कर 400 परिवारों को अलॉट किये गये।

राजापार्क कॉलोनी में 800 क्वार्टर्स् बनाने की योजना थी इसमें से केवल 542 क्वार्टर्स् ही तैयार कराये गये जिनमें से 294 क्वार्टर्स् 294 परिवारों को अलॉट कर दिये गये। सभी क्वार्टर्स् हायर पर्चेज के आधार पर अलॉट किये गये हैं। शेष 248 क्वार्टर्स् केन्द्रीय सरकार के मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा किराये पर शरणार्थियों को अलॉट किये गये।

(3) आइटम नं० 2 में अंकित सरकार द्वारा निर्मित बस्तियों में बने क्वार्टरों के पट्टे जिलाधीश द्वारा दिये गये क्लियरेन्स सर्टीफिकेट के आधार पर केन्द्रीय सरकार के मैनेजिंग ऑफिसर, न्यू देहली के द्वारा दिये जाते हैं जिन क्वार्टरों के क्लियरेन्स सर्टीफिकेट के आधार पर पट्टे दिये जा चुके हैं उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. गुरुनानकपुरा बस्ती में 246 क्वार्टरों के संबंध में क्लियरेन्स सर्टीफिकेट दिये जा चुके हैं व 154 क्वार्टरों के सर्टीफिकेट देना शेष है।

2. राजापार्क कॉलोनी में 76 क्वार्टरों के क्लियरेन्स सर्टीफिकेट दिये जा चुके हैं तथा 218 क्वार्टरों का देना अभी शेष है।

(4) गुरुनानकपुरा बस्ती में क्वार्टर 28 वर्ष की हायर पर्चेज योजना के अन्तर्गत दिये गये थे। इन क्वार्टरों के अलॉटमेन्ट को अभी 20 वर्ष पूरे नहीं होने के कारण क्वार्टरों की पूरी कीमत जमा नहीं हुई है। इसी कारण 154 व्यक्तियों को क्लियरेन्स सर्टीफिकेट देना शेष है। जिन व्यक्तियों ने समय से पहले ही चुकती कीमत जमा करा दी है उन्हें आइटम 3 के अनुसार सर्टीफिकेट दिये जा चुके हैं।

राजापार्क कॉलोनी के क्वार्टरों की हायर पर्चेज की अवधि यद्यपि समाप्त हो चुकी है तथापि 218 ऐसे अलाटी हैं जिन्होंने पूरी कीमत अभी तक जमा नहीं कराई है तथा उन्हें इसी कारण क्लियरेन्स सर्टीफिकेट नहीं दिये जा सके हैं।

(5) शर्त पूरी होने पर पट्टे दिये जा सकते हैं अतः तिथि निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला:** अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो प्रश्न हैं। एक तो इन कालोनीज़ के अलावा मैं निवेदन करना

# Page No 26



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहूंगा कि एक सिन्धी कॉलोनी जो कि डिस्प्लेस्ड कॉलोनी बसायी गयी, दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि राजापार्क में 258 क्वार्टर्स और बाकी बच गये इन्हें बसाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री ओंकारलाल** : अध्यक्ष महोदय, दो कॉलोनीज के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, इससे संबंधित नहीं है क्योंकि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की कॉलोनीज बनाई हुई है उसी के आधार पर यह सूचना दी गयी है ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न, श्री बिट्ठल भाई ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । मैंने निवेदन किया था कि राजापार्क कॉलोनी में 800 क्वार्टर्स बसाने की योजना थी उसमें से 542 ही तैयार हुए हैं तो 258 के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : उसके लिए रकम सरकार के पास नहीं है ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : योजना का क्या होगा, पड़ी रहेगी या क्या होगा ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : पुरुषार्थियों में कितनी रकम बकाया है ? और आप यह भी बता दीजिए कि आपने जमीनों की रेट क्या रखी है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री बिट्ठल भाई ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह जमीन की रेट क्या रखी गई है और उस सारी रकम को सरकार माफ करने का विचार कर रही है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री बिट्ठल भाई ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दिया जाय कि क्या रेट्स रखी हैं और क्या सरकार सारी रकम को माफ करना चाहती है ।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है । श्री बिट्ठल भाई । (अनुपस्थित)

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, यह बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न है……

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : क्या सरकार रकम माफ करने का विचार कर रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । श्री बिट्ठल भाई ।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, बिट्ठल भाई तो उपस्थित नहीं हैं । लेकिन यह आदिवासियों का प्रश्न है । इसमें बहुत घोटालें हैं । यह प्रश्न स्थगित प्रश्न है, इसका उत्तर दिलाने की कृपा करें ।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : मेरा भी यही निवेदन है कि यह स्थगित प्रश्न है । मेरे पास उनकी ओर से लिखित अधिकार तो नहीं हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मेरी भी यही मंशा है कि आप इसको पूछने की इजाजत देदें ।

**श्री अध्यक्ष** : पूछ लें ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-4-72)

**बांसवाड़ा जिले में मेड़बन्धी का कार्य**

63. **श्री लक्ष्मणसिंह** (श्री बिट्ठल की ओर से) : क्या भू-संरक्षण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अकाल के समय भू-संरक्षण विभाग ने रिलीफ के नाम पर मेड़बन्धी का कार्य चलाया था ? यदि हां, तो जिले के कितने गांवों की कितनी बीघा जमीन में मेड़बन्धी हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जिले में मेड़ बन्धी की वसूली की गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी वसूली हुई है और कितनी बाकी है ? यह वसूली किस हिसाब से की हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के काश्तकारों ने गलत वसूली के कारण सरकार को दुबारा जांच करने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**अकाल सहायता मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। बांसवाड़ा जिले में 134 गांवों में 19,620 हैक्टर जमीन म समोच्च रेखा बन्दी एवं मेड़ बन्धी का कार्य करवाया गया था।

(2) जी हां। अब तक 36,300) रु० ऋण की वसूली हुई है तथा 9, 83, 358) रु० बकाया है। ऋण की वसूली 10 वर्ष में बराबर किश्तों में की जानी है।

(3) कुछ काश्तकारों ने ऋण की वसूली को स्थगित करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे परन्तु जांच के बाद यह पाया गया कि वसूली नियमानुसार की जा रही है।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, दुष्काल में जो राहत कार्य द्वारा आदिवासियों को कुछ राहत दी गई लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. के वर्क हुए, इर्रीगेशन के वर्क हुए और अन्य विभागों की तरफ से भी काम हुए लेकिन दूसरे किसी डिपार्टमेन्ट द्वारा रकम वसूल नहीं हो रही है। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदिवासी इलाका है जिनमें लोगों को इससे मजूरी मिली है और सरकार ने केबिनेट में निर्णय लिया कि 25 प्रतिशत रकम वसूल की जावेगी। वहां पर एक चौथाई भी काम नहीं हुआ और शतप्रतिशत वसूली हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इन गरीब इलाकों में गरीब लोगों को जो राहत दी गई तो यह रकम भी सरकार को माफ करनी चाहिए। मैं सरकार से इसका आश्वासन चाहता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं राजस्थान में भू-संरक्षण काय अकाल सहायता के रूप में करवाए गए वहां पर 75 प्रतिशत अनुदान के और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में रहा। बांसवाड़ा जिले में जो कार्य करवाए गए वे 40, 78, 362 रुपये के थे उसमें से 30,58,974) अनुदान के रूप में दिए गए और ऋण का परसेन्टेज जो था वह 10,19,658) रु० का था जिसको दस साल में वसूल करना है।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके साथ साथ 1,01,965 प्रति वर्ष वसूल होने चाहिए 134 गांवों में 19,620 हैक्टर जमीन पर कार्य किया गया है और काश्तकारों ने इससे लाभ उठाया है। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत जहां कहीं भी मेड़बन्दी का काम हुआ हमेशा लोन का कम्पोनेन्ट वसूल होता रहा है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जो दस लाख रुपये की बकाया है और जो किश्त इसके तहत प्रति वर्ष वसूल होनी है उसके अगेंस्ट दो साल में कुल 36,300) रु० वसूल हुए हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो सम्बन्धित काश्तकारों के आवेदन पत्र जिलाधीश को और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को मिले थे उनमें भी यह स्पष्ट रूप से आवेदन किया गया है कि इसकी वसूली अभी स्थगित रखी जावे। क्योंकि यह अकाल का समय है और हमारा धन्धा नहीं है इसलिए ऋण की वसूली स्थगित रखी जावे। इस प्रकार का आवेदन पत्र उनका आया है जो औरिजिनल मेरे पास है। इसका मतलब यह हो जाता है कि वहां के काश्तकार उसको स्थगित रखना चाहते हैं लेकिन चूंकि यह लोन है और इसका इन्टरेस्ट सभी लोग, राजस्थान के सभी टेक्स पेयर दे रहे हैं और जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में परसों ही कहा था कि राज्य की जो वेज एण्ड मीन्स की स्थिति है, उस विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुदान की मात्रा को माफ कर दिया जावे यह राज्य सरकार की नीति नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री नाथूराम (बागीडोरा) :** अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत जरूरी प्रश्न है। मैं सरकार को जानकारी देता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अनपढ़ आदिवासी लोग हैं जिनके अंगूठे के निशान लगा कर फार्म भरवाए गए हैं। उनको यह पता ही नहीं था कि यह रकम वापिस वसूल होगी। जो लोग मजदूरी करना चाहते थे उनसे कहा गया कि अगर तुम अंगूठा नहीं लगाओगे तो तुमको राहत कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अगर ये सरकार की तरफ से जो फार्म भरे गए हैं उन पर सरपंच या प्रधान की फार्म पर तस्दीक हो तो हम मान सकते हैं। वरना ये सब फार्म कर्मचारियों ने भरे हैं और उन पर झूठे अंगूठे लगाए हैं। लोग भूखे मर रहे थे उनके सामने अपने बच्चों को पालने का सवाल था तो ऐसी हालत में वे क्या करते। कर्मचारियों के कहने से उन्होंने उन फार्मों पर अंगूठे लगा दिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि भयंकर दुष्काल में लोगों को काम देना सरकार का कर्तव्य था इसलिए यह रकम माफ करनी चाहिए और केबिनेट को निर्णय लेना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है।

**श्री परसराम मदेरणा :** जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो एग्रीमेंट लिखे गए हैं और हर एक काश्तकार के साथ एग्रीमेंट है......

**श्री नाथूराम :** उनको सही जब तक नहीं मान सकते जब तक कि सरपंच और प्रधान की तस्दीक उन पर नहीं हो......

**श्री लक्ष्मणसिंह :** आप मेरी भी बात सुन लें और साथ साथ ही जो उत्तर देना हो दे दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरी मेमोरी कमजोर है। उनका जबाब दे दूं फिर आपके प्रश्न का जबाब भी दे दूंगा।

हर काश्तकार का अलग एग्रीमेन्ट लिखा हुआ है इसलिए मैं यह नहीं मान सकता कि इसकी उनको जानकारी नहीं थी। उस वक्त विषम स्थिति थी, भयंकर दुष्काल की स्थिति थी जिसमें काम चलाए गए और उनको मालूम होना चाहिए, खुद के यहां काम हो रहा है। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर चालीस लाख रुपये लिये किस बात के ?

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : आज तो जिन काश्तकारों ने काम नहीं किया उनसे भी वसूली हो रही है, यह सरासर अन्याय है। मैं इसकी जांच कराने के लिए आश्वासन चाहता हूं कि जिन खेतों पर मेडबन्दी नहीं हुई उनसे रकम वसूल नहीं की जावेगी।

**श्री अध्यक्ष** : आप इनसे जबाब लेना चाहते हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : जिनके यहां काम नहीं हुआ उनसे वसूली नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और भी है। बागीडोरा, सागवाडा और डूंगरपुर बांसवाडा में मेड़बन्दी हुई और कडाणा बांध से भी गांव प्रभावित हैं तो क्या सरकार इन गरीब किसानों से वसूली नहीं करके गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम लेने की कोशिश करेगी।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : मंत्री महोदय, मेरी भी बात सुन लें और उसके बाद जो कुछ भी कहना हो कह दीजिए। यह प्रश्न डूंगरपुर से सम्बन्धित नहीं, बांसवाडा से सम्बन्धित है, लेकिन समस्या सरकार की है। जो तमाम राज्य की वित्तीय परिस्थिति है, ओवर ड्राफ्ट आदि की उसके साथ तो मेरी सहानुभूति है। मैं इसके लिए तो क्या कह सकता हूं, वह तो सरकार से सम्बन्धित बात है। जहां तक कि गरीब आदिवासियों का प्रश्न है, मैं तो सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहानुभूति और उदारता पूर्वक इस सम्बन्ध में क्या सरकार इस समस्या पर दृष्टिपात नहीं करेगी। क्योंकि यह एक विशियस सर्कल हो गया है। ये जो फार्म भरवाए गए हैं वे भी किस रूप में भरवाए गए हैं ? मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि अनुदान अगर चार सौ रुपया का देने का वायदा किया गया तो चार सौ रुपये की रसीद पर दो सौ रुपया ही मिला है। उस वक्त सरकारी कर्मचारियों ने यह किया। कर्मचारी ही उसके अन्दर अब जांच करेंगे तो वह कभी भी साबित नहीं हो सकता है। इसके अन्दर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हैं। सात सात, आठ आठ वर्षों की वसूली और वह वसूली भी सूद के साथ, दामन-दुपट्टा के सिद्धान्त के साथ, कहां तक उचित है। सरकार के लम्बे चौड़े हाथ हैं। अगर आप दामन-दुपट्टा के सिद्धान्त के अनुसार सौ रुपये मूल रकम देकर सवा दो सौ, ढाई ढाई सौ रुपये वसूल करते हैं तो क्या यह समस्या काबिले मोहताज दर्याफ्त नहीं है, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आपका घाटा करोड़ों रुपयों का है। फिर यह तो मंत्री महोदय सिर्फ लाखों रुपयों की ही समस्या है और इस तरह उन लोगों पर यह विश्वासघात करना है। मैं समझता हूं कि यह उन पर अत्याचार है। आपको उदारतापूर्वक, कृपापूर्वक कांग्रेस के एम० एल० एज० को भेज कर उसकी जांच करवाना चाहिये और रिपोर्ट मंगा लें। आखिरकार इसमें कुछ तथ्य होंगे। सरकारी कर्मचारियों की मैं इज्जत करता हूं। मैं सर्विसेज को डिमोरेलाइज नहीं करना चाहता हूं। परन्तु इसमें सर्विसेज कमीटेड है और वे भ्रष्टाचार कर चुके हैं और उस भ्रष्टाचार के अन्दर उनका स्वार्थ निहित है। इसलिये मैं यह कहता हूं मंत्री महोदय कि आप इन तथ्यों की भी कृपा करके जांच करें इन गरीबों के वास्ते।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सेकिन्ड में निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि जितना भी अनुदान दिया गया है या ऋण दिया गया है वह आदिवासियों से वसूल नहीं किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा था कि वे इसके लिये एक कमेटी बनाने का सुझाव दे रहे हैं, जो इस बारे में जांच करें और इस अनुदान, ऋण को आदिवासी काश्तकारों को माफ कर दिया जावे। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब जो अकाल राहत मंत्री जी जवाब दे रहे हैं सरकार की नीति के सम्बन्ध में कि इन काश्तकारों से, इन गरीब आदिवासियों से अनुदान, ऋण हर कीमत पर वसूल करना है। क्या माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट के समय में जो घोषणा की थी वह थोथी घोषणा थी। सरकार के दो मंत्रियों के भाषण में दो दिनों के अन्दर ही अन्तर आ गया है तो जनता कैसे सरकार की घोषणा पर विश्वास कर पायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से ही नहीं है बल्कि राजस्थान भर से है। पूरे राजस्थान भर में मेड़बंदी का काम हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में भी यह काम किया गया है। वहां पर चार चार सालों से अकाल था। वहां के लोग भी गरीब हैं। वहां पर संवत् 28 में कुछ इलाकों में बरसात हुई थी और उसके बाद काफी इलाका ऐसा बच गया है वह सन् 23 से अकाल में है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें कि 400/- रुपये की जगह 200/- रुपये देकर 200/- रुपयों की रिश्वत ले ली। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात कही है वह सही नहीं है, यह सत्य नहीं है। यह सत्य इस तरह से नहीं है कि वह कोई तकाबी का अनुदान नहीं है। अनुदान की जो रसीद ली गई है उस पर कोई केस नहीं दिया गया है। उसका टोटल एस्टीमेट होने के बाद उसके टोटल खर्चे का 25 फीसदी लोन के रूप में काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है और जो

# Page No 31



**(श्री परसराम मदेरणा)**

75 फी सदी अनुदान के रूप में है वह वसूल नहीं किया जा रहा है। इस पर उनका एक एग्रीमेन्ट लिया जाता है कि यह काम कराया जा रहा है इसमें 25 की सदी तो कर्ज के रूप में है और बाकी अनुदान के रूप में होगा। यही बात अनुबन्ध में की गई है और उनके दस्तखत कराये गये हैं। यह कहा गया है कि वे लोग अनपढ़ हैं। तो सभी लोग अनपढ़ हैं। आप खुद जानते हैं और फिर भी आप लगातार इसका उदाहरण दे रहे हैं। सड़कें, बांध, और दूसरे जो सार्वजनिक काम अकाल राहत के दौरान कराये गये थे वह हो सकता है कि उनसे सम्बन्धित हो। आज 75 फी सदी तो अनुदान है और 25 फी सदी लोन है। आज सब इलाकों के अन्दर जिस तरह से भू-संरक्षण का काम हो रहा है, उसके लिए लोगों से एग्रीमेन्ट कराया गया है और यह कई जिलों में हो रहा है। यह कार्य योजना के प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न यहां पर नहीं है। दूसरा प्रश्न यह भी जुड़ा हुआ है कि जब वर्क नहीं हो रहा था तो राजस्थान के चार जिलों के अन्दर, कुछ जिलों के पोरशन को छोडकर, जैसलमेर, बाड़मेर के पूरे क्षेत्रों में तथा कुछ जोधपुर जिले के पोरशन में काम किया गया था। यहां पर काम स्पेशल प्रेटीशस रिलीफ के अन्दर कराया गया था। इसमें भी 50 परसेन्ट लोन था और 50 परसेन्ट सबसीडी थी। जहां अकाल नहीं है वहां के लोग भी ऐतराज कर रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी नहीं है कि इसको दे सकें। इसलिये उनको भी यह माफ किया जाये। सोइल कन्जरवेशन का जो लोन है वह इससे जुड़ा हुआ है। अकाल के वक्त में यह मदद दी गई थी। अब इस प्रश्न पर रिकवरी स्टे कर दी गई है और इन सब प्रश्नों को मैं मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और उसका जो भी निर्णय होगा उससे सदन को अवगत करा दूंगा।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, कडाना बांध से प्रभावित गांवों के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। इस के सम्बन्ध में भी आश्वासन आ जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

**श्री नाथूराम** : कडाना बांध से जो प्रभावित गांव हैं उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है?

**श्री परसराम मदेरणा**: यह हाइपोथेटिकल क्यूश्चन है। इसका अभी कोई जवाब नहीं हो सकता।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**सतर्कता आयोग द्वारा गजेटेड अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफारिश**

316. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) सतर्कता आयोग ने पिछले पांच वर्षों में कितने गजेटेड अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफा-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रिश की है ? उनके नाम मय पद के बतायें जाने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से कितनों के खिलाफ सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की और कितनों के खिलाफ कोई कारवाही नहीं की ? खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सतर्कता आयोग ने पिछले पांच वर्षों में 156 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की। इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) 16 अधिकारियों के विरु क्रिमीनल केस अनुसंधान के लिये रजिस्टर किये गये, 18 के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई, 3 के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है, 75 के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, 23 से स्पष्टीकरण मांगा गया, 1 से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, 7 मामले आयोग की सहमति से नस्तीबद्ध किये गये, 6 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया, 1 को "सेन्सर" 3 को "वार्निंग" का दण्ड दिया गया, तथा 3 को सेवा से मुक्त किया गया। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें सतर्कता आयोग की सिफारिश नहीं मानी गई हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जन-सम्पर्क विभाग का कार्य

319. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य का जन-सम्पर्क विभाग समाचार पत्रों को समाचार देने के अलावा जनता से सम्पर्क और सुविधा के लिये क्या क्या कार्य करता है ?

(2) इस विभाग द्वारा कितने प्रतिशत धनराशि समाचार-पत्रों और न्यूज एजेन्सियों को विज्ञापन तथा अनुदान के रूप में दी जाती है ? गत वर्ष इस धनराशि में से कितना धन राजस्थान से बाहर दिया गया और कितना राजस्थान वासियों को मिला ?

(3) विभाग का कितना प्रतिशत व्यय अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्ते, मानदेय तथा यात्रा व्यय पर कुल मिला कर खर्च होता है ?

(4) बम्बई और दिल्ली के सूचना केन्द्रों पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होता है और जिस उद्देश्य के लिये ये केन्द्र खोले गये हैं क्या वे जयपुर रह कर पूरे नहीं हो सकते ?

(5) विभाग के निदेशक गत वर्ष दिल्ली और बम्बई कितनी कितनी बार गये, उनकी इन दोनों स्थानों की यात्रा से राज्य सरकार को क्या लाभ हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि विभाग के निदेशक ने दिल्ली और बम्बई के सूचना केन्द्र महज अपने सैर सपाटे के लिये खोले हुए हैं ? क्या राज्य सरकार इनको बन्द कर और इस राशि को राजस्थान के साप्ताहिक व अन्य लघु पत्रों

(श्री ललितसिंह)

के विज्ञापनों के लिये खर्च करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कार्य की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जन सम्पर्क विभाग द्वारा उनके बजट 28.1 प्रतिशत समाचार पत्रों को विज्ञापन के लिये और 3.3 प्रतिशत न्यूज एजेन्सियों को शुल्क के रूप में दिया जाता है। वैसे विज्ञापन के रूप में 8.37 लाख रुपये तथा न्यूज एजेन्सियों को शुल्क के द्वारा 96,850 रुपया दिया गया है।

गत वर्ष राजस्थान के बाहर के पत्रों को 3,02,807 रुपया तथा राजस्थान के पत्रों को 5,34,223 रुपये के विज्ञापन दिये गये हैं।

(3) गतवर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्ते, मानदेय व यात्रा व्यय पर (प्लान के मद में से 52,000 रु० व नॉन-प्लान में 8,30,000 रु०) कुल 8,82,000 रु० व्यय हुआ है जो कुल बजट का 24 प्रतिशत है।

(4) राजस्थान के बाहर राज्य के तीन सूचना केन्द्र है यह दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई नगरों में खोले गये हैं। उनमें दिल्ली पर 91,000 रु०, बम्बई पर 90,000 रु० तथा कलकत्ता पर 85,000 रु० प्रतिवर्ष व्यय होता है।

(5) इन सूचना केन्द्रों के उद्देश्य राजस्थान का सही चित्रण देश के उन बड़े नगरों में करने का प्रयास करना है, जहां कि भारी संख्या में लोग रहते हैं और जो विदेशी दूतावासों, सांस्कृतिक केन्द्रों प्रतिष्ठानों आदि के कारण एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हैं। इन नगरों में प्रवासी राजस्थानियों की संख्या भी बहुत है। राजस्थान के उद्योग, पर्यटन, विकास, खनिज सम्पदा, संस्कृति आदि की जानकारी लेकर इस प्रदेश के प्रति उन नगरों के अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इन नगरों में देश की प्रमुख पत्र-पत्रिकायें भी प्रकाशित होती रहती हैं और उनसे सम्पर्क बनाये रखने के लिये वहां सूचना केन्द्र की काफी उपयोगिता सिद्ध हुई है।

(6) इन सूचना केन्द्रों की स्थापना से पहिले जयपुर से पत्र-व्यवहार के द्वारा ही इन नगरों से सम्पर्क रखा जाता था लेकिन वह अपर्याप्त रहा। आवश्यकता को देखते हुये राज्य हित में यह सूचना केन्द्र इसलिये खोले गये कि वहां के इच्छुक लोगों को राजस्थान के सम्बन्ध की ठीक जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध हो सके। जयपुर में दूर बैठकर प्रत्यक्ष में इन नगरों में इच्छुक लोगों को तत्काल जानकारी देना कठिन है। इसलिये इन सूचना केन्द्रों में वहीं उपयोगी साहित्य उपलब्ध कराया गया है जिससे आवश्यकतानुसार वहीं की वहीं ठीक प्रकार की जानकारी प्राप्त कराई जा सके। अब तक यह अनुभव रहा है कि इन सूचना केन्द्रों का कार्य राजस्थान की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। विभाग के निदेशक गत वर्ष बम्बई में केवल दो बार और दिल्ली 10 बार गये हैं। इन स्थानों पर निदेशक की यात्रायें अनेक कारणों से हुई हैं उनमें सूचना केन्द्र की स्थापना व निरीक्षण के अलावा पत्रकारों

(जन सम्पर्क मंत्री)

से सम्पर्क, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्धित कार्य, भारतीय जन–सम्पर्क संस्थान से सम्पर्क, समाचार समिति के कार्यालयों से सम्बन्धित कार्य आदि मुख्य है । इसके अतिरिक्त योजना बजट के लिये विचार विमर्श, विभागीय कार्यों से सम्बन्धित चर्चा आदि कार्य के लिये भी निदेशक को दिल्ली भेजा गया था। जी, नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

**आम नागरिक की औसत आय**

327 श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शहरी एवं देहाती क्षेत्र में आम नागरिक की औसत माहवारी या सालाना आमदनी क्या है ?

(2) भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान नागरिक की औसत आमदनी में क्या फर्क है ?

(3) आम नागरिक की आर्थिक हालत में सुधार हेतु सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

**उत्तर**

(1) प्रति व्यक्ति आमदनी के मासिक आंकड़े तैयार नहीं किये जाते । प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। स्थिर कीमतों पर आधारित (वर्ष 1954-55 की कीमतें) प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1970-71 में 302 रु० थी। प्रचलित कीमतों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1970-71 में रु० 630 थी। शहरी व देहाती क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(2) प्रचलित दरों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1970-71 में रु० 630 थी । अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के उक्त वर्ष के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण कोई तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है।

(3) योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही राज्य सरकार इस दिशा में सजग रही है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में कुल 507 करोड़ रुपया व्यय किया गया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये रु० 316 करोड़ का आकार तय किया गया तथा इसमें से योजना के प्रथम तीन वर्षों (1969-70 से 1971-72) में रु० 173.80 करोड़ व्यय किया जा चुका होगा। आम नागरिक की आर्थिक हालत में सुधार का द्योतक बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय है ।

**इन्जीनियर एवं ओवरसियरों को रियायतें एवं सुविधायें**

328. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत वर्ष कितने इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों को उद्योग में लगाया गया ? कितनों को उद्योग लगाने के लिये

Page No 35



(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जमीन दी गई तथा जमीन देने में कितना समय लगा ?

(2) अन्य रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान करने में कितना समय लगा ?

(3) क्या उन्हें कच्चा माल दिलाने के लिये कोई कार्यवाही हुई ?

**उत्तर**

(1) गत वर्ष में 58 इन्जीनियरों एवं ओवसियरों को उद्योगों में लगाया गया एवं 55 ऐसे उपक्रमियों को जमीनें दी गई। जमीन देने में करीब 1 से 2 माह का समय लगा।

(2) अन्य सुविधायें एवं रियायतें देने में लगभग 2 माह का समय लगा।

(3) जी हां।

**अकालग्रस्त क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ में राहत कार्य**

331. **श्रीमती निर्मला शक्तावत** (चितौड़गढ़):-क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ के कौन कौन से क्षेत्र अकालग्रस्त या अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(2) क्या उनमें अकाल राहत का कार्य शुरू हुआ या नहीं ?

(3) यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है ?

**उत्तर**

(1) चित्तौड़गढ़ के किसी भी क्षेत्र को अकालग्रस्त या अभावगस्त घोषित नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**सांचोर तहसील के गांवों में पीने के मीठे पानी की योजनाएं**

102. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में करीब 100 गांवों में पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध नहीं है ? क्या यह भी सत्य है कि उन गांवों में जमीन के अन्दर का पानी भी खारा है ? अगर हां, तो वे गांव कौन कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ऐसे गांवों में पीने के पानी की समस्या हल करने के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या योजनायें बनाई गई हैं ? उन योजनाओं को पूरा किया जाकर पीने का मीठा पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(3) सांचोर तहसील के खारे पानी वाले गांवों में मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनायें अमल में लाई जा रही हैं ? सब गांवों में मीठा पानी सप्लाई करने के लिए कुल कितना खर्चा सरकार को करना पड़ेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि ताडेवा क्षेत्रीय जल योजना अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो उसको कब तक पूरा किया जाकर कब तक ग्राम में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें। क्या इस योजना के जरिए कुछ स्थानों पर और होज बनाने की जनता की मांग आई है ? अगर हां, तो कहां कहां से कब कब मांग आई है ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उन नय स्थानों पर होज कब तक बनाये जाकर पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत सांचोर क्षेत्र में सांचोर ढाणी (मोहल्ला) रेबारियों का गोलियां (मोहल्ला) एवं अन्य कई अनुसूचित जाति एवं जन-जाति मोहल्लों में जलप्रदाय योजना द्वारा जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या भविष्य में उक्त मोहल्लों में पीने का मीठा पानी जलप्रदाय योजना का विस्तार किया जाकर उपलब्ध करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, केवल 59 ग्राम हैं जिनमें पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध नहीं है तथा जमीन के अन्दर का पानी भी खारा है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी तक सांचोर, हाडेचा, एवं आसपास के कुल 22 गांवों को मीठा पानी देने की योजना कुल 21·06 लाख रु० के लिये स्वीकृत हुई है। जिनमें से 11 गांवों को पानी दिया जा चुका है व बाकी 11 गांवों को इस वित्तीय वर्ष में पानी दे दिया जावेगा ?

(3) सांचोर हाडेचा की उक्त योजना के अलावा अन्य गांवों को भी मीठा पानी देने के लिये आवश्यक योजनाओं का स्वरूप तयार किया जा रहा है व योजना का सर्वे इत्यादि का कार्य शुरू किया जा रहा है। इन गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये लगभग 40 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

(4) हाडेचा क्षेत्रिय योजना के अन्तर्गत 11 ग्रामों को पानी देना शुरू किया जा चुका है बाकी के ग्रामों को इस साल के अन्त तक पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा। अभी तक जनता द्वारा कोई नये होदों की मांग नहीं की गई है। अतः नये होद बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां, इस वर्ष सभी अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में जल प्रदाय योजना का विस्तार किया जाकर मीठा पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**मकराना की पेय जल योजना का कार्य**

103. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना पेय जल योजना का कार्य कब शुरू हुआ है ?

(2) अब तक इस योजना पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

( श्रीमती गौरी पूनिया )

(3) मकराना खास को इस योजना से पीने का पानी कब तक उपलब्ध हो सकेगा ?

उत्तर

(1) मकराना पेय जल योजना का कार्य माह जनवरी, 1969 से शुरू हुआ ।

(2) मकराना पेय जल योजना पर अब तक कुल 30,40,425/- रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(3) मकराना खास को माह मार्च, 1973 तक पीने का पानी उपलब्ध हो जाने की संभावना है ।

नोखा तहसील के गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था

104. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नोखा तहसील के कितने गांवों में खारा पानी है ? क्या सरकार इन गांवों में पाइप लाइन द्वारा मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है ? अगर हां, तो इन गांवों का सर्वे कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

तहसील नोखा में 15 गांवों में पानी खारा है । जी हां, उनमें से 5 गांवों को मीठा पानी दिया जाने के लिये योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है और उन पर कार्य किया जा रहा है । इसके अलावा उनमें से 4 अन्य गांवों को भी मीठा पानी देने हेतु सर्वेक्षण कर योजना बनाई जा रही है । शेष गांवों के लिए भी योजनायें तयार की जावेगी ।

तहसील सांचौर में अकाल राहत कार्य

105. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में अभी तक पर्याप्त मात्रा में अकाल सहायता कार्य नहीं खोले गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां कहां, क्या क्या अकाल राहत कार्य खोले गए हैं ? उन कार्यों पर अब तक कितने मजदूर कब से लगाये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अब तक शुरू किए गए कार्यों पर मजदूरों को लगाने की क्षमता कम है ? अगर हां, तो पूरे मजदूरों को मांग के अनुसार काम पर लगाने के लिए क्या क्या कार्य, कब तक खोल दिए जावेंगे ?

(3) अभावग्रस्त क्षेत्र में कितने मजदूरों को कार्य पर लगाने की सरकार की योजना है ? कितने मजदूर कब तक कार्य पर लगा दिए जावेंगे ? अब उक्त क्षेत्र में कितने मजदूर कार्य पर लगाना चाहते हैं एवं सरकार की कितने मजदूरों को कार्य पर लगाने की क्षमता है ? पर्याप्त मजदूरों को कार्यों पर कब तक लगा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अभी तक सांचोर तहसील में कोई राहत कार्य

( अकाल सहायता मन्त्री )

नहीं खोला गया। गत वर्ष इस जिले में स्थिति सामान्य थी और इस वर्ष अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं क्रेस योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर लोगों को रोजगार दिलाया जा रहा है।

(2) अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं क्रेस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को गति देकर और अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जिलाधीश को दे दिये गए हैं।

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

**गंगानगर की अण्डरग्राउण्ड ड्रेनेज स्कीम**

106. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर शहर के लिए अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज स्कीम बनकर कब तैयार हुई ?

(2) इस पर कितना खर्चा लगेगा ?

(3) आज तक इस स्कीम को लागू करने में कितना खर्चा किया गया तथा शेष खर्च के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**उत्तर**

(1) अण्डरग्राउण्ड ड्रेनेज (भूमिगत नाली) योजना तैयार नहीं की गई है, केवल स्वेज यूटीलाईजेशन योजना वर्ष 1966 में तैयार की गई थी।

(2) करीब 65 लाख से 70 लाख रुपये तक।

(3) 16,23,723/- रुपया खर्च हुआ। शेष रकम के लिए नगरपरिषद् द्वारा जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

**हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाना**

107. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में किन किन शहरों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने-कितने मकान बनाये जा रहे हैं ?

(ख) इनमें एक मंजिले फ्लेट्स कितने व बहु मंजिले मकान कितने होंगे?

**उत्तर**

(क) आवासन बोर्ड द्वारा निम्न लिखित शहरों में उनके सामने अंकित मकान बनाये जा रहे हैं और बनाय जावेंगे।

(1) जयपुर 3567
(2) जोधपुर 666
(3) अजमेर 433
(4) उदयपुर 556
(5) कोटा 628
(6) अलवर 181

बीकानेर, भीलवाड़ा एवं भरतपुर में मकान बनाने की योजना विचाराधीन है।

(ख) समस्त मकान एक मंजिल के होंगे।

**वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां**

108. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य वन श्रमिक संघ, जयपुर से सम्बद्ध कितनी वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं ? जिलेवार समितियों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इन समितियों में कितनी सक्रिय है और कितनी निष्क्रिय ?

(2) इन समितियों की कुल चालू पूंजी कितनी है ? किस किस समिति को धनों के ठके प्राप्त हुए-किस किन समिति का कार्य उसके सदस्य करते हैं और किस किस में ठेकेदार ?

(3) क्या यह सत्य नहीं है कि कई समितियों के सदस्य वन श्रमिक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो चित्तौड़गढ़ जिले की समितियों में किस किस समिति में कितने कितने स्त्री व पुरुष हैं ? उनकी जाति व व्यवसाय क्या है उनमें कितने आदिवासी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राजस्थान राज्य वन श्रमिक संघ, जयपुर के आय-व्ययक (हानि-लाभ) पत्रक की विगत 3 वर्षों की स्थिति क्या है ? हिसाब की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) संघ के ट्रकों की संख्या क्या है, वे लाभ में चल रहे हैं या हानि में ?

(6) सहकारी विभाग को क्या इस संघ में व्याप्त असन्तोष के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई व उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्या इस संघ का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य वन श्रमिक संघ जयपुर से सम्बन्ध 98 वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं। जिलेवार समितियों की तालिका संलग्न परिशिष्ट 'क' पर है। इन समितियों में 78 सक्रिय और 20 निष्क्रिय हैं।

(2) इन समितियों को कुल चालू पूंजी रु० 8,56,299/- है। जिन समितियों को ठेके प्राप्त हुये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। परिशिष्ट 'ख' पर सभी समितियों का कार्य सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

(3) जो सत्य नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले की वन श्रमिक समितियों में किस किस समिति में कितने स्त्री व पुरुष हैं, उनकी जाति व व्यवसाय क्या हैं व कितने आदिवासी हैं, की सूचना संलग्न परिशिष्ट 'ग' पर है।

(4) राजस्थान राज्य वनश्रमिक संघ जयपुर के आय-व्ययक पत्रक की तीन वर्षों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'घ' पर है।

(5) संघ के ट्रकों की संख्या 8 है। आरम्भ के दो वर्ष तक ट्रक लाभ पर चल रहे थे परन्तु वर्तमान में हानि में हैं।

**(सहकारिता मंत्री)**

(6) जी हां, संघ में व्याप्त असंतोष के बारे में प्रथम सूचना दिनांक 26-6-71 को प्राप्त हुई, जिस पर संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी समितियां, राजस्थान की धारा 70 के अन्तर्गत जांच-अधिकारी दिनांक 20-7-71 को नियुक्त किया गया, जांच चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

### जालोर जिले में प्रौढ़ शिक्षा

**109. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में सरकार की प्रौढ़ शिक्षा नीति असफल रही है? अगर हां, तो किन कारणों से एवं उनको दूर करने के बारे में विभाग ने किस किस समय में क्या क्या कार्यवाही की है?

(2) प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार ने जालौर जिले में अब तक क्या क्या कदम उठाए? अब तक कुल कितने प्रौढ़ शिक्षित हुए एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिये अब तक जिले में कुल कितना रुपया खर्च किया गया?

(3) पंचायत समिति, सांचोर में अब कहां कहां प्रौढ़ शालाएं चल रही है एवं उनमें कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अब तक कुल कितने प्रौढ़ पंचायत समिति, सांचोर में शिक्षित हुए हैं? इन आंकड़ों को देखते हुए क्या प्रौढ़ शिक्षा नीति सफल हुई है? अगर हां, तो कैसे? अगर नहीं, तो इसके सुधार के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी?

### उत्तर

(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्य एक स्वेच्छिक कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान के समस्त जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्य निरंतर चल रहा है, पंचायती राज के आरम्भ होने के बाद प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता का कार्य पंचायत समितियों द्वारा संचालित होता है। जालोर जिला भी इसका अपवाद नहीं रहा है। सफलता व असफलता का मूल्यांकन प्राप्त प्रगति के आधार पर ही किया जा सकता है, हालांकि जालोर जिला राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला है एवं लोगों की शिक्षा के प्रति एवं प्रौढ़ शिक्षा में रूचि कम पाई जाती है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए निम्न कार्य जालोर जिले में शिक्षा विभाग व विकास विभाग के सहयोग से किये गये:—

(1) पंचायत समिति क्षेत्रों में नवयुवक मंडल, महिला मंडल का गठन किया गया।

(2) विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक, माध्यमिक उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया एवं इस क्रम में विभाग द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित नीति के अनुसार निर्देशित कर दिया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(3) पंचायत समिति के अधीनस्थ प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में प्रौढ़ शिक्षण कार्य चलाने के लिए प्रति वर्ष निर्धारित नीति के अनुसार निर्देशित किया जाता रहा है।

(4) इसके साथ साथ अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा भी चलचित्र प्रदर्शन, परिवार नियोजन कार्य आदि के रूप में प्रौढ़ शिक्षा कार्य को संबल मिलता रहा है।

(2) जालोर जिले की पंचायत समितियों में अब तक कुल 1,781 केन्द्रों के माध्यम से 17,145 प्रौढ़ साक्षर हुए, इसके लिए विभाग द्वारा पुरस्कार हेतु 16,300.00 रु० एवं साधन सामग्री हेतु 31,230.00 रु० पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये।

(3) सांचौर पंचायत समिति में आज तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुल 252 केन्द्रों के माध्यम से 2,210 प्रौढ़ व्यक्ति साक्षर किये गय। गत दो वर्षों से पंचायत समिति, सांचोर म अकाल के कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्य मंद गति से चल रहा है।

## चूरू के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

110. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चूरू जिले के मुख्यावास की 60,000 की जनसंख्या को देखते हुए चूरू के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाना उचित है? यदि हां, तो उसे अब तक क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं? और अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायगा?

### उत्तर

भविष्य में अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर उक्त शाला के क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर भी विचार किया जायगा। लेकिन इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

## विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

111. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्यालयों में राजस्थान सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करती है?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालयों के खुलते ही निःशुल्क पुस्तकों का वितरण नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार भविष्य में विद्यालयों के खुलते ही पुस्तकें उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर रही है?

### उत्तर

(1) जी हां। केवल निर्धन छात्रों को।

(2) विभाग द्वारा निर्धन छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण करने हेतु प्रति वर्ष मांह मई में ही जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रसारित कर दिये

(शिक्षा मंत्री)

जाते हैं कि वे माह जून के अन्त तक सचिव राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर से पुस्तकें प्राप्त कर छात्रों को शाला खुलते ही वितरण करने की व्यवस्था करें। गत वर्ष इस सम्बन्ध में कुछ जिला अधिकारियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मण्डल द्वारा पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं हुई तत्पश्चात् सचिव, रा० पा० पु० म०, जयपुर को अविलम्ब व्यवस्था हेतु लिख दिया गया इसके बाद कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आगामी वर्ष में पुस्तकें छात्रों को सत्रारम्भ में ही वितरण करदी जायं इसकी व्यवस्था हेतु प्रयास किया जायगा।

**राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों की योजना**

112. **श्री मूलचन्द साभरिया** (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लघु व कुटीर उद्योग चालू करने की योजना है ?

(2) इस सम्बन्ध में किस किस जिले में कितने उद्योग खोले जावेंगे व उन पर कितनी कितनी राशि खर्च की जावेगी ?

(3) इससे कितने लोगों को रोजगार दिलाया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नवीन लघु एवं कुटीर उद्योग चालू करने की योजना नहीं है।

(2) क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों को चालू करने की कोई राजकीय योजना नहीं है अतएवं इन पर राज्य सरकार द्वारा धनराशि खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता। खादी बोर्ड द्वारा कार्यरत योजनाओं के विकास वं विस्तार हेतु वर्ष 72-73 के लिये 3,02,000 रु० अनुदान एवं 15,35 000 के ऋण का प्रावधान रखा गया है। ऐसी राशि का आवंटन जिलेवार नहीं किया गया है। विभिन्न जिलों में कार्यरत संस्था व सहकारी समितियों की मांग आने पर अथवा नई संस्था व सहकारी समितियों को यह राशि विभिन्न ग्रामोद्योग के लिये वितरित की जा सकेगी।

(3) खादी बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत योजनाओं के विकास एवं विस्तार हेतु वर्ष 72-73 में ऐसा अनुमान है कि 1,600 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

**राज्य के आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले**

113. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में गत 10 वर्ष में ऐसे कितने आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारी हैं जिनको भ्रष्टाचार के मामले में किसी प्रकार का दण्ड दिया गया है। सूची सविवरण सदन की मेज पर रखी जावे।

# Page No 43



(मुख्य मंत्रीजी)

उत्तर

गत दस वर्षों में किसी भी आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में दण्ड नहीं दिया गया ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है ।

(1) श्री जनार्दनसिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 28-4-72 की रात्रि के करीब 8.30 बजे किशनपोल बाजार के व्यापारी मदनलाल अग्रवाल को श्री अजयसिंह, एस० पी० (अन्डर ट्रेनिंग) एक एम्बेसेडर गाडी में धकेल कर ले गया और उसकी सांगानेर थाने पर जाकर मारपीट की गई।

(2) श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि सिचाई विभाग के अधिकारियों ने भरतपुर संभाग-कामां, डीग तथा भरतपुर के लगभग 175 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

(3) श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें भरतपुर जिले की कामां व नगर तहसील में सरसों व चने की फसल नष्ट हो जाने की चर्चा की है ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(4) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1972 को दोपहर को 2.00 बजे एक हरिजन को पीटने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(5) श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें भरतपुर जिले की कामां नगरपालिका द्वारा वर्गीकरण के अभाव में आवास भू-खण्डों के वितरण की चर्चा की है । यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है किन्तु इस पर माननीय सदस्य अनुदान की मांग पर होने वाली बहस के समय चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(6) श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने अलवर में दिनांक 22 अप्रेल, 1972 को कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रदर्शन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, वह गंभीर विषय है। कल एक हरिजन का बच्चा एक नल पर पानी पी रहा था, वह चार साल का था, अखबार के दफ्तर के सामने वह नल था, उस बच्चे के झापड़ा मारा गया और उसके बाद उसका बाप आया उसको भी बेरहमी से एक रामसिंह नामक कारखानेदार ने पीटा, उसमें और 15 आदमी भी थे। उन्होंने भी उस हरिजन को बेरहमी से पीटा। उसको पुलिस भी देखती रही। विशिष्ट लोग खड़े खड़े देखते रहे और उस हरिजन को बेरहमी से पीटा जाता रहा। वह वहां पर बेहोश हो गया और अभी तक अस्पताल म बेहोश पड़ा है। एक तरफ हम अस्पृश्यता निवारण का नारा दे रहे हैं, उनके उद्धार का नारा लगा रहें हैं और विशिष्ट लोग किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं यह देखकर लज्जा अनुभव होती है, यह लज्जास्पद बात है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव लोक महत्व का नहीं है तो कोई भी प्रस्ताव लोक महत्व का नहीं है। समाज के निम्न वर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो और उसके उद्धार का नारा हम लगा रहे हैं, एक चार साल का बच्चा पीटा जा रहा है, उसका बाप उसकी रक्षा करने जाता है तो उसको भी पीटा जाता है, तब यह गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली सरकार इस प्रस्ताव को लोक महत्व को क्यों नहीं समझती है। अगर यह लोक महत्व का नहीं है तो कौन सा प्रस्ताव लोक महत्व का हो सकता है.............

**श्री अध्यक्ष :** आप समाप्त करें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** कम से कम आप यह आदेश तो दें मंत्री महोदय को कि वे इसकी जानकारी प्राप्त करें। जिन लोगों ने हरिजनों को पीटा है उनको गिरफ्तार किया जाये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और सरकार स सम्बन्ध में कोई मजबूत कदम उठावे। आप मन्त्री महोदय से कहिये कि वे इसकी जानकारी प्राप्त करें। स सारी चीज की जानकारी करें। इस प्रकार से हरिजनों के प्रति, जो सिर पर मैला ढोते हैं, व्यवहार होना क्या उचित है? आज उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, आज हमारे थान, कोतवाली हरिजनों के खिलाफ कार्यवाही करने में लगे हुए हैं। इस तरह से समाज के निचले वर्ग को कुचला जा रहा है और उस प्रस्ताव को आप लोक महत्व का नहीं मान रहे हैं, तब इससे ज्यादा कौनसा प्रस्ताव हो सकता है। जयपुर की इस नगरी के अन्दर, राजस्थान की इस राजधानी के अन्दर, उसके एक विशेष मार्ग पर, दैनिक नवज्योति के दफ्तर के सामने सैकड़ों लोग खड़े खड़े इस वाकया को देख रहे थे, उनमें दस कान्सटेबिल भी थे, वे भी देख रहे थे कि एक हरिजन को बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो इससे ज्यादा लोक महत्व का कौनसा विषय है?

**श्री अध्यक्ष :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**श्री गफ्फारअली :** अध्यक्ष महोदय.....

**श्री अध्यक्ष :** आपका तो कोई नहीं है।

**श्री गफ्फार अली :** इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अलवर के अन्दर जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में मेरा अर्ज करना यह था कि वह एक गम्भीर

# Page No 45



(श्री गफ्फारअली)

मामला है कि एक शान्त जुलूस पर हमला हो और जिन लोगों ने मारपीट की उनका कुछ नहीं हुआ। जीप पकड़ कर कार्यकर्ता को मारा गया और चार आदमी उसमें जख्मी हुए उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। जोधपुर में सी० बी० आई० के द्वारा इन्वेस्टीगेशन आज तक नहीं हुआ। यह असूलों का सवाल है। इस तरह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा सबमिशन यह है कि इस किस्म के सवाल पर गम्भीरतापूर्वक इस सदन में विचार करना चाहिए कि एन्टी सोशियल एलिमेन्ट किस तरह से झगड़ा करके किस तरह से शान्त जुलसों में रुकावटें पैदा करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा उत्तर नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : मैं फैसला दे चुका हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

**श्री अध्यक्ष** : फैसला सोच समझकर दिया है और नियमों के अन्तर्गत दिया है। मैं इस बात को महसूस करता हूं और मेरी हमदर्दी हो सकती है और कई कारण हो सकते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : समाज-कल्याण की नीति का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : मैं हमदर्दी रखता हूं। इलाज के लिए कहा जा सकता है सम्बन्धित मंत्री से लेकिन जहां तक एडजोर्नमेंट मोशन का ताल्लुक है वहां तक........

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : हरिजनों पर अत्याचार हो ......

**श्री अध्यक्ष** : हरेक अवसर पर एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं बनता है। एडजोर्नमेन्ट मोशन पर वाद-विवाद नहीं होना है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिद्धान्तों का है। अनटचेबिलिटी का बना हुआ है और वह काग्नीजेबल आफेन्स है और इस मामले में पुलिस खड़ी देखती रही। तो फिर अनटचेबिलिटी कानून किस लिए बनाया है जब कि कोई कार्यवाही न हो तो ?

**श्री रावतराम** (छापर) : यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इस तरह से एक हरिजन को भरे बाजार में पीटा गया है......

**श्री अध्यक्ष** : उसकी कार्यवाही करिये इलाज है, एक्शन है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक्शन हुआ नहीं। पुलिस वालों को काग्नीजन्स लेना चाहिए था।

**श्री मोहनलाल छंगानी** (फलोदी) : पुलिस वहां पर मौजूद थी और उसने कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दें।

**श्री अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) कितने आदमी एक साथ बोलेंगे ? (श्री रावतराम से) आप बोल रहे हैं ? (श्री पी० के० चौधरी से) आप उनको बोलने दें। आप उनको समाप्त कर लेने दें।

# Page No 46



**श्री रावतराम (छापर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। इस तरह से पिटाई हुई तो है और कोई जानबूझ कर मिल कर हमला करें और पिटाई करें तो यह बहुत बुरी बात है। जब शहरों में हो यह बात होती है तो गांवों की हालत तो बहुत बुरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर मंत्री महोदय से एक स्टेटमेन्ट दिला दें और हम लोगों को बतला दें कि क्या घटना हुई। बस हम इतना ही चाहते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली):** अध्यक्ष महोदय, म एक वाया मीडिया नजर करना चाहता हूं। प्रश्न का साधारण स्वरूप है कि पिटाई हुई, लेकिन राजस्थान के स्तर पर अनटचेबिलिटी के प्रश्न पर आज गांवों और शहरों में जिस तरह से हरिजनों पर दिक्कतें पड़ी हुई हैं मुख्यतया पानी के प्रश्न पर इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह लोकमहत्व का प्रश्न हो जाता है। प्रश्न केवल पिटाई का नहीं है, लेकिन अनटचेबिलिटी के प्रश्न पर जो हमारी मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं उनको स्थायित्व देने का है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी सवर्ण के सम्बन्ध म यह प्रश्न होता तो मेरे खयाल से माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव ही नहीं रखते, लेकिन अनटचेबिलिटी का व्यापक स्वरूप इससे सम्बन्धित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम माननीय अध्यक्ष द्वारा मंत्री महोदय से जानकारी लेकर माननीय सदस्य, जिनका वह प्रश्न है, उनको बिना डिबेट के जानकारी दी जा सकती है और डिबेट किसी दूसरे स्वरूप में हो सकती है। इसलिए यह प्रश्न व्यापक है, विस्तृत है और विपरीत है और आगे ऐसी स्थिति के निराकरण का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मांग इतनी ही है कि आपने जो डिसीजन दिया है उसको मानते हैं, लेकिन सिर्फ यही चाहते हैं कि मंत्री महोदय को आदेश दे दें कि इसकी जानकारी हासिल करें।

**श्री अध्यक्ष :** चम्बर में बात कर लूंगा कि क्या कार्यवाही की गई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान·····

**श्री मूलचन्द सामरिया :** अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बारे में आदेश भी देते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। हांडा साहब जैसे हमारे हिमायती बैठे हैं तो हमें डर किस बात का।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### शराब की दूकानों के ठेकों में अनियमितता के सम्बन्ध में

**श्री अध्यक्ष :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वक्त आबकारी विभाग की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो लाइसेन्स देशी शराब की दुकानों को देने के लिये जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें दो करोड़ का गपला और घोटाला हुआ है। संक्षिप्त में वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1-5-72 को 11 महीनों के लिए देशी शराब की दूकानों को लाइसेन्स देने की पद्धति के बारे

# Page No 47



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में राज्य सरकार ने नियमों के अन्दर एमेंडमेंट करके नियम (67 के) यह बनाया है और उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 11 महीनों के लिए इस साल देशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स टेण्डर प्रणाली से दिये जायेंगे। इसके पहले हमारी पहले की जो सरकार थी जो कि माननीय बरकतुल्ला खां साहब के नेतृत्व में बनी थी उस समय के आबकारी मंत्री श्री शोभारामजी ने यह घोषणा की थी कि अगले वर्ष से सारी प्रणालियों को समाप्त करके शराब का ठेका खुले बाजार में नीलाम किया जायगा, और नीलामी के अन्दर अधिक से अधिक जो बोली देगा उसको लाइसेन्स दिये जायेंगे। इस वर्ष मंत्रि-मंडल के मुख्य मंत्री तो वे ही रहे लेकिन वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री बदल गये, और उस घोषणा को रहस्यमय परिस्थितियों के अन्दर तिलान्जली दे दी गई और टेण्डर प्रणाली को लागू किया गया। टेण्डर प्रणाली में 25 तारीख को टेण्डर आने पर और 25 तारीख को जब टेण्डर खोले गये और उसके पश्चात् सबसे अधिक की राशि के टेण्डर वाले व्यक्ति को लाइसेन्स दिये जाने वाले थे। नियमों के अनुसार, नियम (67 के) के अनुसार, लेकिन एकाएक आकस्मिक तरीके से रहस्यमय परिस्थितियों में दिनांक 27 को जब कि सबसे अधिक राशि वाले व्यक्ति को 30 तारीख को रकम जमा कराना था और उसके बाद लाइसेन्स जारी उसको होना था, लेकिन 28 तारीख को माननीय वित्त मंत्रीजी के वित्त मंत्रालय से आज्ञा प्रसारित हुई, यद्यपि नियमों में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, एमेंडमेंट में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक रहस्यमयी आज्ञा जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 30 तक सबसे अधिक टेण्डर वाला व्यक्ति जिसको स्वीकृति दी गई है रकम जमा नहीं कराता है तो दूसरे नम्बर का जो टेण्डर है उसको स्वीकार कर लिया जाय और उनको रकम जमा कराने की आज्ञा देदी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज्ञा वास्तव में अपने आप में तो साधारण लगती है, लेकिन इसके कारण से राजस्थान की जनता, गरीब जनता को दो करोड़ का नुकसान हुआ। उन व्यक्तियों ने जिन्होंने पहला टेण्डर दिया था, साजिश करके दूसरे और तीसरे नम्बर के टेण्डर भी दिये, और जैसे ही यह आज्ञा प्रसारित हुई तो प्रथम टेण्डर वाले व्यक्ति चुप बैठे रहे और जो दो पर्सेन्ट की रकम जो उन्होंने सिक्योरिटी में जमा कराई थी वह जप्त कराकर दूसरे नम्बर का टेण्डर जिसके अन्दर लाखों का फर्क पड़ता था उसको इस रहस्यमयी आज्ञा के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में माननीय वित्त मंत्रीजी की छाप लगने से राजस्थान की गरीब जनता को दो करोड़ का नुकसान हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर जयपुर में इस प्रकार जो टेण्डर दिया गया था यह 1 करोड़ 6 हजार 687, रुपये का था मैं सारा मिलाकर कहता हूं। चार टेण्डर थे 65,86,983 रुपये के थे। कोटा, बीकानेर में लगभग 30 लाख का घाटा हुआ। अलवर 2 लाख, भरतपुर 3 लाख इसी तरह से उदयपुर और गंगानगर में। सारे राजस्थान की इस गरीब जनता के ऊपर 4 करोड़ के टैक्स यह कह कर लगाया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया है कि हमारा डैफ्ट फाइनन्सिग है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, प्रतिपक्ष के सदस्यों की बात आप सुन नहीं सकते हैं। आप कहते हैं कि टैक्स नहीं लगायेंगे तो प्रतिपक्ष के सदस्य प्रसन्न होंगे, लेकिन मुझे शर्म आयेगी। राजस्थान की जनता का 2 करोड़ रुपया इस रहस्यमय तरीके के द्वारा कहां चला जा रहा है। 29 अप्रेल, 72 को राज्य सरकार का आदेश निकलता है कि सबसे ऊंचे टेण्डर के व्यक्ति द्वारा धरोहर की रकम जमा नहीं कराने पर उससे नीचे के टेण्डर के व्यक्ति को ठेका दे दिया जायेगा। यह नियम जो बनाये गये हैं, उनके अनुसार कोई प्रावधान नहीं था। हर व्यक्ति को यह एहसास था:—

"All tenders received hall be recorded in a register in the form laid down by the Excise Commissioner. The Excise Commissioner shall be the authority competent to the accept or reject any tender, where the amount offered by any tenderer is acceptable to the Excise Commissioner but such amount has been offered by more than one tenderer, a decision shall be taken by the Excise Commissioner by drawal of lots in the presence of tenderers concerned, if any. Acceptance of tender shall be communicated to the successful tenderer in the form laid down by the Excise Commissioner and the tenderer shall be required to furnish due security in cash within the time indicated in this communication."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नियम के अन्तर्गत एक बार आज्ञा होने के पश्चात् जिस व्यक्ति की सबसे अधिक राशि थी, उसको दिया जाता। वह रकम जमा करवाता। अगर वह नहीं करवाता तो पूरी वसूल की जा सकती थी। हमारी राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही से दो करोड़ रुपया जनता का छीन लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर लूपहोल रखकर यह किया गया है। अगर नीलामी होता है, और सबसे ऊंची बोली वाला व्यक्ति नहीं खरीदता है, वह दूसरे व्यक्ति को देनी पड़े तो उस पहले वाली रकम का अन्तर और दूसरी वाली बोली का जो अन्तर रहता है, वह अन्तर सबसे ऊंची बोली वाले को देना पड़ता है। चाहे वह बोली पर कायम रहे या नहीं। लेकिन हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जानबूझ कर लूपहोल रखी है ताकि षढ़यन्त्र करके सब से ऊंची बोली, जो करोड़ रुपये की थी, वह जानते थे कि बाद में दूसरा टेण्डर, बाद में जारी की गई आज्ञा के अनुसार उनको मंजूर हो जायेगा। इस लिए उन्होंने पहले वाले से अपनी जमानत जब्त करादी है जो 2% होती है। अध्यक्ष महोदय, यह 2 करोड़ का ही घोटाला नहीं हुआ है। इससे भी अधिक होता है। पहले जो वित्त मन्त्री थे उन्होंने ऑफर सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करके लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया। ऑफर सिस्टम आज नगरों में कायम नहीं है लेकिन गांवों में कायम है। मैं जानना चाहता हूं, इसमे किस प्रकार का दायित्व है। किस तरह की नीति है। एक ठेकेदार को दिया गया तो रेट बढ़ा कर।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

माननीय वित्त मन्त्री का कहना है कि हमने प्राइस फिक्स कर दी हैं। 15% बढ़ादी है मैं कहना चाहता हूं कि हमें 15% बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल यहां पर 56 लाख के ठेके थे। इस साल टेण्डर एक करोड़ का आया है। यदि यह घपला नहीं होता तो एक करोड़ उस व्यक्ति को जमा कराना होता। आज यह रोटी, दाल और साबुन पर टैक्स नहीं होता। वित्त मन्त्रीजी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं टैक्स रोटी, दाल पर नहीं लगाऊंगा तो प्रतिपक्षी दलों को तो सन्तोष हो जायेगा लेकिन मुझे शर्म आयेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र में जो पद पर होता है, उसके विभाग में कोई घोटाला होता है तो वही जिम्मेदार है। स्वर्गीय, लाल बहादुर शास्त्री ने इसीलिए जब वह रेल मन्त्री थे, एक एक्सीडेण्ट होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह प्वाइण्टमैन नहीं थे। वह स्टेशन मास्टर भी नहीं थे। लेकिन एक नैतिक मूल्य होता है। मैं चाहूंगा कि यह राजस्थान की जनता से जो 2 करोड़ रुपया छीना गया है, इसके कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्यों यह आज्ञा प्रसारित की गई है? यदि एक वित्त मन्त्री पहले ही आज्ञा दे दे, तो फिर क्यों रोक दिया? पहला टेण्डर मंजूर नहीं हुआ तो मंजूर करके दे दिया जायेगा।

**श्री चन्दनमल बैद :** आप बार बार 29 तारीख कह रहे हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** यह आज्ञा 29 तारीख को प्रसारित की गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार इसमें लिखा गया है, 30 तारीख को जमा कराने का समय था।

**श्री चन्दनमल बैद :** अभी आप 26 तारीख का नाम ले रहे थे। सही कौन है?

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** 26 तारीख को आपने निर्णय लिया है। 27 तारीख को आपने विभाग को सूचित किया है। विभाग ने 29 तारीख को सूचित किया है। इसमें राज्य सरकार के आदेशों का उल्लेख है। यदि आज्ञा 2 या 1 तारीख को निकालते तो यह नहीं होता। लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से ठेकेदार को लाभ कराने के लिए [× × ×] रहे हैं, राजस्थान की गरीब जनता की 2 करोड़ रकम ली गई है। मैं इसके बारे में उदाहरण दूंगा कि कुछ व्यक्ति गये और उन्होंने कहा कि पहला टेण्डर जितनी रकम का दिया गया है, उतना हम देने को तैयार हैं। दूसरे को आप क्यों दे रहे हैं?

**श्री चन्दनमल बैद :** हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** बिल्कुल गलत है। आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप के पहले जो वित्त मन्त्री थे, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था। इतिहास साक्षी है, राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस वेदपाल त्यागी के सामने दानसिंह गंगानगर वालों ने हलफनामा देकर स्वीकार किया है। इस प्रकार घपले, घोटाले, आबकारी विभाग में एक नहीं अनेकोंबार सामने आये हैं। स्पष्ट रूप से विभाग में घपले हुये हैं। हलफनामे प्रस्तुत हैं। 6 लाख

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और 7 लाख के दूसरे टेण्डर भी थे। लेकिन आप यह सोचते थे कि वह कैसे हो सकता है ? दूसरे टेण्डर की बात पर कुछ व्यक्ति गये, उन्होंने कहा कि हम वह रुपया देने को तैयार हैं। यदि टेण्डर प्रणाली को आप ठीक समझें तो आप सैटिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं, आमदनी को बढ़ा सकते हैं लेकिन यह नहीं किया गया। यह कहा गया, राज्य सरकार की आज्ञा है, प्रथम टेन्डर वाला जमा न कराये तो दूसरे टेन्डर वाले को दे देंगे। इसके बारे में जैसा मैंने बताया एक स्थान पर नहीं, जयपुर, गंगानगर, कोटा, बीकानेर में-सब स्थान पर नृत्य करते हुए ठेकेदारों ने कहा-बहुत अच्छा, इससे बड़ा राम राज्य क्या होगा, रघुपति राघव राजा राम का नारा लगाया, समाजवाद का नारा लगाया। इन्होंने यह कहा, आटे पर टैक्स हटा दूंगा, दाल पर से टैक्स हटा दूंगा, रियायत दे दूंगा तो प्रतिपक्ष के लोगों को संतोष हो जायगा और मुझे शर्म आयेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, धन्ना सेठों की साजिश पर बाबू और रिकार्ड नाचा करता है। सरकार की इस नासमझी पर शर्म आती है, आम लोगों को राहत नहीं देती है। वह दो करोड़ का राजस्थान की जनता पर और बोझ डाल दिया है आबकारी के इस घपले से, इससे वह बच सकती थी। मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करूंगा कि इसकी जांच करायें। मैं वित्त मंत्री को इसके लिये दोषी नहीं ठहराता। मैं नहीं कहता कि दो करोड़ रुपया व्यतिगत रूप से हड़प कर लिया है, सुनिश्चित यह विभाग के द्वारा हुआ है। राजस्थान की गरीब जनता को दो करोड़ रुपये की हानि हुई है, जो नुकसान पहुंचा है वह इस कारण कि यह अनियमितता हुई है, यह घपला हुआ है, घोटाला हुआ है और इससे दो करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि बिना जाने, बिना समझे, अनाधिकृत तरीके से अनजाने में हो गया है तो कोई बात नहीं है। देर आयद दुरुस्त आयद, आप आज्ञा प्रसारित कर दीजिये, राजस्थान भर के लिए आज्ञा प्रसारित करने का आप का काम है, नियम आप बनाते हैं। इसलिए आप राजस्थान कोष में दो करोड का घाटा मत डालें। आप कहिये, इस प्रकार की अनियमितता कभी नहीं होगी। मैं प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसकी ढंग से जांच करायें, कड़ी जांच करायें जिसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं, कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, सी० बी० आई० के द्वारा भी यह हो सकती है, अन्य तरीके से भी हो सकती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसको सिम्पली-फाई करके नहीं चलें, माननीय वित्त मंत्री जी कह दें कि यह इन-एडवर्टेन्ट एरर है। यह दो करोड़ का बोझ राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर डाल रहे हैं जिस को 73 पैसे देते हैं मजदूरी के। मैं आप को कहता हूं कि 73 पैसे मजदूरी पाने वाले से आप दो करोड़ रुपये छीनना चाहते हैं इस घोटाले के द्वारा, इस स्केण्डल के द्वारा। इसलिए वित्त मंत्री जी, यह लोकतंत्र का तकाजा है, राजस्थान की जनता की मांग है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस घोटाले की जांच करायें और जो भी इस हरकत के लिए जिम्मेदार हो उसको सजा दें। अगर आप के अन्दर

# Page No 51



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नैतिक मूल्य बाकी है, स्वर्गीय लाल बहादुर के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो आपको यह अहसास हो जाय कि राजस्थान की जनता का दो करोड़ का नहीं, कुछ भी घाटा हुआ है तो आप त्याग पत्र देकर जनता के सामने आयें और अपने दामन को साफ कर।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी बजट के साथ यह पहला कदम आरम्भ हुआ है। समाजवादी बजट में शराबबन्दी और उसकी अवहेलना पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह आपके बीच का सवाल है, लेकिन यह दूसरा कदम समाजवाद की ओर ले जा रहा है—यह अद्भुत है। यह मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस आबकारी विभाग, में जो कोई मंत्री आता है वह इस काली कोठरी में सफेद कपड़े से आता है और स्याह होकर जाता रहा है। यह डिपार्टमेन्ट ही अजीब है, गटर का डिपार्टमेंट है—इसको निभाना बड़ा मुश्किल है, सम्भालना बड़ा मुश्किल है। और अच्छी तरह से सम्भालें तब भी शक शुबाह इसमें पैदा होता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट को निभाने में मंत्री महोदय को कितना एहतियात, कितनी सतर्कता रखनी चाहिये। सामान्य एक नियम, एक कानून का है,

Justice should not only be done; it should be seen manifestly to have been done.

यह कानून हर डिपार्टमेंट में लागू होता है। यह ठेके का मामला अजीब है, इसकी दो दुनियां है—ठेके की—एक तो अन्डर ग्राउन्ड, एक ग्राउन्ड, जितना ग्राउन्ड वर्क है ठेके का, उतना ही जमीन की सतह के नीचे व्यापक है। यह डिपार्टमेंट चलता है। इस जमीन के नीचे चलने वाले डिपार्टमेंट का ज्ञान सभी को है। कई मंत्री बदले किन्तु प्रत्येक के इर्द गिर्द लाल खां, कोई भूरे खां, कोई अजीब खां—यह तैरते हुए दिखाई देते हैं मंत्रियों के बंगले पर। यह इतने मीठे लगते हैं मंत्रियों की, ऊपर की रेवेन्यू देने वाले लोग हैं ये ऊपर से नीचे तक, इसलिए मैं इस प्रश्न को इस संदर्भ में रखना चाहूंगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ऊपर की रेवेन्यू को स्पष्ट करेंगे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सब कर दूंगा, देखिये मैं फैक्ट्स पर चलता हूं, आवेश में नहीं जाता, भावनाओं पर चलता हूं। तथ्यों को रख कर डिड्यूस करिये, मैं कहता हूं ठेके देने के नियम दो सौ में तीन तरीके हैं। लिखा है :

(2) Licences for exclusive privilege of selling by retail country liquor at a shop may be granted either—

(a) by negotiations with the existing licensees;

(b) by auction;

(c) by inviting sealed tenders;

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(d) by negotiations with the third parties (persons other than existing licensees).

(3) Nothing in these rules shall prevent adoption of any of the above methods in any order in respect of any shop or categories of shops or adoption of different methods for different methods for different categories of shops."

अगर कोई मेथड इनमें से एडॉप्ट नहीं किया जाय तो डी में जरूर पावर है, किस तरह से करें-यह मेथड एडाप्ट किया जाय-वाई इनवाईटिंग सील्ड टेन्डर। अब शक कहां पैदा होता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मंत्री के ऊपर शक पैदा नहीं होता। उस प्रश्न पर मैं जाना नहीं चाहता, तथ्य ऐसे हैं कि शंकायें पैदा करते हैं, उनको उनम देखना था। मैं सिर्फ अर्ज करता हूं, 24 तारीख को इस नियम के अन्तर्गत टेन्डर्स खोले गये, जो आमंत्रित किये गये थे। तारीख 25 को सर्वाधिक टेन्डरर के नाम की घोषणा की गई और आदेश चस्पां कियां गया। 25 से 30 तक, पांच दिन में हाइएस्ट टेन्डर जिनका था उनको अवसर दिया गया, 6/7 एमाउन्ट ऑफ दी हाइएस्ट टेन्डर वह जमा करायें 25 से 30 तक। तो सवाल पैदा होता है, 25 से 30 तक जिन लोगों की बोनाफाइडी ऑफ टेन्डर जिन टेन्डरर की थी, 25 को हाइएस्ट टेन्डर है, 30 तारीख तक 6/7 एमॉउन्ट जमा करा देना चाहिये तो असम्भव नहीं है कि 25 को जमा करादें। जिनका हाइएस्ट टेन्डर था, उसके हाइएस्ट टेन्डर को एक्सेप्ट करा जाता है तो 26 को वह जमा करा देता है, लेकिन इसमें 30 तक जमा कराने का पीरियड था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 27 को दूसरा आदेश एकदम क्यों निकाला? उन लोगों की निगरानी रखी, 25-26 तक जमा कराने वाले हैं, वह जमा करा देवे और 27 को राज्य के स्तर पर विवेचना की होगी, आप ने बात की होगी......

**श्री चन्दन मल बैद** : माननीय सदस्य, 27 का आदेश हो तो पढ़ कर सुना दीजिये। सदन को गुमराह मत कीजिये, आप 27 का आदेश पढ़िये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : हमारे पास कहां से आया?

**श्री चन्दनमल बैद** : 27 का बता रहे हैं तो पत्र तो होगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : बेचैन मत होइये, मैं श्रृंखलाबद्ध आ रहा हूं। मेरा कहना है कि 27 तारीख को विभाग का नोटिफिकेशन निकला। नोटिफिकेशन आप के यहां पर तनी तेजी से घण्टी और बिजली के जोर से 29 को पहुंच गया। इसलिए मैं कहता हूं, 27 की चर्चा हुई, और आपको पहुंचाई जा रही थी डाइरेक्ट और फिर 28 की चर्चा फिर पहुंचाई जा रही है और 29 को आदेश विभाग को जाता है। इन तीन दिनों में चर्चाएं हुई हैं, वह चर्चाएं उन दिनों विधायकों के पास पहुंची हैं, 29 तक यह चर्चाएं चलती रही हैं कि 29 को आदेश निकलने वाला है विभाग को आदेश आप निकालने वाले हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मुझसे मत कहिये, मैं आदेश समझाऊं। आप कानून दां है, वित्त मंत्री हैं, इन्फरेन्स समझते हैं, प्रिजम्प्शन समझते हैं। तीन दिन में वातावरण बना, 29 को आपका आदेश निकलता है, हाइएस्ट टेन्डर नहीं ले तो नेक्स्ट टू का एक्सेप्ट कर लिया जाय। और आप जानते हैं, जो पद्धति इसकी है, जो बिडिंग करते हैं वह बड़े शरीफ हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़ी अनुभूतियां हैं, बड़े अनुभवशील हैं, अनुभव विशाल हैं, अन्डरग्राउन्ड का विशाल, अपर ग्राउन्ड का विशाल हैं। वह खुद के नाम पर लेता है एक टेन्डर, दूसरा भाई के नाम पर, तीसरा बहनोई के नाम पर। सारी परम्परा यह बनी हुई है, इसलिए टेन्डर मिस नहीं करता। हाइएस्ट के बाद दूसरा आ गया, दूसरा पकड़ लिया, दूसरे के बाद तीसरा आ गया, तीसरा पकड़ लिया। इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, 29 को आदेश निकाला, नेक्स्ट कौन हो सकता है। पांच लाख का टेन्डर एक्सेप्ट करा, उन्होंने कहा, एक हजार रुपया जाय तो जाय, 6/7 अमाउन्ट जमा नहीं कराया। हम मौन हैं इस प्रश्न पर सरकार ने कितनी बड़ी कृपा कर दी हम पर। सेकन्ड टेन्डर हमारा है जो दो लाख का था। 5 लाख का टेन्डर, 2 लाख का हुआ और एक लाख का हुआ और सेकन्ड टू एक्सेप्ट होता चला गया। 15 प्रतिशत किस पर? क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी हाइएस्ट बिड था उसको आप इस रूल से और इस आदेश से रिलेक्स करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कोटा इस पर गूंज रहा है, मैं नहीं कहता कोटा में वातावरण बना है कोटा में इसका जन्म हुआ, कोटा में यह स्थिति पैदा हुई और 29 तारीख के आदेश के आधार पर यह बात आई। ये प्रेजम्शन हैं, इन्फरेन्सेज हैं, भगवान करे वह गलत निकले, आपके वित्तमंत्रीत्व का आरंभिक काल है, समाजवाद का नारा है, कोटा का वातावरण गलत निकले, हम सब चाहते हैं लेकिन गवाह कौन है? माननीय सदस्य ने कहा, इस पर इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं इन्क्वायरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको निष्कलंक होकर निकलना है। गवाह कौन है? जिनमें आपस में जलन है, सेकन्ड बिड आपने मंजूर कर लिया तो वह जलन रहती है। दूसरे ने सोचा सेकन्ड का होगा और मैं जो इस पेशे में इतने समय से चल रहा हूं? आपसी जलन पैदा हुई। गवाह पैदा हुए। फिर जो हाइएस्ट बिड में फंस गया उसका सत्यानाश हो गया। वह एक नहीं चार गवाह पैदा करना चाहता है। कैसे गड़बड़ी हुई है? साधारण-सी बात है। माननीय सदस्यों के पास कौन पहुंच होंगे? गवाह ही पहुंचे होंगे, उन्होंने सूचना दी है। इसलिए इन्क्वायरी का प्रश्न बड़ा साधारण है अगर आप चलाना चाहें। इसलिए मैं कह रहा था कि इस प्रश्न को हाइएस्ट नेक्सट बिड के संबंध में मैं जानता हूं कि 15 प्रतिशत का बहाना करके सेकन्ड बिड पर 15 प्रतिशत प्लस करके हमने मेक अप कर लिया, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि यह जो 27, 28 व 29 को रूल्स इधर उधर किए गए और इसमें जो गड़बड़ी की गई उसने सारे राजस्थान के वातावरण को गंदा किया है और कोई भी इन्फरेन्स आपके खिलाफ नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ मान्यताओं के संबंध में, इस संदर्भ में, शराबबंदी का एक माहौल चल

Page No 54



(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रहा है, आंदोलन का प्रश्न चल रहा है और इस गटर में काम करने वाले आदमी, जो नियंत्रण करता है, तो उसके हाथ में भी बदबू पैदा होती है। उसको मिटाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक और बात है। आपने भाषण में कहा मैं बनिए का बेटा हूं और बनिए की पाप लीला जानता हूं। इसलिए और ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि जो पाप लीला जानता है, आखिर वह एसोसिएट हो जाता है। तब अनुसंधान कर पाते हैं, अन्दर दाखिल होकर जासूसी की जाती है। इसलिए आप बनिए के बच्चे हैं तो और ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। समाजवाद एक आस्था है, एक विश्वास है और आस्था और विश्वास हृदय से पैदा होता है, वह दिल्ली से नहीं मिलते हैं, दिल्ली से समाजवाद की आस्था लेकर नहीं आते हैं। अलग-अलग रंग लेकर आस्था अपने दिल में पैदा होती है। इसलिए अगर कोई साधारण व्यक्ति इस विभाग का मंत्री होता, तो मेरे खयाल से शक का वातावरण कुछ कम होता। इस विभाग के जो मंत्री रहे हैं वे कुछ न कुछ प्रश्नवाचक छाप लेकर गए, निराधार आरोप लेकर गए, इसलिए बजट का प्रारम्भिक काल और यह गड़बड़ी जिसमें आप दोष से मुक्त हैं लेकिन दोष से मुक्त होने के लिए मेरा ख्याल है कि इन्क्वायरी करा डालिए, आपके हित में है। सी० बी० आई० वगैरह का झगड़ा नहीं। बम्बई में प्राइवेट एजेन्सीज खुल गई हैं जासूसी की, बहुत अच्छा इन्वेस्टीगेशन करती है, उससे करायें और नहीं तो आप ही माननीय सदस्यों में से, उधर बैठने वाले जो बोल नहीं सकते हैं, मेरा सद्भाग्य है कि मैं बोलने जैसा हो गया।

आपने कहा जनसंघ में मेरा पत्ता कटा। पत्ता कटा तो जनता ने पकड़ लिया, डोर हाथ में ले लो, हाथ में लेकर कहा चलो पढ़ो और साथ-साथ चलते रहें। मेरा पत्ता कटा? इसकी तारीफ करेंगे? 39 हजार मत लेकर आया, उसकी तारीफ करेंगे? जनमत में पत्ता नहीं कटता है। आप तो भुगत चुके हो 1967 में। मैं तो इधर आकर बैठ गया हूं······

**श्री चन्दनमल वैद** : आप तो पहले ही··

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं तो मुगल साम्राज्यवाद के खिलाफ बोला हूं। आप तो उनकी पीकदानों के पीलर्स थे····। माननीय सदस्यों ने कहा है आपका प्रारम्भिक काल है। इसकी इन्क्वायरी का प्रश्न लिया जाना चाहिए और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य जो इस प्रश्न पर बेचैन हैं वे सब सपोर्ट करते हैं।

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मोटिव्ज एट्रीब्यूट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। अगर दस साल की हिस्ट्री देखी जाए तो यह एस्टेबलिश्ड फैक्ट हो जाता है कि कुछ व्यक्तियों, कुछ परिवारों ने इस देशी शराब के ट्रेड और बिजनेस को मोनोपोलाइज कर दिया और उन्हीं के हाथों में है। राजस्थान सरकार की यह पोलिसी कि एक साल के लिए शराब बन्दी डेफर कर दी, इसलिए की है कि स्टेट की रेवेन्यू बढ़े, शराब ज्यादा

(श्री केदारनाथ)

बिके, पैसा ज्यादा आए इसलिए पहले ऑक्शन होता था, फिर इसको गारन्टी सिस्टम में बदला, फिर उसके बाद ऑफर सिस्टम और अब टेन्डर सिस्टम आया। सिस्टम को हम बदल रहे हैं। जिन परिवारों ने मोनोपोलाइज किया, जो वेस्टेड इन्टरेस्ट्स थे, उन्होंने सिस्टम को अपने फायदे में किया। हाइएस्ट टेन्डर्स 24 तारीख को खुल गए और 25 तारीख को डिस्पले हो गए। 5 दिन का समय डिपोजिट करने के लिए था। एक साधारण सवाल में आपसे पूछता हूं, अगर हाइएस्ट टेण्डर जिनके नाम का था, टोटल पैसा आजाता तो कितनी रेवेन्यू होती और सेकण्ड बिड में कितना अन्तर है, सरकार को इससे कितना नुकसान हुआ ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो करोड।

श्री केदारनाथ : हाइएस्ट किसके नाम था, सेकन्ड किसके नाम था, थर्ड किसके नाम था ? अगर स्क्रूटीनाइज करें और इन्डिपेन्डेन्ट जांच करायेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वही पार्टनर्स हैं जो हाइएस्ट, सेकन्ड और थर्ड बिड देते हैं। यह उनका मेनीपुलेशन है। इसलिए कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्वड हैं, मैं नहीं कह सकता। इतना ही नहीं 62 लाख के एरीयर्स, 23 लाख राईट ऑफ कर दिया, कुछ और रकम राईट ऑफ करने के लिए कागजात आपके पास हैं। इसलिए साधारण प्रेजम्पशन और मजबूत होता है कि कोई न कोई जो इसमें पार्टनर्स है, जिनकी मोनोपोली क्रीएट हो गई, उन्होंने यह सारा न्यूजेन्स क्रीएट किया। हमारे सामने पिक्चर तब साफ होगी जब बताया जाए कि 24 तारीख को किनके नाम से हाइएस्ट टेण्डर खोला गया, किनके नाम से डिस्पले किया गया, सेकण्ड नम्बर पर कौन आता है, डिफरेन्स क्या है, एक करोड़, दो करोड़ या 50 लाख, कितना है। अगर दो करोड़ के नजदीक है, अगर एक-दो करोड़ के बीच में भी है तो इसमें शक नहीं कि प्रेजम्पशन हमारे हक में जाता है। मैं आपकी भलाई के नाते कहता हूं कि इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दो। ताकि साफ हो जाए और मालूम पड़ जाए। 10 साल की मोनोपली ब्रेक करना चाहते हैं तो नए लाइसेन्सेज दिए जाएं, क्यों नहीं ऑक्शन करते। जो अंग्रेजी शराब है उसकी मोनोपोली क्यों नहीं ब्रेक करते कितनी रेवेन्यू आपके पास आयी है ? ड्यूल पॉलिसी क्यों है ? बाजार में आओ नये आदमी सामने आयेंगे। आप अपनी तस्वीर साफ करिये। इस सम्बन्ध में आपको एक इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करनी चाहिये।

श्री गफ्फार अली : मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर नहीं बोल सकते। जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं वे ही बोल सकते हैं।

श्री गफ्फार अली : इन्क्वायरी के लिये जो मांग रखी गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं। उनको भी चाहिये कि अपनी तस्वीर साफ करने के लिये इन्क्वायरी कमेटी बिठायें, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज की हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो तथ्य सदन के सामने उपस्थित हुए हैं यह कहा

# Page No 56



(श्री भानुकुमार शास्त्री)

जा सकता है कि यह बहुत बड़ा स्केन्डल है। वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस स्केन्डल को मिटाने के लिये और राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये और स्वयम् की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि एक इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करें।

**श्री झाबरमल** : दो मिनिट कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस पर डिबेट नहीं होगी। नियमों का पालन कीजिये।

**श्री झाबरमल** : एक मिनिट में ही निवेदन कर देना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनिट कह दीजिये।

**श्री झाबरमल** : यह स्केन्डल हुआ है इसमें जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात हुआ है। यह सेल्फ प्रूव्ड है। इसमें या तो सरकार मिली हुई है अन्यथा सरकार के कर्मचारी और वित्त मंत्रीजी इतने निकम्मे थे कि जिनकी आंखों के नीचे और नाक के नीचे इतना बड़ा स्केन्डल हो!

**श्री अध्यक्ष** : वित्त मंत्रीजी।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : एक सेकिन्ड लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : आप तो स्वयम् नियमों से वाकिफ हैं, मैं क्या कह सकता हूं। आपको ना भी नहीं कह सकता और हां भी नहीं कह सकता। जो बात अब आप पसन्द करें वह फरमावें।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की भावना है उसके समर्थन में इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी के लिये यह शोभाजनक होगा कि इस बारे में कोई न कोई निष्पक्ष रूप से इन्क्वायरी की जाय। खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि उनका यह प्रथम बजट है अभी वित्त मंत्री हुए हैं। पांच वर्ष उनको इस सदन में रहना है। उनके लिये यह शोभाजनक स्थिति होगी और सरकार के लिये भी होगी। इसके अन्दर क्या रहस्य है, अगर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है तो सामने आ जावेगा। अनियमिततायें हुई हैं, टेन्डर एक्सेप्ट नहीं किया। वित्त मंत्रीजी की बात को सुनना चाहेंगे। मैं माफी चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, दो तीन माननीय सदस्यों ने नियमों के खिलाफ खड़े होकर नियम की अवहेलना की, उनके साथ में भी नियम तोड़ने वालों में से हूं।

**श्री रामसिंह कुड़ी** : वित्त मंत्रीजी का हाथ नहीं तो कर्मचारियों का है।

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को एक विस्तृत रूप देकर एक केस बनाने की कोशिश की गयी और यह साबित करने की भी कोशिश की गई कि 27, 28 और 29 तारीख को जैसे सिनेमा के चल चित्र चल रहे हों और मावली से आने वाले माननीय सदस्य उन चल चित्रों को देख कर बयान कर रहे हैं, इस बारे में जो सारी स्थिति है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जिससे शंका और संदेह नहीं रह जाय, जो किसी कारण विशष से की गयी है और कौन लोग हैं जो सरकार ने नयी नीति बनायी है उसको फेल करना चाहते हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के द्वारा जो अपना मानसिक क्षोभ व्यक्त किया है उससे मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जब कभी भी किसी कार्यक्रम और नीति में कोई परिवर्तन होता है तो इससे काफी उत्सुकता पैदा हो जाती है तथा ऐसे परिवर्तनों के कारण होने वाली आलोचना प्राय: व्यक्तिगत आरोपों का रूप ले लेती है।

आरोपों का उत्तर देने से पूर्व इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को चालू वर्ष में देशी शराब की दुकानों के एक्साइज सेटलमेंट विषयक निति की विशेषताओं से अवगत कराना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, देशी शराब की बिक्री का ठेका 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। सामान्यत: आगामी वर्ष के लिये एक्साइज सेटलमेन्ट की नीति जनवरी के आस-पास निर्धारित की जाती है तथा निविदाओं, नीलामियों या अन्य तरीकों के जरिये वास्तविक सेटलमेन्ट फरवरी-मार्च में होता है जिससे नये ठेकेदारों को अप्रेल से काम शुरू करने के लिये काफी समय मिल जाता है। इस वर्ष इन तैयारियों में इस कारण कुछ विलम्ब हो गया कि सारा मामला सरकार की इस नीति से जुड़ा हुआ था कि मद्यनिषेध चालू रखा जाय अथवा नहीं। मद्य निषेध की प्रमुख नीति पर निर्णय करने का मामला नई सरकार पर छोड़ दिया गया था तथा 28 मार्च, 1972 को मद्यनिषेध पर सरकारी निर्णय की सूचना राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब के दौरान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन को दे दी गई थी। फिलहाल मद्यनिषेध का विस्तार न करने के निर्णय के साथ साथ सरकार ने आगामी वर्ष में देशी शराब की दुकानों के सेटलमेन्ट के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी निश्चित की थी। 1 अप्रेल को नया ठेका शुरू हो जाता है और हमारी नीति की घोषणा इस सदन में 28 मार्च को होती है यह माननीय सदस्यों के ध्यान में होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो प्रक्रिया निश्चित की जाती है वह केबिनेट में होती है, कोई मंत्री या वहां का विभाग नहीं करता है कि अगले साल के लिये यह प्रक्रिया अपनायी जायगी। यह वित्त मंत्री ने नहीं किया, सारे मंत्रिमंडल ने तय किया है।

**श्री गुमानमल लोढा** : सारा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है।

**श्री चन्दनमल बैद** : नई नीति की मुख्य विशेषतायें ये हैं। मुहरबन्द निविदा (टेण्डर) आमंत्रित करना समान्य तरीका रहेगा। गतवर्ष ओफर एन्ड एक्सेप्टेन्स की प्रणाली अपनाई गई थी और समान्य अनुभव यह था कि इससे अपेक्षित स्तर तक राजस्व प्राप्तियां नहीं हुई। ओफर और स्वीकृति का प्राथमिक तरीके के रूप में प्रयोग करते रहने का परिणाम यह होता कि आबकारी के क्षेत्र में उन्हीं मोनोपोलिस्टस के हाथ में सारा व्यापार आजाता। खुली नीलामी प्रणाली भी मोनोपोलिस्टस द्वारा बाधाओं में परिणित होती हुई पायी गई जिसमें कि संभावी प्रतिद्वन्दी बोली लगाने वालों को प्राय: मौजूदा मोनोपोलिस्टस द्वारा वंचित कर दिया जाता है। हमने यह सोचा कि ओफर और एक्सेप्टेन्स का

(श्री चन्दनमल बैद)

तरीका है उससे स्टेट में एक मोनोपोली सी बनी हुई है और नये लोग आते हैं वे उनको कवर करने की कोशिश करते हैं इसलिये टेन्डर मांग कर निर्णय किया जाय यह हमने तय किया। इसका परिणाम निर्बाध और उचित अवसर न मिलने देना तथा साथ ही साथ राजस्व में अधिकतम वसूली का प्राप्त न होना होगा। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मुहरबन्द निविदा की प्रणाली ही अत्यन्त व्यवहारिक एवं उचित प्रणाली है। यही प्रणाली 1964 और 1967 के मध्य भी अपनाई गई थी और उसके परिणाम संतोषप्रद रहे थे। मुहरबन्द टेन्डर आमंत्रित करके सेटलमेन्ट करने में काफी समय और श्रम लग जाता है। राज्यभर में कुल मिला कर छोटी बड़ी 1,738 दुकानें हैं जैसा कि मैंने पहले ही इंगित किया है कि आबकारी विषयक नीति का निर्णय नये वित्त वर्ष के प्रारम्भ से थोड़ा ही पहले लिया गया था। बहुत ही कम समय होने के कारण हमने यह महसूस किया कि इन सब दुकानों का प्राथमिक प्रणाली द्वारा सेटलमेन्ट व्यवहारिक नहीं होगा हमने यह भी देखा कि दुकानों का गत वर्ष के मूल्य के आधार पर वर्गीकरण करने से, थोड़ी सी लगभग 419 दुकानें, जो नगरीय क्षेत्रों की दुकानें थीं तथा वे दुकानें जिनका मूल्य रुपये 50,000) या उससे अधिक था कुल आबकारी-मूल्य का लगभग 75 पर्सेन्ट अर्जित करती थी। रुपये 50,000) से कम के मूल्य की दुकानें 1,319 थीं। इन दुकानों से वसूल होने वाला राजस्व, मुहरबन्द टेन्डरों के जरिये सेटल करने में लगे समय और श्रम जितना भी पर्याप्त नहीं समझा गया।

तदनुसार हमने यह निर्णय लिया कि नगरीय क्षेत्रों की सब दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों की वे दुकानें जिनका गतवर्षीय मूल्य रु० 50 हजार या अधिक है मुहरबन्द टेन्डर द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य दुकानें मौजूदा ठेकेदारों से ओफर और स्वीकार करने की प्रणाली द्वारा सेटल की जावें।

अध्यक्ष महोदय, 50 हजार की दुकानें चाहे नगर में हों या गांव में हों, उनके टेन्डर इन्वाइट किये जायं, पच्चास हजार से कम की दुकानें, जो केवल देहात में हैं उनको ओफर और एक्सेप्टेन्स के द्वारा, स्वीकार किया जाय। कम समय था। 18 मार्च को पोलिसी तय होती है। 1 अप्रेल से इसको लागू करना था। बहुत कम समय बचा था। सारी दुकानों का टेन्डर से तय करना सम्भव नहीं था इसलिये बड़ी 2 दुकानें, जिनका 75 पर्सेन्ट रेवेन्यू है, उनका तो टेन्डर से करेंगे और बाकी ओफर और एक्सेप्टेन्स से करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह भी निर्णय लिया गया कि ऊंचे मूल्य की दुकानों के लिये गत वर्ष प्राप्त कीमत से कम से कम 15 पर्सेन्ट अधिक लिया जाय। छोटी दुकानों के लिये हमने अनुभव किया कि गतवर्ष की प्राप्त कीमत पर दस प्रतिशत की वृद्धि उचित होगी। प्ररक्षित मूल्य (अपसेट प्राइसेज) नियत करने में अपनाई गई 15 परसेन्ट और 10 पर्सेन्ट वृद्धियां अब तक की अधिकतम राशि है। यह निर्णय लिया गया कि छोटी दुकानों के लिये मौजूदा ठेकेदारों का उपर्युक्त आधार पर ओफर देने पर सेटलमेन्ट पूरे वर्ष के लिये किया जाय। नगरीय तथा अन्य दुकानों के लिये जिनका मूल्य 50 हजार रुपये

(श्री चन्दनमल बैद)

और अधिक है, यह निर्णय लिया गया कि केवल अप्रेल के महीने के लिए मौजूदा ठेकेदारों को उनकी गत वर्ष के ठेके की रकम में 15 पर्सेन्ट वृद्धि करके, ठेके जारी रखने दिया जाय। ठेके के बाकी बचे समय अर्थात् 1 मई, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक के लिए यह निर्णय लिया गया कि ये दुकानें मुहरबन्द टेण्डर द्वारा सेटल की जावेगी। गत वर्षों में कभी कभी दुकानें समूहों के आधार पर सेटल की जाती थीं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी तरीका चलता था कि सारी दुकानों को कम्बाईन करके, ग्रुप बना कर किया जाय। इस प्रकार के ग्रुप से तो मोनोपोली बढ़ती है इसलिये यह तय किया गया कि इस मोनोपोली को तोड़ा जाय। इसका मैं इसके पश्चात आगे उल्लेख करूंगा परन्तु फिलहाल मैं यह भी कहूंगा कि दुकानें जो उक्त समूह में आती थीं उनको मुहरबन्द टेण्डर के लिए ले लिया गया (इस बात के होते हुए भी कि चाहे उनकी एक की कीमत रुपये 50,000 से अधिक थी या कम) यदि उनके समूह का मूल्य रु० 50,000 से अधिक हो। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि इसे विभेदकारी समझा जा सकता है। दो तरह की दुकानों के लिए दो भिन्न तरीके अपनाये गये इसके कारण मैंने पहले ही बतला दिये हैं। मैं निम्नलिखित कारण और बतलाता हूं। ग्राम क्षेत्रों में अधिकांश दुकानों पर बहुत कम टर्न ओवर होता है और रुढ़िगत स्थानीय अनुज्ञाधारी (लाइसेन्सी) उन्हें चलाते हैं। नगरीय क्षेत्र में दुकानों के सेटलमेन्ट के लिए उनकी कीमत का लिहाज किये बिना एक रूढ़ (यूनिफार्म) नीति रखना ही ठीक समझा गया क्यों कि यहां दुकानें एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित होती हैं यह ध्यान देने की बात है कि नगरीय क्षेत्रों में एक दुकान की कीमत दूसरी दुकान की कीमत पर प्रभाव डालती है। अतः आबकारी के सेटलमेन्ट के प्रयोजन के लिये दुकानों का वर्गीकरण युक्तियुक्त था और आबकारी के राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। यह राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अधीन अनुमत्र है। इसकी विधि विभाग ने भी परीक्षा कर ली है और उन्होंने राय दी है कि यह वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता है।

इससे पूर्व मैंने विगत वर्षों म समूह प्रणाली की ओर इशारा किया है। ग्रुप सिस्टम से सदा ही एकाधिकारवाद पनपता है। माननीय सदस्यगण यह मानें कि दुकानों के समूहों में मूल्य सदा ही ज्यादा होता है तथा संभावी बोली लगाने वाले जिनके पास एक या दो दुकानों के लिये समूहों में मूल्य सदा ही ज्यादा होता है तथा संभावी बोली लगाने वाले के पास एक या दो दुकानों के लिये बोली लगाने लायक साधन होते हैं। 10 दुकानों के ग्रुप में तिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा में कमी हो जाती है और कुछ मुट्ठी भर लोग ही जिनके पास काफी साधन होते हैं इन दुकानों के लिए प्रयत्न कर सकेंगे और चूंकि प्रतिस्पर्धा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो जाती है और वे रिंसिगग दी मार्केट के कारण अन्ततोगत्वा दुकानों के लिए उतनी ऊंची बोली नहीं लगा पाते जितनी अधिक प्रति

(श्री चन्दनमल वैद)

स्पर्धा के वातावरण में लग सकती है इस वास्ते तय किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेंडर दें और इसीलिये अरनेस्ट मनी कम की जिससे ज्यादा पैसे वाले न आवे। इन्हीं आधारों पर हमने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि सेटलमेन्ट प्रत्येक दुकान के लिये किया जायगा, न कि दुकानों के समूह के लिये। इससे यह परिलक्षित होगा कि हमने इन दुकानों के सेटलमेन्ट के अत्यन्त न्यायोचित तरीके अपनाये हैं जो उस प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर देगा जो कि प्रति स्पर्धा करना चाहे।

इन नवीन विशेषताओं से युक्त प्रणाली निसंदेह निहित स्वार्थों वाले बड़े बड़े ठेकेदारों के हितों पर विपरीत प्रभाव डालती है। यह स्वाभाविक ही है कि ये लोग इस नीति के ठीक से क्रियान्वयन म बाधा उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी एक बाधा मौजूदा आरोपों में उठायी गई है कि ये मिथ्या बातें हैं कि हमने जानबूझ कर अधिकतम टेन्डर देने वालों को पीछे रख कर उनकी तुलना में दो नम्बर के टेण्डर की दुकानों की व्यवस्था की जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में घाटा होगा। आरोप यह लगाया था कि पहले नम्बर वाले को छोड़ कर दूसरे नम्बर के लोगों को दिया गया। तारीखें दी हुई हैं उनको भी आगे बताना चाहूंगा।

टेण्डर प्रणाली में सरकार के लिये यह सामान्य क्रम हैं कि आरक्षित कीमत से उपर की रकम वाले टेण्डरदाताओं की शृंखला में उपर और नीचे आया जाया जाय। यह कोई विशिष्ट बात नहीं है तथा यह मान्य बात है कि यदि पहला टेन्डरदाता किसी कारण से टेण्डर की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो हम प्रक्रिया को नये सिरे से न दोहराकर उससे नीचे के टेण्डरदाता को मौका देते हैं। हताश ठेकेदारों ने यह संभवत: अनुभव किया कि हमने अधिक ऊंचे टेण्डर देकर वे योजना में स्थान बना सकते हैं तथा उसके पश्चात् उससे मुकर सकते हैं। उनको यह आशा थी कि जब वे आने में विफल होते तो सरकार दूसरे टेण्डरदाता के बजाय मौजूदा ठेकेदारों के साथ बातचीत करेगी। मुझे खेद है कि हमने ऐसे लोगों की आशाओं पर तषारापात कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, जब भी टेन्डर मंगाये जाते हैं, यदि एक नम्बर का टेण्डरार नहीं आवेगा तो दूसरे नम्बर का आवेगा और सब डिपार्टमेन्ट्स में पी० डब्ल्यू० डी०, वन आदि में यही प्रक्रिया अपनायी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 20 तारीख को एक आदमी ने हाइयेस्ट टेण्डर दिया 10 पर्सेन्ट जमा नहीं कराया और दुबारा टेण्डर देता है तो 1 महीने चला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं उनको एक महीने की और अवधि मिल जाती है। वे दो पर्सन्ट लेते जांय और स्टेट पर हावी होकर मोनोपोली बना कर बैठ जाय इसलिये इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर उनकी आशाओं पर तुषारापात किया गया है।

माननीय सदस्यों ने प्रथम निविदाकार को उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दी

# Page No 61



(श्री चन्दनमल बैद)

गयी पांच दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय निविदाकार को ढूंढने के अभिप्राय की हमारी घोषणा की आलोचना की है। इससे उनके अनुसार प्रथम निविदाकार को प्रथम निविदा की कार्यवाही न करने और द्वितीय निविदा को स्वीकृत किये जाने के अवसर की प्रतीक्षा करने का मौका मिलता है। इसके पीछे यह कल्पना है कि अधिकांश मामलों में प्रथम निविदाकार द्वितीय निविदाकार भी होता है। मैं केवल यही कहूंगा कि ये सब गलत धारणाओं पर आधारित हैं। प्रथमत: निविदाओं के बन्द होने की तारीख में पर्याप्त समय पूर्व ही ये अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि यदि प्रथम निविदाकार पांच दिनों में कार्यवाही करने में असफल रहता है तो आयुक्त क्रमश: द्वितीय निविदाकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। ये अनुदेश विधि विभाग से परामर्श करने के पश्चात् वित्त विभाग से 21 अप्रेल, 1972 को जारी किये गये थे। मैं इस पत्र के अध्यक्ष महोदय, सम्बद्ध उद्धरण भी पढूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चार्ज यह लगाया था कि 24 अप्रेल को शील बन्द टेण्डर की तारीख दी। सील बन्द टेण्डर आये। बोर्ड पर 25 अप्रेल को लगा दिये। सचिवालय में इस बात की अफवाह फैलाई गयी कि 27 तारीख को घोटाले हुए हैं और ठेकेदारों को मालूम था। 28 तारीख को आदेश दिया उसकी अनुपालन में 29 तारीख को कमिश्नर ने आदेश निकाला। 24 तारीख को टेण्डर मांगे। 21 तारीख को ही आदेश निकाल दिये गये, जारी कर दिये गये। प्रथम न आये तो दूसरे को दिया जाय। इसके माने यह ठेकेदार को 27 तारीख की बात मालूम थी तो 21 तारीख की भी होनी चाहिये। इस प्रकार के आदेश मेरे विभाग के थे न कि मेरे दस्तखतों से जारी हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस पत्र के अंश को पढ़कर सदन को सुनाऊंगा। फाइलें भी साथ लेकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर चाहें तो ये सारी फाइलें देख लें।

मैं कहना चाहूंगा कि निविदा लेन की लास्ट डेट 24 अप्रेल थी। यानि टण्डर देने वाले को मालूम था कि अगर हमारा टेण्डर एक्सेप्ट नहीं होगा तो सेकण्ड को चान्स मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी को स्थान नहीं था। पर चूंकि वे टेण्डरर यह चाहते थे कि हमारी पॉलिसी को फेल किया जाय ताकि हम दूसरा टेण्डर इन्वाइट करने के लिये मजबूर हों और इस तरह से जैसे अप्रेल में रिन्यू किये थे उनके ठेके उसी तरह से एक महीना और रेन्यूअल का लाभ उनको मिल जाय ताकि यह पीक सीजन होता है। इस पीक सीजन की बिक्री का लाभ उनको और मिल जाय। चाहे ऊंचा टेण्डर देने से दो परसेन्ट सरकार हजम कर ले।

इसके विपरीत हमारी यह मंशा थी और हमारा दृढ़ निश्चय था कि इस मोनोपोली ट्रेड को, जो चलता आ रहा है तोड़ा जाय ताकि इससे जो नाजायज फायदा उठाने की उनकी प्रवृत्ति हो गई है उसको निर्मूल कर दिया जाय। यह सब मावली से आने वाले माननीय सदस्य बखूबी जानते हैं क्योंकि

(श्री ब्रह्मपाल वैद)

वे स्वयं लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन मामलों को गहराई से उन्होंने देखा है।

फिर हमारा यह भी प्रयास था कि बड़ी दुकानों से पन्द्रह पर्सेन्ट अधिक लिया जाय और छोटों से दस पर्सेन्ट जिससे घाटे की हमारी व्यवस्था में कुछ मदद मिल सके।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं वह पत्र सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यह पत्र 11 अप्रेल का है।

I am further to say that tender forms and detailed description regarding tender notice etc. received with your letter No. F. 29 (A) (@) Gu/72/565, dated 14 April, 1972 have also been examined in consultation with the Law Department. According to paras 12 to 14 of the detailed description regarding tenders, a successful tenderer has to deposit the requisite security amount within five days of publication of the list of successful tenderers on the Notice Board.

If the successful tenderer fails to do so, acceptance of his tender is liable to be revoked and the earnest money deposited by him to be forfeited. If such a contingency arises, the next most acceptable eligible tenderer for this shop will have to be considered for the grant of licence. Even if he also goes back on the condition of tender, the most acceptable, eligible tenderer next to him will have to be considered and so on. It therefore, very necessary that in the notice of successful tenderers published on the Notice Board in accordance with para 12 above, it should be made clear that acceptance of the tender is provisional subject to his depositing the security amount within prescribed time in accordance with the condition of tender. In communication to him also, the fact that it is provisional subject to his payment of security within prescribed time should be specifically mentioned. Further, only when such provisional successful tenderer has deposited the security amount and fulfilled other formalities and has been given licence, rejection of other tenders may be communicated to the respective tenderers.

मैं माननीय सदस्यों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन हिदायतों में स्तर के नीचे की कोई बात नहीं थी और वे प्रक्रिया के पालन के रूप में दी गई थी जिन्हें किसी निविदा प्रणाली में सामान्यतः पंजीकृत किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि सेटलमेंट की प्रक्रिया सरलता से चलती रहे। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे अनुदेशों के

# Page No 63



(श्री चन्दनमल बैद)

जवाब में यह हो सकता है कि निविदाकार द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण लम्बे समय तक दुकानें बन्द रहें। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि नशाबन्दी और आबकारी नीति पर बहुत देरी से निर्णय लेने के कारण इस वर्ष हम समयाभाव में कार्य कर रहे थे।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जिसमें यह कहा गया है कि प्रथम निविदाकार ही प्राय: दूसरा निविदाकार भी होता है और इस प्रक्रिया से सरकार को उच्चतर मूल्य के स्थान पर निम्नतर मूल्य प्रस्तावित कर दिया जाता है। मैंने दिनांक 24-4-72 को खोली गई निविदाओं में प्राप्त बोलियों की पर्याप्त छानबीन की है। मुझे पता लगा कि भूले भटके केवल छ: मामलों में प्रथम निविदाकार ही द्वितीय निविदाकार था और यहां तक कि एक या दो मामलों में तो वह अकेला ही किसी निविदा को भरता है जबकि दूसरे में वह कुछ साझेदारों के साथ मिलकर ऐसा करता है। इन छ: मामलों में भी हम हिदायतें जारी कर रहे हैं कि यदि निविदाकार दुकानें चलाना चाहते हैं तो उनकी निम्नतर निविदाओं को स्वीकृति न देकर उच्चतर निविदाओं को ही स्वीकृति दी जा सकती है।

इन छ: भूले भटके मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में द्वितीय निविदाकार प्रथम निविदाकार नहीं हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें प्रथम निविदाकार और द्वितीय निविदाकार अलग अलग धर्मों के और अलग अलग स्थानों के हैं। इसके अतिरिक्त मैं इस तथ्य पर फिर जोर दूंगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की निविदा पर विचार नहीं कर रहे हैं जिसने प्ररक्षित मूल्य अर्थात् पिछले वर्ष में प्राप्त मूल्य के 115 प्रतिशत का प्रस्ताव नहीं किया है।

मैंने अपने भाषण के कुछ पूर्ववर्ती भागों में समय अवधि की बात कही है। प्रथम निविदाकारों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रेल थी जिन मामलों में उन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं किया उनमें हमको यह तय करना था कि पहली मई से दुकानों का सेटलमेंन्ट होने की तिथि तक दुकानें कैसे चलाई जावें। वर्तमान ठेकेदार, जो इस योजना को असफल करने की कोशिश में थे, इस आशा में थे कि उनके ठेके इस महीने के लिये भी बढ़ा दिये जावेंगे। मई का महीना शराब की बिक्री के दृष्टिकोण से अच्छा महीना है और यदि उक्त ठेकेदारों की अवधि में वृद्धि कर दी जाती तो नये आने वालों को पर्याप्त हानि होती। अत: हमने तय किया कि 30 अप्रेल से आगे वर्तमान ठेकेदारों का ठेका नहीं बढ़ाया जावेगा और ऐसे मामलों में जिनमें दुकान अभी तक भी निश्चित नहीं हुई है, दुकानें विभागीयतौर पर या गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जावेंगी। मैं अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सदन को सूचित करना चाहता हूं कि ऐसी दुकानों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और गंगानगर शुगर मिल्स ने जयपुर और जोधपुर में कुछ स्थानों पर दुकानें प्रारम्भ भी कर दी हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अब तक सरकार के शराब की दुकानों के उचित और न्यायसंगत प्रबन्ध के अभिप्राय से सन्तुष्ट हो गये होंगे। प्रथम निविदाकार द्वारा गफलत करने की दशा में द्वितीय और पश्चातवर्ती निविदाकारों को स्वीकार करने के हमारे निश्चय के पीछे यथा सम्भव अभिप्राय पर आरोप लगाने के स्थान पर प्रशंसा करेंगे कि यदि हम यही तय कर लेते कि केवल प्रथम निविदाकार ही दुकान चलाने का पात्र होगा तो हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाती। यदि ऐसा होता, तो चालाक टेण्डर देने वाले पहले तो अच्छा टेण्डर दे देते और फिर दुकान चलाने के लिए आते ही नहीं जिससे निविदाओं की प्रणाली बेकार सिद्ध हो जाती। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि ऐसा होता। मेरे इस कथन से सम्बन्धित सदस्यों को प्रसन्नता होगी कि इस प्रक्रिया में हमने उन बहुतसे निविदाकारों से अच्छी अतिरिक्त आय कर ली है जिनका, बयाना की रकम के रूप में प्ररक्षित मूल्य का दो प्रतिशत जब्त हो गया है। सरकार के लिए यह अनर्जित आय ही है।

मैं कुल पहलुओं पर एक बार और जोर देना चाहूंगा। इस वर्ष हमारा सम्बन्ध श्रेणियों 6 में पिछले वर्ष में प्राप्त करने की तुलना में 115 परसेन्ट और 110 पर्सेन्ट आबकारी राजस्व वसूली करने का प्रयास होगा। इस भविष्य के लिए उन बोली लगाने वालों की ब्लेक लिस्ट करेंगे जिन्होंने मुहरबन्द निविदाएं भरी किन्तु बुलाये जाने पर दुकानें लेने नहीं आये। हमने उन लोगों की चुनौती स्वीकार करने का भी निश्चय किया है जो हमारी नई आबकारी नीति में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। यदि परिस्थितियों के कारण आवश्यक हुआ तो हम इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे और दुकानों को या तो स्वयं चलाएंगे या हमारी पब्लिक सेक्टर संस्था गंगानगर शुगर मिल्स के मार्फत दुकानें चलाई जावेंगी।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात से तो इन्कार नहीं किया कि पहले टेण्डर के स्थान पर दूसरे टेन्डर को तरजीह देने में राजस्थान सरकार के राजकोष में दो करोड़ का नुकसान हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जोधपुर नगर में 48 लाख की आय हुई थी। एक करोड़ की ड्यूटी दी गई। पर इस बार 34 लाख के कम टेण्डर की तरजीह देकर मन्जूर कर दिया।

इसी प्रकार बीकानेर, कोटा, अलवर, उदयपुर तथा गंगानगर में किया गया है और रकम को जान बूझकर छुपाया गया है। रकम कितनी कितनी थी यह नहीं बताया गया है। इससे कुल मिलाकर राजस्थान के कोष में दो करोड़ का नुकसान हुआ है।

टेण्डरों के नियम बनाये गये हैं। इनमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यदि पहला नहीं लिया जावेगा तो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रातों रात दूसरे नम्बर को ले लिया जायेगा और उनको मन्जूरी दे दी जावेगी।

इस सारे मामले में दो करोड़ का घोटाला बहुत साफ है और अब जब वे जांच नहीं करा रहे हैं तो इससे उन पर यह आरोप स्वयं सिद्ध है कि वे ठेकेदारों को, मोनोपोलिस्टों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यह मिनिस्टर की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस घाटे को बचाते जिसका बोझा राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ने वाला है। मन्त्री महोदय स्वयं इसमें सम्मिलित हैं, हैण्ड इन ग्लोव हैं। जांच न कराने से यह और भी स्पष्ट है। यह घोटाला जो जिस तरह से किया गया है उसकी निश्चित रूप से जांच कराई जानी चाहिये। मैंने शपथपत्र प्रस्तुत किया था।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो सैकण्ड स्पीच शुरू हो गई।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ का नुकसान देना यह राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात है। पहले सरकार की पॉलिसी और थी, बाद में उसे बदला गया। अब और बदल दिया गया है। जो आता है नया वह अपने अपने ढंग से सरकारी कोष पर डाका डालता है। यह जनता के साथ और राजस्थान सरकार के कोष के साथ सरासर धोखा है। सरकार स्वयं चलावे इसमें मुझे ऐतराज नहीं। वे चाहते हैं तो सरकार की ओर से चलायें, दुकानों का इसमें प्रावधान है। कमीशन के बेसिस पर राज्य सरकार चला सकती है। इसको क्यों नहीं चलाया, किन्तु राजस्थान सरकार ने मोनोपोलिस्ट को दे दिया। मोनोपोलिस्ट नं० 1, मोनोपोलिस्ट नं० 2 और मोनोपोलिस्ट नं० 3 को दे दिया। ये मोनोपोलिस्ट किस प्रकार ग्रुप बनाकर आते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

वित्त मंत्री के यहां यह घोटाला हुआ है। इस घोटाले को छिपाना चाहते हो, इस घोटाले को पनाह देना चाहते हैं। इसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार। जांच कराना चाहिये, जांच कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है और आपत्ति करते हैं तो समझिये इनका चोली दामन का साथ है। घोटाले में इनको पूरी साजिश है।

**श्री केदारनाथ** : जो आपने 21 तारीख को लेटर दिया है अगर 30 तारीख तक वेट कर लेते तो क्या फर्क पड़ता।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : इसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

**श्री चन्दनमल वैद** : 21 तारीख को लेटर दिया है। (पत्रावली सदन को दिखाते हुये) यह फाइल मौजूद है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप प्रेमालाप करते रहे होंगे। यह कोई जवाब नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : एक साथ नहीं, एक एक माननीय सदस्य बोलें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं...

(पुन: कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये)

**श्री अध्यक्ष** : आप (श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा) बोलिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** : आपको यह जानकारी थी कि बेनामी लोग यहां काम कर रहे हैं और बेनामी तरीके से ठेके लिये जा रहे हैं उसी वक्त एक करोड़ के लिये जो थी उसमें एक लाख की सिक्योरिटी जमा करा दी। यह कोई आज तो नया घोटाला नहीं हुआ, सदा से चलता आ रहा है। आपने उसको सारे को क्यों केन्सिल कर दिया। जब यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक ही आदमी ने दो टैन्डर देकर राज्य सरकार को धोखा दिया है तो फिर आपको सारी चीज को सेट असाइड करके करना चाहिये था।

(कई माननीय सदस्यों के पुन: खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : मैं एक मिनिट का समय लेना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान Rule 131 of our Rules of Procedure and Conduct of Business की ओर दिलाना चाहता हूं।

"131. Calling attention to matters of urgent public importance.—(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made."

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हम डिबेट करना नहीं चाहते हैं। जो कागज नहीं दिखा रहे हैं, उसकी बाबत कह रहे हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में जाकर वे कागज दिखा दें।

**श्री खेतसिंह** : आप मेजोरिटी में आये तब देखना कागज तो।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : दल बदल कर आये। पैसे लेकर दल बदल किया है इनको शर्म नहीं आती है ......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री खेतसिंह**
**श्री गुमानमल लोढ़ा**
**श्री चन्दनमल बैद**
} : एक साथ बोलते रहे।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : सदन के अन्दर एक भी सदस्य अगर विरोधी पक्ष का हो तो वह भी सदन का सम्माननीय सदस्य है और उतने ही अधिकार रखता है......

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** : आउट मत होइये।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : हम इस जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : दो करोड़ का घोटाला है शर्म तक नहीं आये। जांच तक नहीं कर सकती है राज्य सरकार।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जांच तो दूर रही, कागज तक नहीं दिखा सकते हैं।

**अनुदान की मांगें--मांग संख्या 34, 1 व 37 का प्रस्तुतीकरण**

**श्री अध्यक्ष** : वन मन्त्रीजी।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,87,99,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष** : मांग प्रस्तुत हुई। राजस्व मन्त्रीजी।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,61,58,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष** : मांग प्रस्तुत हुई। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

**एक माननीय सदस्य** : एक मांग और रह गई है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : दो करोड़ के घोटाले की रह गई है।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति-पूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,00,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**मांग सं० 34, 1 एवं 37 पर कटौती प्रस्ताव**

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : 1. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की वन संरक्षण की कार्य पद्धति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर में वन विभाग द्वारा किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत इस मांग को घटा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर 1 रुपया कर दिया जाय (भूराजस्व के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) :

4. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़रा रोड (शिव तहसील) के वन में से सतो (जैसलमेर जिला) एरिड जोन में देताणी (हरलोणी) से करीमे का पार, बांडासर, उनहाड़ा, उतरला, पेनला, बावड़ी जाने के लिये कोई मार्ग वन विभाग द्वारा नहीं छोड़न से सम्बन्धित ग्रामों की जनता म घोर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़रा रोड (शिव तहसील) से सतो (जैसलमेर) एरिड जोन में लाखों रुपये व्यय करने के उपरांत भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेईमानी बरतने के कारण उचित फल न निकलने के विषय पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70- वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [शिव तहसील (बाड़मेर जिला) के हरसाणी ग्राम में पालन के नाम से ओरण या ओण के जंगल को वन विभाग द्वारा जंगलात के कार्य में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

7. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में से वन, मुरट और बेकर घास वन विभाग द्वारा इकट्ठा कर शिव तहसील के कुछ ग्रामों में फीडर बैंक की स्थापना करने में हुए घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राज्य द्वारा गढ़रा-रोड से सतो, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित वन की वन विभाग द्वारा ठीक व्यवस्था न करने से जंगलात का कोई विकास नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये )।

9. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में वनों के विकास के लिये केन्द्रीय योजना से प्राप्त राशि द्वारा जो जंगलात के कार्य वन विभाग द्वारा हाथ में लिये जाते हैं उनमें जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया जाता है और उनकी अवहेलना की जाती है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं पैदा होने के विषय म चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़रा रोड (शिव तहसील) से सतो (जैसलमेर) एरिड जोन के जंगलात के सुधार के लिये सुझाव देने पर चर्चा के लिये]।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

11. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू० सीलिंग के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के स्थानान्तरण अपने जिले से दूसरे जिलों म विशेष परिस्थितियों में करन के बारे म चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही में बड़ी देरी करने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समुचित ग्रामीण विकास एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था हेतु पटवारियों को पंचायतों के अधीनस्थ सेवा में रखने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में भूमि के म्यूटेशन्स शीघ्र करने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर जमीन, नाडी, तालाबों की आगोर की भूमि की सुरक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषकों को उचित भूमि आवंटन न करने एवं उसका कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के लागू करने पर चर्चा के लिय)।

श्री मोहनराज (बाली):

19. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के रहवास व कृषि हेतु वन-क्षेत्र से भूमि न देने पर एवं पुराने कब्जों में दखल देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये सरक्यूलर्स से लाभान्वित होने का हक होते हुए भी पुराने फैसलशुदा अतिक्रमणियों के मुकदमों में लगाये गये जुर्मानों की वसूली पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के भू० पू० महाराजा की बाली स्थित 7000 बीघा भूमि जो सदियों से गोचर के काम में लाई जा रही है उसे गोचर घोषित करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये

(श्री मोहनराज)

कम कर दिये जाय (समुचित ग्रामीण विकास एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था हेतु पटवारियों को पंचायतों के अधीनस्थ एवं तहसीलदारों को पंचायत समितियों के अधीनस्थ सेवा में रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

23. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जिला झालावाड़ में जलाउ लकड़ी व किसानों के काम आने वाली लकड़ी न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में रेंज अकलेरा-असनावर मकानी के तेंदू के पत्तों के 72-73 के ठेके न देकर, किसी एक ही सहकारी समिति, कोटा को देने पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-खंड रानादेवी रेंज असनावर, जिला झालावाड़ में सन् 70-71 में सागवान के डोडों का ठेका देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में वन विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ म मालाटोंटा, मेवनिया धानोदर, नीलवा-थानोदी व केरासी की जंगल की भूमि राजस्व विभाग को दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ के किसानों की जमीनों का नियमन न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

29. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर के भवातडा सरकारी जोड़ की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में नेपड़ क्षेत्र में पड़त खार जमीन को उपयोगी बनाने पर चर्चा के लिय)।

31. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सरकारी जोड़ों एवं बीड़ों में घास इकट्ठा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वन विभाग द्वारा गोचर सुधार कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

विकास की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा बीड़ों की तारबंदी करने एवं अन्य सिवाय चक की तारबंदी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में काश्तकारों के रिहायसी मकान, लाटि एवं बाड़ों के नाजायज कब्जों के मामलों की चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में नाजायज कब्जों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में तहसील सांचोर में भूमि के म्यूटेशन्स शीघ्र करने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पटवारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि की सनदें एवं कब्जा दिलाने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर जमीन, नाडी, तालाबों की आगोर की भूमि की सुरक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मुंजासर, त० फलोदी, जिला जोधपुर में गांव की सरहद में सार्वजनिक पीच के कुओं के आस पास आबादी भूमि छोड़ने एवं कुएं पर आने जाने के लिये आम रास्ते छोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को निजी रिहायसी मकानों के लिए अपनी खातेदारी की भूमि पर पक्की ईंटों के बनाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (त० सांचोर में से भूराजस्व कानून की धारा 91 के अंतर्गत मुकदमात की संख्या कम करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व कानून एवं नियमों के अंतर्गत गैर खातेदारों को खातेदारी के हक दिलाने में जिला शासन की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

45. मांग संख्या 37, मुख्यशीर्षक-92-भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व छोटे जागीरदारों के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं उनके बकाया मुआवजों के भुगतान पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे भूमिधारकों के बकाया मुआवजों की अदायगी के बारे में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमि धारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूराचंद ग्राम, तहसील सांचोर की जागीर के मुआवजे का ब्याज का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) :

48. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य के वन-खण्डों तथा वन्य जन्तुओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के बारे में नीति का अननुमोदन।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) :

49. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बहुत बड़े बड़े बीड़ का वन विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने से बर्बाद हो जाने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की दरें एक समान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) :

51. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनप्राणियों के विहारों में अनआथोराइज्ड शिकार खेले जाने से वनप्राणियों की संख्या में दिन प्रतिदिन भारी कमी आ रही है उस पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की वन-सम्पदा दिनों दिन नष्ट होती जा रही है उस पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा राज्य में चराई की असमान दरों पर वसूली की जा रही है जबकि सारे प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, उस पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली तहसील, जिला टोंक में काश्तकारों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री राजेन्द्रसिंह)

कम कर दिया जाय ( उनियारा तहसील का मुख्यालय जो अलीगढ में स्थित है, उसे उनियारा खास में रखा जावे, उस पर चर्चा के लिये ) ।

56. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( टोंक जिले में धारा 91 के अंतर्गत जो कार्यवाही हो रही है -जिसमें काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है उस पर चर्चा के लिये )।

57. मांग संख्या, 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी जोतों पर से भू-राजस्व माफ न करने पर चर्चा के लिये ) ।

58. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( भूतपूर्व जागीरदारों को जो ब्याज देना था तथा जिसका निर्णय राजस्व मण्डल द्वारा भी दिया जा चुका है किन्तु सरकार देना नहीं चाहती है उस पर चर्चा के लिये ) ।

59 मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( भूतपूर्व जागीरदारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है जैसे कि भूतपूर्व सवडेका के जागीरदार को अभी तक कुछ भी पैसा नहीं दिया है, उस पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) :

60. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जोधपुर नगर में उम्मेद पब्लिक पार्क के चिड़ियाघर के सुधार पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री चिमनसिंह भाटी** ( भीम ) :

61. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर वन मण्डल में वनों की कटाई व संरक्षण के औचित्य पर चर्चा के लिये ) ।

62. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग से में 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिला अजमेर व जिला उदयपुर की क्रमशः भीम व देवगढ तहसीलों में बढाकर लिये गये भू-राजस्व पर चर्चा के लिये ) ।

63. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप देय क्षतिपूर्ति के भुगतान प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये) ।

**श्री गुमानमल लोढा** (जोधपुर) :

64. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर जिले में वन विभाग द्वारा जगह जगह चारागाहों की जमीन घेरने पर चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू पर्वत की वन सम्पदा नष्ट हो रही है तथा इस संबंध में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ) ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

66. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की जबरन वसूली से काश्तकारों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मालाराम (नीम का थाना):

68. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं के वनों में चरने पर उत्पन्न रुकावटों के संबंध में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नीम का थाना में जमीन के एलॉटमेंट में हुई धांधली पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा):

70. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों को नष्ट होने से रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व का rationalisation करने के लिये क्योंकि अभी भी बारानी भूमि पर नहरी व नहरी पर बारानी लगान की दरें निर्धारित हैं इस पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

72. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के वन बंदोबस्त के अन्दर से काबिल काश्त भूमि निकालने पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में भूमि का पुनः सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में कई काश्तकारों के भूमि पर पुराने कब्जे नियमित नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने व जर्माना करने पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के काश्तकारों पर पैनल्टी माफ कराने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

77. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री शंकरलाल)

कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गुढ़ा एन्दला ग्रास फार्म पर चराई में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

78. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिर पर लकड़ी की भारी लाने वाले व बैलगाड़ी में अपने जमीन की लकड़ी लाने वालों से टैक्स व जुर्माने की वसूली की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू इन्सपेक्टर का पद समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-पालकों को भी भूमि आवंटन करने पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन और अनाधिकृत कब्जों को नियमन करने पर चर्चा के लिए)।

श्री रावतराम (छापर) :

82. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर व राजलदेसर तथा चूरू में वन विभाग की जमीनों के उचित संरक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिहायसी मकान, कुओं, कुंड आदि बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि बनाने के सम्बन्ध में काश्तकारों को सहूलियत देने के बारे में चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आरजी काश्त जमीनों पर नाजायज कब्जों के बारे में चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सुजानगढ़ एवं रतनगढ़ जिला चूरू में सेटलमेन्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

86 मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्र में रहने वाली जनता को लकड़ी, घास आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्रों में सुरम्य स्थानों पर डाक बंगले बनाये जाने पर चर्चा के लिए)।

83 मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अगम्य वन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

Page No 76



(श्री हरिकिशन)

89. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा काबिल काश्त भूमि खेती के लिए, जो वन क्षेत्र में है, अविलम्ब भूमिहीनों को दिए जाने की चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मे ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों ने सिवाय चक व गोचर भूमि में मकान बनाये हैं उस भूमि को आबादी के नियमन करने व पेनल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा करने के लिए)।

91. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को जो पास बुक भूमि की जारी की है उन्हें ऋणदायी संस्था व बैंकों द्वारा मान्यता दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों ने जो अतिक्रमण से भूमि काश्त की है चाहे वह सिवाय चक हो या गोचर उसे नियमन करने व पेनल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सरकार द्वारा किस्मवार जमीन का भूमि लगान समान दर पर कायम करने पर चर्चा के लिए)।

श्री भरतलाल (बामनवास) :

94. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में डी. एफ. ओ. हैड क्वार्टर की स्थापना हेतु चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदार बौंली–बामनवास, सवाई माधोपुर द्वारा किसानों को नाजायज परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

96. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अंतगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा के कृषकों को कृषि के औजार बनाने के लिये वन से लकड़ी दिलाने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवराय-पाटन जिला बून्दी में कई वर्षों से बन्द क्लोजरों को खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के वनों की कृषि योग्य भूमि को रेवेन्यू में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को

(श्री नन्दलाल बंरवा)

आवंटित की हुई भूमि पर समय पर कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को पास-बुक वितरण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में फसल के समय वसूली न की जाकर समय निकलने पर वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में नामान्तरण के मामलों को नहीं निबटाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

103. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में निरन्तर वनों के ह्रास को राज्य सरकार रोकने में असमर्थ है इस संबंधी चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वनों के विभिन्न कीमती उत्पादनों का वर्किंग और बेचान राज्य सरकार के हाथ में न लेने के संबंध में चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा के गांव थोब में नियुक्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा ग्राम सिमरखिया और मोहनपुरा के काश्तकारों से राजस्व वसूली करते समय किये गये दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा में पटवारियों द्वारा भू-राजस्व वसूली में काश्तकारों के साथ ज्यादती की जा रही है इस संबंधी चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को बाड़मेर जिले में पास-बुके न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न गांवों में भूमि के नामान्तरकरण का काम भारी संख्या में पेंडिंग है इस संबंधी चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा काश्तकारों से भू-राजस्व की रकम वसूल की गई जो सरकार द्वारा जागीरदारों के मुआवजे से वसूल की जानी चाहिये थी इस पर चर्चा के लिये)।

**श्री भैरूलाल (अकलेरा) :**

110. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [अकलेरा मनोहर रेंज में घुवांली (कन्दी की झाड़) के खेत को इजरा नहीं करके केवल झाड़बेर घटनोर के खेत ही काश्तकारान को बाढ़ के लिये दिये जाने पर चर्चा के लिये] ।

111. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा में ग्राम रूपपुरा, उदयपुर, मंजरा आमेटा, मंडेरी, सिवानियां खुर्द की काबिल काश्त भूमि जो वन विभाग के अधीन है, को राजस्व विभाग में भूमिहीनों को अलॉट करने हेतु रिलीज कराने पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा में 796 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बिन काश्त होते हुए भी सरकारी कागजात में नाकाबिल काश्त दर्ज हो जाने के परिवर्तन पर चर्चा के लिये) ।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :**

113. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैंसलानी तथा मादवा पंचायत के फोरेस्ट लैण्ड को सवाई चक में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये) ।

114. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय [Rationalisation (समानीकरण) of Land Revenue के बारे में नीति का अननुमोदन] ।

**श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):**

115. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की समान दरें कायम करने पर चर्चा के लिये)।

**श्री भीमसेन (लूणकरणसर):**

116. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी सिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल):**

117. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जंगलों के ठेके दिये जाने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

118. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूराजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय में मितव्ययता लाने पर चर्चा के लिये) ।

119. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हुंडियों के द्वारा क्षति-पूर्ति भुगतान किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

**श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) :**

120. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-

(श्रीमती भगवती देवी)

भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में चल रहे तरमीम के कार्य की खामियों पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में भू-राजस्व की वसूली में असमानता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति को उचित भूमि आवंटन न करने एवं उसका कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

123. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक ठेका सहकारी समितियों के बारे में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों की अलाभकर जोत पर भू-राजस्व लेने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में भू-राजस्व की वसूली एवं भू-आंवटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार ट्रेनिंग स्कूल्स में आदिवासियों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):

128. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा गंगानगर जिले में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील गंगानगर, करनपुर, पदमपुर जिला गंगानगर में भूमि के इन्तकालों की तसदीक समय पर न होने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील द्वारा रजिस्ट्रियों का गोशवारा न मंगवाये जाने के कारण भूमि के इन्तकालों पर चर्चा के लिये)

131 मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के किसानों से अधिक रकम आरजी-काश्त के रूप में वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

आरजी-काश्त की रकम पर सरकार सख्ती से वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर में तहसीलदार द्वारा बिना प्रमाण के भूमि के नाजायज आवंटित करने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के नाजायज अलॉटमेंट पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर):

135. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर-सलुम्बर वाया बम्बोरा एवं कुराबड जगत गीगला रोड़ पर सड़क में जमीन गई उसका लगान माफ न करने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के निर्णयानुसार उदयपुर जिले में सन् 66 के पश्चात के पैनल्टी प्रीमियम को लगान में शामिल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में 1 जनवरी, 1971 के पूर्व के नाजायज कब्जे कृषकों के खाते नहीं किये इस पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक):

138. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की पैनल्टी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

139. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 31 के तहत हरिजनों तथा अन्य गरीब लोगों के लिए आवास के लिए जमीन अलॉट न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर और भरतपुर जिलों में निष्क्रमणार्थी भूमि के पट्टेदारों से पुरुषार्थी अलॉटियों के बराबर जमीन की कीमत लिए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में बड़ोद रूट की 1,200 बीघा भूमि रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित होने के बावजूद अलॉट न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में चेपा से सरसों की फसल बरबाद होने और सर्दी से चणा बरबाद होने के कारण राजस्व विभाग की वसूलियां रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पटवारी, तहसीलदार को ग्राम पंचायत,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पंचायत समिति और जिला परिषद् से इन्टीग्रेड करने पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में गेम्स सेंचुरी सिरसका के एरिया में सिवायचक जमीन के अलॉटमेंट पर अस्थाई रूप से लगी हुई पाबंदी को हटाने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर-भरतपुर जिले में निष्क्रमणार्थी भूमि के पट्टेदारों को जो सं० 2003 या उससे पूर्व के काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने के सरकारी आश्वासन पर अमल कराने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में माधोगढ़, खुशालगढ़, इन्दोरम, कास्का, सूरोला आदि ग्रामों पर अनुचित रूप से लगाई पेनल्टी के संबंध में चर्चा के लिये)

147. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कानून लागू करने में हिचकिचाहट पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजाओं की कृषि भूमि को राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कब्जे में लेने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की लगान प्रणाली में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर सीलिंग कम करने के 29-4-72 के मंत्रिमंडल के निर्णय के संबंध में चर्चा के लिये)।

**श्री गोरधनसिंह** (सीकर):

151. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पड़त जमीनें जहां जंगलात के लिये लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं उनकी प्रगति की जाने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जो भूमि जंगलात के लिए उपयोगप्रद नहीं है उस जमीन को भूमिहीनों को अलॉट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नामान्तरण समय पर नहीं होने व ग्राम पंचायतों द्वारा तसदीक नहीं होने के कारण् निर्धारित समय के पश्चात तहसील में अंतिम कार्यवाही नहीं होती है इस पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100

**(श्री गोरधनसिंह)**
रुपया कम कर दिया जाय (सीकर तहसील में पास-बुकें समस्त काश्तकारों को नहीं दी गई हैं इस पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सीकर में भू-राजस्व के तहत तकावियों की एकदम वसूली से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सीकर में नाजायज कब्जों को नियमानुसार नियमित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**अनुदान की मांगें**

**मांग संख्या 34, 1 व 37 पर विचार एवं पारण**

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगें, वन और भू-राजस्व पर मेरे कटौती प्रस्ताव...... --

**1.38 म० प०**

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रस्तुत किये हैं वन विभाग पर 7 कटौती प्रस्ताव और भू-राजस्व पर 6 कटौती प्रस्ताव। इस तरह कुल 13 कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं इसके बारे में अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहले मैंने जो कटौती प्रस्ताव वन के विषय में रखे हैं उनके बारे में मेरे विचार रखना चाहूंगा। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सोर्स से रेगिस्तान को हटाने के लिये मरुस्थल के विकास के लिये बाड़मेर जिले में 71-72 में 33 लाख की व्यवस्था की है और 33 लाख में से 30 लाख व्यय किये। यह जो योजना चलाई जा रही है वड़ी सराहनीय योजना है। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ उगाये जा रहे है और बहुत सी जगह नर्सरीज भी कायम की जा रही है; गोचर की भी उन्नति की जा रही है, परन्तु कुछ बातें जिनकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं और जनता की जो कुछ तकलीफें हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले मैं गडरा रोड से सत्तों के बारे में कहूंगा जो पहले सेन्ट्रल ऐरियड जोन था और राज्य सरकार की योजना में है। यह 15 साल से वन की योजना चल रही है। वन के विकास की ओर जो प्रगति होनी चाहिये वह प्रगति इस वन की नहीं हुई है। इसके जो उद्देश्य थे, बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य थे क्योंकि जहां रेगिस्तान था और वह खास तौर से थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है और उस हिस्से में अगर दरख्त उगायें, घास उगायें तो यह क्षेत्र विकसित भी होता है और साथ ही साथ उस रेगिस्तान में जो आगे बढ़ोतरी हो रही है जयपुर से आगरा तक भी बढ़ रहा है इसका फैलाव भी घटता है। तो इसके लिए जो प्रयास किया गया है पहले एयर सोइंग हुआ उसके भी परिणाम नहीं निकले और जो दरख्त इस क्षेत्र में हैं अभी तक इन दरख्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि दरख्त और भी काटे जा रहे हैं। वे किस प्रकार काटे जाते है? जिन गार्ड्स की ड्यूटीज होती हैं वे कभी दूध लेकर तो कभी घी लेकर किसान को अलाऊ कर देते हैं और दरख्त और घास काट ली जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो भी उन्नति होनी चाहिए वह उन्नति और विकास नहीं हो रहा है। जो यह एरिया है उसकी लम्बाई 40 मील है और चौड़ाई 30 मील है। इसका मतलब 1,200 स्क्वायर मील का क्षेत्र है इस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

क्षेत्र में अगर विकास किया जाये और राज्य सरकार ध्यान दे तो इस क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास हो सकता है। वहां खेजड़ी के दरख्त भी हैं, घूमट के दरख्त भी हैं और कैर के दरख्त भी हैं और भी दूसरे पेड़ विकसित हो सकते हैं लेकिन जो प्रयास किये जा रहे हैं और जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं। वे अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं होने के कारण इस कार्य में जो लाखों रुपये लगते हैं और 15 वर्ष से लगातार रुपया लग रहा है इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे खुद मौके पर देखें और इसका जो भी विकास हो सके इसका विकास करें ताकि 1200 स्क्वायर मील का एरिया विकसित होता है तो रेगिस्तान के क्षेत्र में भी उन्नति होती है और डेजर्ट का फैलाव भी रुकता है। इस क्षेत्र में ट्यूब वैल खुदे हैं और पानी के द्वारा दरख्त उगाने का कार्य किया जा सकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में रास्तों के बारे में बड़ी कठिनाई आ रही है। नेजानी से करीमीकापार का सीधा रास्ता जाता है और यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चार मील का रास्ता है परन्तु जंगलात में तालाबन्दी होने के कारण जेतनी से करीमी-कापार वाया सनगासर 9 मील का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इसके अन्दर अगर वन विभाग रास्ते की व्यवस्था कर दे तो यह जो जेतनी, करीमीकापार आदि गांव हैं इनका पांच मील का ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है इससे वे लाभ उठा सकते हैं।

तीसरे उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो ओरड़ है इनके बारे में भी सुना है कि जंगलात विभाग अपने हाथ में लेने जा रहा है। मुझे सूचना मिली है कि मालन की ओरड़ की सर्वे की जा चुकी है और इस ओरड़ को भी वन विभाग अपने हाथ में ले रहा है। मेरा यह मत है कि ओरड़ को अपने आप ही जनता सुरक्षा करती है। ओरड़ की रिलीजियस सेंक्टिटी है और उसमें कोई दरख्त काटे तो उसको जनता कभी पसन्द नहीं करती, उसको बिलकुल घृणा की दृष्टि से देखती है और कोई काट लेता है तो ओरड़ की जनता अपने आप ही सुरक्षा करती है। इसको और जंगलात के अण्डर में लिया तो जंगलात विभाग की जैसी व्यवस्था है पहले भी जैसा मैंने सेन्ट्रल एरिड रिसर्च जोन के बारे में कहा, अगर ओरड़ को भी जंगलात के अण्डर में लिया तो इसकी जो सुरक्षा पब्लिक कर रही है और उसकी रिलीजियस सेंक्टिटी है वह भी खत्म हो जायेगी और उसका लाभ भी नहीं उठा सकेंगे। ओरड़ और आगोर के पास तालाब भी आये हुए होते हैं और इन तालाबों की भी सुरक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ओरड़ों में किसी प्रकार से भी जंगलात कायम नहीं किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पाया है कि यह जंगलात विभाग जो कार्य कर रहा है वह जनता को कॉन्फीडेन्स में नहीं लेता। कभी भी एम०, एल० ए० या लोकल रिप्रेजेन्टेटिव की अलग से मीटिंग नहीं बुलाई जाती। क्या क्या योजनायें हैं और उन स्कीम्स को उनके सामने उनको कॉन्फीडेन्स में लेकर स्वीकृत नहीं कराते हैं, प्रस्तावित नहीं कराते हैं। तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है क्षेत्र की उन्नति के लिए और रेगिस्तान को हटाने के लिए इसमें जो एम० एल० ए० या प्रधान हैं या जनता के प्रतिनिधि हैं इनको भी कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए । जो स्कीम्स बनायी जा रही हैं इनको कार्यान्वित की जानी चाहिए ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं भू-राजस्व के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं । भू-राजस्व के बारे में सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं । सीलिंग के बारे में मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा चुनाव घोषणापत्र है उसमें स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी गयी है और उस नीति के अन्दर स्पष्ट कहा गया है कि 'जहां परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक है–पांच से अधिक व्यक्तियों को अतिरिक्त भूमि इस तरह रखने दी जायेगी ताकि एक परिवार के लिए निर्धारित सीमा से उस परिवार को प्राप्त होने वाली जमीन दुगुनी से अधिक न हो । ' बारहमासी सिंचित भूमि अथवा दो फसल उगाने वाली सिंचित भूमि के क्षेत्र में पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के बीच होनी चाहिए । अन्य श्रेणियों की भूमियों के लिए जल की उपलब्धि, उत्पादकता, भूमि के वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए रूपान्तरण अनुपात निर्धारित किये जाने चाहिए ।

यह जो डिस्प्यूटेड पाइन्ट है पेरेनियल इर्रीगेटेड लेण्ड के बारे में वह साफ कह दिया गया है कि बारहों महीने सिंचित भूमि या दो फसल उगाने वालो में 5 सदस्यों के परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ और अन्य श्रेणी की भूमि के लिए जल की उपलब्धि, उत्पादकता, भूमि के वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए रूपान्तरण, अनुपात निर्धारित किये जाने चाहिए । तो इससे स्पष्ट है कि 18 स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में जो निर्णय मंत्री मण्डल ने लिया है वह निर्णय कुछ कन्फ्यूज्ड सा मालूम पड़ता है, घोषणापत्र के अनुरूप नहीं मालूम पड़ता है । जो निर्णय लिया गया है वह इस प्रकार का निर्णय है कि 'पेरेनियल इर्रीगेटेड लेण्ड थ्रू दी गवर्नमेन्ट सोर्स एण्ड लेण्ड केपेबिल आफ ग्रोइंग टू क्राप्स'–अगर इस प्रकार का निर्णय है 18 स्टेन्डर्ड एकड़ का तो इससे कोई भी जमीन राजस्थान के अन्दर सीलिंग के अन्दर नहीं ले सकते क्योंकि एक तो गवर्नमेन्ट सोर्स है और फिर 'एण्ड लेण्ड केपेबिल आफ ग्रोइंग टू क्राप्स' । अगर 18 एकड़ सीलिंग तय कर देते हैं तो गंगानगर का एरिया भी इसमें कवर नहीं हो सकता, कोटा का एरिया भी कवर नहीं हो सकता और फिर बाद में यह जो कानून बनायेंगे 18 एकड़ का इसकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी, इसका कोई सेन्स नहीं रहेगा । इसलिए जो भी निर्णय किया गया है अपने चुनाव घोषणापत्र में वह बिलकुल सही निर्णय है और उसके अनुरूप ही अपने को सीलिंग के बारे में निर्णय लेना है । जो डेजर्ट एरिया है उसके बारे में 18 एकड़ के बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते हैं । रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे बाड़मेर है या जैसलमेर है वहां इस सीलिंग को नहीं रख सकते । हमने इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी कह दिया है कि जल की उपलब्धि, उत्पादकता, भूमि के वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए रूपान्तरण अनुपात निर्धारित किये जाने चाहिए तो अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो वहां 18 एकड़ को ले लें तो 18 एकड़ में

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

प्रॉडक्शन औसत 1 500 रुपये सालाना से ज्यादा की नहीं हो सकती और 1,500 रुपये से ज्यादा औसत इनकम नहीं हो सकती तो वह लाभदेय नहीं हो सकेगी । इसलिए डेजर्ट एरिया में जहां पांच में से तीन साल अकाल आता है और जहां आधी जमीन को तो बिल्कुल पड़त रखनी पड़ती है और पांच साल के लिए जमीन को पड़त रखनी पड़ती है और नेचर के ऊपर डिपेण्ड करना पड़ता है तो दूसरी ओर कोई क्रॉप नहीं होती है तो ऐसे एरिया के अन्दर जो थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है और उसको 18 स्टेंडर्ड एकड़ की सीमा में बांधा नहीं जा सकता । इसलिए मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि इस प्रकार की सीमा हो · · · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से विधेयक आएगा तब आप इस बारे में कह सकेंगे ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : भू-राजस्व की डिमाण्ड है तो इस पर भी कह सकते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : संक्षेप में कहिए । आगे भी आपको कहने का मौका आएगा ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : इसलिए जो थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ रेगिस्तानी इलाके में हैं वही रखी जाय । पहले भी जो सीलिंग की गई थी और उसके अन्तर्गत जो 58 हजार एकड़ जमीन ली गई थी उसमें भी रेगिस्तानी इलाके से ही जमीन अधिक ली गई थी और आठ हजार एकड़ ही सिर्फ अलॉट की गई है । राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक उसमें से कुल आठ हजार एकड़ जमीन ही अलॉट की गई जो बहुत कम है । उस जमीन से ही अभी तक अलॉट करने की कोशिश करें । और थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ के बारे में भी उस समय यहां कहा गया था कि 21 लाख एकड़ जमीन सरकार प्राप्त कर सकेगी लेकिन उस 21 लाख एकड़ की जगह कुल 28 हजार एकड़ जमीन ही प्राप्त हुई है । इस संबंध में भी गवर्नमेन्ट, सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जिलों में जितनी भी जमीन प्राप्त हो सकती है, सरकार थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ के अन्तर्गत उसको प्राप्त करे । यह जमीन प्राप्त नहीं होने का कारण क्या है । कारण यही है कि ट्रांसफर किए गए और बेनामी ट्रांजिक्शन्स किए गए हैं जिससे कि कानून को अवोइड करने की, कानून का अवेदन करने की कोशिश की गई है और अभी भी जो एट्टीन स्टेंडर्ड एकड़ के बारे में निर्णय लिया जा रहा है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिनके वेस्टेड इण्टरेस्ट हैं और जो पूरी तरह से कानून की अवहेलना करने की कोशिश करेंगे, कानून का अवेदन करने की कोशिश करेंगे । पहले भी यह कानून जो बना 59 और 60 में, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, क्योंकि वेस्टेड इन्टरेस्ट थे, कांग्रेस के अन्दर भी वेस्टेड इण्टरेस्ट थे और विरोधी पार्टी में भी वेस्टेड इण्टरेस्ट थे । जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और बाद में यह स्थिति पैदा हुई कि सिक्सटी नाईन तक जितने भी ट्रांसफर्स हुए उनको वेलिडेट करना पड़ा । तो हम यह चाहते हैं कि. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

हम प्रोग्रेस करें, इन्दिरा गांधी चाहती है और

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

भारत सरकार चाहती है कि इस कानून का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिए ।

अब मैं कुछ म्यूटेशन्स के बारे में....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप समाप्त करें। आपके दल के 20 सदस्य हैं जिनको बोलना है। आप इस तरह से 15 मिनिट से अधिक लेते हैं तो दस बजे तक भी समाप्त नहीं कर पायेंगे ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं अभी दो मिनिट में समाप्त करता हूं ।

म्यूटेशन के बारे में भी मैं बाड़मेर जिले के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। म्यूटेशन के बारे में राज्य सरकार के काफी सेट् रूल्स और नियम बने हुए हैं कि पटवारी को कितने अर्से में म्यूटेशन की कार्यवाही को समाप्त कर देना चाहिए और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इतने समय भी म्यूटेशन की कार्यवाही को निपटा देना चाहिए। इसके लिए समय निश्चित किया गया है और उसके अनुसार पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को म्यूटेशन की कार्यवाही छः महीने के अन्दर समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन म्यूटेशन की कार्यवाही समय पर समाप्त नहीं होती और इससे लोग परेशान होते हैं इसलिए जो रेसपोंसिबल ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके कारण किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके कारण रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए म्यूटेशन की कार्यवाही समाप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए।

अब मैं अलॉटमेंट के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। जनरली जो अलॉटमेंट किए जाते हैं, उस अलाटमेंट को करने के बाद, उनको जमीनें मिलने के बाद में भी भूमिहीनों को जमीन अलॉट नहीं की जाती है और अलॉटमेंट करने के बाद भी वे जमीनें काफी बेची गई हैं। मेरा निवेदन है कि जमीनें जो दी जावें वे वास्तविक किसानों को ही दी जाय। यह ठीक है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद जमीनें बेचने का अधिकार मिल जाता है। अब जो एट्टीन स्टेंडर्ड एकड़ का प्रावधान कर रहे हैं तो उसके लिए भी कानून में यह प्रावधान किया जाय कि इतने साल तक कोई जमीन बेच नहीं सकेगा, इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है तो वे जमीनों को बेच देते हैं और इसका अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। इसका दुरुपयोग होता है और इसके साथ ही अलॉटमेंट करने के बाद पजेशन क्यों नहीं मिलता, यह भी देखने की जरूरत है। अलाटमेंट जो जनरली शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किया जाता है वह बिल्कुल रद्दी से रद्दी अलॉट की जाती है। जितनी डिस्प्यूटेड जमीनें होती हैं वे ही अलॉट की जाती हैं, फिर उनका पजेशन नहीं मिलता है और इससे अनेकों डिफिकल्टीज उनके सामने आती हैं और इस प्रकार डिस्प्यूट में ही इतना खर्चा हो जाता है कि जमीन की जितनी कीमत होती है वही इसमें खर्च हो जाती है। तो यह सब परेशानियां हैं जिनको गवर्नमेंट को ध्यान देकर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व की मांगों के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

हूँ। सबसे पहले इसी संबंध में राजस्थान मंत्रि-मण्डल द्वारा अभी पिछली 29 अप्रेल को सीलिंग के संबंध में जो निर्णय लिए गए हैं, उनके बारे में मेरा यह निवेदन है कि वह निर्णय जैसे भी अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स कमेटी, जिसने अगस्त 1971, में इस संबंध में कुछ निर्णय लिए थे, वे कुछ गाइड लाइन्स तय की थीं और जिनको मान कर खुद कांग्रेस पार्टी ने और केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया था, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस हाई कमान्ड ने अपने इलेक्शन मेनी-फेस्टो, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया, में इन्क्लूड किया था। यह बहुत मुनासिब था। अब चुनावों के फौरन बाद अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। मुझे खेद है कि चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस, जो अभी दिल्ली में हुई, में भी वही निर्णय हुए जो कि कांग्रेस के इलेक्शन मेनीफेस्टो में हैं और जो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स कमेटी की गाइड लाइन्स थी, उनके खिलाफ राजस्थान सरकार ने अपने निर्णय लिए हैं। राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, देखने में तो सरकार ने यह घोषणा की कि जो एक्जीस्टिंग थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ है, जो वर्तमान सीलिंग है उसके नीचे 18 स्टेंडर्ड एकड़ पर ला रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है अगर उसको हम गौर से देखेंगे तो यह मूव है इस थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ का जो रीयल रकबा आता है उसको कम करने का यह अमेंडमेंट नहीं है बल्कि उसको बढ़ाने का यह अमेंन्डमेंट है। और मैं इसी प्रकार का एक्सपेक्ट भी करता था। जब इस डिपार्टमेंट को एक ऐसा मिनिस्टर हैड कर रहा हो जो खुद एक बड़े जमीदार हैं और जो खुद एक ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया से आये हैं जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक, पहले के कानून के मुताबिक भी, 30 स्टेंडर्ड एकड़ के मुताबिक भी 8,280 ऐसे लोग हैं जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन है 30 स्टेंडर्ड एकड़ से अधिक जमीन 2,88,152 एकड़ होती है और उसमें से 30-4-71 तक केवल 39 एकड़ जमीन रिज्यूम की गई थी और माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस विभाग को सम्भालने के बाद और इसमें कितनी बढोतरी हुई। उन्होंने आते ही इसको कितना तेज कर दिया वह तो माननीय मंत्री महोदय ही बतायेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता था कि उनके नेतृत्व में यह नया निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के मुताविक केन्द्रीय सरकार और सेंट्रल लैंड रिम्फॉर्स कमेटी का जो यह निर्णय था कि perennially irrigated land, land irrigated and capable of producing two crops. These are two alternatives. Either the land must be perennially irrigated or it should be irrigated and capable of producing two crops. There is no mention of 'Government source' in the decision of the Central Land Reforms Committee or in the Congress Election Manifesto."

अब सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसमें यह आल्टरनेटिव भी था और इन दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है और उसके साथ एक शर्त यह जोड़ दी गई है जमीन पेरीनियल इरिगेटेड होनी चाहिये, और गवर्नमन्ट सोर्स से होनी चाहिये, दो फसल देने वाली जमीन होनी चाहिये तब जाकर उसके ऊपर सीलिंग लगेगा और यह सीलिंग आप 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करेंगे। आप जब वहां से मीटिंग से आये, और आने के बाद गंगानगर गये तो वहां पर आपके

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

सामने यह प्रश्न आया। आप जहां भी गये यह कहा कि यहां पर ऐसी कोई जमीन नहीं है, जो पेरीनियल इर्रिगेटेड हो, जो दो फसल देने वाली हो। आपके ऊपर यह लागू नहीं होगा। अगर कहीं दो फसली है तो आप कहते हैं कि यह इर्रिगेटेड गवर्नमेन्ट सोर्स से नहीं है। आप घबराते क्यों हैं? गरज यह है कि इस तरह तीन कन्डीशन इसके साथ जोड़ दी गई हैं और इसके अन्दर राजस्थान की कोई जमीन नहीं ले सकेंगे और तीनों को जोड़ कर राजस्थान में स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफीनेशन यह कर दी गई है। तो इस हिसाब से आप यह कहेंगे कि यह जो गवर्नमेन्ट ने कहा है कि यह पेरीनियल इर्रिगेटेड है, गवर्नमेन्ट सोर्स है या दो फसली जमीन है। अगर ऐसी कोई जमीन है तो उसमें दस मन के बजाय कम से कम 35 मन गेहूं होगा। तो इस दस मन को एक स्टेन्डर्ड एकड़ मानें तो जो कि इसमें साढे तीन एकड़ मूव करने का है, उस हिसाब से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को गंभीरता से विचार करने का प्रश्न है। केन्द्र में भी इस प्रश्न पर बहस चल रही है कि यह गवर्नमेन्ट सोर्स वाला वर्ड कहां से जोड़ दिया गया है और राजस्थान में इन दोनों बातों को कनेक्ट टुगेदर कर दिया गया है। यह सही है कि सेन्ट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो नोट बाद में सरकूलेट किया है उसमें गवर्नमेन्ट सोर्स वाला वर्ड यूज किया गया है। यह उनका खुद का इन्वेन्शन है। इलेक्शन के पहले जो सेन्ट्रल लन्ड रिफॉर्म्स कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट में गवर्नमेन्ट सोर्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। पंजाब में भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। पंजाब के लोगों का कहना है कि हमारा केनाल से इर्रिगेशन थोड़ा होता है अधिकतर ट्यूब वेल्स से होता है। आपने इसको छोड़ दिया है तो फिर सीलिंग किस पर लगाना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप यह सोचना चाहते हैं कि लैंड लॉर्ड को किस तरह से बचाया जाये? आपका क्या यह दृष्टिकोण है? आपका यह दृष्टिकोण हो सकता था यदि आप इधर बैठने वाले होते। इधर बैठने वालों का ऐसा दृष्टिकोण होने की बात समझ में आ सकती है। परन्तु हम और आप बराबर साथ लगे हुए हैं और हमने और आपने जनता से वायदा किया है, और हम इसको पूरा करेंगे। हमारा दृष्टिकोण यह है कि भूमिहीनों को किस तरह से जमीन दिलाई जाय और किस तरह से लैन्ड रिफॉर्म्स को लागू किया जाये। यह हमारा दृष्टिकोण है। किस तरह से उनको लाभ हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के हिसाब से जो आंकड़े पहले दिये गये हैं, उसके हिसाब से, 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग के हिसाब से 16 लाख 5 हजार और 328 एकड़ जमीन सरप्लस होने की थी। यह गवर्नमेन्ट के आंकड़े दिये हुए हैं और अगर मोटे तौर पर इसी हिसाब से चला जायेगा या इसका आधा ही मान कर चलें तो करीब 32 लाख या 30 लाख एकड़ इस नये सीलिंग से जमीन मिलनी चाहिये और वह रेन्ज और नीचा करेंगे तो इसके अन्दर बहुत बड़ा बेस आ जायेगा। मैं समझता हूं कि 50 लाख एकड़ जमीन तक, अगर ईमानदारी से चलें तो मिल जायेगी। इसमें आप बोगस रजिस्ट्रेशन, बोगस ट्रांसफर्स को भी निकाल देंगे तो आपके पास में 50 लाख एकड़ जमीन अवेलेबल हो जायेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है, जिसको यहां पर बताने की जरूरत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है, कांग्रेस दल के भीतर भी इस पर बहस चल रही है, और आपके दल में, जो भूमिहीनों का पक्ष लेते हैं, और जो कांग्रेस का मेनिफेस्टो है, उसको पूरी तरह से लागू कराना चाहते हैं, वे भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं और वे भी इसको लागू कराना चाहते हैं। 6 तारीख को आपकी मीटिंग बुलाई गई है और मैं यह उम्मीद करूंगा कि राजस्थान सरकार ने जैसा 29 तारीख को निणय लिया है वह बहुत ही भिट्रेयल है, भूमिहीन लोगों के साथ। आपने जनता के साथ जो वायदा किया है उसको पूरा करना होगा, उनके साथ आप विश्वासघात नहीं कर सकते। आपको अपने इस वायदे के साथ इसको दुरुस्त करने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग लागू होने के बाद जो राजाओं के पास में भूमि थी, और वे राजा लोग, जिनको कि रूलरशिप खत्म हो गई है, उस रूलरशिप के खतम होने के बाद में अभी तक एक भी रूलर की एक भी बीघा जमीन पर आपने कब्जा नहीं किया है, इसकी क्या वजह है? पहले आपका यह कहना था कि आप इसके लिये एक एक्ट ला रहे हैं। आप एक्ट लाये और उस पर ये राजा लोग हाई कोर्ट से स्टे ले आये। उस एक्ट को हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स कर दिया। फिर यह कहा गया कि सीलिंग लागू करेंगे। नोटिस दिया और उसके बाद यह केस भी हाई कोर्ट में चला गया इस बुनियाद पर कि रूलर होने के नाते उन पर कोई सीलिंग एक्ट लागू नहीं हो सकता। उन पर आपके सामान्य नियम लागू नहीं हो सकते। लेकिन श्रीमान् यह राईट उस समय का था जबकि वे रूलर थे। अब जबकि रूलर्स नहीं रहे तो वह राइट अपने आप में इमप्रेक्टिकल रह जाता है। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? अब वे रूलर नहीं रहे, सामान्य लोग हैं और उन पर हमारे टिनेन्सी एक्ट, सीलिंग लॉ, हर लॉ पूरे तरीके से लागू हो सकता है, फिर भी आप इस मामले में सीरियस नहीं हैं, जमीन पर कब्जा करने की नहीं सोच रहे हैं जबकि वे जमीन को बेच रहे हैं। मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि आपने फौरन रूलरशिप खतम होते ही उनसे, इन रूलर्स से, कोई रिटर्न लिया है? उनकी कोई जमीन आपने अपने कब्जे में ली है? मैं जानता हूं कि आपने अभी तक जमीन पर कब्जा क्यों नहीं किया है? आपके लिये क्या मुश्किल है यह भी मैं जानता हूं? पिछली विधान सभा के समय से ही मैं यह बात जानता चला आ रहा हूं। आज रूलर्स जमीनों को बेच रहे हैं, जो डिफाल्टर्स हैं, जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के एक्स रूलर, डूंगरपुर के एक्स रूलर, कोटा के एक्स रूलर, बूंदी के एक्स रूलर और टोंक के एक्स रूलर आज जमीनों को बेच रहे हैं। जोधपुर के एक्स रूलर ने 5 हजार 325 बीघा जमीन बेच दी है। कोटा के एक्स रूलर ने 1,838 बीघा जमीन बेच दी है। बूंदी के एक्स रूलर ने 2 569 बीघा जमीन बेच दी है। टोंक के एक्स रूलर ने 2270 बीघा जमीन बेच दी है और मुझे माफ करें ये सब रूलर्स ने बावजूद इस बात के कि आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस की हाई लीडरशिप है वह इनके खिलाफ फिड्यूलिज्म के रेमनाट्स चल रही हैं, वह इनको खतम करने के लिये चल रही है, इन दक्षिणपंथी शक्तियों ने, इन तत्वों ने राजस्थान में नेतृत्व करके यहां की सत्ता संभालने का प्रयास किया था। वे राजस्थान की बागडोर अपने हाथ में लेना

( श्री रामानंद अग्रवाल )

चाहते थे। उदयपुर के महाराणा का यह अरमान था परन्तु आज जनता ने उनको यह बता दिया है कि उनकी हैसियत क्या है। जनता उनको कहां पर देखना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद जनता का विश्वास न करके इन राजाओं को अपने साथ आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर के राजा को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। ये वे लोग हैं जो देश के सब से बड़े क्रिमीनल्स हैं, यह उनकी कमजोरी है और उसके बावजूद आप उनसे पोलिटिकल सेटलमेंट करना चाहते हैं। आपकी जो प्रोग्रेसिव पोलिसी है, जो प्रोग्रेसिव अनाउन्समेन्ट हैं, उनका हमने समर्थन किया है। हमने कन्धे से कन्धा मिलाकर आपके साथ चुनाव लड़ा है, आपके साथ साथ हमने जनता को प्लेज किया है और अगर आप उस प्लेज से पीछे हटेंगे और इन वेस्टेड इन्टरेस्ट के साथ कम्प्रोमाइज करेंगे, उनको कोई कन्सेशन देंगे तो मैं यहां पर आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनावों के दौरान कन्धे से कन्धा मिलाकर आपकी प्रोग्रेसिव पोलिसीज का हमने समर्थन किया है, उसी ताकत के साथ हम इसका विरोध करेंगे और इसमें आपके साथ बीच में बैठने वाले माननीय सदस्य भी हमारे साथ होंगे। ये सब माननीय सदस्य इस बात के लिये प्लेज्ड हैं कि आम जनता को जो हमने वायदा दिया है उनको पूरा किया जाये।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बराबर कहते हैं कि यह सब अवैध हैं तो जहां आप बैठे हैं ऊपर तो इस पर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। आप कानूनी एक्शन लें और इसको पेनल बनायें। तमाम राइट आपके पास हैं, आप जमीनों पर कब्जा करें। मैंने दूसरे दिन ही कहा था कि अव्वल जमीनों पर से रूलरशिप हटने के बाद ही इन्वेन्ट्री की हैसियत नहीं रही, लीगल राइट नहीं रहा और जब लीगल राइट नहीं रहा तो लीगल राइट के मायने में मौजूदा सामान्य कानून जो हैं उनकी हद में सारे आते हैं इसलिये उनके तहत क्यों न आप कोई कदम उठा रहे हैं? इसलिये मेरा यह कहना है कि करीब डेढ़ लाख बीघा जमीन जो है इन राजाओं के पास में है उसको आपको रिज्यूम करना चाहिये। राजा खुद हल नहीं निकालते हैं, वह कोई पर्सनल कल्टिवेशन में नहीं हैं और आज तो जो पर्सनल कल्टिवेशन में हैं वे भी आपके उसके अन्दर आ सकती है और उसको आप भूमिहीनों के अन्दर बांट सकते हैं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि लैण्ड रिफॉर्म्स का मतलब केवल भूमि पर सीलिंग लागू करना ही नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जो आपको हिदायत आई है उनमें लैण्ड रिफॉर्म्स के दूसरे आस्पेक्ट्स पर भी उन्होंने जोर दिया है, और खास तौर से टेनेन्सी रिफॉर्म्स हैं जिनमें जो टेनेन्ट्स हैं उनको एक्जिस्टिंग टेनेन्सी में फिक्सिटी ऑफ टेन्योर मिले, सेफ्टी मिले, उसमें जो उनको रेन्ट देना पड़ता है उसमें जो एक्स्प्लायटेशन होता है उससे उनकी बचत हो, उनको बेदखली से छूट मिले। आपको एक गलतफहमी हो गई है, राजस्थान सरकार को, आपको उसे निकाल देना चाहिये। जिस नये एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरटेक किया है वह भी उस गलतफहमी का शिकार है। वह गलतफहमी यह है कि हम यह समझते हैं कि हम राजस्थान में लैण्ड रिफॉर्म्स में राजस्थान में सबसे आगे हैं और इस बारे में हमें कुछ करना बाकी नहीं है। हमें जो कुछ करना था कर चुके हैं। मैं यह निवेदन करना

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

चाहता हूं कि अगर आप सीरियसली किसानों को राहत देना चाहते हैं, सिन्सियरली किसानों को राहत देना चाहते हैं, लैण्ड लेस को राहत देना चाहते हैं, लैण्ड टू दी टिलर का नारा पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस गलतफहमी को वन्स फॉर ऑल अपने दिमाग से निकाल दें। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी तो खुद जानते हैं कि उनको गंगानगर जिले में आज कानूनन सबलेटिंग माना है, कानून के अन्दर रेन्ट से ज्यादा लेना मना है, आज कानून से प्रोड्यूस रेन्ट लेना मना है, लेकिन आप शायद खुद जानते होंगे क्योंकि आप अपनी जमीन पर काश्त करवाते हैं वह भी शायद इन कानूनों की अवहेलना करके कराते हैं, तो आज भी सीरदारी सिस्टम आपके यहां पर जारी है। हरएक आदमी जिसके पास एक मुरब्बा भी है वे खुद तो बन्दूक कन्धे पर रखकर चलता है या बोतल हाथ में रखता है और खेती गरीब हरिजनों से, सांसियों से, मेघवालों से या राय सिखों से काश्त कराता है और उसको हिस्सा देता है 1/10, 1/12, 1/20 और बाकी का हिस्सा सारे का सारा वह ले लेता है जबकि उस पर कुछ महनत नहीं करता है। यह शेअर क्रॉपिंग सिस्टम सबसे ज्यादा आपके गंगानगर जिले में प्रिवेलेन्ट है, और राजस्थान के अन्दर है। इस गलतफहमी को आपको दूर करना चाहिये कि सबलेटिंग नहीं होता है। लैण्ड रेवेन्यू लॉज कमीशन जो कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने मुकर्रर किया था और जिसके चेयरमेन हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस दौलतमलजी भंडारी थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये सारी बलाएं हैं। आज सबलेटिंग भी है, रीरेंटिंग भी है, एविक्शन भी है। इन चीजों को दूर करने की जरूरत है और अब भी हमारा जो यह कानून है उस कानून के तहत भी उनको राहत नहीं मिलती है। आपके गंगानगर जिले में यह प्रिवेलेन्ट प्रेक्टिस है। नौकरनामा लिखाते हैं जो सब-टेनेन्ट्स हैं उनसे ताकि उनके अलग से टेनेन्सी राइट्स कायम न हो जायं। गवर्नमेन्ट ने ऐसी महरबानी की है सब-टेनेन्सी का रेकार्ड रखना ही बन्द कर दिया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जमीन पर जिसको सब-टेनेन्सी पर रखा उसको पटवारी काश्तकार दर्ज नहीं करता है। इससे अधिक लैण्डलॉर्ड के पक्ष में और टेनेन्ट के खिलाफ कोई भी गवर्नमेन्ट क्या प्रिज्युडिस हो सकती है? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रजेन्ट टेनेन्सी लॉज के तहत कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत कोई आदमी कितने ही अर्से से जमीन पर काश्त कर रहा है उसको इप्सो फेक्टो खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते हैं। इससे तो जो पुराना कानून था वह अच्छा था। उसमें यह था कि 12 साल तक अगर लगातार कहीं पर काश्त करता है तो वह आक्युपेन्सी टेनेन्ट और खातेदारी टेनेन्ट बन सकता था। मैं पूछना चाहूंगा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कि मौजूदा टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 या धारा 19 के अन्तर्गत जिन टेनेन्ट्स को 1956 में या 1960 में खातेदारी राइट्स मिलने थे मिल चुके। उसके बाद 1960 से 1972 तक अगर किसी ने 12 साल तक काश्त कर ली या 55 से खातेदार बन गया और सबलेट कर दी तो उस जमीन उस पर उस टेनेन्ट, जो कि 12 वर्ष से काश्त कर रहा है, का कोई अधिकार नहीं है। वह खातेदार नहीं बन सकता है। आपने केवल इतना किया है कि अगर कोई 6 साल तक सबलेट कर दे तो उसके खातेदारी राइट्स एबॉलिश हो सकते हैं। वास्तव में राजस्थान में एक भी ऐसा खातेदार नहीं है जिसने कि सबलेट न कर रखा हो। हजारों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तादाद में सबलेट काश्त हैं, लेकिन एक मिसाल भी दे दें कि जहां पर आपने उसके खातेदारी राइट्स को तर्क किया हो इस बिना पर कि उसने सबलेटिंग किया है। अच्छा यह होता कि हमारी स्टेट अगर 6 साल से सबलेटिंग साबित हो जाय तो लास्ट टेनेन्ट इन पजेशन है उसको आप खातेदार मान लें। आप उसके खातेदारी राइट्स तो छीनना चाहते हैं लेकिन देना किस को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्टेट को रिवर्ट हो जाय, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज टेनेन्सी रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। आपका आज का टेनेन्सी एक्ट, जिसको आप पिछली विधान सभा में कितनी ही बार पेश कर चुके हैं, खुद कन्जरवेटिव आइडियाज का है। उस टेनेन्सी एक्ट को मैं पसन्द नहीं करता। आज की जिस लाइट में हम सोच रहे हैं वह इनएडेक्वेट और आउट ऑफ डेट हो गया है। आपकी नियत नया टेनेन्सी एक्ट लाने की नजर नहीं आती है। आपके डिपार्टमेंट के पास उसकी कोई तैयारी नहीं। सेन्टर से जो भी आपको हिदायतें आती हैं या चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में जो वे कहते हैं वे इस कान से घुसती हैं और उस कान से वैसे ही निकल जाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अभी तक आपके डिपार्टमेंट के किसी सेक्रेटरी को इस काम का एसाइनमेंट नहीं किया है। किसी ने इस काम को शुरू नहीं किया है। आप यह मानकर चलते हैं कि अगर ज्यादा प्रेशर आता है तो पुराने कानून को फिर उठाकर बिल के रूप में पेश कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस सिचुएशन को मीट नहीं करता है। इसलिए आपके टेनेन्सी लॉज के रिफॉर्म्स के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आपको बार बार कहा है उसकी ओर आपको ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की होम मिनिस्ट्री के रिसर्च एण्ड पॉलिसी डिवीजन ने एक नोट तैयार किया है "The causes and nature of current agrarian tension."

यह 1968 में तैयार हुआ है, और जो ट्रांसफर किये हैं और ट्रांसफर्स करके किसी तरह से लैण्ड रिफॉर्म्स को डिफीट करने की कोशिश की जा रही है उसके संबंध में उन्होंने पेज 8 पर कहा है, पार्ट (3) (12)–

"Transfers of land have tended to defeat the aims of legislation for ceiling. The provisions regarding restrictions on transfers have been so loosely worded as if by design in almost all the Bills that they are not likely to be effective at all. The Planning Commission suggested that restrictions should be imposed on all transfers made since 1953...."

The Revenue Minister may note it.

"......to avoid ceiling and also that all the transfers that have already taken place should be reviewed, but none of the States have felt it necessary to act on these lines."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप का राजस्थान भी उसी लाइन में है और आप उस स्थिति को एनकरेज करते हैं। फिर उनको वैलिडेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इससे उनको इन्स्पायरेशन मिला है। लेकिन आप की भली बात भी बुरी हो गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति से हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे एरिया में टेंशन बढ़ रहा है। उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो भू-राजस्व की बात है, उस पर हमें सोचना चाहिए। इस बारे में मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हमारी सरकार का फियूडल आउटलुक है। एण्टीक्वियुटेड आउटलुक है। किसी किसान के पास एक बीघा है, उससे दो रुपया बीघा लिया जाता है और किसी के पास 200 बीघा जमीन है तो उससे भी दो रुपया बीघा लिया जाता है। अच्छा तो यह हो कि जो अनइकॉनॉमिक होल्डिंग है उन पर हमको लैण्ड रेवेन्यू खत्म कर देना चाहिए और एग्रीकल्चर की इन्कम को लेकर चलना चाहिए। अनइकोनॉमिक होल्डिंग को एक्जेम्प्ट कर देना चाहिए। अनइकोनॉमिक होल्डिंग पर ग्रेडेड सिस्टम हो। इस बारे में मन्त्री महोदय ध्यान दें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का अपने जिले की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाऊं। पहले तो मैं यह निवेदन करूं कि हमारा अलवर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें से एक बहुत बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान चली गई है। उनके मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। उनकी जो जमीनें थीं, वह इवेक्यू प्रॉपर्टी में शामिल हो गई। उनकी जमीनें जिन किसानों के पास हैं, उनको आज भी खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। जबकि उनके बाद वाले लोग, जिनको कि अभी 15 साल ही हुये हैं, को खातेदारी राइट्स मिल गये हैं। ये दो तीन जिलों में समस्याएं हैं। चूंकि वह मुसलमानों की जमीन है इस लिए वह दूसरों को नहीं दी जा सकती हैं। यह हमारे सेक्युलरिज्म के सिद्धान्त के खिलाफ है। अगर किसी हिन्दू लैण्डलार्ड के काश्तकार हैं और उनके पास 6 महीने पहले ही जमीन आई हो तो वह खातेदार बन गये। लेकिन अगर किसी मुसलमान की है तो भले ही वह 15 वर्ष पुराना हो तब भी वह खातेदार नहीं बन सकता है। अनेक लोग हमारे यहां के खातेदार बन गये, लेकिन ये लोग अब तक लटक रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इस बारे में एक अमेण्डमेण्ट किया है। 16 जून, 1964 को, जब सुखाड़ियाजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तब उन्होंने यह कहा था कि यह बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें सेण्ट्रल गवर्नमेंट से बात करने की क्या जरूरत है। यह आप की लैण्ड है। इवेक्यू प्रापर्टी में आप की हो चुकी है। खातेदारी में उनको देने का पूरा अधिकार है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसी तरह से पट्टेदारी का मामला है। हरिजन लोग हैं, नॉन हरिजन भी हैं। अलवर, भरतपुर जिलों में ऐसी 75 बीघा जमीन है जो पट्टेदारी की जमीन है। वह शरणार्थियों को एलॉट हुई है। कुछ लोकल लोगों को भी एलॉट की गयी है। उसमें शरणार्थियों से 100 रु० पर स्टैण्डर्ड एकड़ लिया गया, जबकि वहां के लोकल और हरिजनों से 450 रु० एकड़ ले रहे हैं। जबकि यह कानून है कि हरिजनों और आदिवासियों को फ्री मिलनी चाहिए। पिछली बार हम गवर्नमेंट से मिले थे, उन्होंने भारत सरकार से बात करके निर्णय करने को कहा था। आप नये आये हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी ये पट्टेदार हैं, उन से भी 100 रु० ही लिये जायें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेरी कॉन्स्टीट्यूऐंसी में सिरस्का में गेम्स सेंन्चुरी है। आप ने दिल्ली जाते हुये उसे रास्ते में देखा होगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:** हम गंगानगर आन्दोलन के समय वहां जेल में रहे हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** हां, गंगानगर आन्दोलन के समय वहां जेल भी बनाई गई थी। तो यह सिरस्का में 52 गांवों की जमीन है, खातेदारी की जमीन है। लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने आप के डिपार्टमेन्ट को लिखा और यह स्टे ऑर्डर इश्यू किया कि जो सिवाय चक जमीन है, वह भूमिहीन लोगों को एलॉट नहीं की जाय। क्यों कि अगर वह एलॉट करेंगे तो लोगों के खेती करने से वहां जो शेर, बघेरे हैं, वह चमक कर भाग जाते हैं। आप शेर बघेरों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप वोट लेकर जनता से आये हैं.....

**श्री गोकुलचन्द:** शेरों को भी मतदान का अधिकार दिया जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** वह बात अलग है।

वहां गांव बसे हुये हैं। सिवाय चक में जमीन लगाना चाहते हैं। यह कहां की अक्लमन्दी है कि लोगों को जमीन देने से मना किया जाये। 1970 में इसके लिए किसानों का एजीटेशन चला था। अलवर में किसानों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी। जिसमें शोभारामजी भी थे। यह बहुत बड़ी गलती है। 1964 में पटवारियों ने पट्टे दे दिये। इतने में ही ऑर्डर आ गया। अब उन लोगों पर लाखों रुपये पैनल्टी लगा दी गई है। तहसीलदार और बी० डी० ओ० के कहने पर दफा 91 के मुकदमे चल रहे हैं। जो ऑर्डर किसी गलती से निकल गया था आप उसको कैंसिल करायें ताकि जमीन का एलॉटमेंट हो सके। दूसरा यह है कि गेम्स सेंक्च्युअरी है, उसको वहां से हटा दिया जाये। गेम्स सेंक्च्युअरी वहां हो जहां आदमी न बसते हों। या उसको समाप्त कर दें। या फिर बड़े बड़े तार लगवा दिये जायें ताकि शेर, बघेरे बाहर नहीं आ सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

या फिर शेरों का बहुत शौक है तो उनको वहां से मंगवालें और अपने बंगलों में रख लें। अन्यथा यह चल नहीं सकता है कि आप इन्सान के बजाय शेरों को महत्व दे रहे हैं। यह तो एलिजाबेथ और कैनेडी की वाइफ ही कर सकती है। इसलिए इस सेंक्चुरी के मामले पर भी आपको विचार करना चाहिए।

मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा, टेनेन्सी एक्ट की धारा 31 है जिसके तहत रेजिडेंशियल प्लाट्स हरिजनों को, आर्टिजनों को, जिनके पास प्लॉट नहीं हैं, देने का प्राविजन है। इसका अमल नहीं हो रहा है। इसमें यह दिक्कत खड़ी कर दी, पंचायतों को राइट दिये हुए हैं, पंचायत में बड़े बड़े भूमि वाले लोग सरपंच हैं। वह कहते हैं हमें मिल जाय तो इन्कार नहीं है। यह चमार हैं, इन्हें लेने का क्या अधिकार है। आप आंकड़े देखें तो यह डैड लैटर बना हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस लेवल के लिए एक्ट बनायें....

**श्री परसराम मदेरणा:** पंचायत एक्ट में 267 है। एक्ट बना हुआ है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** मुझे पता है। लेकिन उसके तहत कितने लोगों को एलॉटमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ है। यह प्रश्न है। यह एक ब्लाकेड बना हुआ है, इसलिए उस से दूर नहीं हुआ जाता। मेरा निवेदन है, आप यह करिये, दो महीने में पंचायत न करें तो एलॉटमेंट कमेटी को यह काम सुपुर्द कर दिया जाय जिसमें सरपंच बैठे, एम० एल० ए० हो, बी० डी० ओ०, एस० डी० ओ०। मेरा निवेदन है कि एलॉटमेंट कमेटी को यह काम दे दीजिये, ताकि उनको एलॉटमेंट हो जाय। इन शब्दों के साथ... "

**श्री परसराम मदेरणा** : पंचायत हाउसिंग के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट एलॉट न करें तो मन्शा फैल हो जाती है। यह संशोधन कर दिया गया है कि कलेक्टर कर सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरा निवेदन है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लैंड एलॉटमेंट कमेटी में हों...

**श्री परसराम मदेरणा** : रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है, दो ढाई महीने हुए हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एलॉटमेंट कमेटी को दे दिया जाय, उसमें आफिशियल, नॉन आफिशियल हैं जो जनता को रेस्पोन्स जल्दी दे सकते हैं। इसका मंत्रीजी उत्तर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। वन मेरे ख्याल से हमारे समाज के संतुलन के लिए परमावश्यक हैं, बेलेन्स ऑफ नेचर को कायम रखने के लिए, मैं समझता हूं, वनों का होना परमावश्यक है और अनिवार्य है। जो रिपोर्ट मंत्रियों को सरक्यूलेट की गई है उसमें बताया गया है कि राजस्थान के सब क्षेत्रफल का 11 पर्सेन्ट वनों के अन्तर्गत है। मेरी यह निश्चित धारणा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वास्तविक रूप से वन क्षेत्र, जो डेन्स फारेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट कहलाने के योग्य क्षेत्र हैं, वह अब केवल तीन पर्सेन्ट से अधिक नहीं रहे हैं। इस तीन पर्सेन्ट क्षेत्र के लिए संरक्षण परमावश्यक है और सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि दृढ़ संकल्प होकर इन क्षेत्रों को संरक्षण दें। यदि दूसरे क्षेत्रों के अन्दर जंगल हैं तो उनको संरक्षण देना भी उतना ही आवश्यक है। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करूं कि कोटा, बून्दी, प्रतापगढ़, हरियावट, डूंगरपुर आदि आदि क्षेत्रों को संरक्षण देना परमावश्यक है लेकिन उससे भी विशेष आवश्यक मैं यह समझता हूं कि उन वन क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए बहुत जरूरी हैं, जो हमारे रेगिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। फलासिया, भूमट का क्षेत्र, कुम्भलगढ़ का क्षेत्र-यदि इसको संरक्षण नहीं दिया गया, इस वन का ह्रास हो गया तो रेगिस्तान धीरे धीरे अरावली के ऊपर होकर पूर्वी क्षेत्र के अन्दर दाखिल हो जायगा। यह मेरा निश्चित अभिमत हो नहीं अनुभव है। आज चालीस वर्ष के अन्दर आबू के आस पास मैं देख रहा हूं, धीरे धीरे रेत उड़ती हुई उर्वरा क्षेत्र, उर्वरा भूमि के ऊपर दाखिल होती जा रही है, गर्मियों के मौसम में जब आंधी आती है तो रेत के पट्टर के पट्टर इस क्षेत्र के ऊपर हर साल दिखाई देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आज से पैंतालीस साल पूर्व आबू की औसत बरसात, एवरेज रेन फाल करीब सौ इंच था, वह पैंतालीस, चालीस इंच केवल मात्र रह गया है। आज वनों की स्थिति को यदि

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रखें तो उदयपुर नगर के चारों तरफ पहाड़ थे, वह पहाड़ मेरी हथेली के माफिक साफ हो चुके हैं और सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके कोट भी बनाये हैं तो कोट का अर्थ नहीं, जहां जंगल नहीं है, जंगल का अमला है-वह भी जानता है, रिश्वत करता है, भ्रष्टाचार करता है और कोटों के अन्तर्गत जो क्षेत्र हैं वहां पर वृक्षों को, पेड़ों को खोद खोद कर उदयपुर के बाजार में लोगों ने आकर बेचा है। इस तरह से तो मेरे ख्याल से बेहतर यह होगा कि उन क्षत्रों को जंगल के क्षेत्र में नहीं रखा जाय। मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि जहां पर जंगल उग ही नहीं सकते, जहां जंगल का उगना असम्भव है, आखिरकार उस भूमि का कोई न कोई यूटिलाइजेशन तो होना चाहिए। तो सरकार को इस संबंध में इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी कायम करनी चाहिए, यह भी मान लिया जाय, सभी कांग्रेस के सदस्य हों, लेकिन वह जगह जगह जाकर ऐसे क्षेत्रों, ऐसे एरियाज को देखें कि जहां पर वनों का उगना असम्भव है ऐसे क्षेत्रों को ट्रान्सफर करायें जंगलात से और ट्रान्सफर कराकर भूमिहीनों को एलॉटमेंट कर दें। अगर एलॉटमेंट होता है तो भूमिहीनों को एलॉटमेंट होना चाहिए, गरीब आदिवासियों और गरीब हरिजनों को एलाटमेंट होना चाहिए, पैसे वाले, तवन्गार लोगों को वह एलाट नहीं होना चाहिए। इसके अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार होता है। चार पांच वर्षों तक खतो किताबत के चलते चलते जंगलात के छोटे मोटे कर्मचारी हैं वह ऐसी बोली बोलते हैं कि फलां नाले की जमीन है उसको लो तो पांच सौ रुपये दो। पांच सौ रुपया आदिवासी और हरिजन लाकर इन मोटे नौकरों, जंगलात के अमले को संतुष्ट करे ताकि भूमि का आवंटन उचित रूप में हो। मैं यह भी निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, इसके अतिरिक्त जंगलात के अमले और कम से कम डिविजनल फारेस्ट आफिसर के लिए यह परमावश्यक है कि वह कृपा करके जीप को छोड़ कर जंगल में पैदल घूमें। आखिरकार जंगलात का संरक्षण जीप में बैठ कर नहीं होगा, जीप में पेट्रोल जलाने से, धूल उड़ाने से भी जंगल का संरक्षण नहीं होता है। उनको जीप छोड़नी चाहिए। फुट वर्क, जिसके तहत जंगल के मामले के लिए परमावश्यक है, उसका अंग है, जंगल के संरक्षण का, वह भी अपनाना चाहिए। सरकार को फौरन डिपार्टमेंट को या डी० एफ० ओ० को आदेश देना चाहिए, रोजाना अपनी डायरी में वह यह उल्लेख करें कि जंगल के किस मुकाम से किस मुकाम पर गाड़ी से या पैदल जाकर हालत देखी। वह किस हालत में है और नुकसान है या नहीं।

खास करके जो इमारती लकड़ी है वह करीब करीब बिल्कुल खत्म हो गई है, साल के बिल्कुल दर्शन दुर्लभ हो गये हैं, बांस खत्म हो गया है। इस स्थिति में जो जंगल हैं, उसको आप कितने दिन तक संरक्षण देंगे? स्पष्टतया आपको दिखाई दे रहा है, जंगलात कटने से वर्षा में कमी आ रही है। जिन क्षेत्रों में दस वर्ष में दो दुष्काल पड़ते थे, वहां उन क्षेत्रों में आज दस वर्ष के अन्दर पांच और छ: दुष्काल और सूखे पड़ते हैं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रिपोर्ट के अनुसार जंगलात से आमदनी एक करोड़ रुपये बताई गई है। यह एक करोड़ रुपये नहीं भी आये, और यह केवल 40 लाख ही रह जायें तो भी मैं संतुष्ट हूं। अगर एक करोड़ रुपये की आय होती है लेकिन जंगलों की बर्बादी उसके अन्दर

(श्री लक्ष्मणसिंह)

निहित है तो मैं उस एक करोड़ रुपये की आय को आय नहीं मानता, वह बर्बादी है। सरकार को इस दलदल में नहीं पड़ना चाहिए। लांग टर्म प्लानिंग करके जंगलात को संरक्षण देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि तीन प्रतिशत एरिया में जंगलात रहना चाहिए और उसको संरक्षण देना चाहिए और सरकार यह ऐलान करे कि पांच वर्ष तक उन जंगलों में न कटाई होगी और न ही चराई होगी। अगर चराई होती है तो चराई के बहाने तरह तरह के लोग अन्दर जाते हैं और मोम, शहद, और दूसरी जंगलात की माइनर प्रॉडक्ट्स मूसली वगैरह हैं, वह बीनने के लिये जाते हैं और जो हल्के जंगल हैं उसको आराम से काट कर इधर उधर बखेर कर ले जाते हैं। ऐसी अव्यवस्था यदि पांच साल तक और चली तो मैं समझता हूं कि जंगल नाम मात्र ही रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं दो शब्द और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ता अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सिरस्का का उदाहरण दिया। आप जन-हित को देखें और वन्य जन्तु को संरक्षण दें तो यह दोनों चीजें नहीं चल सकतीं। आज भी राजस्थान में कई क्षेत्र हैं जहां वन्य जन्तुओं को संरक्षण दिया जाता है, और देना परम आवश्यक है। यह पर्यटकों के लिए भी परम आवश्यक है और हमारे भारतवर्ष के लिए भी परम आवश्यक है कि हमारे बहुमूल्य वन्य जन्तु जो राष्ट्र की धरोहर हैं, ग्रेट नेशनल असेट हैं, उनको संरक्षण दिया जाये। सरकार ने सिरस्का की सेंक्चुअरी का एरिया डीलिमिट किया। अगर उसके अन्दर बस्ती है तो वह सेंक्चुअरी किस काम की और वह सेंक्चुअरी किस तरह चल सकती है ? अगर आपको सेंक्चुअरी को कायम करनी है तो उसकी सीमाबन्दी पर आप पुन: विचार करें, आबादी के क्षेत्र को निकालें, और बाकी का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पत्थर हैं, राक्स हैं, माउन्टेन्स और हिल्स हैं, उस क्षेत्र को घेर कर आप सेंक्चुअरी डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे आबादी भी अलग रहेगी और आपकी सेंक्चुअरी भी अलग होगी। तब तो मेरे खयाल से सेंक्चुअरी भी रह सकती है और जो अभागे लोग सेक्चुअरीज में हैं, उनको भी राहत मिल सकती है और उनको सेकिन्ड क्लास सिटीजन की जिन्दगी व्यतीत नहीं करनी पड़ेगी। यह मेरा सरकार को सुझाव है।

तेंदुओं और शेरों की खालों में आज महा काला-बाजार है, ब्लैक मार्केटिंग है। लाखों रुपये इस काला बाजार में हाथों से चेन्ज होते हैं। सरकार को चाहिये कि सारे देश के अन्दर एक युनिफार्म लॉ बनाये। माननीय प्रधान मंत्री और इनके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वन्य जन्तु के बहुत प्रेमी थे। शेरों के बच्चों को वे अपने पास रखते थे और इतना व्यस्त होते हुए भी पांच मिनिट के लिए उन शेरों को देखते थे। आज टाइगर जैसा वन्य जन्तु अफ्रीका में नहीं मिलेगा। रूस में भी गेम सेंक्चुअरी है लेकिन वहां पर भी टाइगर नहीं मिलेगा। टाइगर जैसा जानवर सारे संसार में नहीं मिलेगा। सांभर जैसा जानवर सारे संसार भर में नहीं मिलेगा, काले हिरन जैसा जानवर सारे संसार में नहीं मिलेगा। तो आप इनको संरक्षण दें, यह ग्रेट नेशनल असेट हैं। चीतल आज आपको सारे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप उनको सेंक्चुअरी बनाकर संरक्षण दें, लेकिन सेंक्चुअरी आप वहां पर ही बनावें जहां कोई चराई नहीं हो, कोई आबादी नहीं हो। ऐसे क्षेत्र को आप सेंक्चुअरी डिक्लेयर करें।

( श्री लक्ष्मणसिंह )

साथ ही साथ एक गेम सैंक्चुअरी आप बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर के क्षेत्र में भी कायम करें क्योंकि वहां के ग्रेटर इन्डियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देना परम आवश्यक है। ग्रेटर इन्डियन बस्टर्ड जैसा जानवर आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा। इन गेम सैंक्चुअरी पर आपका जो खर्चा आवेगा वह भी आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से ले सकते हैं और पांच वर्ष के अन्दर आपके खर्च से डेढ गुनी आमदनी आपको पर्यटकों से ही हो जायेगी बशर्ते कि आप वहां पर काले हिरन को संरक्षण दे सकें, ग्रेटर इन्डियन बस्टर्ड और लेसर इन्डियन बैंस्टर्ड को संरक्षण दे सकें और चिन्कारे को संरक्षण दे सकें। चिन्कारा भी अब नाम मात्र ही डेजर्ट एरियाज में रह गया है। और काला हिरन भी नाम मात्र केवल उन गांवों के आसपास रह गया है जहां विश्नोइयों की आबादी है क्योंकि विश्नोई लोग उनको मारने नहीं देते और अगर कोई मारने आता है तो उस पोचर का पीछा करते हैं और उसको काला हिरन मारने नहीं देते। तो इन विश्नोइयों जैसा मिशनरी जील आपके वन विभाग के अधिकारियों में होना चाहिए। ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो वन्य जन्तु को अपने बच्चों की तरह संरक्षण दे तब तो उनका संरक्षण हो सकता है वरना मेरे ख्याल से यह टाइगर और पैंथर, सांभर और चीतल, ब्लैक बक और बस्टर्ड यह बिल्कुल खत्म हो जायेंगे और देश को और राष्ट्र को बहुत बड़ी हानि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि मैंने देखा है कि बीस बीस साल तक फॉरेस्ट रेन्जर का ट्रान्सफर नहीं होता है। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यह होता है। स्वस्थ परम्परा तो यह है कि आप फारेस्ट रेन्जर को कहीं रखें तो पांच वर्ष तक रखें, छः वर्ष तक रखे, ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष तक रखें, लेकिन मंत्रियों के कहने से, मंत्रियों के दबाव से आप बीस बीस साल तक एक रेन्जर को एक ही जगह पर रखें और उसका तबादला न हो, तो उनका वेस्टैंड इन्ट्रेस्ट हो जाता है। इस तरह से आपने पुराने जागीरदार खत्म करके नये जागीरदार कायम किये, और दीदादानिश्ता कायम किये और उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह ही निवेदन करूंगा कि वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिस दिन राजस्थान के वन बिल्कुल नष्ट हो जायेंगे और वन्य जन्तु नष्ट हो जायेंगे। सरकार को चाहिए कि वह दिन कभी भी नहीं आने दें और इसके लिए भरसक प्रयत्न करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी वन विभाग और भू-राजस्व विभाग के सम्बन्ध में अपने कटौती के प्रस्ताव रखें हैं।

जहां तक वनों का सम्बन्ध है वैसे वन किसी भी राज्य के लिए एक बहुत महत्व की चीज होती है। इसके जरिये हम अनएम्पलायमेन्ट को भी हल करने के लिए और इस पर आधारित इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए भी काफी कुछ कर सकते हैं। शोषण जो समाज का आज हो रहा है उसको भी दूर कर सकते हैं।

आज जो वनों में कटाई की ठेकेदारी की प्रथा है उसको समाप्त करना होगा हमें अगर हमको वनों का विकासकरना है और उनसे अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना है।

( श्री शंकरलाल )

मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में गुढा का जोड़ है उसे व्यक्तिगत आदमी को ठेके पर दिया गया। पाली की एक जुझारमल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी है उसको दिया गया। उसने 2,500 रुपया मुनाफा लेकर एक रतनाराम भाट को दे दिया। रतनाराम ने मजदूरों से कटाई करवाई। करवाकर वह रतनाराम तो गायब हो गया। मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दी। मजदूरों से पहले यह कहता रहा कि सरकार की घास की कटाई है यह। इसकी कटाई का पैसा सरकार ही देगी। जब मजदूरी नहीं मिली और मजदूर विभाग के पास गये तो विभाग वाले कहते हैं हमने तो ठेकेदार को ठेके पर दे रखा है। तो यह तो घटना है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं इसके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो काम होता है करते तो मजदूर ही हैं, बीच में ठेकेदारों को इस तरह से रखने से क्या मकसद हासिल होता है सिवाय इसके कि सरकार को भी परेशानी और मजदूरों को भी परेशानी। तो इस बिचौलिये को सरकार को इलिमिनेट करना चाहिए।

इसके अलावा मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसायटीज को आप यह काम दे सकते हैं इससे बहुत से लोगों की अनएम्पलॉयमेन्ट की समस्या भी हल होगी।

पाली जिले में काफी एरिया जंगल का है जिसमें रावत मेरात लोग रहते हैं। वे लकड़ी का कोयला भी बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसायटियां अगर इसके लिये बना दी जावें तो इन लोगों को भी काफी लाभ हो सकता है।

**श्री नत्थीसिंह** : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि वन सम्पदा सोसायटी के जरिये यहां काम चल रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार की तरफ से जवाब देने लगे हैं क्या?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : राजेन्द्रकुमार भारतीय की याद आ रही है।

**श्री शंकरलाल** : बबूल की 16 लाख की सेल होती है। इसकी भी वहां एक इण्डस्ट्री लगाई जा सकती है और इसमें हजारों लोगों को लगाया जा सकता है।

जंगलों की सुरक्षा के लिये बार्ब्ड वायरिंग किया जाता है जिसमें लाखों का खर्चा होता है। इसका भी ठेका दिया जाता है। यह उचित नहीं है। इसमें काफी घोटाले होते हैं। जिसकी जांच भी नहीं होती कि वास्तव में इतना खर्चा हुआ भी है या नहीं। कोई देखने भालने वाला नहीं है।

रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। इस तरफ सरकार भी जागरूक है। इजराइल से भी इसके बारे में सलाह मशविरा किया गया था। राजस्थान सर्वे विभाग और केन्द्रीय सर्वे वालों को भी कहा गया था कि इसकी मिट्टी का सर्वे कराया जाकर एक योजना बनाई जाय। पर किस कारण से यह काम रोक दिया गया? इसमें इसके बाद से कोई प्रगति क्यों नहीं हुई? यह बताया जाय।

क्लोरा के दरख्त लगाये जावें और दरख्त लगाये जावें। जंगल बढाये जावें। और भी तरह-तरह के दरख्त लगाये जायें जिससे कि राजस्थान सरकार की वन सम्पदा में वृद्धि हो।

(श्री शंकरलाल)

पाली तहसील में कंडागढ और सोपा गांवों के पास अच्छे जंगल थे। आज वे वीरान हो गये हैं। उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको घना बनाने के लिये योजना बनानी चाहिये। गुढ़ा प्रतापसिह, मादिया और मादल की योजनाएं हैं। पर ये इसलिये रुकी पड़ी हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फोरेस्ट में हस्तान्तरण इनका नहीं हुआ। उसमें जल्दी करना चाहिये सरकार को।

बहुतसी फोरेस्ट की जमीन ऐसी है जो कल्टीवेशन के काम आ सकती हो तो उसे तुरन्त रेवेन्यू विभाग को हस्तान्तरित कर देना चाहिये। इसकी प्रक्रिया अगर लम्बी है तो इसे तुरन्त सरल बनाया जाना चाहिये। तो इन बातों की तरफ मैं वन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रोसिजरल जो बातें करने की हैं वे जल्दी हों और प्रोसिजरल अगर कोई रुकावट है, जिसके कारण देरी लगती है, तो उसे तुरन्त ठीक किया जाना चाहिये।

इसके अलावा बेरोजगारी के बारे में कटौती प्रस्ताव पर मैं निवेदन करूंगा कि इसमें सबसे पहले भूमि अलॉटमेंट के नियम आदि जो हैं, उनमें मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये। यह जो दस साला अलॉटमेंट होता है वह गलत है। क्योंकि इससे किसान को अनिश्चितता रहती है। वह उस जमीन पर कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकता। न उसको ऋण इत्यादि मिल सकता है बैंकों आदि से। वैसे खातेदारी वालों को ऋण देते हैं बैंक पर उसका भी उपयोग नहीं हो पाता पूरी तौर से। इसमें एस० डी० ओ० और कलेक्टर की परमीशन लेनी पड़ती है। तो दस साला अलॉटमेंट न होकर परमानेन्ट होना चाहिये ताकि किसान उसमें इम्प्रूवमेन्ट कर सके और उस खेती को बढ़ा सके। उसे खातेदारी हक मिलना चाहिये।

इसमें एक और है जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको आप रेगूलेराइज कर देते हैं। इससे आम लोगों में एक धारणा घर कर गई है कि अनधिकृत कब्जा करके तो भले ही खातेदारी हक मिल जाय, पर इस तरह से दस साला अलॉटमेंट जो काश्तकार हैं उनको नहीं मिल सकते यह आश्चर्यजनक है। अगर कोई अलॉटमेंट के लिये दरख्वास्त भी करता है तो उसे दस साल का ही अलॉटमट मिलेगा। पर अगर चोरी से और जोरी से अनधिकृत कब्जा कर लिया तो परमानेन्ट अलॉटमेंट हो जायगा। इसलिये भी जरूरी है कि अलॉटमेंट के कानून म आप आमूलचूल परिवर्तन करिये।

दूसरा, यह भी निवेदन करूंगा कि यह अलॉटमेंट परमानेन्ट होने से म्यूटेशन में भी फर्क पड़ेगा। वरना दस साल में लोग अपना कब्जा बता देते हैं। म्यूटेशन होता नहीं।

इसके अलावा दूसरी जो काश्त की जमीन के अलावा बीड़ और आबादी की भूमि में अनधिकृत कब्जे होते हैं उनके बारे में भी कटौती प्रस्ताव रखा है और उस बारे में निवेदन करूंगा कि जहां भी काश्तकार का एक ही प्लॉट पर अनधिकृत कब्जा हो तो धारा 31 के तहत नियमन करें। कब्जा नहीं है तो दें। अभी भी हमारे कांग्रेस के महामंत्री शंकरदयालजी ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र भी लिखा है कि हमने चुनावों के दरम्यान इस तरह के कमिटमेंट किये हैं कि गांवों या शहरों में रहने वाले जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास अपने रहने के लिये मकान नहीं हैं उनको रहने के एक प्लॉट के लिये जमीन का टुकड़ा

(श्री शंकरलाल)

देंगे। इसका पालन करने के लिये यह जरूरी है कि जिनके पास भी इस तरह के अनधिकृत कब्जे हैं उनका तो नियमन हो और जिनके पास नहीं है उनको दे दिया जाय जिससे यह आवास की समस्या भी हल हो।

अलॉटमेंट के वक्त और भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे गैर मुमकिन जमीन का अलाटमेंट नहीं कर सकते जब तक वह मुमकिन में परिवर्तित नहीं कर दी जावे। अब मुमकिन से परिवर्तित वह एस० डी० ओ० से नहीं होती। पहले यह अधिकार तहसीलदार को था। पर अब एस० डी० ओ० को दिया गया है। पर एस० डी० ओ० को वक्त मिलता नहीं। इसमें देर लगती है। यह काम अलॉटमेंट कमेटी में ही हो जाना चाहिये जिसका सदस्य एम० एल० ए० भी होता है फिर अलग कार्यवाही की जरूरत नहीं। क्योंकि एस० डी० ओ० भी खुद अलॉटमेंट कमेटी का भी सदस्य है। इसलिये गैर मुमकिन जमीन जैन कमेटी के सामने आवे उसी वक्त वह मुमकिन में बदली जाकर अलॉट कर दी जावे।

इस संबंध में और निवेदन करूंगा। पहले से अलॉटमेंट के लिये दर्ख्वास्तें आती हैं उन पर समय पर विचार नहीं होता। इस कारण जमीन या तो पड़ी रहती है या काश्तकार काश्त करता है तो इजेक्टमेंट का केस चलता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात के लिये राज्य सरकार की तरफ से एक निश्चित समय होना चाहिये कि अलॉटमेंट की दर्ख्वास्त देने के इतने समय के अन्दर-अन्दर उस पर निर्णय हो जाना चाहिये नहीं तो फिर किसान को उस पर काश्त करने का अधिकार हो जायेगा और उसका सरकार नियमन कर दे। यह कानून हमेशा के लिये हो जाना चाहिये। जमीन पड़ी रहने से भी नुकसान है उत्पादन का भी और किसान और सब का भी।

रेगूलेराइजेशन का कानून भी एक हो जाना चाहिये। बार-बार तरीके बदलने से कोई लाभ नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि सीलिंग के बारे में अलग बिल आवेगा तब विचार हो सकेगा। पर एक विचारधारा के कारण यह विवाद का विषय हो गया है पूरे देश में। वह विवाद का मुद्दा है आया सीलिंग 18 एकड़ का रखें या तीस का या ज्यादा। आज विवाद यह भी चल रहा है कि जो गवर्नमेन्ट ने जनरल इरिगेशन से इरिगेट होती है वह जमीन इसमें माने या जो सरकार के सोर्सेज से सिंचित होती है वह मानी जावे। यह डेफीनेशन कैसे हो सकती है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि इरिगेशन के रिसोर्सेज पर भी प्राइवेट लोगों का मालिकाना हक सरकार मानती है। जब लैंड पर मालिकाना हक नहीं रहा तो पानी पर कैसे हो सकता है। पानी के सोर्सेज जो प्राइवेट बने हुए हैं उन पर भी सीलिंग लागू की जावे इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का फर्क नहीं होना चाहिए। आप पानी पर किसका हक मानते हैं?

इस सदन में एक बार भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि जो प्राइवेट तालाब हैं, बांध हैं, प्राइवेट सिंचाई के जो साधन हैं हम उन सबका अधिग्रहण करेंगे। आज के युग में किसी का व्यक्तिगत सम्बन्ध तालाब, बांध या नहरों से रह नहीं सकता। इन सब पर प्राइवेट अधिकार माना नहीं जा सकता चाहे कुएं ही क्यों न हों। क्योंकि कुएं भी कहीं कहीं ऐसे हैं जिनसे चार पांच हजार एकड़ में सिंचाई होती है। पानी भगवान की देन है।

(श्री शंकरलाल)

महनत भले ही आपने की हो। यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके लिये कम्पेन्सेशन ज्यादा मिले। इसके लिये ज्यादा रकम रखी जा सकती है। तो इस पोइन्ट ऑफ व्यू से सीलिंग में डिफरेन्शियेट किया जाना उचित नहीं है। यह गलत होगा। मूल सिद्धान्त के भी खिलाफ होगा। सीलिंग कितना होना चाहिए, कितना नहीं, यह दूसरी चीज है। यह डिसकशन करते समय तैय किया जा सकता है। पर बेसिकली उस जमीन में जहां गवर्नमेंट रिसोर्सेज से ईरिगेशन है या प्राइवेट से है इन दोनों में डिफरेन्स नहीं किया जाय यह बुनियादी तौर पर मान लिया जावे। यह मेरा कहना है।

इसलिये यह विवाद जो चल रहा है यह गलत है। There cannot be any differentiation between Government irrigated or private irrigated.

इसलिये इस चीज को मानकर हमें चलना चाहिये। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। इसके बाद जब बिल आवेगा सीलिंग का, उसमें जैसी पार्टी की राय होगी, वह मैं अपनी राय भी जो होगी अलग से रक्खूंगा। पर इस बारे मे यह निवेदन कर दूं कि प्राइवेट और सरकारी सोर्सेज से ईरिगेटेड लैंड में अन्तर नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात वन विभाग के बारे में निवेदन और करना चाहूंगा। जो लोग सिर पर बोझा लेकर आते हैं लकड़ी का जंगल से या अपने खेत से उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। ट्रान्जिट पास भी मांगते हैं। यह गलत है। पाली तहसील के गांव कंडो, मघाजी, नैगा आदि हैं जिनमें यह समस्या है। अपने खेत से लकड़ी लेकर गाड़ीया बैलगाड़ी से एक किसान ला रहा था उससे 31 रुपया वसूल किया। सरकारी जंगल से काटकर लावे तो अलग बात है पर अपने प्राइवेट खेत पर से काट कर लाया है किसान, तो उस पर कैसा टैक्स? इस बारे में मैं वन मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा और रसीद नम्बर 1807, बुक नम्बर 41 पाली वन विभाग द्वारा काटी गई सदन की मेज पर रक्खूंगा और मन्त्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस प्रकार की वसूली वन विभाग वाले कर सकते हैं या नहीं ?

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन है लैंड रेवेन्यू के नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जमीन का क्लासिफिकेशन है। एक एक जिले में दो-दो तरह की या कई तरह की जमीनें हैं। भू-राजस्व भी जो है वह चार आना बीघा से लेकर 18 रुपया, बीस रुपया बीघा भी है और इस बात की मेरी बार-बार मांग रही है कि यह डिस्पेरिटी जो लगान के अन्दर है इससे काफी असन्तोष है लोगों में और एक यह डिस्पेरिटी, इसकी वजह यह है कि लगान का जो रेट है वह आज तय नहीं हुआ है लेकिन अलग-अलग स्टेट्स के समय, अलग अलग जागीरदारों के समय जो दर थी वही चल रही है। और राजस्थान में एक तरह की जमीन के लगान की एक रेट होनी चाहिए। जयपुर में रेट है जो उसी प्रकार की रेट बीकानेर में कर दें, उसी प्रकार की रेट शेखावटी में कर दें, झुंझनू में कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन की अलग-अलग रेट हैं मैं समझता हूं जैसे राजस्थान का इन्टेग्रेशन

(श्री पो० के० चौधरी)

हुआ सर्विसेज का तब अलग अलग स्टेट्स की अलग-अलग तनख्वाहें थीं लेकिन राजस्थान बनने के बाद, इन्टेग्रेशन होने के बाद चाहे वह क्लास फोर्थ सर्वेन्ट हो और चाहे किसी प्रकार का कर्मचारी हो सब की तनख्वाहें एक हो गईं। लेकिन जहां तक जमीन का सवाल है, किसान का सवाल है उसके लगान की रेट में डिस्पेरिटी रही और खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, यह रहा कि चाही जमीन, जिसकी सिंचाई कुए से की जाती है, की लगान दर नहरी जमीन से अधिक है क्योंकि उन जमीनों में तालाब से, नहर से सिंचाई हुआ करती थी जिसमें आज पेरेनियल इरिगेशन न होकर पूरे पानी की सप्लाई मिला करती थी। इसलिये राजस्थान के हर एक जिले में जहां जहां नहर हैं वहां पर नहरी जमीन का लगान चाही जमीन के लगान से कम है और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अलग. अलग जिले की जो बारानी जमीनें हैं जहां बारानी जमीन पर लगान 4 रु०, 2 रु० तक है वह कुछ जिलों का सदन की जानकारी के लिये और आपकी जानकारी के लिये मैं पेश करूंगा, जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में चाही जमीन के लगान की रेट अजमेर, किशनगढ, ब्यावर, केकड़ी है उसमें 8 रु० 15 पैसे से लेकर 11 रु० 15 पैसे तक है। अलवर में चाही जमीन का रेट थानागाजी में 8.50 पैसे हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में चाही, तालाबी और दो फसली इसका रेट है 8 रु० 12 पैसे से 15 रु० तक। सबसे अधिक रेट उदयपुर में गिरवा तहसील में और नाथद्वारा में है लेकिन 8 रुपये से लेकर 15 रु० तक। जिन इलाकों में 8 रु० से कम है उसका मैंने जिक्र नहीं किया है। इस प्रकार भीलवाड़ा में चाही फसल का रेट है 8 रु०, बांसवाड़ा में, जहाजपुर में, कुशलगढ़ तहसील में 8 रु० से ज्यादा है, नागौर में चाही जमीन का 8 रु० 59 पैसे है, टोंक में चाही जमीन का 8 रु० भरतपुर में 8 रु०, झुन्झुनू में 8 रु० से लेकर 15 रु० तक है।

**एक माननीय सदस्य**: हाइएेस्ट है।

**श्री पो० के० चौधरी**: हां, हाइएेस्ट है। सीकर में 10 रु०, सवाई माधोपुर में चाही जमीन का रेट 9 रु० 6 पैसे से लेकर 12 रु० 50 पैसे तक है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का रेट 8 रु० 12 पै० से लेकर 18 रु० तक। कोटा में, उपाध्यक्ष महोदय, चाही जमीन का रेट 8 रु० 44 पैसे लेकिन वहां नहरी जमीन है उसका रेट 4 रु० 6 पैसे, फलावड़ में चाही जमीन का 10 रु० 62 पैसे, पिड़ावा जहां से खान साहब आते हैं नहरी जमीन का जो रेट है वह 1 रु० 75 पैसे से 3 रु० तक है। बाकी तहसील में नहरी जमीन का 2 रु० है। जैसलमेर की नाचना तहसील में 8 रु० बीघा है। तो मेरा निवेदन यह है कि चाही जमीन है किसान उसको जोतता है-बैल से, इंजिन से, मोटर से सिंचाई करता है और नहरी जमीन में कैनाल से पानी मिलता है, अब सवाल यह है जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में दिया हुआ है उसके आधार पर कैसे दर तय की जाती है। उसमें पिछले 20 साल में क्या रेट है वह आस पास में क्या रेट थी उसके आधार पर है। उसका एक इम्पारटेन्ट फेक्टर यह रहता है– The expenses of cultivation and the cost of cultivaton to maintain himself and his family यानि उस जमीन से पिलाई में जो खर्च आता है वह खासतौर पर ट्रेक्टर पर होता है। उस लगान की रेट तय करने का आज उपाध्यक्ष महोदय, क्या आधार है नहर से जो सिंचाई होती है और जो गेहूं की क्रोप के लिये रखा है वह

(श्री पी० के० चौधरी)

8 रु० से 10 रु० है। गंग केनाल में, राजस्थान केनाल में 8 रु० से 12 रु० है। कोटा में 8 रु० से 12 रु० कर दिया। नहर से चार पानी देते हैं वह पूरा हो जाता है लेकिन जहां कुओं से सिंचाई होती है, चाही जमीन अपने जयपुर जिले में है उसमें 8 पानी देना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट लूंगा।

वह लाव, चढ़स से पानी देते हैं और उसमें एक पानी में दो दिन लगते हैं। उसका खर्चा लगा लीजिये, आदमी की तनख्वाह लगा लीजिये, बैल का खर्चा लगा लीजिये- 24 रु० एक पानी पर खर्च आता है और इस तरह 8 पानी में 350-400 रु० का खर्चा आता है, इंजिन से देते हैं तो करीब 150 रु० बैठता है एक फसल को पानी देने में। जहां नहर का रेट 2 रु०, 2॥ रु०, 3 रु० मैक्सिमम है जब कि पैदावार ज्यादा है और जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यादा है। वहां रेट है कम और जहां कुआ किसान खोदता है उसका इन्वेस्टमेंट होता है, बैल जोड़ी का खर्चा होता है या इंजिन लगाता है, मोटर लगाता है यानि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां कुओं से जो सिंचाई करते हैं वहां ज्यादा होता है फिर भी उसका लगान 8 रु०, 10 रु०, 12 रु० तक है और जो नहर से सिंचाई करते हैं उसका लगान है 2 रु० 2॥ रु०, 3 रु० है। अधिक से अधिक कोटा में 4 रु० होता है यह एक प्रकार की डिस्पेरिटी है। जो टैक्सेज आप लगाते हैं लैन्ड रेवेन्यू है, डाइरेक्ट टैक्स है लैंड रेवेन्यू की जयपुर में एक दर है, बीकानेर में एक दर है जब कि सेल्स टैक्स की सब जगह एक दर है। कानून की दृष्टि से एक दर होनी चाहिये इसलिये मेरा निवेदन है एक किस्म की जमीन हो, एक तरह की जमीन हो उसका एक रेट होना चाहिये। जिसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है उसका कम होना चाहिये। वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में मंजूर किया है। मैं उनका उदाहरण देता हूं।

It may not be out of place to mention here that the cost of well irrigation whether the water is drawn by animal power or by electric or diesel pump, is many times higher than the cost of irrigation by canals. At the same time the capital investment for the construction of the well etc., has to be arranged by the cultivator himself.

इस बात को वित्त मंत्री मानते हैं यह कॉस्ट ऑफ एरिगेशन वैल्स से अधिक होती है। इस बात के लिये समय समय पर हम ऐजीटेशन भी करते रहते हैं। हमने इस बात के लिये वित्त मंत्री जी को साढ़े पांच लाख आदमियों की दरख्वास्तें भी दी है। भूत पूर्व वित्त मंत्री को भी दी थी। लगान की जो दर है उसको नेशनलाईज किया जाय। चाही जमीन की दर नहरी जमीन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इस संबंध में हम ही कहते हैं यह बात नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू लाज कमीशन आपने बैठाया था उसकी भी सिफारिश को मैं पढ़कर सुनाता हूं:—

Revision of settlement and rationalisation of rent: There is

(श्री पी० के० चौधरी)

an urgent need for undertaking revision of assessment in almost the entire State. The existence of disparity between the rents which is prevalent in the State is partly due to historic reasons and partly due to the fact that settlement operations were carried out in various covenanting States at different times and in a different manner. It is admitted that this disparity is so glaring that there are cases in which a tenant is paying rent at two different rates for two adjacent plots of land of equal value. The different princely States made assessment as it suited to them and as they considered proper to fill their coffers."

फिर कहते हैं।

"There has been persistent demand from the public to remove this inequality. We are of the opinion that this just demand of the public should be met by the State and a scheme should be evolved for the rationalisation of the rent revenue rate system. We strongly recommend that the State should take up scheme for speedy implementation even though it may result in a decrease of roughly one crore of rupees in land revenue. This will a long way in removing the standing grievance of the tenants that they are being taxed unequally. This inequality should not be permitted to exist now when there is one State."

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहता हूं सरकार से, राजस्व मंत्रीजी से कि इस बात की घोषणा करें कि लैंड रेवेन्यू के नेशनेलाइजेशन के लिए इमीजियेटली कदम उठायेंगे। लैन्ड रेवेन्यू कमीशन ने 1966 में इस बात के लिए रिपोर्ट पेश की है और उसके बाद आज 5-6 साल हो गये हैं, यानि पब्लिक की जो जेनुइन डिमाण्ड है वह कमेटी की रिपोर्ट के जरिये भी आपके सामने आती है, हम एजीटेशन करके इमीजियेटली आपके सामने पेश करते हैं उसके बाद भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और असेम्बली में भी जब जब मौका मिलता है हम कहते हैं, यानि जो जो जनतांत्रिक तरीके हैं, डेमोक्रेटिक तरीके हैं उनके माध्यम से जनता की ग्रिवान्सेस हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं। जो एक्सपर्ट्स की कमेटी और कमीशन है वह सिफारिश करते हैं और उनकी सिफारिशों पर आप 6-6 साल तक अमल नहीं करें तो जनता का जो पेशन्स है वह टूट जाता है। हम सदन में अर्ज करते हैं, मेमोरेन्डम लाखों लोगों के दस्तखत कराके देते हैं, कमेटी इस बात को मानती है फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठाये और इस प्रकार की डिस्पेरिटी चलती रहे तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? यह भी आप बतायें। एजीटेशन करें या घेराव करें? आप कब मानेंगे? हम रीजनेबल बात डेमोक्रेटिक तरीके से बताते हैं, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जितने भी इन्सटीट्यूशन्स हैं उनके जरिये आपके सामने बात रखते हैं उसके बाद भी आप ध्यान नहीं देते तो फिर अफसोस की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री पी० के० चौधरी)

फिर मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अविलम्ब निश्चय ले और नहीं लेगी तो हम मजबूर होंगे बाहर एजीटेशन करने के लिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामप्रसाद बोहरा !

**श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वन विभाग की मांगों के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। सरकार वन विभाग की ओर से किसानों के काम आने वाली लकड़ी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। इसके बारे में हमने समय समय पर वन मंत्रीजी से और स्थानीय अधिकारियों से भी निवेदन किया था लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इकलेरा, असनावर, बकानी और झालावाड़ इन रेन्जों में किसानों को लकड़ी नहीं देती। अगर लोग जंगल में चले जाते हैं तो उनसे 300 रुपये पैनल्टी के वसूल किये जाते हैं और परमिट दिये जाते हैं तो ऐसे जंगलों के दिये जाते हैं जहां कि किसानों के काम की लकड़ी नहीं मिलती और जलाऊ लकड़ी नहीं मिलती। इसी प्रकार से हमारे यहां झालावाड़ और पाटन ये दो बड़ी आबादी के शहर हैं वहां पर जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था नहीं है और न फॉरेस्ट डिपार्टमन्ट की तरफ से कोई कान्ट्रेक्टर है। इसके बारे में मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तक नौबत आ जाती है कि मुर्दों को जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं मिल पाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वन मंत्रीजी इसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

अब मैं एक अनियमितता के बारे में निवेदन करूंगा। इकलेरा, बकानी और असनावर में तेंदू के पत्तों के ठेके नहीं दिये गये और लघु उद्योग निगम को 5 साल औसत पर दिया गया। 5 साल औसत में गत वर्ष की आय शरीक नहीं करने से इसमें राज्य सरकार को 40 पर्सेन्ट आमदानी का घाटा हुआ और निगम को इस उद्देश्य से दी गयी थी कि वहां के श्रमजीवियों को काम मिलेगा लेकिन निगम ने स्थानीय ठेकेदारों को ठेका दे दिया और तेंदू के पत्ते इस समय तुड़वा रहे है और जिस उद्देश्य से सोसाइटीज को दिया गया था वह यह था कि इससे लघु उद्योगों के लोगों को फायदा होगा उसका दुरुपयोग हुआ है और इसमें जो ठेका दे दिया गया है लगभग 50 हजार रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है। यह ठेका 93 हजार में दिया गया जब कि 1½ लाख रुपये औसत आता है और अगर गत वर्ष की आमदनी को शरीक कर लिया जाता है तो इसी प्रकार से असनावर रेन्ज में रातानेदी खण्ड में 1970-71 में 6,000 डांडों का ठेका नीलाम किया उसमें अनियमितता हुई है। वहां के रेन्जर के साले को ठेका दे दिया गया और 6,000 डांडों का ठेका 3,000 रुपये में दिया गया। इतवार के रोज यह ठेका नीलाम किया गया और मिलने वाले दो चार लोगों को बुलाकर डांडों का ठेका दिया गया। उसमें करीब 40,000 डांड निकले जब कि 6,000 डांडों का उन्होंने नीलाम किया था और ये डांड 113 एकड़ जमीन में थे और इसकी इन्क्वायरी भी हुई है। एक एकड़ में 313 पेड़ वहां के रेन्ज ऑफिसर ने लिखकर भेजे हैं, उसमें 313 पेड़ निकले थे और उनकी कीमत 60,000 रुपये के करीब थी। ऐसी जबरदस्त शिकायत भी आपके विभाग में पहुंचने के बाद उसका कोई नतीजा नहीं होता है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लाखों रुपयों की

(श्री. रामप्रसाद बोहरा)

लकड़ी इस प्रकार से काट ली जाती है और उसका कुछ भी नहीं हो पाता है और लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस की दुबारा जांच कराने का आदेश दें।

तीसरी बात यह कि नाकेदार से चिट्ठी ले आते हैं और अव्वल तो नाकेदार मिलता नहीं है और मिलता है तो 5 रुपये वसूल करता है तब वह चिट्ठी देता है जबकि उसको चिट्ठी का कोई पैसा नहीं लेना चाहिये। इससे किसानों में बड़ा भारी असन्तोष है। मालाटोटा, सेवनिया, खोखंदा, घनवास, बीदवा, केरासी, धानोडी, चेकिड़ी में ऐसी जंगल की भूमि है कि जिसमें लगभग 25-30 हजार आदमी काम कर सकते हैं क्योंकि यहां कोई जंगल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है और यह जमीन वन विभाग के अण्डर में है। इससे भूमिहीनों को फायदा हो सकता है। अगर आप किसानों को यह 50-60 हजार एकड़ जमीन दे देते हैं तो उनकी रोजी रोटी चल सकती है, ऐसी जंगल की जमीन है। काबिल काश्त भूमि है। इसमें से किसी भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जे भी कर लिये थे और अभी उनको बेदखल भी किया है। तो मेरा निवेदन है कि यह जंगल की भूमि रेवेन्यू में दी जाकर भूमिहीनों को अलॉट करनी चाहिये ताकि उनको कोई रोजगार मिले और भूमिहीनों को फायदा हो सके। इसके लिए काफी लिखा पढ़ी की जा चुकी है लेकिन आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। लोग जबरन इस भूमि को जोतना शुरू कर रहे हैं और उनको एक तरफ बेदखल किया जाता है, उनसे पैनल्टी ली जाती है और उनकी फसलों को बरबाद किया जाता है जबकि यह भूमि काबिले काश्त है और जंगल के काम की नहीं है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह भूमि आखिर कभी न कभी तो उन लोगों को दी जाएगी।

मदनपुरिया और आमेठा में गत वर्षों में वहां के अधिकारियों ने सात हजार रुपये लेकर इस प्रकार की भूमि लोगों को जुतवा दी और जो इब्तदाई कार्यवाही होनी चाहिए वह चार महीने बाद की गई। इसकी शिकायत भी विभाग में की गई, उस पर क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई, उसका कुछ पता नहीं चल सका। अब मैं राजस्व मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर विचार करें।

सीलिंग के बारे में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। इस बारे में जो भी कार्यवाही सरकार की ओर से होगी वह उचित ही होगी। लेकिन झालावाड़, बूंदी और कोटा में जो ग्रुपिंग हुआ 30 स्टेंडर्ड एकड़ जमीन रखने के वक्त उसमें बड़ा अन्याय हुआ था। लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ और जो पहले नम्बर की जमीन थी उसकी पैदावार ज्यादा आंकी गई और जो वाजिब तरीके से उसका वर्गीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो सका। इसकी भी जो कार्यवाही चल रही है वह पूरी नहीं हुई है। गंगानगर, कोटा और जयपुर की जमीनें जो हैं आबपाशी की, उनमें बड़ा अन्तर है। इनका वर्गीकरण ठीक होना चाहिए। वर्गीकरण ठीक नहीं होने से उन लोगों में बड़ा असंतोष है। जो सीलिंग अब की जा रही है उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है, जिनके पास जमीन ज्यादा है उनसे लेनी चाहिए।

(श्री रामप्रसाद बैरवा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन जो वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में जरूर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

और लिफ्ट इर्रीगेशन में आज भी जो सरकार द्वारा चार्जेज लिए जाते हैं वह 152) रु० प्रति एकड़ लिए जाते हैं जब कि चम्बल एरिया में 12) रु० प्रति एकड़ है। इस प्रकार काश्तकारों से लिफ्ट इर्रीगेशन में जो आबपाशी का ज्यादा रुपया लिया जाता है इससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन चौधरी !

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांगों पर मेरे इलाके से संबंधित कुछ समस्यायें हैं जिन्हें मैं सदन में रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 51 गांव ऐसे हैं जिन गांवों को राजस्थान नहर की वजह से उस क्षेत्र से एक साल पहले जुदा किया गया था। उन गांवों को राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो अधिकार मिलने चाहिए थे वे खातेदारी अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं जिसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा बारानी इलाके में दस साला अलॉटमेंट होते हैं। दस साल पूरे होने के बाद ही उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसे हजारों काश्तकार हैं जिन काश्तकारों को अलॉटमेंट किए दस साल से अधिक समय हो गया है। ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के लिए सरकार द्वारा तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा मेरे चुनाव क्षेत्र लूणकरणसर तहसील में राजस्थान सरकार द्वारा सम्वत् 2017 में पैमाइश का काम शुरू हुआ था। पैमाइश का काम दो साल तक चला और उस पैमाइश के काम में इतनी अनियमितताएं की गईं राजस्व अधिकारियों के द्वारा कि हमारे वहां पर 16 हजार उज्रदारियां पेश की गईं। उस समय अकाल का अवसर था, बहुत से काश्तकार उज्रदारियां भी पेश नहीं कर सके। उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी तक इन्तजाम नहीं किया है। वे उज्रदारियां अभी तक एस० डी० ओ० के दफ्तर में हजारों की तादाद में पड़ी हुई हैं, उन पर फैसला करने की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इससे काश्तकारों के सामने बड़ी समस्यायें पैदा हो रही हैं। मौके पर कब्जा पुराने काश्तकारों का है और सरकारी रिकॉर्ड में खाली दर्ज होने से दूसरे लोगों को अलॉटमेंट हो जाता है और इससे काश्तकारों में आपस में रंजिश पैदा होती है। इस तरह से आपस में काश्तकारों में झगड़े पैदा हो जाते हैं। उन झगड़ों को निपटाने के लिए जो उज्रदारियां पेश कर दी गई हैं उनका फैसला किया जाना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा बीकानेर तहसील में हमारे ऐसे बहुत से गांव हैं, जिन गांवों का सैटलमेंट हुए 40-50 साल हो गए हैं। 40-50 साल पुराना सैटलमेंट होने से गांवों में मौके पर कब्जे के झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को बीकानेर तहसील के गांवों का सैटलमेंट कराना चाहिए।

(श्री भीमसेन चौधरी)

ये ही कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अजीतसिंह !

**श्री अजीतसिंह** (टोंक) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लगान आज जो लग रहा है वह पुराने तरीके के ऊपर आज भी है, उसी तरीके से वसूल हो रहा है और उसी तरह से लिया जा रहा है। मेरा इसमें सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पुराना तरीका अब बदला जाना चाहिए। पुराने तरीके के अन्दर राजाओं के राज में यह लगान की व्यवस्था नाज के बंटवारे के ऊपर हुआ करती थी। छठा बांटा के हिसाब से यह व्यवस्था थी और उसी हिसाब से सारा का सारा पैसा वसूल होता था और जमीन भी वितरित की गई थी और उसी हिसाब से कुओं से सिंचित जमीन को चाही मान कर इन सारी जमीनों पर यह लगान लगाया गया था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी राय है कि यह जो जमीनों की किस्में हैं, काली, पीली वगैरह और उन पर कुआं और नहरों से पानी मिलता है, जैसा कि माननीय सदस्य चौधरीजी ने कहा है कि किसानों को कुओं पर काफी खर्चा करना पड़ता है और कुओं से काश्तकारों को जो पैदावार होती है उस पर उसका काफी खर्चा आ जाता है। उसके ऊपर चाही का टैक्स इतना भारी पड़ता है, लगान इतना भारी लगता है कि वह उचित नहीं है। दूसरे, जो सीलिंग की व्यवस्था चल रही है उसमें यह कुओं से सिंचित जमीन को चाही आंकते हैं। कुओं को किसानों ने अपने पैसे से बनाया है लेकिन सीलिंग के अन्दर कुओं के लिए छूट नहीं रखी गई है तो जिन्होंने कुए बना रखे हैं उनके कुए चले जायेंगे और किसानों को दूसरे कुए खोदने पड़ेंगे। इससे बड़ी अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। इसलिए सीलिंग के अन्दर जमीनों के अलावा जो कुंओं की चाही है वह हटा दी जानी चाहिए और जमीन जो काली, पीली वगैरह है, वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरे, जो अकाल, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, शीत लहर से नुकसान होने पर जो लगान में छूट दी जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको अब एक साथ वसूल किया जाता है, यह कदम उचित नहीं है। इसके अन्दर धीरे धीरे करके छूट की रकम वसूल की जाय तो किसानों को राहत मिलेगी। जो एक साथ वसूली होती है इससे किसानों को अपनी जमीन, गहने, जेवर आदि बेचने पड़ते हैं, किसान कर्जदार हो जाते हैं, इसलिए यह आसान किस्तों में वसूल की जाय और किसानों को कर्जदार होने से बचाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में किसानों की जो भूमि, बांध, नहर, सड़कें तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में ली जाती है उसकी भी लगान वसूली लगातार हो रही है। मेरा सुझाव है कि लगान को स्थगित करके उनको छूट देनी चाहिए क्योंकि जमीन तो कोई काम में ली नहीं, उसका कोई उपयोग किसान के द्वारा होता नहीं है पर लगान लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बाड़ों के बारे में सरकार का आदेश होने के उपरान्त भी नियमन नहीं हो रहा है। बाड़े जो जगह जगह पर काश्तकारों द्वारा बनाए जाते हैं वे

(श्री अजीतसिंह)

जानवरों को रोकने के लिए कांटे लगाकर बनाते हैं, इन पर काश्त तो कोई होती नहीं है, यह तो टैम्परेरी इन्तजाम है लेकिन इसके ऊपर भी तहसील की तरफ से पैनल्टी वसूल होती है। पैनल्टी भी इतनी बड़ी वसूल होती है कि उसको काश्तकार देने में असमर्थ हो जाता है। और पैनल्टियों पर जो काश्तकार अपील करता है तो उस पर भी निर्णय नहीं होता, स्टे प्राप्त नहीं होता और पी० डी० आर० के अन्दर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत बहुत दयनीय है और काश्तकार को मजबूर होकर पी० डी० आर० में पैसा जमा कराना पड़ता है। अपील में अगर कोई जाता है और अपील मंजूर हो जाती है तो भी जुर्माने का पैसा वापिस मिलता नहीं है और इससे बड़ी असुविधा खड़ी हो जाती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बाड़ों का जल्दी से जल्दी नियमन कराया जाय और इन बाड़ों के ऊपर इतनी सख्ती न वर्ती जाय।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, नामान्तरण के मामले में भी किसानों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पंचायतों के अन्दर तथा तहसीलों के अन्दर उनका निबटारा नहीं हो पाता है। ये बहुत सारे मामले तहसीलों के अन्दर पड़े हुए हैं। उनको न तो पंचायतें ही तय करती हैं और न तहसीलदार ही उनको तय करता है। इस प्रकार नामान्तरण के मामले यूं ही लटके हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन नामान्तरण के मामलों में ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि ये जल्दी से निबट सकें और किसानों को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन और अतिक्रमण की बहुत बुरी समस्या हमारे प्रान्त के अन्दर है। आवंटन के अन्दर इतनी लूट हुई है कि इसके अन्दर गरीब किसान पीछे रह गया है और लोगों ने 66 के पूर्व जो कब्जा किया था उनकी फसलें नष्ट करदीं, उनको बेदखल कर दिया गया और उसके बाद जो प्रभावशाली आदमी थे, वे वहां पर जमे रह गये और बाकी लोग उखड़ गये। इसके बाद धीरे धीरे राज्य सरकार ने दुबारा इन कब्जों का नियमन करने का आदेश दिया तो उसका फायदा जितना था वह मालदार लोगों को, ऐसे लोगों को, जिनके पास में पूंजी थी, मिल गया बाकी गरीब काश्तकार वहां से हटा दिये गये। इसके अन्दर अतिक्रमण और अलॉटमेंट के अन्दर गांवों के ऊपर सबसे ज्यादा मार डाला गया है और यह मेरी समझ में शहर वालों ने बढ़ा दिया है। शहर वाले लोग गांवों के अन्दर खेती की जमीन आवंटन कराने के लिए पहुंच गये। कई लोगों ने वहां पहुंच कर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और कई लोगों ने जमीन का अलॉटमेंट भी करा लिया। इन लोगों का गांवों के अन्दर जमीन लेने का ऐसा कार्य था जो उचित नहीं कहा जा सकता। इससे गांव वालों को कोई अच्छी राहत नहीं मिली और इन लोगों ने खेती पर मनमाने ढंग से पैसा खर्च करके गांव की सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया और गांव वालों के समक्ष एक समस्या पैदा कर दी है। दूसरे उद्योगों के बहुत सारे लोग खेती की तरफ आ गये हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने भी जमीनों का अलाटमेंट करा लिया। गांवों के अन्दर उन्होंने जमीन का अलॉटमेंट कराया है। इसमें इन्होंने रिश्वत का पैसा लगाया है, वह काला धन, पूंजी लगाई है और फार्म बना लिए हैं और अपनी आमदनी बताने के लिए फार्म खड़े कर लिए हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो

( श्री अजीतसिंह )

यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अलॉटमेंट केवल किसानों को ही किया जायेगा उसका गवर्नमेंट सख्ती से पालन करे और जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये हैं उनको बेदखल किया जाये ।

जो सरकारी पड़त जमीन है, उस पर मेरा एक ही मत है कि उसको जल्दी से जल्दी अलॉट किया जाये और ऐसा किया गया तो इससे अतिक्रमण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह दूर होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट सरकारी पड़त जमीन का किया जाये ताकि अतिक्रमण की समस्या मिटाई जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, पड़त जमीन जोतने पर, अतिक्रमण करने पर पैनल्टी लगायी जाती है । यह बहुत बड़ी तादाद में है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अतिक्रमण को रेगुलराइज करने के साथ साथ यह पैनल्टी जो हमारे काश्तकारों पर लगाई गई है वह भी माफ की जाये । आज गोचर भूमि का भी अतिक्रमण कर लिया गया है और कहीं कहीं तो उसको आवंटित भी कर दिया गया है । इससे गांव वालों को बड़ी मुश्किल हो गई है। मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जमीन से इन अतिक्रमणियों को बेदखल किया जाये, इस जमीन को खाली कराने की सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किसानों को पास-बुकें अभी तक नहीं बांटी गयी हैं इसलिए इनके बांटने की व्यवस्था की जाये। भू-राजस्व की वसूली के लिए हमारे सामने एक समस्या आती है । वह यह कि पटवारी बिना रिश्वत लिये भू-राजस्व जमा नहीं करता है । जैसी पानी, बिजली के बिल जमा कराने की व्यवस्था है, उसी तरह से लगान जमा कराने की सुविधा की जानी चाहिए । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान वहां पर जाकर अपना लगान जमा करा दे । पटवारी द्वारा जमा कराने पर पटवारी उनको परेशान करता है और वह उनसे बिना पैसे लिये जमा नहीं करता है और न उनको यह बताता है कि कितना पैसा उनको जमा कराना है । वह किसानों का लगान का पैसा आसानी से जमा नहीं करता है । मेरा निवेदन है कि इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बदला जाये ।

जंगलात के बारे में भी मुझे निवेदन करना है । टोंक शहर के अन्दर कहीं कहीं पर जंगल घुसे हुए हैं और जितने कुए जंगलात के अन्दर हैं उनके अन्दर घुसना जंगलात वालों ने बन्द कर दिया है । इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है । इसके ऊपर भी सरकार ध्यान देकर उचित कार्यवाही करे ।

मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला !

**श्री शीशराम ओला** (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर हमारे जिले के फौजियों के बारे में, और राजस्थान भर के फौजियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उन फौजियों के बारे में निवेदन करूंगा जिन्होंने सन् 62 में चीन के आक्रमण के समय और बाद में सन् 65 में पाक-युद्ध के समय अपने

(श्री शीशराम ओला)

देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और वीरगति प्राप्त की थी। उनके लिए हमारी सरकार ने कुछ घोषणाएं की थीं, उनके आश्रितों के लिए परन्तु वे आज तक पूरी नहीं की गई हैं। कुछ लोगों को जमीन मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है और जो उनकी विधवायें और आश्रित हैं उनको जमीनें नहीं मिली हैं। अब मौजूदा पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद में हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने सन् 62 और सन् 65 में चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के वक्त जो घोषणाएं की थीं जमीन देने की वह 50 बीघा गैर सिंचित और 25 बीघा सिंचित के हिसाब से थी। अब इसको राज्य सरकार ने घटा कर साढ़े बारह बीघा सिंचित और 25 बीघा गैर सिंचित कर दिया है। इससे उन फौजियों के मनोबल पर बड़ा भारी असर पड़ा है। यह असर पड़ा है कि दूसरे प्रान्तों के जितने भी फौजी हैं, उनको वहां पर सहूलियतें मिल रही हैं, उनको चीन के एग्रेशन के वक्त मिली थी और इधर राजस्थान के फौजियों, जिन्होंने भी इस युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, परिवार वालों को, उनके बच्चों को, आश्रितों के लिए जो सहूलियतें घोषित की गई थीं उनके अन्दर कमी की जा रही है। जब वे फौजी दूसरे प्रान्तों के फौजियों से बात करते हैं तो उनका इससे मनोबल गिरता है, उनके दिमाग पर इस बात का असर पड़ता है। दूसरी स्टेट के फौजियों को भी यह विचार करने का अवसर मिलता है कि राजस्थान सरकार ने जिन सहूलियतों का ऐलान किया था, वे उसने वापिस ले ली हैं। विथड्रा कर ली हैं, या आधी कर दी हैं। हरियाणा, यू० पी०, पंजाब और महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स के जो भी फौजी वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको धन के रूप में नगद दिया गया है और उतनी ही कीमत की जमीनें दी गई हैं। वहां की सरकारों की जो योजनाएं बनी थीं उनके अनुसार वहां पर काम हुए हैं। चीन और पाक के एग्रेशन के वक्त जो घोषणाएं उन्होंने की थीं उनको पूरा किया गया था। जब ये फौजी बैठ कर आपस में बात करते हैं तो उनको यह महसूस होता है कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। आज आर्मी में, मैं यह कह सकता हूं कि प्रान्त की आबादी के हिसाब से सब से ज्यादा फौजी राजस्थान के हैं। इस बात का उनके दिमाग पर एक असर पड़ता है और ऐसा असर एक सैनिक के दिमाग पर पड़ना अच्छी बात नहीं है और न हमारे और हमारे देश के लिए अच्छा है। किसी भी कीमत पर सैनिक के मनोबल को कायम रखा जाना चाहिए, उसे गिरने नहीं देना चाहिए। यह हमारा परम कर्त्तव्य है। इसलिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से आपके द्वारा यह मांग करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, 62 के युद्ध के बाद जो घोषणाएं की गई हैं, उनको आज तक पूरा नहीं किया गया है, अब उनको पूरा किया जाये और जिनको जमीनें नहीं मिली हैं उनको एक महीने के अन्दर अन्दर जमीनें दी जानी चाहिएं। ये लोग देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इन लोगों को उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक यानि जो सहूलियत सन् 62 के युद्ध के बाद मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए। इनको जमीन तत्काल मिले ताकि उनके दिमाग पर जो यह असर पड़ा है उसको दूर किया जा सके। उनके दिमाग पर यह असर पड़ा है कि जो घोषणायें सरकार करती है, उनको वह पूरा नहीं करती है। इससे उनके दिमाग पर वजन रहता है। सरकार

# Page No 113



(श्री शोभाराम ओझा)

के ऐसा करने पर यह वजन हल्का हो सकेगा और उनका मनोबल ऊंचा रह सकेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि गांवों के अन्दर रास्ते नहीं हैं। पंचायतों के पास जाते हैं तो वे कहती हैं यह उनके अधिकार में नहीं है। रेवेन्यू आथोरिटीज के पास जाते हैं तो वे कहते हैं यह पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। वास्तव में यह पंचायतों के अधीन नहीं है। जहां भी एक रास्ते में दस, बीस खेत लगते हैं, लोग उन खेतों के बीच में से जाते हैं तो उन खेतों के काश्तकार उनको रोक देते हैं। इससे उन दस, बीस खेतों के काश्तकारों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वे अपने खेतों पर न तो मवेशी ले जा सकते हैं, न अपने खेतों को संभाल सकते हैं, न वहां पर पानी भेज सकते हैं, न अपने खेतों की रखवाली कर सकते हैं। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि खेतों पर जाने के लिए रास्ते की सुविधा की व्यवस्था की जाय। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के रास्ते हैं ये रास्ते पहले के कटे हुए हैं और इतने तंग कर दिये गये हैं कि उन रास्तों से न कोई मोटर गाड़ी जा सकती है और कभी कभी तो एक आदमी का जाना भी मुश्किल हो जाता है।

जब एक काश्तकार अपने खेत से अपने बैल, ऊंट या सिर पर घास आदि लेकर घर को जाता है और दूसरे काश्तकार अपने खेतों को जाते हैं तो रास्ते में एक दूसरे को क्रास नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने से गुजर नहीं सकते। इधर जायं तो बाढ़ और उधर जायं तो बाढ़। रास्ते तंग कर दिये गये हैं। उन रास्तों को ठीक कराया जाय। आप सीलिंग तो करने जा रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन रास्ते तो ठीक करायें। एक काश्तकार अपनी जमीन में से लोगों को नहीं जाने देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रास्ते का मसला बड़ा गम्भीर मसला है। इनको ठीक कराया जाय।

मैंने फौजियों के लिए कहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति देश की रक्षा के लिए दी उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाय। सबसे पहले उनका काम किया जाय जिन्होंने देश की रक्षा करके देश की इज्जत और देश की आजादी को सुरक्षित रखा है। उन्हें जमीन सबसे पहले मिले, और एक महीने के अन्दर अन्दर यह कार्य समाप्त हो जाय, ऐसा मैं चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री गिरधारीलाल भार्गव।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में जो ग्रामों में मोटर प्रणाली द्वारा सर्वे कराया गया है वह बिल्कुल गलत है। इस सर्वे के आधार पर खेतों के टुकड़े हो गये हैं और एक के खेत दूसरे के नाम लगा दिये गये हैं और खेत बदल दिये गये हैं। इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में जिन गांवों का सर्वे हुआ है वह सर्वे दुबारा कराया जाय।

इस सर्वे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वे करने के कार्य के लिए माह जुलाई, 1969 में भू-प्रबन्धक अधिकारी की पार्टी वहां पहुंच गई और इस कार्य में 7 लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ। लाखों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रुपया गलत चीजों पर, जो कम्प्यूटिंग का कार्य है उसमें लग गया और उसी पर खर्चा हुआ और उसी के लिए सर्वे आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कई कम्पनियों को मीटर प्रणाली के सीटिंग के लिए इस प्रकार के पत्र भेजे गये। वह सीटिंग नहीं मिली, लेकिन उत्तर आने के पहले ही वहां के जो अधिकारी थे और जिनको यह काम सौंपा गया था जिनका नाम श्री हनुमानसहायजी थे, उन्होंने मिलकर अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग किया, और कथित हनुमानसहायजी, जो विभाग के अध्यक्ष थे, किसी एक गोदाम में 1 हजार पुराने सीटिंग, पुरानी मेट्रिक प्रणाली के सीटिंग की खरीद दिखाई जबकि कोई सीटिंग की खरीद नहीं की और अपने पुराने मित्र से पुरानी मेट्रिक प्रणाली की सीटिंग प्राप्त करली। इस पुरानी प्रणाली से बहुत बड़ा अन्तर आता है और इसके द्वारा आज जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में जो किसान हैं उनके खाते बदले गये हैं और उनके नाम बदल गये हैं।

इसी प्रकार से इन श्रीमान् हनुमानसहाय ने डेली वेजेज के आधार पर कई लोगों को अपने यहां पर भर्ती किया और नकली लोगों के नामों से डायरियां भरीं। वह नकली डायरियां पकड़ी गईं और बयान हुए। फर्जी डायरियां प्रस्तुत की गईं, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की गई। इसके अलावा भू-प्रबन्ध आयुक्त ने काम प्रारम्भ करने के अधिकार दे दिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर नगर की 12 मील की परिधि का दुबारा सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे बिलकुल गलत हुआ है। पुरानी सीटिंग वहां पर नहीं थी। पुरानी और नई मीटर प्रणाली में फर्क होता है। इसमें 144 जरीब होते हैं और पुरानी सीटिंग में सर्वे कराते हैं उसमें 111 जरीब होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों सीटिंग में अन्तर होने के कारण जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में जो किसान बन्धु हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है।

दूसरा मेरा निवेदन है अतिक्रमण के बारे में। राजस्थान में 4 लाख मामले अतिक्रमण के पड़े हैं। अतिक्रमण करने वाले कौन व्यक्ति हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिनका राजनैतिक दृष्टि से प्रभाव है या जो धनवान हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो काश्तकार की परिभाषा में मुख्यतः आते हैं। आज सरकार अतिक्रमण को रोकने में असमर्थ रही है। नियमित करने के समय समय पर सरकार ने कई बार आदेश दिये। उससे आज तक न गरीबों को जमीनें मिली हैं और न भूमिहीनों को जमीन मिली है। जैसे ही कोई अतिक्रमण को नियमित करना चाहते हैं तो पहले आप इस तरफ सोचेंगे कि कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने हरिजन हैं, कितने इस प्रकार के जन जाति के लोग हैं। उन सभी के आंकड़े लेकर आप को उन लोगों को भूमि देनी चाहिए और उसके बाद में यदि उस गांव में भूमि बच जाती है तो जिन लोगों ने भूमि का अतिक्रमण किया है उन लोगों को देनी चाहिए। यह मेरी मांग है।

इसके बाद में मेरी यह प्रार्थना है कि भूमिहीन की परिभाषा सरकार ने की है, लेकिन सरकार समय समय पर परिभाषा बदलती चली गई। सरकार भूमिहीन की परिभाषा को सन् 1954 से निरन्तर बदलती चली आ रही है। इसकी परिभाषा 54 में, 55 में, 57 में बदली गई और फिर 68 में जाकर राजस्थान सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इस सारी परिभाषा की कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भूमिहीन कौन होगा, बदला, लेकिन अन्तर में जाकर वह की जो राजस्थान भू-अधिनियम संशोधन विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन में जो परिभाषा की थी टेनेन्सी विधेयक, 1969 में किसान की परिभाषा दी गई है कि किसान वह व्यक्ति है जो अपनी जीविका पूर्णतः या मुख्यतः कृषि द्वारा कमाता है और कृषि-श्रम उसमें सम्मिलित है। मेरा यह निवेदन है कि टेनेन्सी एक्ट के तहत यह जो परिभाषा भूमिहीन की दी है, इस परिभाषा को शामिल कर इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए। यों तो जागीरदारों की जागीरें ले लीं, राजा महाराजाओं की जमीनें ले लीं लेकिन मैं कहता हूं कि जो भूमिहीन की परिभाषा दी है समय समय पर, और आज जो परिभाषा दी गई है वह गलत परिभाषा दी है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दी है। इस परिभाषा को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना पड़ेगा। इससे कई लोगों, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, की जमीनें हमारे पास आ जायेंगी। इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आखिर जो भूमिहीन हैं नहीं उन लोगों ने जमीनों पर कब्जा क्यों कर रखा है? मैं आपका ध्यान इस सूची की तरफ दिलाना चाहूंगा जो कि मेरे पास है। इनमें ऐसे लोग हैं जो कि खेती करते नहीं हैं और उनके पास बड़े बड़े प्लाट हैं। इनमें हैं श्री रामकुमार नन्दवाना जो कभी एम० एल० ए० रहे होंगे। स्वतन्त्र भूषण गर्ग जो कि खेती करते नहीं हैं वे उप-प्रमुख एवं प्रधान पंचायत समिति हैं। उनके पास में खेती की जमीन है। श्री देवीशंकर नन्दवाना, श्री गौरीलाल नन्दवाना, इनके पास जमीन है, रामदयाल नन्दवाना, शंकरलाल जाट इनके पास जमीन है, श्रीमती सरस्वती देवी, श्री कृष्णचन्द पंचोली, श्रीमती शीला पंचोली, पंचोली परिवार, इनके पास जमीन है। गणेशलाल रेगर, शंकरलाल, सोसर बाई, मांगी बाई, दीनबन्धु, श्रीमती शान्ता देवी, आदि। इस प्रकार से बहुत बड़ी सूची मेरे पास है। उसमें मेरा समय खत्म हो जायगा और आप टाइम नहीं देंगे। 100-125 नामों की सूची है। आज मंत्रियों में से भी कई के पास जमीनें हैं। वे भूमिहीन नहीं हैं। मैं यहां तक आरोप लगाना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर जो ××× 

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि आपसे पहले निवेदन किया गया है····

**श्री गिरधारीलाल भार्गव:** प्राथमिकता के आधार पर·····

**श्री उपाध्यक्ष:** पहले भी आप से निवेदन किया गया है, और मैं समझता हूं कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस आसन से कई बार आदेश दिये गये हैं और पहले भी आपसे निवेदन किया गया है कि नियम 272 का उल्लंघन आप न करें, और इस संबंध में जो भी आरोप लगा रहे हैं स्पेसिफिकली सदस्य के बारे में या जो पहले सदस्य था और अब नहीं है या दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके बारे में तो आप नोटिस दें, प्रमाण दें और आसन को सूचना दें। आइन्दा इस बात की आप अपेक्षा नहीं करेंगे और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे आप, आपके इस भाषण में से इन शब्दों को एक्सपन्ज करने का आदेश देता हूं।

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंश निकाला गया।

# Page No 116



**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वहां के बारे में निवेदन है, यह आरोप नहीं है। आप इसको आरोप क्यों समझते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इस संबंध में आसन की व्यवस्था दी जा चुकी है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह आरोप नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसको आरोप मानता हूं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : अब आप नहीं बोलने दें, वह दूसरी बात है। वहां एक एक मन्त्री के पास कितनी जमीन है · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने आप को कहा है. आप दूसरे नाम नहीं लें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : वह कृषक नहीं हैं। वह राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से जमीन ले ली है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आरोप है। जयपुर के 12 मील के दायरे में जमीन ली है, यह आरोप है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हमारे पास जमीन नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी जो नाम आचुके हैं, उनको भी एक्सपंज किया जाये। पहले भी नाम बोले हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह कहा गया है, बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपने राजनैतिक प्रभाव से जमीन ली है।

(1) मोतीलाल चौधरी, बीड़ खातीपुरा, 150 बीघ ।

(2) कन्हैयालाल जैन, 10 बीघा ।

(3) राजेन्द्र प्रसाद देवड़ा, 15 बीघा ।

(4) ललिता प्रसाद देवड़ा, 15 बीघा ।

(5) सुदर्शनकुमार पुत्र भीखा भाई, 20 बीघा ।

(6) श्रीमती इन्द्रा मायाराम, कूकस, 20 बीघा ।

एक ओर तो सरकार गरीब लोगों की जमीन अवाप्त कर रही है और जो सम्पतिशाली लोग हैं, उनको जमीन देना चाहती है। मैं कहता हूं कि आपको राज्य सरकार से जांच करानी चाहिए। इस सदन में जो नाम बताये गये हैं। यह सूची हमारे पास है। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तक यह कहा गया था कि मास्टर प्लान बन रहा है। 25 हजार बीघा जमीन देने की घोषणा की गई थी। लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 25 हजार बीघा कहीं हरिदेव जोशी के फार्म में आ जाये, मोतीलाल चौधरी के फार्म में आ जाये, यदि इन राजनैतिक लोगों से जमीन अवाप्त नहीं की गई तो जो आप जयपुर जिले को अपनी बपौती मानकर चलते हैं, इससे एक भयंकर क्रांति होगी। यह असमानता नहीं होगी। राज्य सरकार की 17,11,651 बीघा 8 बिस्वा पड़त जमीन पड़ी है। चूरू, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, जोधपुर, चित्तौड़, झालावाड़, सिरोही, सीकर, बूंदी, डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर और झुन्झुनू, इन जिलों में कितनी जमीन पड़ी हुई है। कुछ लोग दूसरों की जमीन लेने की बात कर रहे है। यह नहीं हो सकता है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : (अश्रव्य)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : इसी प्रकार से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में सबसे ज्यादा लगान लिया जाता है। कुओं की सिंचाई का लगान ज्यादा और नहरों की सिंचाई का कम। जबकि गरीब किसान कुआं खुद बनाता है। अपनी स्त्री के जेवर बेचता है और कुआं बनाता है। मैं राज्य सरकार को जनसंघ की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार ने जयपुर जिले की रेट ज्यादा रखी, भेदभाव रखा तो निश्चित रूप से इस सारे प्रदेश में जनसंघ को आन्दोलन करना पड़ेगा।

1967 में सरकार ने 7 एकड़ वालों का लगान माफ़ कर दिया था। यही कांग्रेसी सरकार है। अब क्या हो गया? क्यों नहीं छोटी जोत वालों का लगान माफ किया है? 18 एकड़ जोत पर सीलिंग कर रहे हैं। कहीं पर 5 बीघा होगी, कहीं पर 4 बीघा होगी। किसी के और भी कम होगी। राजस्थान सरकार यह घोषणा करे कि हरिजनों पर हम लगान माफ करते हैं।

चीनी हमले के समय में प्रत्यक्ष रूप से सरचार्ज लगाया गया था। उसके बाद बंगला देश की लड़ाई के समय टैक्स चालू किया गया है। चीनी लड़ाई के समय जो सरचार्ज लगाया गया था, वह और भी बढ़ गया। बंगला देश के समय जो टैक्स लगा था, वह भी लगा हुआ है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि सरचार्ज राज्य सरकार को वापिस लेना चाहिए। चीन की लड़ाई हुये काफी समय हो गया है। अब उसको वापिस लिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से वन विभाग के जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा वनों को बरबाद किया जा रहा है। हमारी जो सम्पत्ति है, वह बरबाद की जा रही है। आप के विभाग द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें यह बताया गया है। इसी प्रकार से जयपुर में टी० बी० सेनेटोरियम के पीछे, नारी के नाका में वन विभाग की जमीन बेकार पड़ी है। चिप बोर्ड फैक्टरी के लिए जो जगह खाली रखी गई है, ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां पर बांस खड़े हुये हैं उनको काटा नहीं जा रहा है। उससे भयंकर नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से चितौड़ में कत्था कूपों के बारे में चालू सदन में आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार कार्य करेगी। लेकिन राज्य सरकार ने कार्य नहीं किया। इसके लिए तारांकित प्रश्न सदन में रखा गया है। रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार ने जंगल के अनेक पेड़ काटे हैं। इसके अतिरिक्त उसने नाजायज माल बेचा। ठेकेदार ने कत्थे को तैयार नहीं किया, वह ठेकेदार तो नाजायज माल को बेचता है। यह कत्था काण्ड है, जिसकी रिपोर्ट सदन में आई थी। यह प्रश्न पूछा गया था कि उस पर क्या कार्यवाही हुई। राज्य सरकार ने कहा, नहीं। क्योंकि वह कांग्रेस के नेताओं का काम था, कांग्रेस को वोट मिलने वाला काम था, उस पर यदि कोई कार्यवाही कर लेते तो कांग्रेस कैसे जीतती। कांग्रेस के जीतने के कारनामे मैं एक एक कर के प्रकट कर रहा हूं। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा, पुनरखा, उदयपुर, में बीड़ी के पत्तों को नीलाम किया गया, नीलामी होती है, ठेका नीलाम करते हैं, सारे रकबे की नीलामी करते तो लाखों रुपये की आय होती, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं नाथूलाल, भैरूलाल, उनका उदयपुर में प्रभाव है, उनको खुली नीलामी के आधार पर पांच वर्ष का ठेका दे दिया गया। पांच वर्ष के लिए ठेका दे दिया गया, दो लाख की आय हुई ठेका देने से, अन्य लोगों ने प्रार्थना-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पत्र दिये, 5 लाख 21 हजार देने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के एम० एल० ए० को लाभ पहुंचाना था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वन की स्थिति राजस्थान में खराब है, राजस्व की स्थिति खराब है। मेरे यह सप्रमाण आरोप हैं, कोई मंत्री चैलेंज करना चाहे तो कहें, मैं चेम्बर में, इस सदन में सभी आरोप सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। एक एक का मेरे पास रिकॉर्ड है.....

**श्री देवीलाल** : नाथूलाल भैरूलाल, कौन हैं? कौनसे नेता हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : बड़ी गम्भीरता के साथ में इन आरोपों को सुनना चाहिए। मैं समझता हूं....

**श्री देवीलाल** : गलत है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आप जीत कर आये हैं तो किस प्रकार जीत कर आये हैं, भ्रष्टाचार फैला कर जीत कर आये हैं......

(शोर गुल)

**श्री देवीलाल** : गलत है।

**श्री नाथूराम** : गलत है यह बात।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आपको सारी बातों की जांच करनी पड़ेगी और तथ्यों के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। मेरी मांग है, मेरे आरोपों को आप जबर्दस्त आरोप मान कर इन पर विचार करें.....

**श्री नाथूराम** : नाथूलाल कौन हैं, कौनसे नेता हैं?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जनसंघ ने यह आरोप लगाये हैं। इन आरोपों को सुनने और जांच करने की क्षमता राज्य सरकार को रखनी चाहिए। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री नाथूराम** : साफ साफ बताइये, कौनसे नेता हैं?

**श्री देवीलाल** : गलत आरोप लगाये हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं है—नाथूलाल भैरूलाल।

**श्री गुमानमल लोढा** : आप पूछना चाहते हैं नाम, तो लम्बा चौड़ा इतिहास मैं बताऊंगा। जिला कांग्रेस के नेता हैं, एम०एल०ए० हैं, आप इस पर जोर मत दीजिये।

**श्री देवीलाल** : गलत बात कैसे कहते हैं।

**श्री गुमानमल लोढा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम भी बता सकता हूं......

**श्री देवीलाल** : गलत बता सकते हैं।

**श्री गुमानमल लोढा** : यह भी आपको बता सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री उसमें लिप्त थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करूंगा, आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री देवीलाल** : यह गलत बात कह रहे हैं।

**श्री गुमानमल लोढा** : आप कहेंगे तो एक एक की जन्मपत्री का एक एक पेज बताऊंगा।

**श्री देवीलाल** : जनसंघ का आदमी है उसको भी कांग्रेस का बता दिया।

**श्री मनोहरलाल** : कांग्रेस का नेता बनने में क्या है, चार आने में बनते हैं।

**श्री देवीलाल** : ठेकेदारी का धन्धा करने वाले कांग्रेसी हैं, सब धन्धा करने वाले कांग्रेसी बन गये, इनका कांग्रेस से संबंध नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुरुदयालसिंह संधु।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा गंगानगर में चल रहे सैटलमेंट के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। गंगानगर में 66 से सैटलमेंट चल रहा है और वहां पर जितनी भूमि का इन्तकाल 59 में हुआ था वह उन्होंने मन्सूख कर दिया। अब नए इन्तकाल कराने के लिए हमें सैटलमेंट विभाग के पास गंगानगर में जाना पड़ता है। वह उसकी रिपोर्ट बीकानेर में भेजते हैं। बीकानेर से फिर रिकमन्ड होकर आता है। फिर गंगानगर वाले सैटलमेंट में दर्ज करके भूमि का इन्तकाल करते हैं। इस तरह से बीस, पच्चीस साल के पुराने इन्तकाल बने हुए हैं, और इन्तकाल में इतने बाकी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सैटलमेंट के समय यह देखने में आया, उन लोगों ने 66 से लेकर कोई काम वहां पर कराया नहीं, किया तो वहां जमीन खींचने के लिए नौकर रखे गए। लेकिन किसी मुरब्बे की पैमाइश नहीं की गई, किसी जमीन की पैमाइश नहीं की गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाया……

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पारस्परिक बात नहीं करें।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** : कोई इरिगेशन रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जिससे पता लग सके रिकॉर्ड पर किसकी भूमि है। जो रिकॉर्ड तैयार किये गये वह अलवर में बैठे हुए लोगों ने तैयार कर दिये, जो वहां के रहने वाले लोगों का नाम भी नहीं जानते हैं। इस तरह सारा गलत रिकॉर्ड तैयार हुआ है। भूमि पर खींच कर मुरब्बा की पैमाइश नहीं की गई है। इस कारण वहां इतने झगड़े चल रहे हैं कि एक टी० बी० के एक चौधरी के आदमी ने इसलिए नोटिस दे रखा है कि मुरब्बे का पत्थर पांच फीट दूसरी ओर लगा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां जो सैटलमेंट हुआ है वह किसी तरह भी उचित नहीं हुआ। इसी तरह से मेरे गांव में जमीन नहर के साथ साथ लगती है, वहां पर किसी की पैमाइश ज्यादा बता दी गई, किसी की कम। जिसमें ज्यादा दिखा दी गई, उसको सरकारी भूमि पर कब्जा करना पड़ेगा। इस तरीके का सैटलमेंट हुआ है, और उसमें जो कार्यवाही हुई है वह उचित नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, भूमि का इन्तकाल नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय को यह अर्ज करूंगा कि भूमि के इन्तकाल का रजिस्टर पंचायत को दिखाया जाय ताकि इन्तकाल समय पर होते रहें। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा जो गोशवारा तैयार किया जाता है, जमीन का बेचान होता है उसका वह दस बारह महीने पहले का तैयार नहीं किया गया है। क्योंकि इन्तकाल का, रेवेन्यू का रिकॉर्ड ठीक नहीं हो रहा है, इन्तकाल दर्ज नहीं हो रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में पैमाइश मृत्युकाल पर होनी चाहिए और उसके आधार पर ही इन्तकाल दर्ज कराया जाना चाहिए। यह इन्तकाल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सैटलमेंट विभाग की कार्यवाही को चैक किया जाय और इन्तकाल के अन्दर सुधार कराया जाय।

वहां पर टी० सी० लैंड है, उसके लिए कहा गया है कि टी० सी० रेट लागू कर दी गई

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है, जबकि 25 मार्च, 70 को इस सदन में घोषणा की गई थी कि भविष्य में टी० सी० रेट नहीं लगायी जायगी, टी० सी० पर सरचार्ज नहीं होगा। लेकिन इसको वहां पर सख्ती से वसूली की जा रही है और लोगों को, किसानों को बड़े महंगे भाव से लेकर देना पड़ रहा है। इस कारण लोग भूखे मर रहे हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, भूमि का एलॉटमेंट है यह गलत तरीके से किया जा रहा है। मैं मिसाल देना चाहता हूं, हाई पावर कमेटी का मेम्बर मैं था। एक अप्रेल को मैं अजूबगढ़ में पहुंचा। मुझे बताया गया, जो जमीन एलॉट की गई है उससे कोई नहीं बचा हुआ है। दूसरे लफ्जों में कहा, आप भी नहीं बच सके हैं। 13 बी चक में दो मुरब्बे एलॉट थे, एक मेरे भतीजे के नाम से, दूसरा मेरी वाइफ के भतीजे के नाम से और तस्दीक करने वाला था गुरुदयालसिंह संधु, जो मैं हूं। मुझे हैरानी हुई, जब फाइल मंगाई गई और पता किया गया, तो उसके अध्यक्ष, जो सदन में इस समय बैठे हुए नहीं हैं, को मैंने दरख्वास्त दी, यह रिकॉर्ड सील कर दिया जाय और इसकी जांच कराई जाय, जमीन का फायदा कौन उठा रहा है। और जिसने जमीन पर कब्जा किया है, उसकी जमीन पर फसल मौजूद हो तो भी कब्जा किया जाय। यह अप्रेल, 70 की बात है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे सामने ही कलेक्टर, गंगानगर को वह दरख्वास्त दे दी गई। इसके बाद दुबारा जांच कराने के लिए दरख्वास्त दी। वह भी कलेक्टर, गंगानगर को दी। मैंने कमिश्नर को लिखा, यह अनियमितता हो रही है, इसकी जांच करायें। यह 1970 की बात कह रहा हूं, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। मेरी जानकारी है कि उन नामों से जमीन चल रही है।

राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्दर एलाटमेंट का सवाल मेरे सामने आया, एक क्षेत्र लुनिन्दाराम नाम का आदमी रहता है, राजस्थान केनाल की चक 2 बी डब्ल्यू 68, मुरब्बा 239/249 में 25 बीघा एलॉटमेंट हुआ। मैंने पता लगाया, यह लुनिन्दाराम नामक व्यक्ति कौन है। मुझे पता लगा, वह आदमी बाहर रहता है, लुनिन्दाराम वनूराम के बाप का नाम है, इसके नाम से अलॉटमेंट कर दिया कि इसको कब्जा दे दो। अगर यह खातेदार नहीं है तो किसने वह गलत अलॉट की है। इस भूमि पर कब्जा करके, फसल पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन तहसीलदार ने उसको कह दिया आप अगली बार आना फिर पता कर लेंगे। वह 10-15 दिन के बाद फिर गया। उससे कहा गया मैंने जयपुर लिख दिया है, पता आने पर तुमको पता दे दूंगा। इस तरह से राजस्थान केनाल में अलॉटमेंट चल रहा है।

इसी तरह से गंग केनाल के अन्दर चल रहा है। एक आदमी हरचरण आर्मी में था 1960 में एक मुरब्बा दिए जाने की मंजूरी हुई, चक सी० बी० वी० मुरब्बा नंबर 86। उस आदमी के पास पैसा नहीं था। थोड़े दिन बाद वह नौकर हो गया, चौकीदार हो गय गजसिंहपुरा म्युनिसिपैलिटी में। उसमें एक सदस्य था। उसने उनसे कहा मैंने तुम्हारे हक में मुख्तयारनामा लिख दिया है। जमीन अलॉट हो गई। मुख्तयारनामा उसके भाई के नाम से था। उसका नाम था बहादुरसिंह और वह मुरब्बा 1965 में एक मेलाराम का था। उसकी जमीन ले ली गई और उनको वह मुरब्बा दिया। जब मेलाराम ने कब्जा

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

किया तो बहादुरसिंह ने अपील की कलेक्टर, बीकानेर के पास। वहां से 17-5-66 को उसकी अपील खारिज हुई। उसके बाद वह ए० डी० एम०, गंगानगर के पास पहुंचा। शाम के समय बोतल ले गया और नकद चोज भी ले गया और उन्होंने क्या किया कि मेला राम के नाम से अलॉटमेंट खारिज करके उसी समय बहादुरसिंह के नाम कर दी।

श्री गोकुलचन्द : एक ही बोतल में ?

श्री गुरुदयालसिंह संधु : एक ही बोतल में, उसके साथ और भी कुछ था। उस बहादुरसिंह के पास आथोरिटी लेटर था, मुकदमा लड़ने के लिए था। उसने जाकर कहा। फिर एक मुख्तयारनामा दिया। उसने 22-6 को मुख्तयारनामा दिया और 23-6 को मुरब्बे की कुल रकम 11 हजार दाखिल करा दी और रजिस्ट्री अपने नाम से करवा दी। 22 तारीख को मुख्तयारनामा दिया 23 को रकम दाखिल की, मौके पर कब्जा कर लिया गया और कुछ दिनों में रजिस्ट्री कर डाली। उसके बाद उस आदमी ने अपील की अपने राजस्व विभाग को और उन लोगों की एप्रोच थी, एक मंडी के साथ लगा हुआ था मुरब्बा जिसकी कीमत डेढ़-दो लाख है। 11 हजार रुपए में मिल गया। उन्होंने अपना खर्चा किया और वहां से भी अपील खारिज हुई और जमीन उसके कब्जे में है। यह है अलॉटमेंट जो गंग केनाल में चल रही है। एक और मजेदार बात है कि वहां पर फैसला किया गया कि एस० डी० ओ० अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कलेक्टर ने यह आदेश नं० 4928 दिनांक 22-8-60 को एस० डी० एम० को दिया कि आप आज के बाद एलॉटमेंट नहीं कर सकते। इस रोशनलाल, एस० डी० ओ० ने क्या किया ? उससे पहले आदेश था कि माफी की जमीन नहीं दे सकते लेकिन माफी की जमीन भी दे दी। वह गिरदावरी की जमीन उधर बंटने वाले भूतपूर्व मंत्री को दे दी और दूसरी एक भूतपूर्व उप-मंत्री को दे दी। तो दोनों भूतपूर्व उप-मंत्रियों को जमीनें मिल गई और मजेदार बात यह है कि जब आर्डर मिला कि आप जमीन नहीं दे सकते तो एक प्रेम प्रकाश नाम का आदमी था, उनके पास अलॉटमेंट की दरख्वास्त पेश कर दी, उस पर उन्होंने जांच कराई। उन्होंने लिखा मेरी पुरानी दरख्वास्त चल रही है तो पता किया तहसीलदार थे। तहसीलदार नागसिंह था। पता किया, दरख्वास्त इसकी चल रही है, उसने लिखा दिया दरख्वास्त नं० 2148, दिनांक 27-9-57 से दर्ज हो चुकी है। जब कलेक्टर ने जांच की तो पता लगा कि यह जो दरख्वास्त है, उसके नीचे दूसरा नाम लिख दिया लेकिन वह जो दरख्वास्त थी वह एक तुंदू नाम के व्यक्ति की थी। उसकी कोई दरख्वास्त नहीं थी लेकिन फिर एलॉटमेंट के लिए गिरदावरी बढ़ाई गई एफ० सी० मुरब्बा नं० 58, यह गिरदावरी बढ़ाई गई लेकिन इस मुरब्बे में एक गनपतराय आदमी नाम से एलॉटमेंट किया। एक पटवारी ने दूसरी स्याही से नाम लिख दिया प्रेम प्रकाश और मुरब्बा नं० 72 1952 से 1960 तक अजमेरसिंह के नाम। और जिसने गिरदावरी बढ़ाई उस पटवारी का नाम था पतराम। सन् 1960 तक की गिरदावरी लेकिन मजे की बात यह है कि उस पटवारी का एपाइन्टमेंट जो है वह हुआ 1967 में। 1960 की गिरदावरी है। 1947 से 1960 तक की गिरदावरी पतराम पटवारी के नाम से बनी हुई है लेकिन उस पटवारी का एपाइन्टमेंट होता है 10-8-67 को एफ० 129 सी०जी० 66, नं० 65856 का उसका

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

एपाइन्टमेंट है । उसके एपाइन्टमेंट से पहले उसके हाथ से गिरदावरी बनाई गई । यह केस कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने स्पष्टीकरण मांगा उस आदमी से । उसने लिख कर दिया कि यह जो जमीन है रोशनलाल तहसीलदार ने दी है । पटवारी का भी एक्सप्लेनेशन काल किया । लेकिन इन्होंने जल्दी अपील कर दी और वह जमीन 16 000 रु० में ठेके में ली । गुरुद्वारे की थी । उसमें भी 8 हजार रुपये वह नहीं दे रहे हैं । इस तरह के अलॉटमेंट चल रहे हैं गंग केनाल के और राजस्थान केनाल के । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं ।

एक तहसील में मैं गया 13-8-71 को । वहां अलॉटमेंट चल रहा था । हमारे लोग आते थे उनसे कह दिया जाता कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो । मैंने चैलेंज भी दिया । एक लड़का जो 1952 में पैदा हुआ था जिसकी फोटो दस्तखत करवाकर भेजी थी, मैंने चलेंज से कहा कि साबित करूंगा कि यह आदमी यहां रहने वाला नहीं है । लेकिन उस पर भी लिख दिया गया कि यह आदमी जमीन पाने का अधिकारी नहीं है लेकिन वहां पर 11 आदमियों ने वहां के चमनसिंह, तहसीलदार से सौदा किया 300) रुपया मुरब्बा के हिसाब से कि हम तुमको 11 मुरब्बा अलॉट करेंगे, 300) रु० फी मुरब्बा का लूंगा । 8 आदमियों को, जिसमें हंसराज भी थे, उसने अलॉट कर दी । वह पंजाब के रहने वाले हैं वे 1960 के बाद आकर हनुमानगढ़ में रहने लगे । उन्होंने बही बना दी, उसके लिए कहा उस पर हमारे फलां इंदराज हैं । तो इसके बिना पर उनको अलॉट कर दी । किसी ने देखने की कोशिश नहीं की । नई है या पुरानी है । तीन आदमियों की गलती से रिजेक्ट कर दी । उन्होंने शिकायत कर दी । हमारा रुपया वापिस करो । रुपया 900 वापिस करिये । तो ये सारी बातें हैं । इससे भी बहुत ज्यादा बातें हैं जो बताई जा सकती हैं ।

मैंने अभी अभी बात कही थी कि अगर सरकार चाहती है कि अलॉटमेंट हो तो सरकार को चाहिये कि वह उन को करे जो वहां की पंचायत में रहते हों और जो जिन पंचायतों के रहने वाले हैं वहां से पते बनवा दें । सरकार इससे बन्धना नहीं चाहती ।

वैसे नियम तो बना हुआ है । तहसीलदार ने लिख दिया बाहर का रहने वाला है । लिख दिया तहसीलदार ने कि हकदार है पास बुक बनानी है तो बाहर के लोगों की बनावें । पांच वर्ष से ज्यादा नहीं बनवा सकेगा । मेरे पास में एक नमूना है । दो बी०डी० में राजपुर में जमीन अलॉट करवाई हुई है । उससे बीच वाली में अलॉट कराई हुई है जहां से वह लिखवाएगा । पर सरकार चाहती है कि अलॉटमेंट करावे तो पास बुक बनवा दे । पर अर्ज करूंगा कि मैं और बात तो बहुत कहने वाला था अलॉटमेन्ट के सिलसिले में पर इतना ही अर्ज करूंगा कि सीलिंग आप किसी तरह से करें पर यह जरूर मानकर चलें कि उसका वेल्यूएशन कर लें । कोई तो करणपुर तहसील की मण्डी के पास है या दूर है । बोर्डर पर रहने वाला है या सड़क के पास रहने वाला है । मौके की है या वे मौके की है, इससे बड़ा अन्तर पड़ता है उसकी कीमतों में ।

पंजाब में एक गांव में छः छः तरह की सीलिंग की तरह की वेल्यू आई । वेल्यूएशन कर लें । कोई भी करें । हमें इसमें ऐतराज नहीं होगा । इसके बाद सीलिंग को मानेंगे जिस तरह से भी कहेंगे । पर इस डिफ्रेन्स को

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

मानने वाले नहीं है। एक के पास गंगानगर में जमीन है सभी साधन हैं, दूसरे के पास बोर्डर पर है जिसके पास कोई साधन नहीं, सड़क नहीं पानी नहीं। तो इनके लिये सीलिंग में अन्तर जरूर होना चाहिये।

तो सरकार पहले वेल्यूएशन तय करे फिर सीलिंग लागू करे। हमें इसमें ऐतराज नहीं। हम कहते हैं हर जिले के हर गांव का आप वेल्यूएशन कर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि सरकार एक तरफ अलॉटमेन्ट की तरफ ध्यान दे। मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार को चाहिये कि बोर्डर पर रहने वाले को कुछ रेम्यूनरेट करे। कुछ हरिजनों को भी माफी मिलनी चाहिये। मैं तो यह भी कहूंगा कि इनको सारे राजस्थान में लैंड रेवेन्यू माफ कर देना चाहिये।

यह पेश कर रहा हूं रोशनलाल ने और वर्गसिंहजी ने अलॉटमेन्ट की, वे चिट्ठियां।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व पर कटौती प्रस्ताव पर मैं चर्चा करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन विचारधाराएं मेरे सामने आ रही है जिन पर चार पांच मिनिट में प्रकाश डालना चाहूंगी क्योंकि यह किसान से सम्बन्धित है। हमारे देश के 80 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित है।

सीलिंग आ रहा है पर मैं स्पष्टतया कहना चाह रही हूं कि हमारी कांग्रेस समाजवादी दल की मंशा भी इससे पूरी नहीं होती और सरकार की मंशा भी पूरी होती प्रतीत नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के जो आंकड़े हैं 18 स्टेन्डर्ड एकड़। प्रश्न इस बात का है कि सीलिंग आना चाहिए। सरकार की मंशा थी कि जिन राजाओं के पास जमीनें हैं हजारों बीघा उनके पास से वह निकले और गरीब किसानों को मिले जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास इतनी कम है कि उनके परिवार का भरण पोषण उससे नहीं हो पाता। जमीन उन बड़े बड़े जागीरदारों और जमीन्दारों के पास से निकले। लेकिन आज मुश्किल यह है कि जिन राजा महाराजा और जागीरदार जमीन्दारों से जमीन लेना चाहते थे या चाहते हैं, आप कितनी जमीन उनसे ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे—यह तो दर किनार रहा, कहीं इसमें भी वह गरीब किसान न मारा जावे। मुझे यह आशंका है।

इसके जो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट है जिस तरह से सीलिंग की व्यवस्था की गई है उस पर मैं निवेदन करूंगी। यह जो भूमि का सोइल का क्लासिफिकेशन हुआ वह सन्तोषप्रद नहीं हुआ। मैं चाहूंगी कि सरकार इसको लेने से पहले उस क्लासिफिकेशन को ठीक कर दे तो कहीं किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा।

आज जहां जयपुर के आसपास की सिंचित जमीन का रकबा 160 बीघा या 150 बीघा आपके सीलिंग के हिसाब से आता है वहां बारां कोटा में 31 एकड़ असिंचित जमीन आती है। अब आप देखिये कि सिंचित 160/150 और एक तरफ 31 एकड़ असिंचित। इस क्लासिफिकेशन के एक दो तीन चार हिस्से हैं। कोटा डिवीजन को 1 में रखने के कारण और उसको दो में रखने के कारण यह अन्तर आ गया। जब कि कोटा, उदयपुर, जयपुर और आस पास की जमीन और गंगानगर की जो जमीन सिंचित है उसको तीन चार पांच

# Page No 124



(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

में रखकर रकबा बढ़ा दिया गया। जब जयपुर की 160 बीघा सिंचित हो सकती है तो फिर बारां कोटा की 31 क्यों? चूंकि मालवा से लगती है अच्छी है इसलिये ए में रख दिया और 31 एकड़ का मतलब 55.57 बीघा। 18 स्टैण्डर्ड एकड़ का मतलब 32 बीघा। अब हमारे 32 बीघा किसान के पास रहेगा तो वह किस भरोसे ट्रैक्टर लावेगा, खाद लावेगा परिवार वालों का कैसे भरण पोषण करेगा। इस तरह से तो वह न परिवार को पाल सकेगा न सरकार को हासिल दे सकेगा। तो सरकार भी घाटे में जावेगी और साधारण किसान भी मारा जावेगा। ऐसा सीलिंग का इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे कोटा डिवीजन का 63 पर्सेन्ट किसान एफेक्टेड होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पेरेनियल इरिगेशन का प्रश्न सामने आया है। ठीक है। कोटा डिवीजन में चम्बल के नाम से एक नक्शा सामने आता है। इसका यह मतलब लिया जाता है कि वहां का सारा इलाका चम्बल नहर से सिंचित है। पर ऐसा नहीं है। इस समय भी चम्बल का पानी सभी जमीनों को पूरी तरह से मिलता हो यह नहीं है। पहले तो सारा एरिया उसके कमाण्ड में हो यह भी नहीं, फिर उसका पानी टेल तक पहुंचता हो यह भी नहीं। जमीन ऊसर हो रही है वहां की। तो एक तरफ तो पेरेनियल इरिगेशन के नाम पर जिस तरह की दिक्कतें आ रही है वह अलग है। किसान पानी रिसाव से परेशान है। दूसरी तरफ जिनके पास इरिगेशन का पानी नहीं है या कम है उनके पास 18 स्टेण्डर्ड एकड़ की बात आपकी जावेगी तो वह अपना और अपने परिवार का पेट पालन नहीं कर सकेगा। उस तरह से दोहरी परेशानी उसके सामने आ रही है।

आपका समाजवादी कदम है, आपके कदम आगे बढे हैं इसलिये हम चुप रहना चाहेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है प्रोग्रेसिव स्तर बढे तो पांच साल के लिये हम टिकट तो प्राप्त कर सकते है लेकिन वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसान मारा जा रहा है। हम किसान का विश्वास लेकर आये हैं और उसको हमें निश्चित रूप से देखना है जिसमें किसान का कल्याण हो। साधारण किसानों के पास असिंचित जमीनें हैं, उनके पास इरिगेशन के साधन नहीं है और लिफट इरिगेशन की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, भंडारी रिपोर्ट में इस बात की जांच की गई थी कि क्या कारण है कोटा डिवीजन में सीलिंग का इफेक्ट इस तरह का है। उस भंडारी रिपोर्ट के लिये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूं क्योंकि वह आई नहीं है लेकिन जो थोड़ी बहुत बातचीत चलती है उससे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें भी जिक्र किया गया है सोइल इरोजन का क्लासीफिकेशन ठीक नहीं हुआ है। उसमें कमी है। उस कमी को पहले सरकार को सुधारना चाहिये। जहां इरोजन होता है, भूमि कटती है उनका प्रतिशत बढा है–10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत जमीन अधिक मिलनी चाहिये। उसमें सब चीजें निकल जाती है। अब सीलिंग का जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है उसका असर हमारे किसान पर अच्छा नहीं पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी कोटा पधारे थे तो कोटा बूंदी और झालावाड़ के किसान मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे। साधारण किसान ने जब अपनी दिक्कतें और परेशानियां मुख्य मंत्री जी को कहीं तब मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं भी आपकी दिक्कतों को समझ रहा हूं और इसकी देखभाल करेंगे। यदि साधारण किसान अफेक्टेड नहीं

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

होता तो उनको वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती। सीलिंग हम क्यों चाहते हैं? हम इसलिये चाहते है कि भूमिहीन किसान को, जमीन की जरूरत है। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राईब्स को जमीनें दे रहे हैं। 15 बीघा जमीन जो सरकार दे रही है उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है वह कमेटी उनको अलॉट करती है। उपाध्यक्ष महोदय कहना नहीं चाहिये किस तरह से जमीनें अलॉट हुई हैं ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक भील को, एक शहरिया को जो जमीन देते है उसमें आप जांच करवा लीजिये कितनी जमीन अलॉट की है और उन्होंने उस जमीन को अलॉट होने के बाद गिरवी रख दी है, कई लोगों ने जमीनों को बेच दिया है क्यों बेच दिया है क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास बीज नहीं है, उनके पास औजार नहीं है, उनके पास खाने के लिये रोटी नहीं है तो इस तरह आदिवासियों को 15 बीघा जमीन देकर आप उनका कैसे उद्धार कर सकते है। दूसरी तरफ जो किसान कमा रहा है खेती पर पनप रहा है और जिसका पूरा परिवार खेती पर निर्भर है यह दोनों तरफ से उसका मरण हो जायगा इस तरह कौनसा समाजवाद हमारे सामने आयेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगी। एक मिनिट में।

हां तो मैं अर्ज कर रही थी जो उदयपुर डिवीजन है ग्रूप वन में मुश्किल से 5-10 गांव हैं। ग्रूप तीन में जहां पर रकबा बढ़ा है, तीन सौ मन अनाज होता है, 9 हजार खर्चा आता है जिसका आधा साढ़े चार हजार होता है जो एक परिवार को मिलता है। अब एक परिवार में चार आदमी माने तो आप देखिये 75 रु० प्रति माह, प्रति व्यक्ति मिलेगा जबकि एक मजदूर को 125 रु० मिल जाता है। किसान इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है उसके बाद भी जिस तरह का कानून बनता है उसका पालन करता है वह तो फंस जायगा उसमें और एक साधारण मजदूर 125 रु० कमाता है। यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि समानता रखनी होगी। एक तरफ अर्बन सीलिंग ला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान और एक शहर में रहने वाले में फर्क न हो जाय कि किसान कम आमदनी में ही रह जाय और शहर वाले लोग बढ़ते रहे। मैं यह निवेदन करूंगी कि कोटा डिवीजन में जो कमी हुई है उस पर सरकार ध्यान दे और उसके बाद निश्चित रूप से सीलिंग लाये, स्वागत है—इस सीलिंग में कोई दो राय नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती मदन कौर।

**श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है और वहां लकड़ी और वनों से जो दूसरी पैदावार मिलती है उसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है निकट भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब दाह संस्कार के लिये भी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। आज मांग लकड़ी की और वन पैदावार की बढती जारही है और यह साधारण बात है लोग मांग करते हैं और इस आवश्यकता को पूरी तो करना ही चाहिये और जहां तक हो सके यह लकड़ी की मांग मुफ्त पूरी की जाय ऐसे लोगों की धारणा

(श्रीमती मदन कौर)

बनती जा रही है। इस राज्य सरकार ने आदिवासियों को लकड़ी लेने के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी हुई हैं और उस रियायत के आधार पर, उस आदिवासी के नाम पर आज केवल आदिवासी ही नहीं सारी आबादी, सारे लोग लकड़ी मुफ्त में ले रहे हैं या आधी कीमत में प्राप्त कर रहे हैं। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है जबतक यह मुफ्त और रियायत का मामला समाप्त नहीं होता लकड़ी की थ्योरी किसी भी तरह समाप्त नहीं की जा सकती है। अगर राज्य सरकार की यह नीति है कि आदिवासियों को लकड़ी के सम्बन्ध में रियायतें दी जायें तो मेरा सुझाव है राज्य सरकार यह रियायत नकदी के रूप में दें और नकदी में देकर उसका चुकारा कर दिया जाय। अगर राज्य सरकार की यह मंशा है कि पांच साल, दस साल जो भी रियायत राज्य सरकार देना चाहे तो दे लेकिन उस रियायत का नकद के रूप में चुकारा कर देना चाहिये और वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी को बिना कीमत में नहीं लिया जाना चाहिये। आदिवासियों के द्वारा वनों का सर्वनाश हो रहा है, वह किसी भी तरह बन्द नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष जी, हमारे रक्षित वन क्षेत्र के बाहर भी क्षेत्र है और वह है बाड़मेर में सरकारी पड़त भूमि है और किसान के खेत में भी है और आजकल ऐसे पेड़ों की भी भारी मात्रा में कटाई होती जा रही है। पिछले सालों में यह गति और भी तेज हो रही है। आज स्थिति यह है कि एक किसान जिसके खेत में बैल और उसके संगाती को 15-20 रुपये के रूप में देते हैं आज उसी किसान को सरकार 50-60 रुपये के मुनाफे के रूप में हमेशा के लिये बेचता जा रहा है और अगर इसी तरह लकड़ी कटती रही तो इसको रोकना बहुत ही कठिन हो जायगा क्योंकि दूसरे साधनों से भी लकड़ी कटती रही है। ऐसी स्थिति में रक्षित वनों में लकड़ी के कटने पर सरकार का प्रतिबन्ध इफेक्टिव नहीं हो पाता है। इसी तरह से दिनों-दिन खेती और बढ़ती हुई आबादी के आवास के लिये ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती रहती है। यह जमीन आयेगी कहां से। दिन प्रति दिन हम सुनते है वनों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। जब भी जमीन की जरूरत पड़ी वन क्षेत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। यही स्थिति रही तो हमारे वन क्षेत्र प्रति वर्ष कम होते रहेंगे। आखिर हम कहां जा रहे हैं। नये वन लगाने की बात करें, नये पेड़ लगाने की बात करें लेकिन यह पेड़ भी कहां लगेंगे, यह भी जमीन पर ही लगेंगे और यह जमीन कहां से आयेगी। सरकारी पड़त भूमि पर और बंजर भूमि पर वन लगाये जायेंगे परन्तु उससे पशुओं पर और प्रतिबन्ध लगता है और वन विभाग के अधिकारी शिकायतें करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वन कटते रहे और वनों को हमने बढ़ावा नहीं दिया तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। अगर बंजर और पड़त भूमि पर किसी प्रकार की घास नहीं है, चारा नहीं है तब भी उन पशुओं के घूमने फिरने का अगर उस पर प्रतिबन्ध लगा तो लोग नाराज होते हैं।

आखिर एक तरफ लकड़ी और वनों की दूसरी पैदावार की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ वनों का क्षेत्र कम होता जा रहा है तो आखिर इन दो विरोधी विचारों के बीच में हम कहां जाना चाहते हैं? कहीं न कहीं तो इसका सामन्जस्य बिठाना ही पड़ेगा।

(श्रीमती मदन कौर)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राष्ट्रीय वन रीति के अनुसार समस्त भू-भाग का 1/3 भाग वनों के लिए रहना चाहिए लेकिन हमारे राज्य में यह आंकड़ा 1/9 है और वह भी दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है और जिस क्षेत्र में वन हैं भी तो वहां भी पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारे राज्य में लकड़ी और वन पैदावार की कितनी मांग है उसका पता लगायें और उसका पता लगाकर अपनी एक नीति निर्धारित करे और आने वाले 50-60 वर्षों में लकड़ी और दूसरी वन पैदावर हमें कितनी चाहियेगी उसके आधार पर कोई योजना बनायें और उस पर अमल करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज वह समय आ गया है जब राज्य सरकार को अपनी तरफ से वन संबंधी राज्य की नीति को निर्धारित करने जैसा एक साहसी कदम उठाना चाहिये इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करती हूं कि चूंकि जन प्रतिनिधी और जनता अधिक से अधिक आजादी चाहती है और किसी प्रकार का प्रतिबंध भूमि पर अथवा कहीं भी वह सहन करने को तैयार नहीं है। तो मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अगर सरकार अपनी वन संबंधी नीति कोई निर्धारित करे तो उससे लोगों की कठिनाइयां तो बढेगी, उनको चारा और लकड़ी लेने में कुछ असुविधा अवश्य होगी लेकिन आखिर इस समस्या का कहीं न कहीं निराकरण हमें करना ही पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्य सरकार को चाहिये कि इस संबंध में जन प्रतिनिधियों को विश्वास में ले उनका सहयोग प्राप्त करे और सरकारी अधिकारी और जन प्रतिनिधि कभी एक जगह बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझायें। इस पर कोई न कोई युक्तिसंगत निर्णय लेना होगा अन्यथा एक के बाद एक राज्य सरकारें हमारे वनों के विनाश को देखती रही है और देखती रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि हमारा प्राकृतिक संतुलन इतना अधिक बिगड़ जायेगा कि इसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को देखना पड़गा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री चिमनसिंह भाटी।

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढाया जाये ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय 1 घंटे बढ़ाया गया)

श्री चिमनसिंह भाटी।

**श्री चिमनसिंह भाटी** (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की भू-राजस्व में जो बढोतरी की गयी हैं उसके ऊपर मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। अजमेर जिले की जो स्थिति है वह राजस्थान के और जिलों से बिलकुल ही भिन्न है और वहां के काश्तकारों ने जो जमीन को काबिल काश्त बनायी है वह पहाड़ों को खोदकर बनाई है और उसके बनाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जो स्कीम हमने अभी चालू की है जैसे मेड़ बन्दी वगैरह तो वहां का जो किसान है वह कुदरत से काफी मुकाबला करता है। इसलिये उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी उनको 60 पर्सेन्ट की रिबेट

( श्री चिमनसिंह भाटो)

याने छूट दी थी और उसी के कारण अभी तक काश्तकार उस छूट को लेते आये हैं। उनको आशा थी कि यदि हम जमीन के बनाने पर मेहनत करेंगे तो हमको रिबेट मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन था कि इस प्रकार से मेहनत से निकाली हुई जमीन पर उनको 60 पर्सेन्ट की छूट मिलेगी तो वहां काश्तकार भी इस बात को जानता था कि मुझे यह छूट मिलेगी मेहनत करने पर।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तीन तीन पीढ़ियों में एक एक कुआ खुदता है वहां इतना सख्त पत्थर है। अरावली पहाड़ की श्रेणी जो कि किशनगढ़ से कुम्भलगढ़ तक चली गयी है वहां सारी जगह पत्थर है और तीन तीन पीढ़ी में एक कुआ खुदता है और फिर भी यह जरूरी नहीं है कि कुए में पानी हो ही। बहुत से काश्तकार ऐसे हैं कि कुए खोदने के अलावा अपना धन तो वे उसमें सर्वस्व लगा चुके और राज्य सरकार से जो तकावी वगैरह ली थी वह भी उन्होंने सारी खर्च कर दी और फिर भी उनके कुए में पानी नहीं हुआ। इस कारण वे अपने गांवों को छोड़कर मेवाड़ की तरफ चले गए खारी के पास। उधर तो यह स्थिति है और हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी ने टाटगढ़ नहीं देखा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी टाटगढ़ पधारें, भीम पधारें और देखें कि वहां होल्डिंग कैसी है। वहां पर होल्डिंग इतनी छोटी छोटी है कि बैलों की जोड़ी भी नहीं फिर सकती और वहां पर कुदाली से खोदकर मक्का बोई जाती है। वहां एक ही फसल साल भर में होती है और उस जगह भी राजस्व बढ़ाया जाता है तो इससे ज्यादा अन्याय दूसरा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह 60 पर्सेन्ट की छूट अगर देखी जाये तो दस साला बन्दोबस्त, पांच साला बन्दोबस्त या फिर जो कर्नल जैक्सन की रिपोर्ट है सेटलमेंट की उससे आप मुलाहजा करें तो आपको स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि वहां के जिले के निवासियों को यह छूट क्यों दी गयी थी। आप दूसरे जिले जैसे गंगानगर है, भरतपुर है या अलवर है उनसे इस जिले का मुकाबला करें तो वहां से तो सरकारी नहर भी निकली है, वहां गंगनहर का पानी मिलता है लेकिन अजमेर जिले के काश्तकार मेहनत करके, पत्थर को तोड़कर कुआ बनाते हैं तो उनके ऊपर यदि आप राजस्व बढ़ाते हैं तो या तो उनको कुए का कम्पेन्सेशन दिया जाये या फिर राजस्व को नहीं बढ़ाया जाये। जिस किसान ने तीन पीढ़ियों तक मेहनत की उसको कोई मुआवजा नहीं और फिर ऊपर से उसके ऊपर राजस्व की दर और बढ़ा देते हैं। उसने प्रकृति से संघर्ष करके फिर उस जमीन को बनाया और उसके बाद में राजस्व बढ़ाया जाता है तो यह उसके साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ जंगलात के लिए भी कुछ निवेदन करूंगा। आज राजस्थान सूखा होता जा रहा है, नंगा होता जा रहा है उसका मूल कारण हमारे वनों की बरबादी है। जब तक ब्रिटिश सरकार थी उस समय तक सन् 47 से पहले यहां की बरबादी नहीं हुई थी लेकिन ज्योंही आजादी मिली और हमारी सरकार बनी कि जंगलों की हालत यह हो गयी है कि जहां पहले ऊंट और हाथी नजर नहीं आते थे वहां आज तीतर उड़ते नजर आ जायेंगे। इसका दोष काश्तकार या जनता को दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह उनका दोष नहीं है, यह दोष हमारे वन के अधिकारियों का है। उन अधिकारियों

(श्री चिमनसिंह भाटी)

ने दस साल में इतनी लूट मचा रखी है कि जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो वन गांव वाले पहले खेवटदारी के टाइम में रखते थे आज कूप सिस्टम हो गया है, ठेकेदारी का सिस्टम हो गया है और उसके पास में विभाग के आदमी ने संरक्षण देकर उनको कटवा दिया। जितने भी ए, बी, सी, डी, या ई कूप थे उनको अधिकारियों ने मिलकर बरबाद करवाया यह हाल है। अगर आप सही माने में पूछें तो उन बेचारे गार्डों का इसमें दोष नहीं है जिनको हमेशा बदनाम किया जाता है। इसमें उच्चाधिकारियों का दोष है, वे ही वनों को नष्ट करवाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि मन्थली एक रेंज ऑफिसर की बंधी हुई है और वह बंधी हुई समय पर नहीं देता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने पर भी अगर उनको बंधी नहीं देते हैं तो उसके बाद सस्पेंड या डिसमिस कर दिया जाता है। मैं भीम रेंज का एक उदाहरण दूं। एक गार्ड को गत दिनों चुनावों के ठीक पहले एक मामूली सी बात के लिए, चराई के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कहीं मवेशी घुस गए। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करूं कि एक तरफ तो गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि अजमेर जिले में, अजमेर के पास में जहां हमारे मण्डल वन अधिकारी रहते हैं, वहां, राजस्थान सरकार ने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये लगा कर पारेबन्दी कराई और अजमेर के आसपास में जो मदार और नाग पहाड़ के बीच में जो पारेबन्दी है उसको बेचा गया है। वहां नाजायज मकान बन रहे हैं। यही नहीं एक तरफ तो दरख्त बढ़ाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ हमारे कूपों को, नांद में, पुष्कर के पास में 4,639 एकड़ रकबे को 531) रु० में नीलाम किया गया है। इस प्रकार राज्य कोष को लूटा गया है। आज कडैल और बस्सी में भी यही हाल है। एक तरफ तो रेगिस्तान को रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ विभाग उनको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज अजमेर मण्डल में उनेजा की ग्राम पंचायत के जंगलों को नीलाम करके आस पास के जंगलों को भी निकाला जा रहा है। इस तरह से हमारा वन विभाग जंगलों को बर्बाद कर रहा है। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की कार्यवाही को रोका जाय।

मैंने पहले भी निवेदन किया था और जैसा कि वन मंत्रीजी ने जवाब दिया था वह सही नहीं है। बहुत सी जगहों पर चरागाह भी हैं और वन भी हैं। मैं जवाजा पंचायत समिति की 9 पंचायतों के नामों की मिसाल दूं जिनमें गोवीनाणा, बेवाता, काबरा, बीयाखेडा, तारागढ़, रावतमाल आदि इस तरीके से 9 पंचायतें हैं। मैं आपसे, वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आज भी वहां पधार कर देख लें कि वहां पर उसी क्षेत्र में चरागाह हैं और उसी क्षेत्र में वन भी हैं। (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर वन भी हैं और चरागाह भी उसी में हैं। ऐसे क्षेत्रों को वन से निकाल कर पंचायत के चरागाह के लिए घोषित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नाथूराम

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं एक भू-राजस्व के बारे में और दो वनों की सुरक्षा के बारे में। सबसे पहले मैं वनों की सुरक्षा के बारे में निवेदन करूंगा।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले डूगरपुर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतने घन जंगल थे कि कहीं सूरज की किरण भी नहीं गिरती थी और लाखों करोड़ों की वन सम्पदा थी। आजादी के बाद जब ठेकेदारी प्रथा आरम्भ हुई, बड़े 2 जंगलों के ठेके दिए गए तो वे जंगल खत्म हो गए। वर्षा पर असर हुआ। पहले कभी दुष्काल नहीं होते थे। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जब जंगल आबाद थे तो पचास-साठ इंच पानी बरसता था, लेकिन जब जंगल खत्म हो गए तो फिर वर्षा की कमी हो गई और हर साल दुष्काल पड़ने लग गए। तीन-तीन साल तक दुष्काल चलता रहता है। मैंने पिछले 15 वर्षों से सरकार से मांग करता आया हूं कि जहां जंगल हैं उनकी रक्षा की जाय, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ठेकेदारी प्रथा जारी रखी और सरकार ने ही इन जंगलों को खत्म कराया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को जानकारी देता हूं कि सरकार ने किस तरह से जंगलों को खत्म किया है। जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं उन्हीं को मैं संक्षेप में निवेदन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार ने ही जो आंकड़े दिए हैं तो····

**श्री नाथूराम**: जंगल किस तरह से सरकार ने खत्म कराए यह मैं आपको बताता हूं। सन् 1963-64 से 71-72 तक कुल 50 लाख की जंगल से सरकार ने आमदनी की। ठेकेदारी प्रथा से और व्यापार मण्डल के मार्फत, किस तरह से जंगलों को खत्म किया। जैसे कि बांसवाड़ा डिविजन में 10 लाख छ: हजार की आमदनी की। 1963 से 72 तक बांसवाड़ा में 14 लाख, टोल में 7 लाख 24 हजार, शेरगढ़ में 6 लाख, कुशलगढ़ में 5 लाख 14 हजार, डूंगर में 39 हजार रुपये गढी में 2 लाख रुपये। इस तरह से 3 लाख 17 हजार रुपये। इस तरह से सरकार हर साल आमदनी करती जाती है और आदिवासियों को बदनाम करते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। मैं एक और सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहता हूं कि जहां आदिवासियों के मकान हैं वहां जंगलों की रक्षा होती है और जहां रिजर्व जंगल हैं वे नष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि गंवाई जंगल पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दें ताकि वहां लोगों को लकड़ी मिल सके। और जो रिजर्व जंगल हैं उनको सरकार को आबाद करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आपने रिजर्व जंगल में सुविधा दी थी वह दूसरे लोगों को भी मिलनी चाहिए। ताकि जो जंगल आबाद होंगे तो पानी अधिक बरसेगा, कभी दुष्काल नहीं होगा और हमारी वन सम्पदा अधिक बढेगी और इससे पानी अधिक बरसने से हमारी जो योजनाएं हैं वे सफल होंगी। इसके अलावा मैं एक और भी सुझाव, आपके मार्फत सरकार को देता हूं कि बांसवाड़ा में तेन्दू का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मध्यप्रदेश ने भी राष्ट्रीयकरण किया है। इसमें सरकार को लाखों की आमदनी होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जंगल आबाद करके उसमें, वन में जो कर्मचारी हैं वे भ्रष्टाचार करते हैं उनको रोकें। इसके साथ साथ आपने जो वन सहकारी समितियों की व्यवस्था कराई है उसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वन सहकारी समितियों के मार्फत काम होता है उसमें भी

(श्री नाथूराम)

भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जो इनके अन्दर काम करने वाले हैं वे मनमाने ढंग से वनों पर कब्जा कर रखा है और वे भ्रष्टाचार बढा रहे हैं। वे एक नए ठेकेदार कायम हो गए हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो सोसायटीज हैं, वन सहकारी समितियां हैं इनको खत्म कर देना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके मार्फत सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि जहां कूप क्षेत्र हैं और जो वनों में काबिल काश्त भूमि है उसको वनों से निकालने में बहुत विलम्ब होता है। इससे किसानों को बड़ी तकलीफ होती है। इसके लिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि वन भूमि जो काबिल काश्त है, जिनमें जंगल नहीं हैं, वह भूमि रिलीज करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जो अधिक समय लगता है उसको कम करना चाहिए ताकि समय पर लोगों को भूमि मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी कृषक का मकान जल जाता है तो भी उसको कबाडा नहीं मिलता है। सरकार ने पहले ही यह आदेश दे रखा है कि अगर किसी कृषक का मकान जल जाता है तो उसको समय पर कबाडा मिल जाना चाहिए। लेकिन सरकार के इस आदेश का पालन नहीं होता है। इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ ही भू-राजस्व के बारे में भी मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय भूमि सुधार के कई कानून बने और सरकार ने अच्छे 2 कानून बना कर किसानों को सुविधा दी लेकिन वे कानून केवल कागजों में रहे। जैसे कि भूमि सुधार में कुछ खातेदारी टीनेंसी एक्ट के अन्दर खातेदारी के हक दिए लेकिन आपके द्वारा सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि किसानों को खातेदारी हकूक दिए जायें। बांसवाडा जिला, डूंगरपुर, उदयपुर सभी जगह किसानों की यह स्थिति है। उनका आजादी के पहले सेटलमेंट हुआ था। अब कई वर्षों से सेटलमेंट नहीं हुआ है। इसके कारण बाप के नाम खाता चल रहा है। उसके लड़के अलग अलग रहते हैं। जमीन पर काबिज भी हैं फिर भी उन लड़कों के नाम खाता दर्ज नहीं हुआ है। जो भूमिहीन है, जिसके पास में 5—7 बीघा जमीन है, आज उसको भी अधिक जमीन नहीं मिल पाती है। क्योंकि पटवारी के पास जो खाता है उसमें बाप के नाम का खाता है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है। शामलात खाते में पूरे परिवार का बता दिया गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खातेदारी हकूक की सुविधा किसानों को जल्दी से मिलनी चाहिए। बाप के नाम के खाते को अलग अलग बता देना चाहिए। सरकार ने आदेश दिये हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो कानून पास किये गये हैं, कलेक्टर द्वारा उनका पालन कराया जाना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सीलिंग का कानून 1959 में पास किया गया था लेकिन यह सीलिंग का कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे जहां पहाडी इलाका है। डूंगरपुर-बांसवाडा में छोटी छोटी जोतें हैं, किसानों के पास कृषि की जमीन कम है, इसलिए सरकार ने इसका जो नया सीलिंग 18 स्टैन्डर्ड एकड़ रखा है उसका जल्दी से,

(श्री नाथूराम)

जल्दी पालन करना चाहिए । वरना इसका भी बंटवारा हो जायेगा । इसका जल्दी से पालन करना चाहिए ताकि किसानों को, भूमिहीनों को भूमि मिल सकेगी । इसलिए आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून पास करें उसका जल्दी से जल्दी पालन करना चाहिए । पहले का सीलिंग लागू करने से सरकार ने 58 हजार एकड़ भूमि नरेशों से ली है और 52 हजार का मुआवजा दिया है लेकिन इस में से सरकार ने अभी तक केवल 8 हजार एकड़ ही किसानों को बांटी है । इसलिए आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल में जो भूमि ली है, जिसका मुआवजा दिया है, किसानों को वह जमीन नहीं मिल पाई है । इसलिए जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी जमीन का वितरण किया जाना चाहिए । गांधी शताब्दी वर्ष के आंकड़े बता दिये गये हैं कि इतनी भूमि का वितरण किया गया है । ये आंकड़े बहुत लम्बे चौड़े हैं और समय की कमी होने के कारण मैं इनको जिलेवार नहीं बताना चाहता हूं । लेकिन गांधी शताब्दी के दौरान हरिजनों और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सरकार ने जो भूमि का वितरण किया है वह केवल कागजों पर ही है । मैं आपके द्वारा सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि आज किसानों को जो भूमि एलॉट हुई है उन पर उनको आज तक कब्जा नहीं मिला है । उस भूमि पर दूसरे आदमियों ने पटवारी से मिल कर, पटवारियों को पैसा खिलाकर रिकॉर्ड में अपना कब्जा बता दिया है । इस तरह रिकार्ड में उस भूमि पर दूसरे आदमियों का नाम इन्द्राज है और वह भूमि किसानों के नाम एलॉट कर दी गई है । इस प्रकार इन किसानों को कब्जा नहीं देने का यह एक षडयन्त्र है । यह अव्यवस्था हर जिले में है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो भूमि एलॉट की है, और जिस पर कब्जा नहीं दिलाया गया है उसको कलेक्टर के द्वारा इन्क्वायरी होनी चाहिए और जो किसान काबिज हैं दो-चार साल से, उनको भी कब्जा दिलाना चाहिए ताकि किसान सुविधा से खेती कर सकें । केवल रिकॉर्ड में दिखाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं वैसे मुझे निवेदन तो बहुत करना है । (समय-समाप्ति सूचक-घंटी) किन्तु आपके आदेश से यहीं पर समाप्त करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बनवारीलाल ।

**श्री बनवारीलाल** (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जिले में जो जंगलात हैं, उनसे संबंधित जो समस्या है उसके बारे में यहां सदन में अर्ज करना चाहता हूं । वैसे जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से जंगलात विभाग में जितनी जमीन है उसका कुल 11 प्रतिशत भाग जंगलात में है । पहले के जो जंगलात हैं वे तो ठीक हैं । बाद में बीड़ों को भी जंगलात विभाग ने अपने अधीन ले लिया है । परन्तु उसके बाद जंगलात विभाग ने जो जमीन अपने अन्डर में ली है उसमें बहुत सारी जमीन ऐसी है जिसके ऊपर पहले से काश्त होती चली आ रही है और पर्टीक्यूलरली मेरे निवाई क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक ब्लॉक नम्बर 90 है-जो खेड़ली, चोदारली, मंडालिया-इन गांवों की जो जमीन है वह इस ब्लॉक के अन्दर है । अब जंगलात इसको अपनी बता रहा है और तहसील वाले भी अपनी बता रहे हैं । तहसील

(श्री बनवारीलाल)

ने यह जमीन एलॉट कर दी। इस पर जंगलात वाले झगड़ा कर रहे हैं और इससे काश्तकारों को परेशानी होती है। इसके तकरीबन 100 अतिक्रमण के मुकदमें भी चल रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। बिला वजह इन लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने इस संबंध में बार बार अधिकारियों से बात की है। मैंने यह कहा है कि अगर एक बीघा जमीन के अन्दर एक पेड़ भी न हो तो वह जमीन जंगलात विभाग को नहीं मिलनी चाहिए। जब एक बीघा के अन्दर एक पेड़ न हो तो भी वह जमीन कैसे जंगलात विभाग को दी जाती है? यह बात ध्यान देने की है। आप इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात करते हैं, परन्तु यह समझ में नहीं आता। सायला के अन्दर कोशिश की है कि फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाये। लेकिन वह योजना वहां पर सफल नहीं हुई है और वहां पर कोई पेड़ नहीं लग सके। इस जमीन के बारे में खास तौर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को यह बात अर्ज करना चाहूंगा कि हरिजन लोग, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इससे उनको बड़ी भारी परेशानी होती है। वहां क्या होता है, जंगलात की जमीन है, दूसरे लोग उसको दबा लेते हैं तो उनके लिये कानून बन जाता है और बाद में वह रेगुलराइज हो जाता है। वे लोग गरीब हैं और किसी तरह से इस सरकार को दबा नहीं सकते। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जमीन उनको दी जाये क्योंकि वहां पर काश्त अच्छी तरह से हो सकती है। यह जमीन कनवर्ट कर के इन लोगों को दी जानी चाहिए। उनको नहीं दी जा रही है और जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, उनको अभी बेदखल नहीं किया जा रहा है और बाद में उनको यह जमीन रेगुलराइज करदी जायेगी। इस तरह जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, वे गरीब तबके के लोग हैं और वे इस जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जमीन ऐसी है कि जिसके पट्टे उनके पास में हैं और उनको जंगलात अभी तक नहीं मान रहा है। यह सरकार के दो विभागों, जंगलात और रेवेन्यू विभाग, के बीच का मामला है और इन दोनों में सामन्जस्य नहीं होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है। मैं खास तौर से वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से और मेरा उसमें यह अर्ज करना है कि जंगलात उन जगहों पर रखे जायें—वैसे इस बारे में यह दलील दी जाती है कि जंगल होने से, हरियाली होने से अधिक वर्षा होती है परन्तु बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पर जंगल नहीं है और बारिश हो रही है— इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जंगलात लगाने को ऐसी जगह पर कोशिश की जाये जहां पर कि जंगलात लग सकें और वह जमीन काबिले काश्त नहीं हो। जो जमीन काश्त के काबिल हो तो उसको काश्त के लिए रिलीज करना चाहिए। जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अन्दर जंगलात लगाये जाने चाहिएं। मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि इजरायल के पठारों के अन्दर इस किस्म के जंगलात लगाये गये हैं और उनके अन्दर अच्छी किस्म के जंगलात लगाये गये हैं, अच्छी किस्म के फल भी लगाये गये हैं, एक माल्टा तैयार किया गया है और वहां की यह पैदावार सस्ती है। तो यहा पर थोड़ा सा काम करने की बात है। तो इन पहाड़ी पठारों के अन्दर जंगलात विभाग को काम करना चाहिए। समतल बीड़ों के अन्दर जो जंगलात लगाये जा रहे हैं उनसे हमें कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। इससे हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ चरागाह के तौर पर ही इस्तेमाल हो

(श्री बनवारीलाल)

सकते हैं, जिसका कोई पैसा देता है और कोई नहीं देता है। खेती के लिए आप इन जमीनों को दे दें तो मेरा ख्याल है लोगों को राहत मिल जायेगी और सरकार की राजस्व की आमदनी बढ़ जायगी और इसके साथ ही अनाज की जो हमारी आउट स्टेंडिंग समस्या है, उसका भी समाधान हो जायेगा। तो इस प्रकार की यह बातें जो जंगलात के संबंध में हैं इनके ऊपर बाकायदा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इसी तरीके से जो हमारा भू-राजस्व है उसके सम्बन्ध में मेरा अर्ज करना यह है कि जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनसे जो लगान लिया जाता है वह लाभकारी चीज नहीं है। इसके लिए ऐसा किया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा कि लगान माफ कर दिया जाय, और उसके बाद जो भी उसका रिटर्न आता है किसान चाहे तो अपने जीवन के लिए खर्च कर दे, लेकिन वह अगर प्रोडक्शन बाजार में बेचने के लिए लाता है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स लगा दिया जाय। इससे बाकायदा राहत मिलेगी। छोटे-छोटे काश्तकार इससे काफी परेशान हैं और खास तौर से ज्यादा इससे परेशानी है वह पटवारियों की, गिरदावरों की और तहसीलदारों की है। पटवारियों के बारे में आम तौर पर सभी लोग यह बात कहते हैं कि पटवारी लोग परेशान करते हैं। उनका काम भू-राजस्व कलेक्ट करना है और जितना भू-राजस्व इसमें कलेक्ट किया जाता है उसके आसपास ही खर्च इन पर हो जाता है, तो इस पद्धति की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है, वरना जिस प्रक्रिया और जिस गति से हम समाजवाद लाने की बात करते हैं वह पूरी होगी इसका भरोसा नहीं लगता है ।

सरकार ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि किसानों को पास-बुकें जारी करेंगे जिनके अन्दर पूरा रेकॉर्ड होगा, नक्शे होंगे, नाप होगा, और उसका लगान लिखा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वह तो अभी तक किसान तक नहीं पहुंच पाई हैं। किसान आये दिन पटवारी के पास जाते हैं तो बड़ी भारी दिक्कत में पड़ते हैं, जिससे करप्शन की शिकायतें भी आती हैं, और कोई खास रिटर्न भी नहीं हो रहा है। लिहाजा मेरा अर्ज करना यह है कि इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां की जायं, ऐसा कोई परिवर्तन लाया जाय कि आम आदमी को उससे राहत मिले। अभी छोटी छोटी रकम को (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) प्राप्त करने के लिए उतनी की उतनी रकम खर्च करनी पड़ती है ।

तहसीलदारों का अहवाल मैं समझता हूं और यह कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब पद्धति है। हम अभी तक पुराने सिस्टम को ही लेकर चल रहे हैं। उसमें पंचायत समितियों के बीच में तहसीलदार लोग बैठें तो मेरे खयाल से गांवों........

**श्री उपाध्यक्ष** : गांवों के बारे में तो पंचायती राज्य की अनुदान की मांग आये उस समय कहें ।

**श्री बनवारीलाल** : मैं यह अर्ज कर रहा था और दुबारा अर्ज कर दूं कि इससे वहां की समस्याओं को वे ठीक तरह से समझ सकेंगे और आम किसान को उससे राहत मिलेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मुन्शीलाल ।

**श्री मुन्शीलाल** (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत मांग पर भू-राजस्व के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि

(श्री मुन्शीलाल)

राजघरानों की जो जमीनें हजारों बीघा बेकार पड़ी हुई हैं। पहला सीलिंग कानून लागू हुआ लेकिन रेवेन्यू विभाग ने कुछ कार्यवाही नहीं की और हजारों बीघा जमीन जो भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि हमारे बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में बेरीसाल का बीड़, पाड़वा का बीड़ और दौसा का फार्म जो कि 1,200 बीघे का है, और यहां पर जामलदे का बीड़ है--इस तरह से हजारों बीघा जमीन जयपुर राजघराने की पड़ी हुई हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। दिनों दिन वे जमीनें अनियमित रूप से रजिस्ट्रार के ऑफिस से नाजायज पुराने पट्टे दिला कर अपने जीहजूरी करने वाले लोगों, जो उनको जयजयकार बोला करते थे, के नाम रजिस्टर कराये जा रहे हैं, और हमारे भूमिहीन किसानों, जो गांवों में फैली बेरोजगारी से परेशान हैं, को जमीनें नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग उन जमीनों को एक्वायर करके शीघ्र ही मई-जून तक भूमिहीन किसानों को एलॉट कर दे।

दूसरी मेरी मांग यह है कि जो छोटे-छोटे जोते हैं, अनार्थिक जोत हैं, जो बहुत ही गरीब लोग खेती करते हैं उनका लगान माफ किया जाय। ग्रामों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा

(विद्युत-व्यवस्था भंग)

**कई माननीय सदस्य** : बोलते रहो।

(विद्युत व्यवस्था पुन: चालू होने पर)

**श्री मुन्शीलाल** : उन गांवों में जो रेवेन्यू विभाग के सिवाय चक और चरागाह हैं उनको आबादी में परिवर्तित किया जाय ताकि गांवों में नवीनीकरण आये।

मैं आपसे रेवेन्यू विभाग के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर राज्य सरकार अपने समाजवादी मार्ग पर बढ़ती जा रही है, और जहां दूसरा सीलिंग भूमि पर लागू हो रहा है, और जहां पर राज्य सरकार की यह नीति है कि भूमिहीन और गरीब लोगों को जमीनें दी जायं वहां पर विभाग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि यदि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर दें तो आपको श्रेय मिलेगा और उससे हमारी पार्टी को बल मिलेगा। पटवारी से लगाकर तहसीलदार और कलेक्टर में भ्रष्टाचार को खत्म कर दें और इस सरकार के हाथ से भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाय। दूसरे जो काश्तकारों को पास-बुकें मिलनी चाहिए थीं.....

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके दल ने जो सुझाव दिये हैं उनकी पुनरावृत्ति करने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है।

**श्री मुन्शीलाल** : इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बस्सी और दौसा में जो नहरी जमीन है जो कि पहले जमुआ-रामगढ़ बान्ध से सिंचित होती थी वे जमीनें आज तक उसी किस्म की हैं और लगान भी उसी किस्म का वसूल किया जाता है। जब बान्ध से सिंचाई नहीं हो रही है तो इस किस्म में वे न रखी जायं और लगान भी उन पर बारानी का वसूल किया जाय।

चूंकि मेरा बस्सी क्षेत्र जयपुर के 12 मील के एरिया में आता है, और 12 मील का

(श्री मुन्शीलाल)

प्रतिबन्ध लगा हुआ है और जयपुर नगर निगम फिलहाल घोषित नहीं किया गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 मील का प्रतिबन्ध उठाया जाय ताकि गांवों में जो छोटे छोटे जोत बनते जा रहे हैं जिससे काश्तकारों के परिवारों की आवश्यकता को देखते हुए जमीनें नहीं मिलती हैं। इसलिए यह 12 मील का जो प्रतिबन्ध है वह बहुत जल्दी से हटाया जाना चाहिए ।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जागीरदारों ने जो जमीनें व्यापारियों को बेची हैं और व्यापारी लोग किसी न किसी तरह से ग्रुप बनाकर या दूसरे लोगों के नाम पर जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को जो जमीन मिलनी चाहिए थी उससे उन्हें वंचित किया है और व्यापारी लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनें हड़प ली हैं। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कवासरा ठकुरानी साहिबा ने 600 बीघा जमीन हमारे यहां एक जैन ग्रुप के लोगों को बेच दी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां पर जमीनें इस तरह से बेची गई हैं उसकी वे यह जांच करायें और उनको अवैध घोषित किया जाय और भूमिहीन किसानों को जमीनें दी जायं ।

मैं भू-राजस्व की मांग पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर जिले में लगान बहुत ज्यादा वसूल होता है। इसमें मेरा यह निवेदन नहीं करना है कि दूसरी तरफ भी बढ़ा दिया जाय, लेकिन मेरा यह निवेदन करना है कि लगान की नीति को राज्य सरकार निश्चित करे और एक निश्चित नीति के अनुसार ही लगान वसूल होना चाहिए ।

दूसरे, वनों के सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहाड़ों पर वन लगे हुए थे उन्हें लगातार लकड़ी जलाने के लिए काट लिया गया है जिसका आज हमारे मानसून पर बड़ा असर पड़ा है। वनों में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनके पत्ते बीड़ी बनाने के काम में आते हैं तो उन वृक्षों को काटा नहीं जाकर उनके पत्तों का ठेका देने में उपयोग किया जाय तो उससे हमें रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगी और वृक्ष भी लगे रहेंगे। इसके अलावा आज वनों के संरक्षण की नीति जो सरकार की है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर वन काटे जा रहे हैं वहां रोका जाय और वनों में फल आदि के वृक्ष लगाये जायं और उन वनों को बढ़ाया जाय। इतना निवेदन करते हुए मैं यह जरूर कहूंगा कि वनों के अन्दर जो जन्तु रहते हैं और जो मूक हैं और बोल नहीं सकते हैं ऐसे जन्तुओं की वनों में रक्षा की जाय । हम देखते हैं कि शिकारी लोग जाकर अच्छे अच्छे जन्तुओं को मार देते हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीलाल ।

**श्री देवीलाल** (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक काश्त भूमि के बारे में है जिसमें लाइनें खींची गई हैं और जो आबादी के पास पड़ती है। ऐसी जमीन निकाल कर रेवेन्यू विभाग को दी जानी चाहिए ताकि काश्तकारों को जमीन मिल सके। मैं यह केवल वनों को बरबाद करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वनों की रक्षा होनी चाहिए

(श्री देवीलाल)

लेकिन हमारे उदयपुर जिले में आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र हैं। वहां पर लोगों के पास जमीन की मात्रा कम है। किसी के पास 3-4 बीघा है। किसी के पास इससे कुछ अधिक है। भूमि की कमी होने के कारण और आदिवासियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये जितनी जितनी काबिल काश्त जमीन है, उसको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूं।

दूसरा मेरा राजस्व के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है कि जनवरी, 71 तक काबिल काश्त जमीन पर जिसका कब्जा है, उस पर लोगों के नाजायज कब्जे रेग्युलराइज हो जाने चाहिएं। यह गत वर्ष ही राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है। कई काश्तकार ऐसे थे जो कि समझते थे तो उनका तो पटवारियों ने कर दिया है। लेकिन कई ऐसे हैं, जो कि समझ नहीं पाये हैं। जिनका 5-10 साल से कब्जा है वह दर्ज नहीं करा पाये हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नाजायज कब्जे हैं, उनकी मौके पर स्थिति देख ली जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर कर दिया जाये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सराड़ा तहसील की भूमि का सेटलमेण्ट हुये 30 वर्ष हो गये हैं। वैसे सेटलमेण्ट हुआ है लेकिन उसका वापिस री-सेटलमेण्ट होना चाहिए क्योंकि वहां की सारी भूमि की स्थिति बदल गई है। नाले बदल गये हैं, रास्ते बदल गये हैं, नक्शा अलग से है और भूमि की स्थिति अलग से हो गई है इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सारे नक्शे दूसरे बनाये जायें। इससे काश्तकार जो लूट जाते हैं, वह नहीं लूटे जायेंगे। भूमि की स्थिति जब सही हो जायेगी, ये सारी की सारी आपत्तियां दूर हो जायेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इस पर जोर देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार की ओर से उत्तर होगा। वन मन्त्री महोदय।

**श्री परसराम मदेरणा** (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.........

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट चाहिए।

**एक माननीय सदस्य** : (अश्रव्य)।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : 5 मिनट दे दें, उपाध्यक्ष महोदय!

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों का आज ट्रेन से जाना भी है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 5 मिनट दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब उत्तर होगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। माननीय सदस्यों ने

# Page No 138



(श्री परसराम मदेरणा)

इस बात पर चिंता का इजहार किया है कि राजस्थान के वनों की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है । इसलिए इस दिशा में राज्य सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिन्सली स्टेट्स से राजस्थान बना। जंगल की सम्पदा का उस समय कोई वैज्ञानिक संरक्षण अथवा कटाई का तरीका नहीं था, न ग्रोथ की व्यवस्था थी । राजस्थान बनने के बाद सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । यह सही है कि राजस्थान की जो खाली भूमि है, उसका 11 फीसदी जंगल है । इस प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुये यह 11 फीसदी बहुत कम है। भारत सरकार की एक विशेष कमेटी ने जो जंगलात की नीति तय की है, उसमें इस बात पर विचार किया गया था कि 33 फीसदी जमीन जंगल की जमीन होनी चाहिए । ताकि उसके अन्दर प्राकृतिक क्षमता का समन्वय हो सके । लेकिन हमारे पास 11 फीसदी जमीन है । डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने 14 फीसदी की बात भी की है । वनों को इकॉनॉमिक रखने के साथ साथ यह भी है कि इनसे वर्षा, आंधी, बाढ़ की रोकथाम हो सके और जलवायु ठीक रहे, इसके लिए भी यह आवश्यक है । राजस्थान में अधिक वर्षा में निरन्तर कमी होती जा रही है । इसलिए वन्य सम्पदा को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार यह अनुभव करती है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता प्रकट की है कि वनों की कटाई जो की है, वह ठेकेदारों ने की है। यह ठेकेदारों ने नहीं काटा है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि मैंने जो एजेण्डा सर्कूलेट किया है, उसमें यह बताया गया है कि अब जंगली को खाली बनाने के लिए जो जंगलों की कटाई होती है, वह वन विभाग के द्वारा ही होती है । इसमें डिपार्टमेण्टल वर्किंग के अलावा कुछ को-आपरेटिव सोसाइटीज भी हैं । उसमें भी खासतौर से जो इमारती लकड़ी के जंगल हैं, वह उनको नहीं दिये हैं । बांस तक तो जरूर दे रहे हैं । बांस एक ऐसा दरखत है जो 4 साल में पैदा हो जाता है । दूसरा यह है कि वृक्षों का जो साइण्टिफिक सर्वे किया गया है, उसके आधार पर किसी किसी वृक्ष की उम्र 30, 40 और 35 साल की है । ऐसे दरखत जो लम्बी उमर के होते हैं, मैं उनको वन की सम्पदा मानता हूं । राजस्थान सरकार ने अब स्टेट ट्रेडिंग स्कीम लागू कर दी है । स्टेट ट्रेडिंग में सरकार का अभिप्राय यही था कि इसमें मजदूरों का जो एक्सप्लोयटेशन मिडिल मैन करते हैं, वह रोका जाये । वनों की कटाई साइन्टिफिक तरीके से हो । ताकि उनका वापिस कूपिंग ठीक तरह से हो सके । इसलिए भी कि उनका रीजनेरेशन और संरक्षण, जंगलों का राज्य सरकार अच्छी तरह से कर सके। इसीलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है । हालांकि वनों की छोटी उपज है जिसमें तेंदू के पत्ते हैं, इसके अलावा कत्थे की लकड़ी, गोंद और साल है । छोटी उपज जंगल में होती है, वह ठेके पर दी जाती है । तेंदू के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे थे, मेरी समझ में तेंदू के सम्बन्ध में जो कहा कि पेड़ काटे जाते हैं, तो तेंदू के पेड़ नहीं काटते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, पत्ते इकट्ठे किये जाते हैं । यह माननीय सदस्य को भ्रम है ।

कूप्स के स्टेगरिंग का प्रश्न है, मैं समझता हूं, राजस्थान में कूप्स का स्टेगरिंग शुरू हुआ है, और डिपार्टमेंटल वर्किंग के आधार पर, साइन्टिफिक वर्किंग के आधार पर ऑपरेशन होता है, यह कल्चरेवल ऑपरेशन है । जहां जमीन खाली रह गई हो, उस गेप को रीजनेरेशन के जरिये भर कर खाली जगह में पेड़ लगाते है और यह देखते हैं कि इस कैपेसिटी और स्टेन्डर्ड के कौनसे पेड़ हैं जो वहां फूट सकते हैं । इस स्कीम को लागू किया है और इसमें इकॉनॉमिकल प्लान्टेशन करते हैं । जिससे राज्य सरकार को फायदा होता है, राजस्थान के लिए उपयोगी लकड़ी मिलती है ऐसे पेड़ों का प्लान्टेशन किया जाता है जो इकॉनॉमिक हों और ज्यादा आमदनी दे सकें इसके साथ साथ सोइल कन्जर्वेशन के प्रश्न को भी देखते हैं । अभी जिनकी कटिंग होती है वह साथ में लगाते हैं । इसके साथ ही साथ ग्रास के बीड हैं, उनका मैनेजमेंट साइन्टिफिक ढंग से किया जाता है, उनके एन्क्लोजर बनाये जाते हैं, दीवार बना देते हैं ताकि वहां लोग न आवें जब तक कि घास बड़ी न हो जाय । इस तरह से साइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई के बाद उनको संरक्षण देने के लिए उनको बढाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में पिछले कुछ सालों के अन्दर डेजर्ट बढ़ने की बात कही गई, अरावली से रेगिस्तान दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ता चला आ रहा है इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया । डेजर्ट डवलपमेंट के लिए सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम बाडमेर और जैसलमेर में लागू की है, यह अकाल के समय के लिए चारा उपलब्ध करने के लिए भी है । इसके लिए तार बन्दी और सैंड ड्यून्स स्टबलाइजेशन को इन्ट्रोड्यूज किया गया है । यह सैन्ट्रली स्पोंसड स्कीम है और राजस्थान में यह लागू की गई है । प्लान्टेशन शहर के पास किया गया है, जहां नहर आती है वहां लगाने का प्रयास किया है । सेल्टर बैल्ट प्लान्टेशन, जहां नहर के पास जमीन खाली पड़ी रहती है वह लेकर ज्यादा से ज्यादा दरखत लगा दिये हैं । सैंड ड्यून्स स्टबलाइजेशन के लिए कई हैक्टर भूमि ली गई है । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, वह सुन्दरा बैल्ट की बात कह रहे थे, सुन्दरा बैल्ट पाकिस्तान के बोर्डर पर आई है, वह बैल्ट बनाई जायगी । 103 किलोमीटर में हमने तारबन्दी की है और 16 किलो मीटर से घास काटी है ।

डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कहा गया । डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्दर डेजर्ट का जो हिस्सा है, वहां पाश्चर डवलपमेंट की, घास की योजना की व्यवस्था है, उस प्रकार की व्यवस्था की है । माननीय सदस्य ने कुछ बात कही, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मैं नहीं समझता कि मैं एक एक पॉइन्ट का उत्तर दूं, मैं यह जरूर कहूंगा, औरण के सम्बन्ध में कहा, औरण के लिये नहीं है, औरण डेजर्ट एरिया में जुड़े हुए हैं । जंगलात में से लेकर घास उठाने और

(श्री परसराम मदेरणा)

घास डवलपमेंट के लिए इसको हाथ में लिया जाता है। इसमें माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसी भी माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं होना चाहिए।

सिरस्का गेम्स सेंक्चुरी के लिए कहा गया। यह गेम्स सेंक्चुरी राजस्थान की तीन गेम्स सेंक्चुरी में से एक है। हजारों टूरिस्ट इस सेंक्चुरी को देखने के लिए आते हैं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, शेर के स्कोप के कारण से काश्तकारों को जमीन नहीं देते हैं। माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, भारत सरकार ने कहा है और हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने जो पत्र लिखा है मुख्य मंत्री को, उसमें वह वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिये जोर देती रही हैं। प्रधान मंत्री ने जो मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था, उसमें उल्लेख किया था, गेम्स सेंक्चुरी में वाइल्ड लाइफ के ज्यादा प्रकाशन और संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्था की जाय। उन्होंने यह कहा है और यह बात भी यहां आई थी, माननीय सदस्यों ने उठाई, वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए एक यूनिफार्म लॉ होना चाहिए। राजस्थान सरकार प्रिन्सिपली इससे एग्री हो गई है और इस सदन में प्रस्ताव लारही है ताकि हिन्दुस्तान के संविधान के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को देकर भारत सरकार को कहे कि वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए यूनीफार्म लॉ बनना चाहिए। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने पैंथर के बारे में कहा कि ब्लेक मार्केटिंग चलता है। भारत सरकार ने इसका एक्सपोर्ट बान कर दिया है। सेंक्चुरी में शिकार करने के उद्देश्य से कोई घुस जाय तो कानून के अन्तर्गत वह अपराध है और उसको सजा दी जाती है। इसके साथ ही काले हिरण के प्रिजर्वेशन की बात भी कही। चूरू में छापर गेम्स सेंक्चुरी में कोई जा सकते हैं और देख सकते हैं, हजारों हिरण वहां हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रयास किया गया है।

यहां पर बंबू नहीं काटने के लिए भी कहा गया। बंबू इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक हैं। इंडस्ट्रीज के लिए कई फेक्टरों की आवश्यकता होती है, उसको वैसे करने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है। लेकिन अभी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है इसलिए इसको ठेके पर दे रहे हैं।

यहां पर झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं, खास तौर से एक बात यह कही, जंगलात की जो भूमि है, उसमें जो कृषि योग्य भूमि है, उसके सम्बन्ध में कहा गया कि यह जो काबिले काश्त भूमि है इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर देना चाहिए। मैं उनसे इस बात में एग्री नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि वह ग्रास बीड है, वहां ग्रास इकट्ठी की जाती है और अकाल के वक्त में फॉरेस्ट एरिया से, बीड़ एरिया से हजारों क्विन्टल घास राजस्थान के फेमीन अफेक्टेड इलाकों में पहुंचाया है। उस आवश्यकता के कारण ग्रास बीड रहने चाहिए। इसलिए मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात उन्होंने रिश्वत की मदनपुरिया के बारे में कही। मैं इसमें जांच के आदेश दे रहा हूं।

निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जंगलात की जमीन बड़े लोगों

(श्री परसराम मदेरणा)

को रेगुलेराइज कर दी है और छोटे लोगों को नहीं की जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह माननीय सदस्य भी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी बनी हुई है, जिसमें जिला प्रमुख हैं, कलेक्टर उस कमेटी में हैं और तीसरे डी० एफ० ओ० हैं । यह एक राय के होते हैं तो जमीन रिलीज कर दी जाती हैं । इससे राजस्थान सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा । कोई कमी रही इसलिए इस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है । माननीय सदस्य इस मामले को ध्यान में लाये हैं तो जल्दी ही कमेटी बुला कर निर्णय लेने का आदेश दूंगा ।

इसी प्रकार सरदारपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कमेटी बनी हुई है, कमेटी को पूर्ण अख्तियार दे दिये हैं, तीन सदस्य एक राय के हो जाते हैं तो जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर दी जाती है । अगर नहीं होते हैं, तो मामला राज्य सरकार के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने के लिए भेजा जाता है ।

यहां पर खास खास बातें कही गईं, जंगल की कटाई के मामले में, सरकार को तेंदू पत्तों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए — यह बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । तेंदू पत्तों का राष्ट्रीयकरण किये जाने वाला मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और जिस तरीके से मध्यप्रदेश ने तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण किया है, राजस्थान सरकार उन्हीं लाइन्स पर सोच रही है, उसका फैसला राजस्थान सरकार कुछ हफ्ते में ले लेगी ।

इसी प्रकार रिजर्व जंगल की सुविधा चली आ रही है, वह चालू रखने की बात कही । एक तरफ तो कह रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ कहते हैं, रिजर्व जंगल अलग कर दिये जायें, पंचायत के जंगल अलग कर लिये जायें ताकि पंचायत जंगल से, वन की उपज ले सकें । अभी रिजर्व जंगल के अन्दर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत के जंगल अलग हैं, पंचायत का डिमार्केशन अलग है, अब जंगल के टुकड़े करके पंचायत को दे दें तो उसके बाद सुरक्षा रह सकेगी ? पंचायत को जमीन दी हुई है, पास्चर लैण्ड दी हुई है, पंचायत साइंटिफिक घास उगाने, ग्रास बोने का काम करायें क्योंकि मवेशी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ।

माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में 4 करोड़ के आस-पास मवेशी हैं । राजस्थान की मवेशियों की संख्या जो 30-40 साल पहले थी उसकी संख्या 3-4 गुना हो चुकी है। लकड़ी और कोयले की लोगों को जरूरत है। दूसरी तरफ कुछ रियायतें दी गई हैं उन रियायतों के अंदर बहुत से लोग जंगलों में जाते हैं और छिप कर ले जाते हैं, जंगल काट लेते हैं । गीली लकड़ी काटने के बाद सूखी लकड़ी के नाम से ले आते हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इन सब मुद्दों पर विचार करने का समय आ गया है । एक तरफ यह राय थी कि सैंक्चुरी मत रखो, शेरों की आवश्यकता नहीं, वह जंगल काश्तकारों को दिया जाए । दूसरी तरफ काफी माननीय सदस्यों की राय थी कि जंगलात की जमीन काबिले

(श्री परसराम मदेरणा)

काश्त कर दी जाय। एक ओर हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड से, देश की जो वन नीति है उसको ध्यान में रखते हुए 33 प्रतिशत जंगलात होने चाहिए, जबकि हमारे यहां 11 प्रतिशत है और उनमें से आज हमें काफी जगह फॉरेस्ट्स को रिहेबिलिटेट करना है, प्लान्टेशन करना है, उनको सुधारना है और घने जंगलों में काम करना है क्योंकि क्लाइमेटिक कन्डीशन्स के कारण आज बरसात का अभाव है, इसके लिये उपयुक्त जलवायु होनी चाहिये। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जरूरत ही क्या है, जहां जंगल नहीं हैं वहां भी बरसात हो जाती है। जहां घने जंगल होंगे वहां निश्चित तौर से ज्यादा बरसात होती है। जहां पर कन्सेशन्स दिये गए हैं उनका उपयोग अर्स्टवाइल प्रिन्सली स्टेट्स थीं, वे उपभोग करती थीं। आज उस एरिया को वर्क आउट किया जाता है, एन्क्लोजर बनाया जाता है और दूसरे एरियाज बताते हैं तो बराबर शिकायत रहती है कि पास से लकड़ी नहीं ली जाती है। बैलगाड़ी के अलावा साइकिल से भी लाने की बात करते हैं और कन्सेशन्स भी दिए जाते हैं। जैसे माननीय सदस्य जानते हैं जंगलों को सुरक्षित रखना है, वन सम्पदा को नष्ट होने से बचाना है तो जो कन्सेशन्स दिए गए हैं वह भी इमारती लकड़ी के और जो रेट्स फिक्स किए गए हैं वह 1951 के हैं। आज जो टोटल कन्सेशन्स राजस्थान में दिए जाते हैं अगर रेवेन्यू में उनको कन्वर्ट किया जाए तो हमारे विभाग का मानना है कि 3 करोड़ के आस-पास वन की उपज कन्सेशन्स के जरिए लोगों को निःशुल्क या बिल्कुल नॉमीनल प्राइसिज पर लोगों को दी जाती है जिसमें घास वगैरा शामिल है और इमारती लकड़ी भी शामिल है।

बांसवाड़ा और डूंगरपुर में निःशुल्क लकड़ी लाने की इजाजत है। जहां इजाजत नहीं है वहां नॉमीनल प्राइस ली जाती है और वह इतनी कम है कि बाजार में उसकी प्राइस कई गुना अधिक है।

मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि ऐसे एरियाज में जो आदिवासी रहते हैं या दूसरे लोग, जिनको रोजगार मिलता है, उनको किसी तरह की परेशानी हो।

एक बात और कहूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहां एक तरह से ठेकेदारी बन गई है। गलत आदमी आ गए हैं। इसलिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ठेका देना बंद किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की नीति रही है कि जो फॉरेस्ट्स हैं, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ साल के एवरेज पर उनका ठेका दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करते आए हैं....

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा): वे किसान नहीं हैं, दूसरे लोग हैं. इन घोटालों की जांच होनी चाहिए।

**श्री भरतलाल** : मंत्री महोदय के उत्तर तक विधान सभा का समय बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अनुदान की मांगों पर मतदान और सरकारी पक्ष का उत्तर होने तक समय बढ़ा दिया जाता है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : जब तक मांगों का पारण हो।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों का पारण होने तक और सरकारी पक्ष के उत्तर तक ।

श्री परसराम मदेरणा : सहकारी समितियों को ठेका दिया जाय या नहीं, इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर माननीय सदस्य की राय को मान सकता हूं लेकिन सदन के माननीय सदस्य, जो शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं, सोसाइटीज की तरफ से आ रहे हैं, उनका कहना है, इनको ठेका दिया गया है, इनका एक्सटेन्शन होना चाहिए । सोसाइटीज में गरीब लोगों के प्रतिनिधि हैं इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कोई शिकायत मेरे पास में आई और ऐसे लोग जो वास्तव में मजदूर नहीं हैं और ठेकेदार हैं या किसी प्रिटेक्स्ट पर ऐसे ही घुस गए हैं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसायटीज यदि होंगी तो मैं आश्वासन देता हूं कि उनमें से किसी को ठेका नहीं दिया जायगा और उस आदमी को जब तक नहीं निकालते ह तब तक ठेका नहीं देने का आदेश दे देंगे ।

भीम से आने वाले माननीय सदस्य एक प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं । उन्होंने ठेकेदारी प्रथा बंद करने की बात कही । अब डिपार्टमेंटल वर्क चल रहा है । राजस्थान में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने दिया है । वह भी शनैः शनैः पूरा फॉरेस्ट का प्रोडयूस का काम अपने हाथ में ले रहे हैं और इसका करीब करीब स्टेट ट्रेडिंग हो चुका है ।

मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका उत्तर मैंने दे दिया है । उसके अलावा भी यदि कोई बात रह गई है तो माननीय सदस्य मुझसे मिल सकते हैं और अब आपसे निवेदन है कि आप मांग को पारित करें ।

श्री भरतलाल : मैं वन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : इस समय प्रश्न नहीं ।

श्री भरतलाल : मेरा कट मोशन था सवाई माधोपुर के बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के विषय में करीब 95 कट मोशन्स आए हैं और करीब 15 सदस्यों ने अपने अपने विचार जाहिर किए हैं । मैंने इन जनरलाइजेशन्स का इस तरह से स्पेसीफिकेशन इस तरह से किया है :

(1) Rationalisation of rent rates.

(2) Regularisation of trespass cases on Government agricultural land.

(3) Implementation of provisions of ceiling law.

(4) Allotment of agricultural land and irregularities made in the allotment.

(5) Disposal of mutation cases, delay caused in their disposal.

(6) Enhanced rent rates in Ajmer District, Tehsil Bhim and Deogarh of Udaipur District.

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(7) Irregularities in realisation of land revenue, including penalty.

(8) Distribution of pass-books.

इस तरह से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार जाहिर किए हैं। इसमें पहले जो रेंट रेट्स की समस्या है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान करीब 22 छोटी बड़ी रियासतों से मिलकर बना। उस समय सेटलमेंट के कानून भिन्न भिन्न थे और ऐसा लगता है कि जो छोटी रियासतें थीं, उन्होंने अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा लैंड रेवेन्यू लगाया।

यह तभी से चलता आया। राजस्थान के एकीकरण होने पर फिर सवाल उठा और लैंड रिफॉर्म्स जब यहां शुरू हुआ तो किसान ने आवाज उठाई कि रेन्ट रेट्स सारे राजस्थान में एक सी होनी चाहिये। इस पर लैंड रिफॉर्म्स कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने भी कहा कि रेन्ट रेट का रेशनेलाइजेशन होना चाहिये। उन्होंने इसके लिये राजस्थान को करीब पांच हिस्सों में बांटने की बात कही। ऊसर जमीन, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, पेरेनियल, सेमी पेरेनियल। कुछ की राय यह थी कि इस तरह से रेन्ट रेट ठीक से कायम नहीं हो सकेगी। अच्छा यह हो कि जमीन की प्रोडक्टिविटी पर रेन्ट रेट्स कायम हो। सटलमेन्ट के बाद वही एक साइन्टिफिक तरीका है। इसमें रेन्ट रेट्स की जब एक आवाज उठी कि बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है तो पच्चीस मार्च, 70 को भतपूर्व मुख्य मन्त्री ने एक पॉलिसी स्टेटमेन्ट दिया इस असेम्बली में कि रेन्ट रेट्स 25 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ाई जावेगी और उस पालिसी स्टेटमेन्ट की बिना पर अब यह सेटलमेन्ट हो रहा है। रेन्ट रेट्स विचार करके कायम की जावेगी।

दूसरी बात, फुलेरा से आने वाले ने और जयपुर से आने वाले सदस्यों ने कही कि यहां पर चाही जमीन का लगान बहुत अधिक है। यह तो मैं भी मानता हूं कि चाही जमीन या लिफ्ट इरिगेशन हमेशा बहुत महंगा होता है। उन्होंने यह कहा कि नहरी जमीन के समान ही चाही जमीन का भी लगान होना चाहिये क्योंकि वह कहते ह नहरी जमीन पर बहुत कम खर्च आता है और चाही जमीन पर बहुत अधिक खर्चा पड़ता है। यह बात बिल्कुल सही हो, ऐसा तो मैं नहीं मानता क्योंकि चाही जमीन पर जब कोई किसान कुंआ लगाता है तो पहले बीस साल तक तो उस जमीन पर कोई लगान नहीं बढ़ाया जाता, न लगान लिया जाता है। उसकी पुरानी जमीन ही समझी जाती है जबकि नहरी जमीन पर जिस दिन से पानी लगता है उसी दिन से आबियाना कायम हो जाता है रेन्ट रेट के साथ साथ। दूसरा चाही जमीन पर जितना पानी लगता है जमीन में उतने पर ही रेन्ट रेट चार्ज होता है जबकि नहरी जमीन में जितनी जमीन सिंचित हो सकती है उस सब पर रेन्ट रेट कायम हो जाता है चाहे वह उस पर पानी ले या न ले। इसके अलावा नहरी जमीन पर बेटरमेन्ट लेवी लगती है जो कि जमीन की कीमत से 50 पर्सेन्ट से भी ज्यादा होती है जो चाही जमीन में नहीं है। वहां कोई बेटरमेन्ट लेवी नहीं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

ली जाती । इसलिये दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं । इनको मिला नहीं सकते हम । लेकिन यह रेन्ट रेट में समानता किस कदर होनी चाहिये उस जमीन की पैदावार को देखते हुए, दूसरी बातों का लिहाज रखते हुए तो इसके लिये मन्त्रिमण्डल भी गम्भीरता से विचार कर रहा है और मेरा ख्याल है कि जल्दी ही हम इस पर निर्णय ले लेंगे।

**श्री शीशराम ओला** : किसी के पास चाही जमीन नहीं है । कुए से पानी मिलता था तीस साल पहले । पर जो उस समय चाही का लगान लगा दिया वह आज तक भी वसूल हो रहा है इसके लिये आप का क्या कहना है ?

**श्री केदारनाथ** : इस तरह के बहुत कम केस हैं ।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : ऐसा कोई केस होगा और आप बतावेंगे तो जांच करा ली जायेगी । जहां पर कुआ ही नहीं है वहां पर मेरे ख्याल से चाही जमीन ट्रीट नहीं करनी चाहिये ।

ट्रेसपास के केस बहुत ज्यादा हैं । बहुत से भूमिहीन किसानों ने भी सरकारी जमीन जो पड़ी थी उस पर कब्जा किया है । सरकार उनको हटाना नहीं चाहती इसलिये उन सबको रेगूलेराइज करने के लिये 5 अक्टूबर, 67 को यह आदेश जारी किया कि 31-12-66 तक ट्रेस पास के केस होंगे उन सबको जायज मान लिया जावेगा और उसके अनुसार जिन जमीनों पर भूमिहीन भाई सही तरीके से काबिज थे उनका कब्जा सही मान लिया गया ।

इसके बाद भी जब सिलसिला चलता रहा तो फिर दुबारा 31-12-70 को सरकार ने निर्णय लिया कि इस अरसे में जो लोग ट्रेसपासर्स बने हैं तो उनको भी सही मान लिया जावे । और इस तरह से 1-1-71 को जो ट्रेसपास के केस थे वे 37,743 पेंडिंग में थे जिसका एरिया था 55,138 एकड़ । लेकिन इसके बाद 2-1-71 से 1-1-72 तक केस और हो गये । इसके बाद ट्रेसपास हुए हैं एक साल में वे मिलाकर करीब 1½ लाख केसेज और एराइज हो गये । उन सब पर 40 एडीशनल तहसीलदारों को लगाकर रेगुलराइज किया गया था और उसके बाद एडीशनल एस० डी० ओ० और लगाये हुए हैं । तो जल्दी ही इन सबका फैसला हो जावेगा ।

**श्री नत्थाराम** : एस० डी० ओ० को वापिस बुला लिया है । और केसेज बढ़े हैं बहुत से ।

**एक माननीय सदस्य** : तहसीलदार, पटवारी ने मिल कर पैसे ले लेकर कब्जे हटाये हैं और औरों को बेच दिये हैं, सही भूमिहीन काबिजों को परेशान कर रहे हैं ।

**श्री केदारनाथ** : पहले स्टेटमेंट हो जाने दें ।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : मुमकिन है कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया हो ट्रेस पास केसेज में लेकिन मेरा मानना ऐसा है यह बात बढ़ा कर कह दी जाती है । जो सही भूमिहीन हैं या जो अनुसूचित जाति के या हरिजन भाई हैं उनको जमीन न देकर बड़े बड़े आदमी ले गये हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

है उससे मैं बता सकता हूं कि इस अर्से में 7 लाख 37 हजार 284 भूमिहीनों को जमीन अलाॅट की गई है और वह जमीन है 50 लाख 56 हजार 216 एकड़ यानि करीब 7 एकड़ फी भूमिहीन को आई है। इस 7 लाख 37 हजार 284 में से 3 लाख 41 हजार 731 हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के हैं तो 50 पर्सेन्ट के आस पास शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स को जमीन मिलती रही है। इसलिये यह कहना इनको जमीन न देकर बड़े बड़े ले गये हैं गलत है। हो सकता है जहां कहीं गड़बड़ी की जा सकती है उन लोगों ने गड़बड़ी की होगी लेकिन अधिकांशतः जमीन भूमिहीनों को मिली है। शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो तीन लाख 41 हजार 731 को मिली है वे तो कोई बड़े आदमी नहीं हैं, प्रभावशाली नहीं हैं। उनको तो उनके हक से मिली है।

तीसरा यह सीलिंग के बारे में है। सीलिंग के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीलिंग के बारे में कहा है कि हमने जो इलेक्शन मेनीफेस्टो में बात कही और फिर सेन्ट्रल रिफार्म कमीशन ने जो कुछ डायरेक्टिव्स भेजे हैं और चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में हमारे सी० एम० साहब ने जो बात कही है उन सब से हटकर हम सीलिंग में, जो हमने वायदे किये हैं, उसके मुताबिक न करके कुछ हेर-फेर कर रहे हैं। यह मैं नहीं समझा कि वे इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं क्योंकि सीलिंग जब चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेन्स हुई थी उस वक्त मैं भी मौजूद था और हमारे सी० एम० ने यही कहा था कि जो भारत सरकार ने 10 से 18 एकड़ के बीच में सीलिंग रखने का आदेश दिया है हम उसका सही सही पालन करेंगे और उसी आदेश के मुताबिक यहां पर 18 एकड़ सीलिंग रखने का विचार हमारे मंत्रिमण्डल में हुआ। अब इन्होंने यह कहा गवर्नमेंट सोर्सेज को जो बात कही जाती है यह हेर-फेर की बात है। हमारे यहां पर गवर्नमेन्ट सोर्सेज वाली बात नहीं आई है। लेकिन भारत सरकार में या आल इंडिया बेसिस पर इसका जिक्र जरूर चल रहा है और इसमें जो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने पालियामेंट मे वक्तव्य दिया अभी 27 तारीख को कि यह जो हेर-फेर की बात की जाती है सही नहीं है क्योंकि जब वेस्ट बंगाल में प्रेसीडेन्ट रूल था उस वक्त जो एक्ट बना वह भारत सरकार की इच्छा के अनुसार बना और उसमें भी गवर्नमेंट सोर्सेज की बात है उसके बाद 4 अगस्त, 1971 को राज्य सभा में श्री शिन्दे ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर फाॅर स्टेट ने जो वक्तव्य दिया उसमें भी गवर्नमेंट सोर्सेज का कहा है। इसलिये यह कहना कि हमने इसके बाद में हेर-फेर किया है, सही नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा चूंकि मैं गंगानगर से आता हूं इसलिये मैं सारे में इन्ट्रेस्टेड हूं। मैं बता देना चाहता हूं गंगानगर में बहुत छोटे से इलाके को छोड़कर ट्यूब वेल्स का जिक्र नहीं है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर है, वह खारा है। गंगानगर सारे

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जिले में 10-20 गांव को छोड़कर ट्यूब वेल्स लग नहीं सकते हैं इसलिये यह कहना मैं भी हेर-फेर में शामिल हूं, यह उनकी गलत धारणा बनी है। उसके बाद इम्पली-मेन्टेशन की जो बात है, उन्होंने एक बात यह भी कही, पहले यह नारा लगाया जाता था कि 57-58 में जब सीलिंग एक्ट कन्सीडरेशन में था 17 लाख एकड़ भूमिहीनों को आ जायेगी और आज बहुत कम आई है। वह तो 36 हजार कहते हैं लेकिन सही आंकड़े यह हैं, सीलिंग में रिजम्पशन का जो ऑर्डर 2 लाख 7 हजार 80 का हुआ है उसमें से रिज्यूम्ड हे 66 हजार 396 और अलॉटेड लैन्ड 12 हजार 842। सही आंकड़े ये हैं। जो आज हमारे पास हैं इसमें भी जो 16 लाख एकड़ की बात कही उनको यह ख्याल होना चाहिये कि जो सीलिंग में परिवार की परिभाषा की गई है वह है-हस्बेन्ड, वाईफ एन्ड माइनर चिल्ड्रन तो सन् 57-58 में जो लड़के 5-6-7 साल के थे आज तो सब बालिग हो चुके हैं। पहले जो एक खानदान था आज उसके तीन खान-दान हो सकते हैं, 4 खानदान हो सकते हैं और अब उस हिसाब से 16 एकड़ आ सकती है वह नहीं आ सकती है क्योंकि बहुत से खानदान बन गये। बहुत सारी जमीन है उनको ट्रान्सफर कर दिया क्योंकि उनको मालूम था कि यह जमीन बाद में चली जायगी तो इसको भी हमने वेलिड मान लिया है। 16 लाख आने वाली थी और 36 हजार आई है यह गलत धारणा है क्योंकि कई कारण हुये हैं। जितनी जमीन हम पहले एक्सपेक्ट करते थे उतनी नहीं आ सकी है। एक बात यह भी कही गई कि रूलर्स से कोई जमीन नहीं ली जा रही है—सीलिंग से ऊपर जिसकी जमीन होगी वह कोई हो, चाहे रूलर्स हो या और कोई हो—किसी को भी वंचित नहीं रखा जायगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई:** उनसे जमीन ली है क्या?

**श्री रामचन्द्र चौधरी:** इसलिये नहीं ले पाये हैं कि उनके केसेज चल रहे हैं लेकिन अब जब सीलिंग लागू कर रहे हैं तो उससे वंचित नहीं की जायगी। इसके अलावा अब यह सीलिंग बिल भी इसी सेशन में आ रहा है और टिनेन्सी बिल भी इसी सेशन में आ रहा है। यह भी कहा गया टिनेन्सी बिल लाने का तो कोई इरादा नहीं है। इरादा क्यों नहीं है। यह भी आयेगा, कार्यवाही हो रही है।

एग्रीकल्चर लैण्ड में जो अलाटमेन्ट हुए हैं उनके लिए पहले भी सरकार ने ऐसे इन्सट्रक्शन्स जारी किये हैं कि दो किस्तों से ज्यादा किसी भी आदमी से नहीं ली जाये एक साथ और किसी की भी जमीन लैण्ड रेवेन्यू या दूसरी रकम की बकाया के कारण कुर्की या नीलाम नहीं होगा। तो यह इन्तजाम पहले से ही लैंड लैस के फायदे के लिए सरकार ने किया है।

पांचवा म्यूटेशन का प्रश्न है। यह बात ठीक है। करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भी कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज उठाया है कि म्यूटेशन नहीं होने से लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस पर सरकार पूरी जाग-रूक है और सब जगह हिदायतें कर दी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

गयी हैं कि जल्दी से जल्दी म्यूटेशन्स किये जायें और इसका एक अभियान भी चलाया गया है जैसे भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, उदयपुर में।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : गंगानगर में भी चला दो।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : म्यूटेशन्स के बारे में मैं बताऊं कि पिछले तीन महीनों में 84,130 म्यूटेशन्स हो गये हैं और चालू महीने में 40,561 म्यूटेशन्स हुए हैं। इस तरह से काफी तेजी से प्रगति हो रही है और गंगानगर में आपने बताया ही है कि 66 से सैटलमेन्ट का काम जारी है। तो जहां सैटलमेन्ट होता है वहां पर म्यूटेशन्स कानूनन नहीं कर सकते। वह सैटलमेन्ट वाले ही कमी कर सकते हैं इसलिए आज ही रेवेन्यू कमिश्नर से मैंने बात की है कि 6 साल हो गए और सैटलमेंन्ट नहीं होरहा है और उसमें म्यूटेशन्स नहीं होने पर लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है तो तहसीलदारों को अख्तियार देने के लिए आदेश जारी हो जायेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उन्होंने पहले भी खाक कर दिया।

**श्री देवीलाल** : सेटलमेन्ट पूरा हो गया और जहां नहीं हुआ वहां सेटलमेन्ट कराने का राज्य सरकार सोच रही है क्या जल्दी से जल्दी ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी** : झूठी बात है कि भीम और देवगढ़ के बारे में रेवेन्यू बढ़ाने की भी बात कही गयी है वह सही नहीं है क्यों कि अभी तक तो उसका सेटलमेन्ट ही नहीं हुआ है और सेटलमेन्ट होने से पहले दर बढ़ेगी या नहीं इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह तो जब रिपोर्ट आयेगी उसी पर कार्यवाही की जायेगी।

अजमेर के बारे में ऐसा है कि लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाने का सवाल नहीं है। वहां पर सन् 1951-52 में सेन्टलमेन्ट हुआ था। उस सेटलमेन्ट में जो दरें लैण्ड रेवेन्यू की कायम की गयी थीं वही दरें आज भी हैं। लेकिन वहां पर बिस्वेदार और इस्तमरारदार ये दो क्लास बिचोलियों की ऐसी थीं कि लगान तो किसानों से सीधा नहीं लिया जाता था और उन लोगों से एक बंधी रकम ली जाती थी और किसानों से छटा बांटा लेते थे। सन् 1956 में अजमेर राजस्थान में सम्मिलित हुआ तो सब खातेदार हो गए और वह भी बिचोलिये नहीं रहे। किसान भी खातेदार हो गए और बिस्वेदार भी खातेदार हो गए। उसके बाद रेन्ट रेट्स किसान तो देता था इनसे नहीं ली जाती थी तो जब दुबारा जांच की गई तो पाया गया कि किसी रेवेन्यू ऑफिसर की भूल से जो लगान किसानों से लेते थे वह बिस्वेदारों से नहीं लिया। इसलिए बिस्वेदारों से या बिचोलिये हैं उनसे भी वही लगान लिया जायेगा जो कि दूसरे किसानों से लिया जाता है क्योंकि एक ही गांव में दो तरह को व्यवस्था नहीं हो सकती। यह तो बिस्वेदारी और इस्तमरारी प्रथा लागू थी उसको बन्द किया है।

इसके बाद डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पासबुक्स की बात है। पास-बुक्स के बारे में मैं कहूंगा कि 6,65,400 पास-बुक्स तो

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

खातेदारों को वितरित की जा चुकी है लेकिन जहां पर सेटलमेन्ट नहीं हुआ उन इलाकों में सेटलमेन्ट नहीं होने की वजह से पास-बुक्स वितरित नहीं का जा सकीं। इस साल भी 21 लाख पास-बुक्स और छपवाई हैं और अब 74 के आखिर तक 34,34,595 पास-बुक्स बनाकर वितरित कर दी जायेंगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जहां सेटलमेन्ट हो गया वहां तो दे दी ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** वहां देने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह यह भी दिक्कत आ रही है कि किसान लोग पास-बुक्स लेने में इतना इच्छुक नहीं रहे हैं क्योंकि पास बुक्स से समझते थे कि बैंक से ऋण मिलेगा लेकिन अब बैंक वाले उस पास-बुक को आधार नहीं मानते क्योंकि वह कहते हैं कि आप एक जगह से कर्जा लें तो दर्ज हो सकता है लेकिन आपने पांच जगह से कर्जा ले लिया है तो सिर्फ आपके हलफनामे पर ही बैंक का पैसा नहीं दे सकते। इसलिए बैंक उसमें अड़चन डालती है। इसलिए पास-बुक्स भी किसान लोग लेने में हिचकिचाहट करते हैं। इसलिए पास-बुक्स के वितरण करने में दिक्कत आ रही है लेकिन वितरण कर रहे हैं और सन् 74 के आखिर तक सब किसानों के पास पास-बुक्स पहुंच जायेंगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** पास-बुक्स दी ही नहीं हैं। लेते हैं या नहीं लेते हैं यह बाद में प्रश्न आयेगा। पास-बुक्स तैयार ही नहीं कीं।

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** मैंने कहा कि 6 लाख 65 हजार दे दीं और 21 लाख छपकर तैयार हैं और वह सब जगह भेज दी जायेंगी और जहां सेटलमेन्ट हो चुका है वहां इसी साल में बंटवा देंगे और जैसे जैसे सेटलमेन्ट होता जायेगा हम सब को वितरण कर देंगे।

**श्री देवीलाल :** पैनल्टी लगा दी गई थी उसको माफ करने के लिए या लगान में एडजस्टमेन्ट करने के लिए घोषणा हुई थी उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** सन् 66 से पहले ऐसा था कि जब 66 में इर्रेगुलर एजेशन रेगुलेराइज किये उसमें यह कहा गया कि जो लगान का 20 गुना और पैनल्टी का 15 गुना एकदम पैसे दे देगा उसको हम खातेदारी हक दे देंगे। तो उस बिना पर कई भाइयों ने पैसे दे दिये लेकिन बाद में यह हो गया कि यह भी नहीं लिया जायेगा। तो सरकार ने ऐलान किया कि सब के साथ एकसा व्यवहार करने के लिए जिनका पैसा वसूल हो चुका है जो उनकी लैण्ड रेवेन्यू या रेन्ट रेट्स हैं उसमें एडजस्ट करते जायेंगे तो वह एडजस्ट हो रहा है.........

**श्री देवीलाल :** वसूल नहीं किया और वह एडजस्ट भी नहीं हो रहा है।

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** वसूल नहीं हुआ उसका एडजस्टमेन्ट क्या होगा ?

**श्री देवीलाल :** कुछ तो वसूल कर लिया और कुछ करना बाकी है।

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** जो वसूल नहीं हुआ वह तो लगाना ही नहीं है। जो वसूल हुआ है उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं हुआ है उसको भी कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** यह प्रश्न-काल नहीं है। जवाब आ चुका है।

**श्री रामचन्द्र चौधरी:** बाकी अगर कोई जवाब रह गए हैं तो हम उनका लिखित में उत्तर दे देंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मांग पारित की जावे।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो छोटे छोटे जागीरदार हैं, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उसकी लैंड रेवेन्यू में एडजस्ट करेंगे या नहीं।

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** यह आपका सुझाव है इस पर उस वक्त विचार कर लिया जाएगा।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डुंगरपुर-बांसवाड़ा में जो कडाणा बांध से प्रभावित गांव हैं, उन गांवों में सेटलमेन्ट हुए काफी अर्सा हो चुका है, सेटलमेन्ट में जमीन बाप के नाम दर्ज है लेकिन जमीन पर लड़का काबिज है तो उस लड़के के नाम पर जमीन का इन्द्राज नहीं किया जा रहा है। कृपया आप यह आदेश देंगे कि जो इस समय जमीन पर काबिज हैं उनके नाम इन्द्राज कर दिया जावे।

**श्री शीशराम ओला :** मेरा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने घोषणा की थी कि फौजियों को और उनकी विधवाओं को जमीन दी जावेगी। लेकिन अभी तक भी उन्हें जमीन नहीं मिली है। यहां तक कि सन् 62 में जिनको जमीन देने की घोषणा की थी उनको भी जमीन नहीं मिली है। तो क्या आप इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि उन्हें अभी तक जमीन क्यों नहीं दी ?

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** जो परमानेंटली डिसएबल्ड हो गए हैं और जिनको जमीन देने की घोषणा की गई है उनको अगर जमीन नहीं मिली है तो वह दिलाई जाएगी। उन को हम जमीन दे भी रहे हैं।

**श्री नाथूराम :** सेटलमेंट के बारे में मेरा बहुत जरूरी प्रश्न है....

**श्री शीशराम ओला :** आप समय बतायेंगे कि कितने समय में दे देंगे, महीने, दो महीने में ताकि आगे शिकायत न आए ?

**श्री नाथूराम :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत जरूरी प्रश्न है। कडाणा बांध से लोग प्रभावित हो रहे हैं। गावों में जमीन तो बाप के नाम दर्ज है लेकिन बाप के बाद बेटा जमीन पर काबिज है तो उनके नाम इन्द्राज होना चाहिए।

**श्री रामचन्द्र चौधरी :** जो नियम मुताबिक होगा वह कर दिया जावेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए एक साथ खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष :** सारे जवाब आ गए हैं, अब आप बैठिए।

**श्री नाथूराम** : जवाब नहीं आया है, उपाध्यक्ष महोदय । गवर्नमेंट से आदेश नहीं हुए हैं । सेटलमेंट पार्टी अलग है, जब तक राजस्व विभाग से आदेश नहीं होंगे । वे इन्द्राज नहीं करेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिए ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,87,99,000) रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,61,58,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92–भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्पाल महोदय को 55,00,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 8 मई, 1972 को प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6 बजकर 35 मिनिट पर दिनांक 8 मई, 72 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

# परिशिष्ट 1

ता० प्र० सं० 318 की सूची

## STATEMENT OF GRANTS PAID TO INSTITUTIONS

| | Year 1966-67 Amount | Audited statement Received or not. |
|---|---|---|
| Rashtriya Kala Mandal. | 6,089.34 | Received. |
| Rajasthan Tarun Kalakar Parishad, Jaipur. | 2,900.00 | Not Reced. |
| Ajmer Music College, Ajmer. | 1,100.00 | Received. |
| Meera Kala Mandir, Udaipur. | 600.00 | Received. |
| Shree Sangeet Bharti, Bikaner. | 1,270.00 | Not Recd. |
| Kala Bharti, Alwar. | 734.61 | Received. |
| Gandharva Maha Vidhayalaya Mandal, Jaipur. | 300.00 | Not Recd. |
| Amataur Artist's Association, Jaipur. | 4,000.00 | Received. |
| Sarswati Sangeet Sansthan. | 600.00 | Not Recd. |
| Ravindra Kala Bharti, Udaipur. | 5,733.90 | Troup to Forward Areas. |
| Modern Sangeet Sansthan, Jodhpur. | 3,178.65 | do- |
| Jaipur Arts Festival. | 5,000.00 | Grant Recd. Direct at Jaipur. |
| | 31,506.50 | |

**1967-68**

| | | |
|---|---|---|
| Rashtriya Kala Mandal, Jodhpur. | 6,385.00 | Received. |
| Bhartiya Lok Kala Mandal, Udaipur. | 3,400.00 | Received. |
| Meera Kala Mandir, Udaipur. | 500.00 | Received. |
| Sangeet Natya Niketan, Udaipur. | 500.00 | Received. |
| Shri Sangeet Bharti, Bikaner. | 1,319.00 | Not Recd. |
| Kala Bharti, Alwar. | 1,500.00 | Not Recd. |
| Shastriya Sangeet Vidhayalaya, Sikar. | 2,000.00 | Not Recd. |
| Gandharwa Maha Vidhyalaya. | 250.00 | Not Recd. |
| Sangeet Kala Kendra, Bhilwara. | 2,480.00 | Not Recd. |
| Cultural Society of Rajasthan, Jaipur. | 1,000.00 | Received. |
| Amataur Artist's Association, Jaipur. | 4,560.00 | Received. |
| Maharana Kumbha Sangeet Parishad, Udaipur. | 1,000.00 | Received. |
| Ajmer Music College, Ajmer. | 500.00 | Received. |
| Lalit Kala Sangam, Ajmer. | 750.00 | Received. |
| Jaipur Arts Festival, Jaipur. | 3,000.00 | Received. |
| | 29,144.00 | |

### 1968-69

| | | |
|---|---|---|
| Amataur Artist's Association, Jaipur. | 4,000.00 | Received |
| Maharana Kumbha Sangeet Parishad, Udaipur. | 1,000.00 | Not Received |
| Rashtriya Kala Mandal, Jodhpur. | 3,250.00 | Received |
| Gandharva Maha Vidhayalaya, Jaipur. | 3,000.00 | Not Recd. |
| Sangeet Kala Kendra, Bhilwara. | 1,750.00 | Received |
| | 13,000.00 | |

### 1969-70

| | | |
|---|---|---|
| Rashtriya Kala Mandal, Jodhpur. | 2,500.00 | Received |
| Kala Bharti, Alwar. | 500.00 | Received |
| Cultural Society of Rajasthan, Jaipur. | 1,000.00 | Received |
| Amataur Artists Association, Jaipur. | 2,000.00 | Received |
| Maharana Kumbha Sangeet Parishad, Udaipur. | 1,500.00 | Received |
| Sangeet Kala Kendra, Bhilwara. | 1,500.00 | Received |
| Shree Sangeet Bharti, Bikaner. | 500.00 | Received |
| | 9,500.00 | |

### 1970-71

| | | |
|---|---|---|
| Rashtriya Kala Mandal, Jodhpur. | 5,750.00 | Received |
| Cultural Society of Rajasthan, Jaipur. | 2,000.00 | Received |
| Gandharva Maha Vidhayalaya Mandal, Jaipur. | 1,050.00 | Received |
| Kala Sangam, Jaipur. | 1,000.00 | Received |
| Meera Kala Mandir, Udaipur. | 500.00 | Received |
| Sangeet Natya Niketan, Udaipur. | 700.00 | Received |
| Kala Bharti, Alwar. | 2,750.00 | Received |
| National Theatre, Bikaner. | 500.00 | Received |
| Maharani Kumbha Sangeet Parishad, Udaipur. | 1,000.00 | Received |
| Amataur Artist's Association, Jaipur. | 3,000.00 | Received |
| Sangeet Kala Kendra, Bhilwara. | 4,750.00 | Received |
| Sangeet Bharti, Bikaner. | 750.00 | -do- |
| | 23,750.00 | |

# परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 329 की सूची)

| Name of District<br>1 | Name of Panchayat Samiti<br>2 |
|---|---|
| Ajmer | 1. Kekri |
| | 2. Pisangan |
| | 3. Masuda |
| Alwar | 1. Kathumber |
| | 2. Behror |
| | 3. Tijara |
| | 4. Ramgarh |
| | 5. Rajgarh |
| | 6. Rani |
| | 7. Kishangarhwas |
| | 8. Mandawar |
| | 9. Kotkasim |
| Bharatpur | 1. Nadbai |
| | 2. Dholpur |
| | 3. Kumbher |
| Bikaner | 1. Lunkaransar |
| | 2. Nokha |
| | 3. Kolayat. |
| Bhilwara | 1. Mandalgarh |
| | 2. Suana |
| | 3. Sadal |
| | 4. Kotri |
| | 5. Mandal |
| | 6. Bijolia |
| | 7. Asind |
| | 8. Hurda |
| | 9. Jahajpur |
| Banswara | 1. Banswara |
| Barmer | 1. Siwana |
| Bundi | 1. Talesar |
| | 2. Nenva |
| Chittorgarh | 1. Begun |
| | 2. Partapgarh |
| | 3. Rashmi |
| | 4. Nimbahera |
| Churu | 1. Tarangar |
| | 2. Rajgarh |
| Dungarpur | 1. Simalwara |
| | 2. Bichiwara |
| Jhunjhunu | 1. Alsisar |
| | 2. Chirawa |
| | 3. Jhunjhunu |
| | 4. Khetri |
| | 5. Udaipurwati |
| Jalore | 1. Saila |
| | 2. Jaswantpura |
| | 3. Bhinmal |
| Jhalawar | 1. Khanpur |
| | 2. Jhalrapatan |
| | 3. Sunel (Pirawa) |
| | 4. Pilawa |
| | 5. Bakani. |
| Jodhpur | 1. Osian |
| | 2. Shergarh |
| | 3. Balesar |
| | 4. Phalodi |
| | 5. Bap |
| | 6. Bhopalgarh |
| | 7. Bilara |
| Kota | 1. Sangod |
| | 2. Atru |
| | 3. Baran |
| | 4. Anta |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Nagaur | 1. Didwana | Jaipur | 1. Govindgarh |
| | 2. Ladnun | | 2. Sikrai |
| | 3. Merta | | 3. Kotputli |
| Pali | 1. Jaitaran | Tonk | 1. Tonk |
| | 2. Sumerpur | | 2. Todaraisingh |
| | 3. Bali | | 3. Deoli |
| | 4. Pali | | 4. Uniara |
| | 5. Rani | | |
| | 6. Raipur | Udaipur | 1. Railmagra |
| | | | 2. Mavli |
| | | | 3. Rajsamand |
| Sawai Madhopur | 1. S. Madhopur | | 4. Girwa |
| | 2. Mahwa | | 5. Salumber |
| | 3. Todabhim | | |
| | 4. Hindaun | Sirohi | 1. Abu Road |
| | | | 2. Reodar |
| | | | 3. Shivganj |
| Sikar | 1. Shri Madhopura | | |
| | 2. Neem-Ka-Thana | Ganganagar | 1. Ganganagar |
| | 3. Fatehpur | | 2. Hanumangarh |

# परिशिष्ट 3

## समयाभाव के कारण न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

### सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी

335. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री की कहां कहां तक सीमा निर्धारित है तथा इसमें कौन कौन से गांव व कस्बे आते हैं? रकबा व खसरा नम्बर दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री के लिये केमता कोटड़ी में भी सीमेन्ट बनाने का पत्थर लाने की इजाजत दी है? यदि हां, तो क्या वहां के किसानों की कृषि की उपजाऊ भूमि पर आम रास्ते बना कर कृषि की भूमि बेकार कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) गांववार स्वीकृत क्षेत्रफल देते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कुल 20.5 वर्ग मील क्षेत्रफल स्वीकृत है।

(2) जी हां। कृषि भूमि पर आम रास्ते निकालने बाबत विभाग में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

### सूची

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लाखेरी ग्राम | लाखरी खुर्द लगभग | 2634 | बीघा |
| | | लाखेरी लगभग | 30797 | ,, |
| 2. | चमावली | लगभग | 3411 | ,, |
| 3. | कांकरा | ,, | 3900 | ,, |
| 4. | उतराणा | ,, | 7654 | ,, |
| 5. | उड़ेता | ,, | 3100 | ,, |
| 6. | दादाहेड़ी | ,, | 10664 | ,, |
| 7. | गुंथा | ,, | 5900 | ,, |
| 8. | गेडोली | ,, | 11800 | ,, |
| 9. | पोलाई | ,, | 9900 | ,, |
| 10. | कुआ गांव | ,, | 3700 | ,, |
| 11. | खटकड़ | ,, | 43 | ,, |
| 12. | नया गांव | ,, | 6500 | ,, |
| 13. | हणबदा | ,, | 5500 | ,, |
| 14. | कांकरा, मील आदि | ,, | 3563 | ,, |

### कृषि उपज मंडी समिति, हिण्डौन के अध्यक्ष

336. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सत्य है कि हिण्डौन से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र "ग्रामवाणी" के भूतपूर्व सम्पादक कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने पत्र में मंडी समिति के विज्ञापन प्रकाशित कर प्रत्यक्ष रूप से भारी लाभ उठाया ? अगर हां, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर अध्यक्ष पद से क्यों नहीं हटाया गया ?

#### उत्तर

जी हां । श्री रामजीलाल जैन दिनांक 10-10-69 से कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं और वे "ग्रामवाणी" पत्र के सम्पादक भी दिनांक 22-2-70 से 23-3-71 तक रहे हैं । इस अवधि में जो विज्ञापन दिये गए हैं उसके लिये विधि विभाग से राय प्राप्त कर, उसके अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी ।

### झालावाड़ा में सेल्स टैक्स का कार्यालय

337. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ में सी. टी. ओ., ऑफिस खोले जाने की घोषणा भूतपूर्व मंत्री द्वारा गत बजट सत्र में की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कई पत्र लिखने के बाद भी अभी तक कार्यालय नहीं खोला जा रहा है ? ।

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ में सेल टैक्स की आय, कार्यालय नहीं होने से काफी गिर चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस मामले में उदासीन क्यों है ?

(4) झालावाड़ जिले से सेल्स टैक्स विभाग को 70-71 तथा 71-72 में कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

#### उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । केवल पत्र लिखे जाने पर ही कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) झालावाड़ जिले की आय के पृथक आंकड़े वाणिज्यिक कर अधिकारी का कार्यालय हटाने के बाद से नहीं रखे गये हैं । झालावाड़ कोष में जो रुपया जमा हुआ है उसके वर्ष 70-71 एवं 71-72 के आंकड़े निम्न प्रकार है :—

70-71 (अप्रेल, 70 से मार्च, 71) रु० 40,58,345/-

70-71 (अप्रेल, 70 से फरवरी, 71) रु० 31,39,504/—

71-72 (अप्रेल, 71 से फरवरी, 72) रु० 33,99,406/—

नोट:—इस साल के मार्च के झालावाड़ कोषालय के आय के आंकड़े प्राप्त न होने से दोनों वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े फरवरी तक के ही दिये गये हैं ।

**ग्राम कुंठवा (नाथद्वारा) के उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति**

338. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा तहसील के ग्राम कुंठवा का उच्च प्राथमिक विद्यालय तहसील में सब से पुराना स्कूल है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

(1) यह सत्य नही है ।

(2) इस वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु विभागीय बजट में कोई प्रावधान नही हैं ।

**जैतारण व रायपुर क्षेत्रों में रोजगार देने की व्यवस्था**

339. **श्री सुखलाल सेंणचा** (जैतारण): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जैतारण व रायपुर क्षेत्रों में रबी की फसलें नष्ट हो जाने से भयंकर अकाल की स्थिति है ? यदि हां, तो सरकार ने रोजगार देन हेतु वहां पर क्या व्यवस्था की है ?

**उत्तर**

जी नहीं । जैतारण क्षेत्र में रबी की फसल में शीतलहर से कोई नुकसान नहीं हुआ है । रायपुर तहसील में कुछ पटवार मण्डलों से खराबा होने की सूचना जिलाधीश को मिली थी, जिसकी अब जांच करायी जा रही है । सूचना आने के बाद यदि कोई कार्यवाही आवश्यक हुई तो की जावेगी ।

**डकैती, हत्या, कार व स्कूटरों की चोरी के मामले**

340. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1971 तक डकैती, हत्या, कार व स्कूटरों की चोरी के कितने केस रजिस्टर्ड हुए ?

(2) इन केसों में कुल कितने मुल्जिमान का हाथ था ?

(3) इन मुल्जिमान में कितने शिक्षित व कितने अशिक्षित लोग शामिल थे ?

(4) क्या राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि शिक्षित लोगों में अपराध की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है ?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार इस मनोवृत्ति की रोक-थाम के लिये क्या कदम उठा रही है ? ।

**उत्तर**

(1) राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इस अवधि में 64 डकैती, 339 हत्या

(गृह मंत्री)

एवं 382 कार और स्कूटर चोरी के अपराध रजिस्टर्ड हुए हैं।

(2) इन अपराधों में कुल 914 मुल्जिमान का हाथ होना पाया गया है।

(3) इन अपराधों में 261 शिक्षित व 653 अशिक्षित अपराधियों का शामिल होना पाया गया।

(4) जी नहीं, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**उद्योग में पिछड़े जिले**

**341. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन जिलों को उद्योग में पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है ?

(2) उद्योग में पिछड़े जिले घोषित करने के क्या आधार हैं ?

(3) बीकानेर को उद्योग में पिछड़ा जिला घोषित किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछड़े जिलों को घोषित भारत सरकार द्वारा जो आधार निर्धारित किये गये थे उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। उपरोक्त आधारों के अनुसार बीकानेर पहले 16 जिलों में नहीं आता है।

**सूची**

| | |
|---|---|
| 1. अजमेर | 9. जैसलमेर |
| 2. बांसवाड़ा | 10. झालावाड़ |
| 3. भीलवाड़ा | 11. जोधपुर |
| 4. बाड़मेर | 12. जालोर |
| 5. चूरू | 13. सीकर |
| 6. डूंगरपुर | 14. सिरोही |
| 7. टोंक | 15. उदयपुर |
| 8. झुंझुनू | 16. नागोर |

**भारत सरकार द्वारा पिछड़े जिला घोषित करने के आधार**

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of foodgrains/Cash crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

राजलदेसर की जल प्रदाय योजना

342. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कस्बा राजलदेसर जिला चूरू की जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत हुई थी और इसका कार्य कब से प्रारंभ हुआ ?

(2) इस योजना का कार्य अब तक कितने प्रतिशत हुआ है और पानी कब तक सप्लाई कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि कस्बे में जल कष्ट बहुत बढ़ गया है और जब तक जल योजना से पानी प्राप्त नहीं हो, तब तक पानी की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) अक्टूबर 68 में स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ हुआ ।

(2) इस जलदाय योजना का 70% कार्य हो चुका है । शीघ्र ही बाकी का निर्माण कार्य पूरा कर इस वित्तिय वर्ष के अन्त तक पानी सप्लाई किये जाने की संभावना है ।

(3) चूंकि कस्बे में जलदाय योजना नहीं है अतः जल की कठिनाई होना स्वाभाविक है । इस विभाग की ओर से जल योजना से पानी प्राप्त नहीं हो सकने तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई है । लेकिन अब एक कुऐं में पावर मिलने के पश्चात् वहां पर पम्प लगाकर कुऐं से जुड़े हुये कोठे में पानी डालकर वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण महिलाओं के शारीरिक, सामाजिक आदि विकास की भावी योजना

343. श्रीमती भगवती देवी (मिनाय) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सत्य है कि ग्रामीण महिलाओं की हालत शहरी महिलाओं से शैक्षणिक आर्थिक, सामाजिक, एवं शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक खराब है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उनके सुधार के लिये सरकार के पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है ?

(3) यदि है तो कौन कौन सी योजनाएं इन असमानताओं को दूर करने के लिये प्रचलन में है ?

(4) क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं के शारीरिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए निकट भविष्य में गम्भीरता से सोचने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कौन कौनसी भावी योजनाएं सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) इस कथन को पुष्टि करने के लिए कोई आंकडे उपलब्ध नहीं है । साक्षरता ग्रामीण महिलाओं में अवश्य कम है जिसके तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये है—

| स्त्रियों में— | शहरी | ग्रामीण | समस्त राज० |
|---|---|---|---|
| साक्षरता प्रतिशत (1971 जन-गणना के अनुसार) | 29.46 | 3.85 | 8.26 |

(2) जी नहीं ।

(3) इस समय राज्य के तीन विभागों, विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण हेतु निम्न-लिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:—

1— विकास विभाग के अंतर्गत:—

(अ) महिला व बच्चों का संयुक्त कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएँ निम्नानुसार हैं:—

1. महिला मण्डल के माध्यम से व्यावहारिक पोषाहार की शिक्षा ।

2. प्रदर्शन पोषाहार कार्यक्रम,

3. महिला सहयोगी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (बाल सेविकाओं का प्रशिक्षण),

4. महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम ।

(ब) व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम जिसके अंतर्गत महिला मण्डलों की स्थापना करके उनके द्वारा महिलाओं को शैक्षणिक व आर्थिक विकास करने की दिशा से प्रेरित किया जाता है ।

2— समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत:—

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं में शिक्षा प्रसार हेतु छात्रवृत्तियाँ एवं निशुल्क छात्रावास की योजनायें चलाई जा रही हैं । राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण विस्तार योजना के अंतर्गत सामाजिक शिक्षा, गर्भ पूर्व एवं गर्भोत्तर सेवाएं, कला शिल्प शिक्षा तथा अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम 20 स्थानों में चलाये जा रहे है । राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर 1129 पोषाहार केन्द्र, जहां छोटे बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाती माताओं को भी पौष्टिक आहार दिया जाता है, चलाये जा रहे हैं ।

3— शिक्षा विभाग के अंतर्गत (वर्ष 1972-73 की योजना में:—

(अ) 172 तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त अध्यापकों के पद ।

(ब) 50 कन्या प्राथमिक विद्यालयों के उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना ।

(स) महिला शिक्षा के विकास के लिये इस वर्ष की योजना में रु० 15 लाख अलग से रखे गये हैं ।

4—सरकार सभी के कल्याण, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिये सतत् प्रयत्न करती रही है और महिलाओं के कल्याण के लिये पांचवी योजना बनाते समय विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उपयुक्त ध्यान दिया जायेगा ।

# परिशिष्ट 4

## ता० प्र० सं० 319 की सूची

जन सम्पर्क निदेशालय का कार्य केवल समाचार पत्रों को समाचार देना ही नहीं है बल्कि उन्हें चित्र, एबोनाइडस्लाइस व लेखादि समय समय पर प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराना भी है। पत्रकारों को यात्रा कराई जाती है और स्वेच्छा से भ्रमण के लिये आये हुये पत्र प्रतिनिधियों को आवश्यक सहयोग दिया जाता है। राज्य का सही दृष्टिकोण बताने की दृष्टि से पत्रकारों तथा सम्पादकों से निजी सम्पर्क रखने का प्रयास किया जाता है।

यह निदेशालय लोक प्रबोधन के लिये प्रचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है जिससे कि अनेक प्रकार से जन सम्पर्क किया जा सके राज्य सरकार की नीति, योजना, विचार आदि को सर्व साधारण तक पहुंचाने के लिये निदेशालय की विभिन्न गतिविधियां हैं।

जनता की सुविधा के लिये उनके लाभार्थ प्रदर्शनियों, फिल्म प्रदर्शन तथा मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाशन जैसे पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, स्टीफर्स आदि निकालकर राज्य की प्रगति की जानकारी दी जाती है। सूचना केन्द्र के माध्यम से लोक चेतना का कार्य किया जाता है। और माईक्रोफोन स्टेशन से समाचारों का प्रसारण होता है। रंगमंच के द्वारा फिल्म व प्रदर्शनियां आयोजित होती रहती है।

सरकार द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी यथा शीघ्र जन साधारण तक पहुंचाने और जो प्रतिक्रिया उसके प्रति प्राप्त होती है उससे प्रशासन को अवगत कराने का इस विभाग का प्रयत्न रहता है। इस प्रकार सूचना देना तथा जनता व शासन के बीच सम्पर्क बनाये रखने के कार्य का यह विभाग प्रयास करता रहता है।

# परिशिष्ट 5

## अ. ता. प्र. सं. 102 की सूची

### खारे पानी वाले ग्रामों की सूची

| क्र. सं. | गांवों के नाम | जन संख्या | क्र. सं. | गांवों के नाम | जन संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | खुदाया | 234 | 31. | पाडारली | 196 |
| 2. | जैसला | 149 | 32. | इटोडा | 260 |
| 3. | कोड | 520 | 33. | आंकोली | 367 |
| 4. | लालपुरा | 268 | 34. | रामपुरा | 170 |
| 5. | सोलू | 323 | 35. | रामाल | 156 |
| 6. | घातिया | 571 | 36. | निम्बल | 441 |
| 7. | घारवाल | 540 | 37. | तांतरा | 240 |
| 8. | छाजडा | 426 | 38. | जोधावास | 508 |
| 9. | विछवाडो | 1299 | 39. | झाव | 1539 |
| 10. | वांक | 347 | 40. | दुत्तल | 654 |
| 11. | गोलासर | 858 | 41. | अमटी | 619 |
| 12. | गडोली | 323 | 42. | दूदेओसान | 581 |
| 13. | पचारपुरा | 527 | 43. | पालडी | 567 |
| 14. | घोलादर | 528 | 44. | जीरोल | 1044 |
| 15. | काचेला | 439 | 45. | सूरबन्द | 606 |
| 16. | वागसीडी | 261 | 46. | रेलपुरा | 102 |
| 17. | सलोडा | 144 | 47. | खेजड़ीपाली | 686 |
| 18. | सीलसोनिया | 203 | 48. | रीढका | 197 |
| 19. | गोमी | 157 | 49. | सांकरीया | 200 |
| 20. | हाडेचा | 1256 | 50. | मावसरा | 285 |
| 21. | इसरोल | 278 | 51. | नलदारा | 199 |
| 22. | जानवी | 630 | 52. | केसूरे | 553 |
| 23. | गालोवो | 431 | 53. | सखाना | 706 |
| 24. | होटोगांव | 521 | 54. | सूजाना | 196 |
| 25. | अगदावा | 414 | 55. | बातकी | 288 |
| 26. | दुघोवा | 1152 | 56. | बेलवा | 246 |
| 27. | अकेली | 472 | 57. | उरनिया | 161 |
| 28. | छिरोड़ी | 479 | 58. | घोगपुरा | 148 |
| 29. | कारावांडी | 471 | 59. | सूथेरि | 368 |
| 30. | रानोदान | 790 | | | |

# शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 5 मई, 1972)

| पृष्ठ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ऊपर से 18 | म | में |
| 3 | अन्तिम से 7 | तिदिन | प्रतिदिन |
| 5 | अन्तिम से 11 | घाट | घाटे |
| 9 | ऊपर से 14 | श्री रघुनाय | श्री रघुनाथ |
| 15 | अन्तिम से 8 | मरूूप | मुख्लम |
| 16 | ऊपर से 8 | आवश्यक | अवश्य |
| 17 | ऊपर से 11 | इसर्लाए | इसलिए |
| | ऊपर से 18 | बात | बार |
| 18 | ऊपर से 4 | जबाब | जवाव |
| 23 | ऊपर से 6 | बत | बात |
| 24 | ऊपर से 18 | राजपाल जी | राज्यपाल जी |
| 28 | ऊपर से 12 | बैनिवाल | बेनीवाल |
| 30 | अन्तिम से 7 | लाहृतलाली | लाइतलाली |
| 32 | अन्तिम से 15 | उसमें | उनमें |
| | अन्तिम से 10 | हुर्जरन | हरीजन |
| 37 | ऊपर से 5 9,17, 21 व 27 | श्री गिरधारी लाल | श्री गिरधारीलाल भार्गव |
| 39 | अन्तिम से 6 | भूजल मंत्री | भू-जल मण्डल मंत्री |
| 43 | अन्तिम से 1 | कया | किया |
| 47 | अन्तिम से 8 | कुड़की | कुर्की |
| 52 | ऊपर से 5,11, 18,20 | श्री बिठ्ठल भाई | श्री विट्ठल भाई |
| 54 | ऊपर से 10 | इरीगेशन | इरिगेशन |
| 57 | ऊपर से 2,3,20 | जबाब | जवाब |
| 58 | अन्तिम से 2 | दर्यापत | दरियाफ्त |
| 62 | अन्तिम से 4 | मत्री | मंत्री |
| 66 | अन्तिम से 1 | अलाबा | अलावा |
| 72 | ऊपर से 11 | क्षेत्रिय | क्षेत्रीय |
| 74 | अन्तिम से 9 | जावेग | जावेंगे |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | अन्तिम से | 10 | गय | गये |
| 82 | ऊपर से | 1 | माध्यमक | माध्यमिक |
| 88 | अन्तिम से | 4,6 | श्री गफ्फार अली | मोहम्मद श्री गफ्फार अली |
| 89 | अन्तिम से | 1 | ताल्लक | ताल्लुक |
| 91 | ऊपर से | 13 | म | में |
| 92 | ऊपर से | 19 | दूकानों | दुकानों |
| 94 | अन्तिम से | 1 | टक्स | टैक्स |
| 95 | ऊपर से | 17 | hall | shall |
| | ,, | 22 | the | — |
| 96 | अन्तिम से | 3 | इसम | इसमें |
| 98 | ,, | 1 | अंकित नहीं किया गया | अभिव्यक्ति निकाली गई |
| 101 | ,, | 7 | म | में |
| 106 | ऊपर से | 3 | प्रेजम्शर्न | प्रिजम्शन |
| 107 | अन्तिम से | 7 | स्याल | खयाल |
| 116 | ऊपर से | 1 | हमन | हमनें |
| | ,, | 3 | क्षत्रों | क्षेत्रों |
| | ,, | 15 | लाग | लागू |
| 117 | ,, | 18 | परन्त | परन्तु |
| 118 | ,, | 17 | म | में |
| 118 | ,, | 28 | तिस्पर्धा | प्रतिस्पर्घा |
| 120 | अन्तिम से | 7 | पसन्ट | पर्सेन्ट |
| 129 | ,, | 10 | ओर | ओर |
| 130 | ऊपर से | 6 | य | यह |
| 132 | अन्तिम से | 1 | होइय | होइयें |
| 134 | ऊपर से | 20 | जाव | जावें |
| 138 | ,, | 17 | कटौटी | कटौती |
| 138 | ,, | 11 | लिइ | लिये |
| 142 | अन्तिम से | 1 | शासन | प्रशासन |
| 144 | ,, | 8 | मल्य | मूल्य |
| 148 | अन्तिम से | 9 | जर्माना | जुर्माना |
| 151 | ऊपर से | 17 | स्यया | रुपया |
| | ,, | 15 | शीक | शीर्षक |
| 152 | ,, | 14 | अंतगत | अंतर्गत |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | अन्तिम | से | 9 | फटौती | कटौती |
| 165 | ,, | | 1 | े | जो |
| 167 | ,, | | 12 | ममी | भूमि |
| 169 | ,, | | 12 | श्री बद्धिचन्द्रजैन | श्री वृद्धिचन्द्र जैन |
| 177 | ऊपर | से | 9 | निणय | निर्णय |
| 178 | अन्तिम | से | 2 | सन्ता | सत्ता |
| 198 | ऊपर | से | 1 | श्री नत्थी सिंह | श्री नत्थीसिंह |
| 202 | ,, | | 14 | ने | के |
| 204 | ,, | | 1 | गाड़ीया | लकड़ियां |
| 208 | अन्तिम | से | 14 | एरिंगेशन | इरिगेशन |
| 209 | ,, | | 2 | a | be |
| 249 | ,, | | 2 | ग्रूप | ग्रुप |
| 253 | ,, | | 15 | प्रतिनिधी | प्रतिनिधि |
| 255 | ,, | | 9,10 | टाटगढ | टाडगढ़ |
| 257 | ,, | | 6 | पारेबन्दी | तारबन्दी |
| 268 | ऊपर | से | 8 | करपेशन | करप्शन |
| 270 | ,, | | 8 | मूमि | भूमि |
| 274 | अन्तिम | से | 7 | का | को |
| 282 | ऊपर | से | 9 | माननीन | माननीय |
| 284 | ,, | | 1 | वगैरा | वगैरह |
| 285 | अन्तिम | से | 4 | स्टट | स्टेट |
| 287 | ऊपर | से | 7 | रट | रेट |
| 290 | अन्तिम | से | 8 | चौ री | चौधरी |
| 293 | ,, | | 2 | एक स्पेकट | एक्सपेक्ट |
| 302 | ,, | | 3 | पर दिनांक | पर सोमवार दिनांक |
| 313 | ऊपर | से | 6 | घोषित भारत | घोषित करने के भारत |
| | अन्तिम | से | 8 | to | — |
| 315 | ,, | | 12 | वितिय | वित्तीय |
| 316 | ऊपर | से | 3 | श्रीमती भगवती दवी | श्रीमती भगवती देवी |
| 319 | अन्तिम | से | 9 | कर्यक्रमों | कार्यक्रमों |